भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4 में प्रकाशनार्थ

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली 03/03/2017

फा.सं. 21.-4/2016 बीएंडसीएस – केंद्र सरकार, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (दूरसंचार विभाग) की अधिसूचना संख्या 39, जो –

(ए) भारतीय दूरसंचार प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (1997 का 24) की धारा 11 की उप–धारा (1) के खंड (डी) और धारा 2 की उप–धारा (1) के खंड (के) के परंतुक के अंतर्गत केंद्र सरकार को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी की गई थी, तथा

(बी) भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग–2 खंड 3 में दिनांक 09 जनवरी, 2004 की अधिसूचना संख्या एसओ 44 (ई) और 45 (ई) के तहत प्रकाशित की गई थी,

के साथ पठित भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (1997 का 24) की धारा 11 की उप–धारा (1) के खंड (ख) के उप–खंड (ii), (iii) और (iv) के साथ पठित धारा 36 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, नामतः–

दूरसंचार (प्रसारण एवं केबल) सेवाएं अंतःसंयोजन (एड्रेसेबल प्रणालियां) विनियम, 2017 (2017 का संख्या 1)

अध्याय I

प्रारंभिक

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभण** – (1) इन विनियमों को दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएं अंतःसंयोजन (एड्रेसेबल प्रणालियां) विनियम, 2017 कहा जाएगा।

(2) ये विनियम, पूरे देश में एड्रेसेबल प्रणालियों के जरिए उपलब्ध कराई गई टेलीविजन से संबधित प्रसारण सेवाओं के लिए अंतःसंयोजन हेतु सेवा प्रदाताओं के बीच वाणिज्यिक और तकनीकी समझौते कवर करेंगे।

(3) ये विनियम सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. **परिभाषाएं –** (1) इन विनियमों में जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो,–

(ए) "अधिनियम" से आशय भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (1997 का 24) से है;

(बी) "सक्रिय सब्सक्राइबर" से, इन विनियमों के प्रयोजन के लिए, आशय है कोई ऐसा सब्सक्राइबर, जिसे सब्सक्राइबर प्रबंधन प्रणाली के अनुसार टेलीविज़न चैनलों के सिगनल प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत किया गया है और जिसके सेट टॉप बॉक्स को सिगनल मना नहीं किया गया है;

(सी) ''एड्रेसेबल प्रणाली'' से आशय है एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (जिसमें हार्डवेयर और इससे सम्बद्ध सॉफ्टवेयर शामिल हैं) अथवा एक से अधिक इलैक्ट्रानिक उपकरण, जिन्हे एकीकृत प्रणाली में रखा गया हो और जिनके माध्यम से कार्यक्रमों का संचारण, टेलीविजन चैनलों के सिगनलों के पुनः संचारण समेत, कूट (एनक्रिप्टिड) किया जा सकता हैं और, जिन्हें सब्सक्राइबर को टेलीविजन चैनलों के वितरकों द्वारा सब्सक्राइबर की स्पष्ट पसंद व अनुरोध पर, प्राधिकृत सीमाओं के भीतर, सब्सक्राइबर के परिसर में किसी उपकरण अथवा उपकरणों से कूटानुवाद (डिकोड) किया जा सकता है;

(डी) "अ–ला–कार्टे अथवा अ–ला–कार्टे चैनल" टीवी चैनल के प्रस्ताव के संदर्भ में से आशय एकल आधार वाले चैनल के अलग–अलग प्रस्ताव से है;

(ई) "प्राधिकरण" से आशय भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (1997 का 24) की धारा 3 की उपधारा (1) के तहत स्थापित भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण से है;

(एफ) "औसत सक्रिय सब्सक्राइबर आधार" से आशय है, इन विनियमों की अनुसूची 7 में विनिर्धारित तरीके से सक्रिय सब्सक्राइबर के आधार संख्या का औसत लेकर निकाली गई संख्या;

(जी) "बुके" या "चैनलों के बुके" से आशय विशिष्ट चैनलों के संकलन से है, जिनकी एक समूह या बंडल के रूप में पेशकश की जाती हैं और जिसमें इसकी सभी व्याकरणिक भिन्नताएं तथा संबंद्ध अभिव्यक्तियों का तदनुसार आशय होगा;

(एच) "प्रसारक" से आशय किसी व्यक्ति, व्यक्तियों के समूह, निगमित निकाय, या किसी संगठन या किसी ऐसे निकाय से है, जो अपने नाम पर अपने चैनलों के लिए केन्द सरकार से डॉउनलिंकिग अनुमति प्राप्त कर प्रोग्रामिंग सेवाएं मुहैया करवाता है;

(आई) ''अधिकतम खुदरा मूल्य में प्रसारक की हिस्सेदारी'' पे चैनल अथवा पे चैनलों के बुके के संदर्भ में इसका आशय किसी टेलीविजन चैनलों के वितरक द्वारा प्रसारक को उसके पे चैनलों अथवा पे चैनलों के बुके के लिए, जैसा भी मामला हो, देय शुल्क है जिसके लिए उस प्रसारक से वितरक द्वारा विधिवत् रूप से प्राधिकृति प्राप्त की गई हो;

(जे) ''प्रसारण सेवाओं'' का आशय है अंतरिक्ष के माध्यम से अथवा केबल के माध्यम से विद्युत चुम्बकीय तरंगों के संप्रेषण द्वारा संचार के किसी भी रूप जैसे चिह्नों, सिग्नलों, लेखनों, चित्रों, प्रतिबिंबों और सभी प्रकार की आवाजों का प्रसार, जिसे आम जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त किया जाना आशयित है, और इसकी सभी व्याकरणिक विभिन्नताओं और सजातीय अभिव्यक्तियों का तद्नुसार अर्थ माना जाएगा;

(के) ''केबल सेवा'' अथवा ''केबल टीवी सेवा'' से आशय कार्यक्रमों का प्रसारण है, जिसमें केबल के माध्यम से टेलीविजन चैनलों के सिग्नलों का पुनर्प्रसारण शामिल है ;

(एल) ''केबल टेलीविजन नेटवर्क'' अथवा ''केबल टीवी नेटवर्क'' से आशय है, क्लोज्ड ट्रांसमिशन पाथ और संबन्धित सिगनल जनरेशन, नियंत्रण और वितरण उपकरण से मिलकर बनी कोई प्रणाली, जिसे मल्टीपल सब्सक्राइबरों द्वारा केबल सेवा प्राप्त करने के लिए डिजाइन किया गया है;

(एम) "कैरिज शुल्क" से आशय है, अन्य प्रसारकों के चैनलों की तुलना में प्रसारक के विभिन्न चैनलों का इलेक्टॉनिक प्रोग्रामिंग मार्गदर्शिका में विशिष्ट स्थान का ब्योरा अथवा विशिष्ट चैनल संख्या का ब्योरा दिए बिना, टीवी चैनलों के वितरक के द्वारा संचालित प्लेटफार्म पर, उक्त प्रसारक के चैनल अथवा चैनलों के बुके (गुच्छों) के केवल कैरिज के लिए किसी प्रसारक द्वारा टीवी चैनलों के वितरक को देय शुल्क;

(एन) "अनुपालन अधिकारी" से आशय है, किसी सेवा प्रदाता द्वारा नामजद कोई व्यक्ति जो इन विनियमों के तहत अनुपालन के लिए आवश्यक्ताओं को समझने में सक्षम है;

(ओ) "डॉयरेक्ट–टू–होम ऑपरेटर" अथवा "डीटीएच ऑपरेटर" से आशय है ऐसा व्यक्ति जिसे केन्द्र सरकार द्वारा डॉयरेक्ट–टू–होम (डीटीएच) सेवाएं प्रदान करने के लिए लाइसेंस दिया गया है;

(पी) "डॉयरेक्ट–टू–होम सेवा" अथवा "डीटीएच सेवा" से आशय है उपग्रह प्रणाली का उपयोग करके, बिना किसी मध्यस्थ, जैसे केबल आपरेटर अथवा टेलीविजन चैनलों के किसी अन्य वितरक, के सीधे सब्सक्राइबर के घर तक टेलीविजन के सिग्नलों का पुनर्प्रसारण करना;

(क्यू) "वितरण शुल्क" से आशय है, उपभोक्ताओं को, अपने पे टेलीविज़न चैनल (चैनलों) या जनरल पे चैनलों के बुके, जैसा भी मामला हो, के वितरण के उद्देश्य के लिए टेलीविज़न चैनलों के किसी वितरक को किसी प्रसारक द्वारा भुगतानयोग्य कोई शुल्क और इसमें कैरिज शुल्क शामिल नहीं हैं;

(आर) "डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफार्म'' से आशय डीटीएच आपरेटर, मल्टी सिस्टम आपरेटर, एचआईटीएस आपरेटर अथवा आईपीटीवी आपरेटर के वितरण नेटवर्क से है;

(एस) "टेलीविजन चैनलों का वितरक'' अथवा ''वितरक'' से आशय डीटीएच आपरेटर, मल्टी सिस्टम आपरेटर, एचआईटीएस आपरेटर अथवा आईपीटीवी आपरेटर से है;

(टी) "इलेक्टॉनिक प्रोग्रामिंग मार्गदर्शिका'' अथवा ''ईपीजी'' से आशय टेलीविजन चैनलों के वितरकों द्वारा अनुरक्षित कार्यक्रम मार्गदर्शिका से है जिसमें टेलीविजन चैनलों तथा कार्यक्रमों को सूचीबद्ध किया जाता है और जिसमें कार्यक्रम और उनके समय निर्धारण संबंधी जानकारी होती है तथा इसमें ऐसी और जानकारी वाली मार्गदर्शिका शामिल होती है जिसमें सब्सक्राइबर नेवीगेट कर ऐसे उपलब्ध चैनलों और कार्यक्रमों का चयन कर सकते हैं;

(यू) "फ्री–टु–एयर चैनल'' अथवा '' फ्री–टु–एयर टेलीविजन चैनल'' से आशय ऐसे टेलीविजन चैनल से है, जिसे प्रसारक द्वारा इस रूप में घोषित किया जाता है और जिसके लिए टेलीविजन चैनलों के वितरक द्वारा ऐसे चैनल के सिगनल हेतु प्रसारक को किसी शुल्क का भुगतान नहीं किया जाता है ;

(वी) "हैड एंड इन द स्काई आपरेटर'' अथवा "एचआईटीएस आपरेटर'' से आशय ऐसे व्यक्ति से है, जिसे केन्द्र सरकार द्वारा हैड एंड इन द स्काई (एचआईटीएस) सेवा प्रदान करने के लिए अनुमति प्रदान की गयी है;

(डब्लु) "हैड एंड इन द स्काई सेवा'' अथवा "एचआईटीएस सेवा'' से आशय टेलीविजन चैनलों के सिग्नलों के पुनर्प्रसारण सहित कार्यक्रमों के प्रसारण से है––

(i) मध्यस्थों को जैसे केबल प्रचालक या मल्टी सिस्टम ऑपरेटरों को उपग्रह प्रणाली का प्रयोग करते हुए और सब्सक्राइबरों को सीधे नहीं; और

(ii) उपग्रह प्रणाली तथा स्वयं का केबल नेटवर्क उपयोग कर सब्सक्राइबरों को ;

(एक्स) "अंतःसंयोजन" से आशय है, ऐसे वाणिज्यिक और तकनीकी समझौते जिनके अंतर्गत सेवा प्रदाता, सब्सक्राइबरों को प्रसारण सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए अपने उपस्कर और नेटवर्क संयोजित करते हैं;

(वाई) "अंतःसंयोजन करार" इसकी सभी व्याकरणिक भिन्नताओं और समस्रोतीय अभिव्यक्तियों के साथ इससे आशय है, ऐसे अंतःसंयोजन करार जिनमें टेलीविज़न चैनलों के सिगनलों के वितरण के लिए तकनीकी और वाणिज्यिक शर्तों और निबंधनों का उपबंध किया गया है;

(जेड) "इंटरनेट प्रोटोकॉल टेलीविजन आपरेटर'' अथवा "आईपीटीवी आपरेटर'' से आशय ऐसे व्यक्ति से है जिसे केन्द्र सरकार द्वारा आईपीटीवी सेवा प्रदान करने के लिए अनुमति प्रदान की गयी है;

(एए) "इंटरनेट प्रोटोकॉल टेलीविजन सेवा'' अथवा "आईपीटीवी सेवा'' से आशय है एक या अधिक सेवा प्रदाताओं के क्लोज्ड नेटवर्क पर इंटरनेट प्रोटोकॉल का उपयोग करके एड्रेसेबल पद्धति में मल्टी चैनल टेलीविजन कार्यक्रमों का वितरण करना;

(बीबी) "स्थानीय केबल ऑपरेटर'' अथवा ''एलसीओ" से आशय, ऐसे व्यक्ति से है जिसे केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम, 1994 के नियम 5 के अंतर्गत पंजीकृत किया गया है;

(सीसी) "अधिकतम खुदरा मूल्य'' अथवा ''एमआरपी'' से इस विनियम के प्रयोजनार्थ आशय, कर के अलावा, ऐसे अधिकतम मूल्य से है जो किसी सब्सक्राइबर द्वारा अ–ला–कार्टे पे चैनल अथवा पे–चैनलों के बुके, जैसा भी मामला हो, के लिए देय है;

(डीडी) "मल्टी सिस्टम ऑपरेटर'' अथवा ''एमएसओ" से आशय किसी ऐसे ऑपरेटर से है जिसे केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम, 1994 के नियम 11, के अंतर्गत पंजीकरण प्रदान किया गया है और जो किसी प्रसारक से कोई कार्यक्रम सेवा प्राप्त करता है और एक से अधिक सब्सक्राइबर को सीधे ही अथवा एक या अधिक स्थानीय केबल ऑपरेटरों के माध्यम से, साथ–साथ प्राप्त करने के लिए, इन्हें पुनः संचारित करता है अथवा अपनी स्वयं की कार्यक्रम सेवा को संचारित करता है;

(ईई) "नेटवर्क क्षमता शुल्क'' से आशय, कर के अलावा, उस राशि से है जो एक सब्सक्राइबर द्वारा सब्सक्राइब किए गए टेलीविजन चैनलों को प्राप्त करने के लिए उपयोग किए गए वितरण नेटवर्क क्षमता हेतु टेलीविजन चैनलों के वितरक को देय है तथा इसमें पे चैनल अथवा पे चैनलों के बुके, जैसा भी मामला हो, के लिए सब्सक्रिप्शन शुल्क शामिल नहीं है;

(एफएफ) ''पे प्रसारक '' से आशय ऐसे प्रसारक से है, जिसने एक या एक से अधिक चैनलों को पे चैनल के रूप में, उपयुक्त विनियमों या टैरिफ आदेश के तहत , जैसा मामला हो, प्राधिकरण को घोषित किया है;

(जीजी) ''पे–चैनल'' से आशय ऐसे चैनल से है, जिसे प्रसारक द्वारा इस रूप में घोषित किया जाता है तथा जिसके लिए टेलीविजन चैनलों के वितरक द्वारा प्रसारक को अधिकतम खुदरा मूल्य के हिस्से को भुगतान किया जाना होता है और जिसके लिए सब्सक्राइबरों तक ऐसे चैनलों के वितरण हेतु प्रसारक से विधिवत प्राधिकार प्राप्त करना आवश्यक होता है;

(एचएच)'' कार्यक्रम" से आशय किसी टेलीविजन प्रसारण से है तथा इसमें निम्नवत शामिल हैं:–

(i) फिल्मों, वृत्तचित्रों, नाटकों, विज्ञापनों तथा धारावाहिकों का प्रदर्शन;

(ii) कोई श्रव्य अथवा दृश्य अथवा श्रव्य–दृश्य सजीव प्रदर्शन अथवा प्रस्तुतीकरण; और

''कार्यक्रम सेवा''अभिव्यक्ति का तदनुसार अर्थ समझा जाएगा;

(आइआइ) ''क्यूओएस विनियम'' से आशय है दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएं – सेवा की गुणवत्ता के मानक तथा उपभोक्ता संरक्षण (एड्रेसेबल प्रणालियां) विनियम, 2017;

(जेजे) ''संदर्भ अंतःसयोजन प्रस्ताव'' अथवा ''आरआईओ'' का आशय एक सेवा प्रदाता द्वारा प्रकाशित एक दस्तावेज से है, जिसमें उन नियमों और शर्तों को निर्दिष्ट किया जाता है, जिस पर अन्य सेवा प्रदाता ऐसे सेवा प्रदाता के साथ अंतःसंयोजन प्राप्त कर सकते हैं;

(केके) ''सेवा प्रदाता'' से आशय सेवा प्रदाता के रूप में सरकार से है और जिसमें लाइसेंसधारी के साथ प्रसारक, टेलीविजन चैनलों के वितरक अथवा स्थानीय केबल ऑपरेटर भी शामिल हैं;

(एलएल) ''सेट टॉप बाक्स'' अथवा ''एस.टी.बी.'' का आशय एक ऐसे उपकरण से है जो टेलीविजन रिसीवर से जुड़ा हुआ या उसका एक भाग होता है; और जो सब्सक्राइबर को सब्सक्राइब किए गए चैनलों को देखने में समर्थ बनाता है;

(एमएम) "सब्सक्राइबर' से आशय इस टैरिफ आदेश के प्रयोजनार्थ ऐसे व्यक्ति से है जो किसी टेलीविजन चैनल के वितरक द्वारा उपलब्ध कराई गई टेलीविजन से संबधित प्रसारण सेवाओं को ऐसे व्यक्ति द्वारा बताए गए स्थान पर बिना किसी अन्य

व्यक्ति को पुनर्प्रसारित किए केबल टेलीविजन के सिग्नल प्राप्त करता है और केबल टेलीविजन के सिग्नलों को आगेय किसी अन्य व्यक्ति को कोई विशिष्ट धनराशि प्राप्त कर न ही सुनने देता है और न ही देखने देता है और सब्सक्राइब की गई टेलीविजन से संबधित प्रसारण सेवाओं को प्राप्त करने के लिए ऐसे प्रत्येक स्थान पर अवस्थित ऐसा प्रत्येक सेट टॉप बॉक्स एक सब्सक्राइबर माना जाएगा;

(एनएन) "सब्सक्राइबर प्रबंधन प्रणाली" से आशय है, कोई प्रणाली या उपकरण जो सब्सक्राइबर का नाम और पता, सब्सक्राइबर द्वारा उपयोग में लाया जा रहा हार्डवेयर, सब्सक्राइबर द्वारा सब्सक्राइब्ड चैनल या चैनलों के बुके (गुच्छे), प्रणाली में यथापरिभाषित चैनलों के बुक या चैनलों का मूल्य, किसी चैनल या चैनलों के बुके की एक्टिवेशन या डिएक्टिवेशन की तारीख और समय, सब्सक्राइबर के रिकार्ड पर किए गए सभी कार्यों का एक लॉग, प्रत्येक सब्सक्राइबर को दिए गए इनवॉइस और भुगतान की गई धनराशि का प्रत्येक बिलिंग अवधि के लिए सब्सक्राइबर को प्रदान की गई छूट के संबंध में सब्सक्राइबर का रिकार्ड तथा ब्योरा एकत्रित करता है;

(ओओ) ''टेरिफ आदेश'' से आशय है दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएं (आठवां) (एड्रेसेबल प्रणालियां) टैरिफ आदेश, 2017;

(पीपी) "टेलीविजन चैनल'' से आशय किसी चैनल से है जिसे केन्द्र सरकार द्वारा समय–समय पर जारी नीतिगत दिशनिर्देशों के तहत डाउनलिंकिंग हेतु अनुमति प्रदान की जाती गई हो तथा ''चैनल'' शब्द का अभिप्राय ''टेलीविजन चैनल'' माना जाएगा।

(2) इन विनियमों में इस्तेमाल किए गए परंतु परिभाषित न किए गए और अधिनियम या उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों और विनियमों या केबल टेलीविज़न नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 (1995 का 7) और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों तथा विनियमों में परिभाषित सभी अन्य शब्दों और अभिव्यक्तियों के क्रमशः वही अर्थ होंगे, जो उन अधिनियमों या नियमों या विनियमों, जैसा भी मामला हो, में उन्हें दिया गया है।

अध्याय II

अंतःसंयोजन

3. प्रसारकों के सामान्य दायित्व – (1) कोई भी प्रसारक, टेलविज़न चैनलों के किसी वितरक के साथ अनन्य संविदाओं सहित किसी ऐसी पद्धति या क्रियाकलाप में लिप्त नहीं होगा या कोई समझौता या व्यवस्था नहीं करेगा, जो किसी अन्य टेलीविज़न चैनलों के वितरक को ऐसे प्रसारक के टेलीविज़न चैनल के वितरण हेतु सिगनल प्राप्त करने से रोकते हों।

(2) प्रत्येक प्रसारक, टेलीविज़न चैनल के सिगनल प्राप्त करने के लिए टेलीविज़न चैनलों के किसी वितरक से प्राप्त लिखित अनुरोध की प्राप्ति के 60 दिन के अंदर या वितरक के साथ अंतःसंयोजन करार करने के 30 दिन के अंदर, जैसा भी मामला हो, गैर–पक्षपातपूर्ण आधार पर वितरक को टेलीविज़न चैनल के सिगनल उपलब्ध कराएगा या अनुरोध अस्वीकार करने के कारण लिखित में संसूचित करेगा, यदि उस वितरक को टेलीविज़न चैनल के सिगनलों को देने से मना किया जाता है:

परंतु यह कि प्रसारक द्वारा कोई ऐसी शर्त या निबंधन, जो अतर्कसंगत है, लगाना अनुरोध से मना करना माना जाएगाः

पुनः परंतु यह कि यह उप–विनियम टेलीविज़न चैनलों के किसी ऐसे वितरक के मामले में लागू नहीं होगा, जो किसी प्रसारक से किसी विशेष टेलीविज़न चैनल के सिगनल प्राप्त करने का इच्छुक हो साथ ही साथ, उस टेलीविज़न चैनल के वितरण हेतु कैरिज शुल्क की मांग करता है या जो प्रसारक के प्रति भुगतान में चूक करता है और चूक करना जारी रखता है।

(3) यदि कोई प्रसारक सिगनल उपलब्ध कराने हेतु एक पूर्व–शर्त के रूप में, इलेक्ट्रॉनिक कार्यक्रम संदर्शिका में किसी विशिष्ट स्थान पर चैनल (चैनलों) को स्थान देने हेतु या कोई विशेष चैनल नंबर देने हेतु प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रस्ताव देता है या शर्त रखता है तो इस प्रकार की पूर्व–शर्त भी अतर्कसंगत शर्त लगाने के रूप में मानी जाएगी।

स्पष्टीकरण : संदेह दूर करने के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि कोई पे प्रसारक इलेक्ट्रॉनिक कार्यक्रम संदर्शिका में किसी विशिष्ट स्थान पर चैनल को स्थान देने के लिए या विशेष चैनल नंबर देने के लिए टेलीविज़न चैनलों के वितरकों को विनियम (7) के उप–विनियम (4) में यथाविनिर्दिष्ट सीमा के अंदर पे चैनल के अधिकतम खुदरा मूल्य पर अपने संदर्भ अंतःसंयोजन प्रस्ताव के जरिए गैर–पक्षपातपूर्ण तरीके से छूट का प्रस्ताव देता है तो छूट के इस प्रस्ताव को पूर्व–शर्त के रूप में नहीं माना जाएगा।

(4) कोई भी प्रसारक, उपभोक्ताओं को टेलीविज़न चैनलों के वितरक द्वारा प्रस्तावित किसी विशेष गुच्छे में चैनल के पैकेजिंग हेतु प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रस्ताव नहीं देगा, शर्त नहीं रखेगा या मांग नहीं करेगा।

(5) कोई भी प्रसारक टेलीविज़न चैनलों के किसी वितरक को टेलीविज़न चैनल के सिगनल उपलब्ध कराने हेतु अपने चैनल या गुच्छे के लिए एक न्यूनतम सब्सक्रिप्शन प्रतिशत या एक न्यूनतम उपभोक्ता आधार की गारंटी के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रस्ताव नहीं देगा, शर्त नहीं रखेगा या मांग नहीं करेगा।

स्पष्टीकरण : संदेह दूर करने के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि किसी चैनल या गुच्छे का सब्सक्रिप्शन प्रतिशत किसी वितरक के औसत सक्रिय उपभोक्ता आधार में से किसी विशिष्ट चैनल या गुच्छे के प्रति सब्सक्रिप्शन करने वाले उपभोक्ताओं के प्रतिशत से संबंधित है।

4. टेलीविज़न चैनलों के वितरकों के सामान्य दायित्व – (1) टेलीविज़न चैनलों का कोई भी वितरक किसी ऐसी पद्धति या क्रियाकलाप में लिप्त नहीं होगा या किसी प्रसारक के साथ अनन्य संविदाओं सहित कोई समझौता या व्यवस्था नहीं करेगा, जो किसी अन्य प्रसारक को, चैनल के वितरण हेतु उस वितरक के नेटवर्क का एक्सेस प्राप्त करने से रोकता हो।

(2) टेलीविज़न चैनलों का कोई भी वितरक किसी ऐसी पद्धति या क्रियाकलाप में लिप्त नहीं होगा या किसी स्थानीय केबल ऑपरेटर के साथ अनन्य संविदाओं सहित कोई ऐसा समझौता या व्यवस्था नहीं करेगा, जो आगे वितरण हेतु उस वितरक से टेलीविज़न चैनलों के सिगनल प्राप्त करने से किसी अन्य स्थानीय केबल ऑपरेटर को रोकता है।

(3) टेलीविज़न चैनलों का प्रत्येक वितरक एक टारगेट मार्केट के रूप में प्रत्येक वितरण नेटवर्क का कवरेज एरिया घोषित करेगा,

परंतु यह कि किसी वितरक को यह विकल्प प्राप्त होगा कि वह एक टारगेट मार्केट के रूप में वितरण नेटवर्क के कवरेज क्षेत्र के अंदर कोई क्षेत्र गैर–पक्षपातपूर्ण तरीके से घोषित कर सके।

स्पष्टीकरण : इस विनियम के उद्देश्य के लिए प्रत्येक हेड–एंड या अर्थ स्टेशन, जैसा भी मामला हो, और टेलीविज़न चैनलों के सिगनलों के वितरण के लिए इस्तेमाल किया गया इसका संबद्ध नेटवर्क एक वितरण नेटवर्क माना जाएगा।

(4) टेलीविज़न चैनलों का प्रत्येक वितरक इन विनियमों के प्रारंभण से 30 दिन के अंदर या अपने प्रचालनों के प्रारंभण से 30 दिन के अंदर, जैसा भी मामला हो, अपनी वेबसाइट पर निम्नलिखित प्रकाशित करेगाः

(ए) टारगेट मार्केट जैसा उप–विनियम (3) मे धोषित किया गया है;

(बी) स्टैंडर्ड डेफिनिशन चैनलों की संख्या के हिसाब से अपने वितरण नेटवर्क की कुल चैनल ले जाने की क्षमता;

(सी) नेटवर्क पर उपलब्ध चैनलों की सूची;

(डी) उन चैनलों की संख्या, जिनके लिए प्रसारको से वितरक द्वारा टेलीविज़न चैनलों के सिगनलों का अनुरोध किया गया है और अंतःसंयोजन करार किए गए हैं;

(ई) टेलीविज़न चैनल के सिगनलों को ले जाने के लिए नेटवर्क (नेटवर्कों) पर उपलब्ध अतिरिक्त चैनल क्षमता; और

(एफ) चैनलों की सूची जिसके लिए प्रसारक द्वारा नेटवर्क का एक्सेस उपलब्ध सिगनलों के वितरण हेतु अनुरोध किया गया है और अंतःसंयोजन करार किए गए हैं और जो अतिरिक्त चैनल क्षमता की अनुपलब्धता के कारण वितरण के लिए नेटवर्क का एक्सेस उपलब्ध कराने के लिए लंबित हैं ।

परंतु यह कि खंड (एफ) के अंतर्गत चैनलों की क्रमागत सूची प्रसारक से लिखित अनुरोध के दिनांक और समय की प्राप्ति के अनुसार बनाई जाएगीः

पुनः परंतु यह कि एक हाई डेफिनिशन चैनल, वितरण नेटवर्क की क्षमता परिकलित करने के उद्देश्य के लिए, दो स्टैंडर्ड डेफिनिशन चैनलों के बराबर होगी;

पुनः परंतु यह कि खंड (ई) के अंतर्गत नेटवर्क पर उपलब्ध हो रही अतिरिक्त चैनल क्षमता वितरण नेटवर्क की कुल चैनल ले जाने की क्षमता और नेटवर्क पर उपलब्ध चैनलों की सूची स्टैंडर्ड डेफिनिशन चैनलों की संख्या के हिसाब का अंतर होगी;

पुनः परंतु यह कि कोइ भी परिवर्तन जो कि किसी चैनल ले जाने की क्षमता जुड़ने या घटने या चैनल के जुड़ने या किसी चैनल के हटने की वजह से हो वह उपलब्ध चैनल की क्षमता में दिखाई जाएगी;

पुनः परंतु यह कि इस उप–विनियम के अंतर्गत प्रकाशित सूचना में होने वाले किसी परिवर्तन को परिवर्तन होने की तारीख से 7 कैलेंडर दिवसों के अंदर वेबसाइट पर अद्यतनीकृत किया जाएगा।

(5) प्रत्येक वितरक नेटवर्क पर उपलब्ध अतिरिक्त चैनल क्षमता को क्रमानुसार बारी बारी से उपविनियम (4) के खंड (एफ) में बनी सूची में से टेलीविजन चैनलों का प्रसारण करेगा।

(6) उप–विनियम (5) मे संदर्भित लागू नहीं होगा यदि कोई लिखित अनुरोध चैनल के वितरण हेतु उप विनियम (4) के खंड (एफ) के अंतर्गत लंबित है,

(7) उप–विनियम (4) के अंतर्गत, वितरण नेटवर्क पर अतिरिक्त चैनल क्षमता की उपलब्धता होने पर टेलीविज़न चैनलों का प्रत्येक वितरक टेलीविज़न चैनल के सिगनलों के वितरण हेतु किसी प्रसारक से लिखित अनुरोध की प्राप्ति के 60 दिन के अंदर या प्रसारक के साथ लिखित अंतःसंयोजन करार किए जाने के 30 दिन के अंदर, जैसा भी मामला हो, गैर–पक्षपातपूर्ण आधार पर उस टेलीविज़न चैनल के सिगनल चलाएगा या अनुरोध अस्वीकार करने की स्थिति में लिखित में कारण संसूचित करेगा, यदि टेलीविज़न चैनल के उन सिगनलों का वितरण के लिए , प्रसारक को मना कर दिया जाता है,

पुनः परंतु यह कि टेलीविज़न चैनलों के वितरक द्वारा कोई ऐसी शर्त या निबंधन, जो अतर्कसंगत हैं, लगाने को अनुरोध से मना करना माना जाएगा;

पुनः परंतु यह यह भी कि इस उप–विनियम में दी गई कोई भी बात किसी ऐसे प्रसारक पर लागू नहीं होगी, जो टेलीविज़न चैनलों के वितरक को कैरिज शुल्क का भुगतान करने से मना कर देता है या जो वितरक के प्रति भुगतान में चूक करता है और चूक करना जारी रखता है।

(8) टेलीविज़न चैनलों के किसी वितरक को यह विकल्प होगा कि वह किसी टेलीविज़न चैनल को चलाना बंद कर दे, यदि उस विशेष टेलीविज़न चैनल के लिए मासिक सब्सक्रिप्शन प्रतिशत एकदम पीछे के लगातार 6 महीनों में से प्रत्येक महीने में, अंतःसंयोजन करार में विनिर्दिष्ट टारगेट मार्केट में उस वितरक के मासिक सक्रिय उपभोक्ता आधार के 5 प्रतिशत से कम है,

परंतु यह कि हाई डेफिनिशन टेलीविज़न चैनल के लिए मासिक सब्सक्रिप्शन प्रतिशत के परिकलन के उद्देश्य के लिए औसत सक्रिय उपभोक्ता आधार, प्राप्तकर्ता हाई डेफिनिशन टेलीविज़न चैनलों के सक्षम उपभोक्ताओं का औसत सक्रिय उपभोक्ता आधार होगा।

(9) टेलीविज़न चैनलों के किसी वितरक को ऐसा चैनल चलाने का, चैनल बंद किए जाने की तारीख से एक वर्ष की अवधि तक, दायित्व नहीं होगा, जिसे उप–विनियम (8) के अनुसार बंद कर दिया गया है।

(10) यदि कोई टेलविज़न चैनलों का वितरक, टेलीविज़न चैनल के वितरण हेतु नेटवर्क का एक्सेस उपलब्ध कराने से पहले न्यूनतम अवधि की गारंटी के लिए या न्यूनतम चैनल की संख्या की गारंटी के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ऐसा प्रस्ताव पूर्व शर्त के रूप में रखता है तो इस प्रकार की पूर्व–शर्त भी अतर्कसंगत शर्त लगाने के रूप में मानी जाएगी।

(11) टेलीविज़न चैनलों का प्रत्येक वितरक किसी स्थानीय केबल ऑपरेटर से लिखित अनुरोध की प्राप्ति के 60 दिन के अंदर या स्थानीय केबल ऑपरेटर के साथ लिखित अंतःसंयोजन करार करने से 30 दिन के अंदर, जैसा भी मामला हो, गैर–पक्षपातपूर्ण आधार पर उस स्थानीय केबल ऑपरेटर को टेलीविज़न चैनलों के सिगनल उपलब्ध कराएगा या अनुरोध अस्वीकार करने के लिए लिखित में कारण संसूचित करेगा, यदि उस स्थानीय केबल ऑपरेटर को सिगनल देने से मना किया गया है,

परंतु यह कि टेलीविज़न चैनलों के वितरक द्वारा कोई ऐसी शर्त या निबंधन, जो अतर्कसंगत है, को अनुरोध से मना करना माना जाएगा;

पुनः परंतु यह कि यदि किसी ऐसे स्थान पर, जहां स्थानीय केवल ऑपरेटर द्वारा सिगनलों का अनुरोध किया गया है, टेलीविज़न चैनलों के सिगनल उपलब्ध कराना व्यवहार्य नहीं है, तो टेलीविज़न चैनलों का वितरक अनुरोध की प्राप्ति की तारीख से 30 दिन के अंदर स्थानीय केबल ऑपरेटर को सूचित करेगा, जिसमें ये कारण दर्शाए जाएंगे कि उस स्थान पर टेलीविज़न चैनलों के सिगनल उपलब्ध कराना क्यों व्यवहार्य नहीं है;

पुनः परंतु यह कि यह उप–विनियम किसी ऐसे स्थानीय केबल ऑपरेटर के मामले में लागू नहीं होगा, जो टेलीविज़न चैनलों के किसी वितरक के भुगतान में चूक करता है और चूक करना जारी रखता है;

पुनः परंतु यह भी कि किसी स्थानीय केबल ऑपरेटर को किसी वितरक के प्रति भुगतान का चूककर्ता नहीं माना जाएगा, यदि उसने पिछले लगातार छः महीने की देय धनराशियों का भुगतान कर दिया है।

(12) टेलीविज़न चैनलों का कोई भी वितरक, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, किसी स्थानीय केबल ऑपरेटर को टेलीविज़न चैनलों के सिगनल उपलब्ध कराने के लिए किसी न्यूनतम उपभोक्ता आधार की गारंटी या न्यूनतम सब्सक्रिप्शन की गारंटी के लिए प्रस्ताव नहीं देगा, शर्त नहीं लगाएगा या मांग नहीं करेगा।

(13) इस विनियम के उप–विनियम (11) और उप–विनियम (12) में दी गई कोई भी बात किसी डीटीएच ऑपरेटर पर लागू नहीं होगी।

5. सेवा प्रदाताओं के सामान्य दायित्व – (1) कोई भी सेवा प्रदाता किसी भी उपभोक्ता को या किसी भी भौगोलिक क्षेत्र में, जैसा भी मामला हो, अपनी सेवाएं उपलब्ध कराने से अन्य सेवा प्रदाता को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नहीं रोकेगा।

(2) कोई भी सेवा प्रदाता टेलीविज़न चैनलों के सिगनल या नेटवर्क, जैसा भी मामला हो, उपलब्ध कराने के लिए अन्य सेवा प्रदाता द्वारा किसी न्यूनतम गारंटी धनराशि के भुगतान के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रस्ताव नहीं देगा, शर्त नहीं रखेगा या मांग नहीं करेगा।

(3) प्रत्येक सेवा प्रदाता दूसरे सेवा प्रदाता को, जिससे उसने अंतःसंयोजन करार किया है, भुगतान सग्रह के लिए, मासिक इनवॉयस जारी करेगा और उस इनवॉयस में, भुगतान की नियत तारीख के साथ–साथ वर्तमान भुगतान की देय धनराशियां और बकाया धनराशियां, यदि कोई हैं, का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाएगा।

(4) इस विनियम के अंतर्गत, सेवा प्रदाता द्वारा किए गए बकाया धनराशियों के किसी दावे के साथ, उस अवधि, जिनसे बकाया धनराशियां संबंधित हैं, के इनवॉयस की सेवा का प्रमाण भेजा जाएगा।

अध्याय III

संदर्भ अंतःसंयोजन प्रस्ताव

6. अ–ला–कार्टे आधार पर चैनलों का अनिवार्य रूप से प्रस्ताव देना – (1) प्रत्येक प्रसारक, टेलीविज़न चैनलों के सभी वितरकों को अ–ला–कार्टे आधार पर अपने सभी टेलीविज़न चैनलों का प्रस्ताव देगा।

परंतु यह भी कि प्रसारक पे चैनलों को गुच्छे के रूप मे भीं, अ–ला–कार्टे आधार पर पे चैनलों का प्रस्ताव देने के अतिरिक्त, भी दे सकता है।

परंतु यह कि इस गुच्छे में निम्नलिखित नहीं होंगेः

(क) कोई "फ्री टू एयर चैनल"; और

(ख) उसी चैनल के हाई डेफिनिशन (एचडी) तथा स्टैंडर्ड डेफिनिशन (एसडी) प्रारूप रूप।

7. पे टेलीविज़न चैनलों के लिए प्रसारक द्वारा संदर्भ अंतःसंयोजन प्रस्ताव का प्रकाशन – (1) प्रत्येक प्रसारक अपनी वेबसाइट पर, टेलीविज़न चैनलों के किसी वितरक को अपने सभी पे टेलीविज़न चैनलों के सिगनल उपलब्ध कराने के लिए, संदर्भ अंतःसंयोजन प्रस्ताव का मसौदा,

(क) इन विनियमों के प्रारंभण के 60 दिन के अंदर; और

(ख) पे टेलीविज़न चैनल आरंभ किए जाने से पहले,

प्रकाशित करेगा और साथ ही साथ, प्राधिकरण को इसकी एक प्रति रिकार्ड के उद्देश्य के लिए जमा कराएगा।

(2) उप–विनियम (1) में संदर्भित टेलीविज़न चैनलों के किसी वितरक को पे टेलीविज़न चैनलों के सिगनल उपलब्ध कराने के लिए इस संदर्भ अंतःसंयोजन प्रस्ताव के मसौदे में पे टेलीविज़न चैनलों के प्रति मास अधिकतम खुदरा मूल्य, पे चैनलों के गुच्छे का प्रति मास अधिकतम खुदरा मूल्य, वितरकों को अधिकतम खुदरा मूल्य पर प्रस्तावित छूटों, यदि कोई हो, वितरण शुल्क, अधिकतम खुदरा मूल्य में प्रसारक के हिस्से के परिकलन के तरीके, जेनरे और अन्य आवश्यक शर्ते देगा, परंतु यह इन्हीं तक सीमित नहीं होंगीः

परंतु यह कि कोई प्रसारक अपने संदर्भ अंतःसंयोजन प्रस्ताव में अपनी सहायक कंपनी या होल्डिंग कंपनी या होल्डिंग कंपनी की सहायक कंपनी, जिसने अपने नाम में उनके द्वारा लिखित रूप में प्राधिकृत किए जाने के पश्चात केंद्र सरकार से अपने टेलीविज़न चैनलों के लिए डाउनलिंकिंग अनुमति प्राप्त कर ली है, के भुगतान टेलीविज़न चैनलों के गुच्छा या टेलीविज़न चैनल शामिल कर सकता है।

स्पष्टीकरण : इन विनियमों के उद्देश्यों के लिए "सहायक कंपनी" और ("होल्डिंग कंपनी") की परिभाषा वही होगी, जो कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) में इन्हें दी गई है।

(3) प्रत्येक प्रसारक पे टेलीविज़न चैनल या पे चैनलों के गुच्छे के अधिकतम खुदरा मूल्य का न्यूनतम 20 प्रतिशत वितरण शुल्क के रूप में घोषित करेगा,

परंतु यह कि प्रसारक द्वारा घोषित वितरण शुल्क सभी वितरण प्लेटफार्म के लिए एकसमान होगा।

(4) किसी प्रसारक को यह विकल्प होगा कि वह टेलीविज़न चैनलों के वितरकों को पे टेलीविज़न चैनल या पे चैनलों के गुच्छे के अधिकतम खुदरा मूल्य पर छूट का प्रस्ताव दे सके, जो संबंधित अधिकतम खुदरा मूल्य के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा,

परंतु यह कि उप–विनियम (3) के अंतर्गत और इस उप–विनियम के अंतर्गत किसी प्रसारक द्वारा प्रस्तावित छूट और घोषित वितरण शुल्क की रकम किसी भी स्थिति में पे टेलीविज़न चैनल या पे चैनलों के गुच्छे, जैसा भी मामला हो, के अधिकतम खुदरा मूल्य के 35 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी;

परंतु यह कि टेलीविज़न चैनलों के वितरकों को छूट, यदि कोई है, का प्रस्ताव उचित, पारदर्शी और गैर–पक्षपातपूर्ण शर्तों के आधार पर होगा;

पुनः परंतु यह कि छूटों के मापदंड मापनयोग्य और परिकलनयोग्य होंगे।

(5) पे चैनलों का प्रत्येक प्रसारक टेलीविज़न चैनलों के वितरकों से अंतःसंयोजन अनुरोध और उनकी शिकायतों का निवारण करने, संदर्भ अंतःसंयोजन प्रस्ताव पर टिप्पणियां प्राप्त करने के लिए अपने संदर्भ अंतःसंयोजन प्रस्ताव में नामजद किए गए व्यक्तियो के नाम, टेलीफोन नंबर और ई–मेल का पतों का उल्लेख करेगा।

(6) संदर्भ अंतःसंयोजन प्रस्ताव में उल्लिखित शर्तों और निबंधनों में ऐसे सभी आवश्यक और पर्याप्त उपबंध शामिल होंगे, जो इसे टेलीविज़न चैनल के वितरण हेतु अन्य पक्षकार द्वारा हस्ताक्षर करने पर एक पूरा अंतःसंयोजन करार बनाता है।

(7) प्राधिकरण स्व–प्रेरणा से या अन्य कारणों से किसी प्रसारक द्वारा प्रस्तुत किए गए संदर्भ अंतःसंयोजन प्रस्ताव की जांच कर सकता है और जांच किए जाने पर यदि प्राधिकरण की यह राय है कि संदर्भ अंतःसंयोजन प्रस्ताव प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित प्रशुल्क आदेशों और विनियमों के उपबंधों के अनुरूप तैयार नहीं किया गया है तो वह उस प्रसारक को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात उस प्रसारक को निर्देश दे सकता है कि वह उक्त संदर्भ अंतःसंयोजन प्रस्ताव को संशोधित करे और वह प्रसारक तद्नुसार संदर्भ अंतःसंयोजन प्रस्ताव को संशोधित करेगा और निर्देश की प्राप्ति के 15 दिन के अंदर इसे प्रकाशित करेगा,

(8) संदर्भ अंतःसंयोजन प्रस्ताव में किया जाने वाला कोई संशोधन उसी तरीके से प्रकाशित किया जाएगा, जो तरीका इस विनियम के उप–विनियम (1), (2), (3), (4), (5) और (6) के अंतर्गत उपबंधित है।

(9) उप–विनियम (8) के अंतर्गत किसी प्रसारक द्वारा अंतिम संदर्भ अंतःसंयोजन प्रस्ताव में कोई संशोधन किए जाने की स्थिति में प्रसारक उन सभी वितरकों, जिनके साथ मौजूदा संदर्भ अंतःसंयोजन प्रस्ताव के आधार पर लिखित अंतःसंयोजन करार मौजूद हैं, को उस संशोधन की तारीख से 30 दिन के अंदर एक विकल्प देगा और वितरकों के पास यह विकल्प होगा कि वे उस विकल्प की प्राप्ति की तारीख से 30 दिन के अंदर, संशोधित संदर्भ अंतःसंयोजन प्रस्ताव के अनुसार नया अंतःसंयोजन करार कर सकें या मौजूदा अंतःसंयोजन करार को बनाए रखें।

8. टेलीविज़न चैनलों के वितरक द्वारा संदर्भ अंतःसंयोजन प्रस्ताव का प्रकाशन – (1) टेलीविज़न चैनलों का प्रत्येक वितरक, टेलीविज़न चैनल चलाने के लिए संदर्भ अंतःसंयोजन प्रस्ताव का मसौदा अपनी वेबसाइट पर,

(क) इन विनियमों के प्रारंभण के 60 दिन के अंदर; और

(ख) नया वितरण नेटवर्क आरंभ करने से पहले,

प्रकाशित करेगा और साथ ही साथ, प्राधिकरण को इसकी एक प्रति रिकार्ड के उद्देश्य के लिए जमा कराएगा।

परंतु यह कि यह संदर्भ अंतःसंयोजन प्रस्ताव केवल उन्हीं मामलों पर लागू होगा, जहां कोई प्रसारक, वितरण नेटवर्क पर प्रसारक के चैनल चलाने हेतु टेलीविज़न चैनलों के किसी वितरक से अनुरोध करता है।

(2) टेलीविज़न चैनल चलाने के लिए इस संदर्भ अंतःसंयोजन प्रस्ताव के मसौदे में टारगेट मार्केट, प्रति मास कैरिज की दर, संदर्भ अंतःसंयोजन प्रस्ताव के मसौदे के प्रकाशन के समय स्टैंडर्ड डेफिनिशन सेट ऑप बॉक्स और हाई डेफिनिशन सेट टॉप बॉक्सेज का औसत सक्रिय उपभोक्ता आधार, कैरिज शुल्क की दर पर प्रस्तावित छूट, यदि कोई हो, कैरिज शुल्क की धनराशि के परिकलन का तरीका, और अन्य आवश्यक शर्ते दिए जाएंगे, परंतु यह इन्हीं तक सीमित नहीं है,

परंतु यह कि टेलीविज़न चैनलों के किसी वितरक द्वारा घोषित किया जाने वाला प्रति उपभोक्ता प्रति मास, प्रति स्टैंडर्ड डेफिनिशन चैनल कैरिज शुल्क की दर 20 पैसे से अधिक नहीं होगी;

पुनः परंतु यह कि टेलीविज़न चैनलों के किसी वितरक द्वारा घोषित किया जाने वाले प्रति उपभोक्ता प्रति मास प्रति हाई डेफिनिशन चैनल कैरिज शुल्क की दर 40 पैसे से अधिक नहीं होगी;

पुनः परंतु यह कि टेलीविज़न चैनलों का कोई वितरक, टेलीविज़न चैनलों के लिए कैरिज शुल्क की धनराशि का परिकलन अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट उपबंधों के अनुसार करेगा, जिसमें उन टेलीविज़न चैनल के मासिक सब्सक्राइबर संख्या में परिवर्तनों के साथ परिवर्तन होगा।

(3) टेलीविज़न चैनलों के किसी वितरक को यह विकल्प होगा कि वह कैरिज शुल्क की दर पर प्रसारकओं को छूट का प्रस्ताव दे सके, जो उप–विनियम (2) के अंतर्गत घोषित कैरिज शुल्क की दर के 35 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी,

परंतु यह कि कैरिज शुल्क पर प्रसारक को छूटों, यदि कोई हैं, का प्रस्ताव उचित, पारदर्शी और गैर–पक्षपातपूर्ण शर्तों के आधार पर होगा;

पुनः परंतु यह कि छूटों के मापदंड मापनयोग्य और परिकलनयोग्य होंगे;

पुनः परंतु यह यह भी कि टेलीविज़न चैनलों के किसी वितरक को यह विकल्प होगा कि वह लोक हित में एक निर्देश के जरिए प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट चैनल (चैनलों) के लिए उप–विनियम (2) के अंतर्गत घोषित कैरिज शुल्क की दर के 35 प्रतिशत से अधिक छूट का प्रस्ताव दे सके।

(4) टेलीविजन चैनलों का प्रत्येक वितरक प्रसारकों से अंतःसंयोजन अनुरोध और उनकी शिकायतों का निवारण करने, संदर्भ अंतःसंयोजन प्रस्ताव पर टिप्पणियां प्राप्त करने के लिए अपने संदर्भ अंतःसंयोजन प्रस्ताव में नामजद किए गए व्यक्तियों के नाम, टेलीफोन नंबर और ई–मेल का पतों का उल्लेख करेगा।

(5) संदर्भ अंतःसंयोजन प्रस्ताव में उल्लिखित शर्तों और निबंधनों में ऐसे सभी आवश्यक और पर्याप्त उपबंध शामिल होंगे, जो इसे टेलीविजन चैनल को चलाने हेतु अन्य पक्षकार द्वारा हस्ताक्षर करने पर एक पूरा अंतःसंयोजन करार बनाता है।

(6) प्राधिकरण स्व–प्रेरणा से या अन्य कारणों से किसी वितरक द्वारा प्रस्तुत किए गए संदर्भ अंतःसंयोजन प्रस्ताव की जांच कर सकता है और जांच किए जाने पर यदि प्राधिकरण की यह राय है कि संदर्भ अंतःसंयोजन प्रस्ताव प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित प्रशुल्क आदेशों और विनियमों के उपबंधों के अनुरूप तैयार नहीं किया गया है तो वह उस वितरक को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात उस वितरक को निर्देश दे सकता है कि वह उक्त संदर्भ अंतःसंयोजन प्रस्ताव को संशोधित करे और वह वितरक तद्नुसार संदर्भ अंतःसंयोजन प्रस्ताव को संशोधित करेगा और निर्देश की प्राप्ति के 15 दिन के अंदर इसे प्रकाशित करेगा।

(7) संदर्भ अंतःसंयोजन प्रस्ताव में किया जाने वाला कोई संशोधन उसी तरीके से प्रकाशित किया जाएगा, जो तरीका इस विनियम के उप–विनियम (1), (2), (3), (4) और (5) के अंतर्गत उपबंधित है।

(8) उप–विनियम (7) के अंतर्गत टेलीविज़न चैनलों के किसी वितरक द्वारा अंतिम संदर्भ अंतःसंयोजन प्रस्ताव में कोई संशोधन किए जाने की स्थिति में वितरक उन सभी प्रसारकओं, जिनके साथ मौजूदा संदर्भ अंतःसंयोजन प्रस्ताव के आधार पर लिखित अंतःसंयोजन करार मौजूद हैं, को उस संशोधन की तारीख से 30 दिन के अंदर एक विकल्प देगा और उन प्रसारकओं के पास यह विकल्प होगा कि वे उस विकल्प की प्राप्ति की तारीख से 30 दिन के अंदर, संशोधित संदर्भ अंतःसंयोजन प्रस्ताव के अनुसार नया अंतःसंयोजन करार कर सकें या मौजूदा अंतःसंयोजन करार को बनाए रखें।

अध्याय IV

अंतः संयोजन करार

9. अंतःसंयोजन करारों से संबंधित सामान्य उपबंध – (1) सभी सेवा प्रदाताओं के लिए यह अनिवार्य होगा कि वे अपने सभी अंतःसंयोजन करारों की शर्तों और निबंधनों को लिखित में लाएं।

(2) कोई भी सेवा प्रदाता अन्य सेवा प्रदाता के साथ किसी अंतःसंयोजन करार में किसी ऐसे प्रावधन सम्मिलित नहीं करेगा, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, किसी अन्य सेवा प्रदाता के लिए न्यूनतम गारंटीकृत धनराशि का भुगतान करने को आवयक बनाए।

(3) सेवा प्रदाताओं के लिए यह अनिवार्य होगा कि वे इन विनियमों के प्रारंभण के 150 दिनों के भीतर, प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित प्रशुल्क आदेशों और विनियमों के उपबंधों के अनुरूप अपने सभी मौजूदा अंतःसंयोजन करारों का या तो नवीकरण करें या उन्हें संशोधित करें।

10. प्रसारक और टेलीविज़न चैनलों के वितरक के बीच अंतःसंयोजन करार – (1) कोई भी प्रसारक, टेलीविज़न चैनलों के किसी वितरक को, टेलीविज़न चैनलों के उस वितरक के साथ एक लिखित अंतःसंयोजन करार किए बिना पे टेलीविज़न चैनल के सिगनल उपलब्ध नहीं कराएगा।

(2) टेलीविज़न चैनलों का कोई भी वितरक किसी प्रसारक के साथ कोई लिखित अंतःसंयोजन करार किए बिना किसी प्रसारक के पे टेलीविज़न चैनलों के सिगनल पुनः प्रसारित नहीं करेगा।

(3) टेलीविज़न चैनलों के किसी प्रसारक और किसी वितरक के लिए यह अनिवार्य होगा कि वह पे चैनलों के वितरण के लिए अ–ला–कार्टे आधार पर लिखित अंतःसंयोजन करार करे।

(4) प्रत्येक प्रसारक अनुसूची 2 के अनुसार टेलीविज़न चैनलों के वितरकों द्वारा टेलीविज़न चैनल के सिगनलों के अनुरोध के लिए एक आवेदनपत्र तैयार करेगा।

(5) टेलीविज़न चैनल के सिगनल प्राप्त करने का इच्छुक टेलीविज़न चैनलों का कोई वितरक उस टेलीविज़न चैनल के प्रसारक द्वारा तैयार आवेदन फार्म पर एक लिखित अनुरोध करेगा।

(6) किसी प्रसारक से टेलीविज़न चैनल के सिगनलों का अनुरोध करने से पहले टेलीविज़न चैनलों का प्रत्येक वितरक यह सुनिश्चित करेगा कि टेलीविज़न चैनलों के वितरण के लिए इस्तेमाल की जाने वाली एड्रेसेबल प्रणालियां अनुसूची 3 में यथा विनिर्दिष्ट शर्तें पूरी करती हैं।

(7) टेलीविज़न चैनलों के सिगनल उपलब्ध कराने से पहले यदि किसी प्रसारक की यह राय है कि टेलीविज़न चैनलों के वितरण के लिए वितरक द्वारा इस्तेमाल की जा रही एड्रेसेबल प्रणालियां अनुसूची 3 में यथाविनिर्दिष्ट शर्तें पूरी नहीं करती, तो विनियम 3 के उप–विनियम (2) में निर्धारित समय–सीमा पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना प्रसारक मैसर्स ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसलटेंट्स इंडिया लिमिटेड या ऐसा अंकेक्षण करने के लिए प्राधिकरण द्वारा पैनल में रखे गए किसी अन्य अंकेक्षक द्वारा वितरक की एड्रेसेबल प्रणालियों का अंकेक्षण कराएगा और वितरक को, अंकेक्षक द्वारा जारी की गई रिपोर्ट की प्रति उपलब्ध कराएगा।

परंतु यह कि जब तक वितरक की एड्रेसेबल प्रणालियों की आकृति या रूपांतर में अंकेक्षक द्वारा रिपोर्ट के जारी किए जाने के पश्चात परिवर्तन न कर दिया गया हो, टेलीविज़न चैनल के सिगनल उपलब्ध कराने से पहले प्रसारक वितरक की एड्रेसेबल प्रणालियों का अंकेक्षण नहीं कराएगा, यदि उस वितरक की एड्रेसेबल प्रणालियों का अंकेक्षण पिछले एक वर्ष के दौरान मैसर्स

ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसलटेंट्स इंडिया लिमिटेड या प्राधिकरण द्वारा पैनल में रखे गए किसी अन्य अंकेक्षक द्वारा किया गया है और वितरक अनुसूची 3 में यथाविनिर्दिष्ट शर्तों की अनुरूपता के प्रमाण के रूप में अंकेक्षक द्वारा जारी की गई रिपोर्ट प्रस्तुत करता है।

(8) पे टेलीविज़न चैनल का प्रत्येक प्रसारक, टेलीविज़न चैनलों के किसी वितरक से लिखित अनुरोध की प्राप्ति के 30 दिन के अंदर प्रसारक द्वारा प्रकाशित संदर्भ अंतःसंयोजन प्रस्ताव की शर्तों और निबंधनों के अनुसार अपने पे टेलीविज़न चैनल के सिगनल उपलब्ध कराने के लिए टेलीविज़न चैनलों के वितरक के साथ एक लिखित अंतःसंयोजन करार करेगाः

परंतु यह कि अंतःसंयोजन करार के अंतर्गत ''अधिकतम खुदरा मूल्य में प्रसारक की हिस्सेदारी'' का परिकलन अधिकतम खुदरा मूल्य, वितरण शुल्क और अंतःसंयोजन करार में सहमति वाली छूटों के आधार पर किया जाएगा;

पुनः परंतु यह कि अंतःसंयोजन करार की अवधि किसी भी मामले में, करार के प्रारंभण की तारीख से एक वर्ष से कम नहीं होगी;

पुनः परंतु यह यह भी कि यदि पे चैनलों के टेलीविज़न चैनल या गुच्छे के संबंध में टेलीविज़न चैनलों के किसी वितरक के साथ एक से अधिक अंतःसंयोजन करार किए गए हैं, तो प्रत्येक उत्तरवर्ती अंतःसंयोजन करार में उस चैनल या गुच्छे के लिए उस वितरक के साथ लागू पिछले करारों के ब्योरे दिए जाएंगे।

स्पष्टीकरण : कोई संदेह दूर करने के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि भुगतान टेलीविज़न चैनलों के सिगनल प्राप्त करने के लिए किसी प्रसारक द्वारा किसी वितरक से कोई लिखित अनुरोध प्राप्त होने पर प्रसारक और वितरक के बीच लिखित अंतःसंयोजन करार उस अनुरोध की प्राप्ति के 30 दिन के अंदर किया जाएगा। इसके पश्चात, प्रसारक टेलीविज़न चैनलों के वितरक को, लिखित अंतःसंयोजन करार किए जाने की तारीख से 30 दिन के अंदर अपने पे टेलीविज़न चैनल के सिगनल उपलब्ध कराएगा।

(9) कोई प्रसारक अपनी सहायक कंपनी या होल्डिंग कंपनी या होल्डिंग कंपनी की सहायक कंपनी, जिसने अपने नाम में, उन कंपनियों से लिखित प्राधिकार के पश्चात केंद्र सरकार से अपने टेलीविज़न चैनलों की डाउनलिंकिंग अनुमति प्राप्त कर ली है, के पे चैनलों के अ–ला–कार्टे पे टेलीविज़न चैनल या गुच्छे के लिए टेलीविज़न चैनल के वितरकों के साथ अंतःसंयोजन करार कर सकता है।

(10) टेलीविज़न चैनलों के किसी वितरक को यह विकल्प होगा कि वह टेलीविज़न चैनलों के सिगनल प्राप्त करने के लिए एक अंतःसंयोजन करार के रूप में, विनियम 7 के उप–विनियम (1) के अंतर्गत किसी प्रसारक द्वारा प्रकाशित अंतिम संदर्भ अंतःसंयोजन प्रस्ताव पर हस्ताक्षर कर सकता है और सिगनल उपलब्ध कराने के लिए उस प्रसारक को उक्त करार भेज सकता है।

(11) कोई भी प्रसारक टेलीविज़न चैनलों के किसी वितरक के साथ किए गए अंतःसंयोजन करार में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी ऐसे प्रावधान का समायोजन नहीं करेगा, जो उपभोक्ताओं को उस वितरक द्वारा प्रदान किए गए चैनलों के किसी विशेष गुच्छे में प्रसारक द्वारा प्रदान किए गए चैनल या पे चैनलों के गुच्छे शामिल करने को टेलीविज़न चैनल के वितरक के लिए आवश्यक बना दें और ऐसा प्रतिकूल अनुबंध निरस्त होगा।

(12) कोई भी प्रसारक टेलीविज़न चैनलों के किसी वितरक के साथ किए जाने वाले किसी अंतःसंयोजन करार में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी ऐसे प्रावधान का समायोजन नहीं करेगा, जो उस प्रसारक के चैनल के लिए कोई न्यूनतम उपभोक्ता आधार या किसी न्यूनतम सब्सक्रिप्शन प्रतिशत के लिए गारंटी देना टेलीविज़न चैनलों के लिए उस वितरक के लिए आवश्यक बना दे ऐसा प्रतिकूल अनुबंध निरस्त होगा।

स्पष्टीकरण : कोई संदेह दूर करने के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि किसी महीने में दर्ज की गई उपभोक्ताओं की वास्तविक संख्या या वास्तविक सब्सक्रिप्शन प्रतिशत पर आधारित पे चैनल या पे चैनलों के गुच्छे के अधिकतम खुदरा मूल्य पर किसी प्रसारक द्वारा प्रोत्साहन के रूप में प्रदान की गई किसी छूट को अपने चैनल के लिए कोई न्यूनतम उपभोक्ता आधार या न्यूनतम सब्सक्रिप्शन प्रतिशत के लिए गारंटी नहीं माना जाएगा।

(13) ऐसे प्रत्येक प्रसारक, जो टेलीविज़न चैनलों के किसी वितरक के साथ कोई अंतःसंयोजन करार करते हैं, की यह जिम्मेदारी होगी कि वह अंतःसंयोजन करार के निष्पादन की तारीख से 15 दिन की अवधि के अंदर टेलीविज़न चैनलों के उस वितरक को उस अंतःसंयोजन करार की एक प्रति सौंपे और वितरक से प्राप्त की गई अभिस्वीकृति की एक प्रति रखे।

(14) प्रत्येक प्रसारक मौजूदा अंतःसंयोजन करार की अवधि बीत जाने से पहले टेलीविज़न चैनलों के वितरक के साथ एक नया लिखित अंतःसंयोजन करार करेगा,

परंतु यह कि प्रसारक मौजूदा अंतःसंयोजन करार की अवधि समाप्ति की तारीख से कम से कम 60 दिन पहले नया लिखित अंतःसंयोजन करार करने के लिए टेलीविज़न चैनलों के वितरक को नोटिस देगा;

पुनः परंतु यह कि यदि पक्षकार मौजूदा अंतःसंयोजन करार की अवधि समाप्त होने से पहले नया अंतःसंयोजन करार करने में विफल रहते हैं, तो प्रसारक मौजूदा अंतःसंयोजन करार की समाप्ति पर टेलीविज़न चैनलों के वितरक को टेलीविज़न चैनलों के सिगनल उपलब्ध नहीं कराएगा;

परंतु यह यह भी कि टेलीविज़न चैनलों का वितरक, अपने मौजूदा अंतःसंयोजन करार की अवधि की समाप्ति की तारीख से 15 दिन पहले, उन चैनलों पर जो अंतःसंयोजन करार में शामिल हैं, स्क्रोल के जरिए उपभोक्ताओं को निम्नलिखित सूचित करेगाः

(क) उसके अपने मौजूदा अंतःसंयोजन की समाप्ति की तारीख; और

(ख) नया अंतःसंयोजन करार करने में अपनी विफलता की स्थिति में चैनलों के सिगनलों के विसंयोजन की तारीख की सूचना।

(15) टेलीविज़न चैनलों का कोई भी वितरक प्रसारक के साथ एक लिखित अंतःसंयोजन करार किए बिना कोई ऐसा टेलीविज़न चैनल नहीं चलाएगा, जिसके लिए टेलीविज़न चैनल के सिगनलों के वितरण हेतु किसी प्रसारक से कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है।

(16) टेलीविज़न चैनलों का प्रत्येक वितरक, अनुसूची 4 के अनुसार प्रसारकओं द्वारा टेलीविज़न चैनल के सिगनलों के पुनः प्रसारण हेतु वितरण नेटवर्क पर एक्सेस का अनुरोध करने के लिए एक आवेदन फार्म तैयार करेगा।

(17) अपने टेलीविज़न चैनल के सिगनलों के वितरण का इच्छुक कोई प्रसारक टेलीविज़न चैनलों के वितरक द्वारा तैयार किए गए आवेदन फार्म पर एक लिखित अनुरोध करेगा।

(18) टेलीविज़न चैनलों का प्रत्येक वितरक, टेलीविज़न चैनलों के वितरण हेतु किसी प्रसारक से लिखित अनुरोध की प्राप्ति के 30 दिन के अंदर वितरक द्वारा प्रकाशित संदर्भ अंतः संयोजन प्रस्ताव की शर्तों और निबंधनों के अनुसार टेलीविज़न चैनल चलाने के लिए प्रसारक के साथ एक लिखित अंतःसंयोजन करार करेगा,

परंतु यह कि अंतःसंयोजन करार के अंतर्गत टेलीविज़न चैनलों के वितरक को किसी प्रसारक द्वारा भुगतान योग्य कैरिज शुल्क का परिकलन कैरिज शुल्क की दर और अंतःसंयोजन करार में सहमति वाली छूटों के आधार पर किया जाएगा;

पुनः परंतु यह कि किसी भी मामले में अंतःसंयोजन करार की अवधि, करार के प्रारंभण की तारीख से एक वर्ष से कम नहीं होगी;

परंतु यह यह भी कि यदि किसी टेलीविज़न चैनल के संबंध में किसी प्रसारक के साथ एक से अधिक अंतःसंयोजन करार किए गए हैं तो उत्तरवर्ती प्रत्येक अंतःसंयोजन करार में उस चैनल के लिए उस प्रसारक के साथ लागू पिछले करारों के ब्योरे दिए जाएंगे।

स्पष्टीकरण : कोई संदेह दूर करने के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि टेलीविज़न चैनल चलाने के लिए किसी वितरक द्वारा किसी प्रसारक से एक लिखित अनुरोध प्राप्त होने पर वितरक और प्रसारक के बीच लिखित अंतःसंयोजन करार, अनुरोध की प्राप्ति से 30 दिन के अंदर किया जाएगा। इसलिए, वितरक लिखित अंतःसंयोजन करार किए जाने की तारीख या वितरण नेटवर्क पर अतिरिक्त चैनल क्षमता की उपलब्धता की तारीख, इनमें जो भी बाद में, से वितरण नेटवर्क के जरिए 30 दिन के अंदर उस प्रसारक के टेलीविज़न चैनल (चैनलों) के सिगनल वितरित *प्रसारित करेगा।*

(19) किसी प्रसारक को यह विकल्प होगा कि वह टेलीविज़न चैनल चलाने के लिए एक अंतःसंयोजन करार के रूप में विनियम 8 के उप–विनियम (1) के अंतर्गत टेलीविज़न चैनलों के किसी वितरक द्वारा प्रकाशित अंतिम संदर्भ अंतःसंयोजन प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करे और वितरण नेटवर्क में एक्सेस उपलब्ध कराने के लिए उस वितरक को उक्त करार भेजे।

(20) टेलीविज़न चैनल के प्रत्येक ऐसे वितरक, जो किसी प्रसारक के साथ अंतःसंयोजन करार करता है, की यह जिम्मेदारी होगी कि वह अंतःसंयोजन करार के निष्पादन की तारीख से 15 दिन की अवधि के अंदर उस प्रसारक को लिखित अंतःसंयोजन करार की एक प्रति सौंपे और प्रसारक से इस प्रकार प्राप्त की गई अभिस्वीकृति की एक प्रति रखे।

(21) टेलीविज़न चैनलों का प्रत्येक वितरक मौजूदा अंतःसंयोजन करार की समाप्ति से पहले किसी प्रसारक द्वारा अनुरोध किए गए टेलीविज़न चैनल चलाने के लिए एक नया लिखित अंतःसंयोजन करार करेगा,

परंतु यह कि टेलीविज़न चैनलों का वितरक मौजूदा अंतःसंयोजन करार की समाप्ति की तारीख से कम से कम 60 दिन पहले, नया लिखित अंतःसंयोजन करार करने के लिए प्रसारक को नोटिस देगा;

पुनः परंतु यह कि यदि पक्षकार मौजूदा अंतःसंयोजन करार की समाप्ति से पहले नया अंतःसंयोजन करार करने में विफल रहते हैं तो मौजूदा अंतःसंयोजन करार की समाप्ति पर टेलीविज़न चैनलों का वितरक संभवतः उन टेलीविज़न चैनलों को न चलाए;

पुनः परंतु यह कि टेलीविज़न चैनलों का कोई वितरक किसी टेलीविज़न चैनल को चलाना बंद नहीं करेगा, यदि उस टेलीविज़न चैनल के सिगनल वितरण हेतु उपलब्ध रहते हैं और उस विशेष टेलीविज़न चैनल के लिए सब्सक्रिप्शन, टारगेट मार्केट में औसत सक्रिय उपभोक्ता आधार के 20 प्रतिशत से अधिक है;

परंतु यह यह भी कि यदि टेलीविज़न चैनलों का वितरक मौजूदा अंतःसंयोजन करार की समाप्ति के कारण कोई टेलीविज़न चैनल चलाना बंद करने का निर्णय लेता है तो वह अपने मौजूदा अंतःसंयोजन करार की समाप्ति की तारीख से 15 दिन पहले, उन चैनलों पर जो अंतःसंयोजन करार में शामिल हैं, स्क्रोल के जरिए उपभोक्ताओं को निम्नलिखित सूचित करेगाः

(क) अपने मौजूदा अंतःसंयोजन करार की समाप्ति की तारीख; और

(ख) नया अंतःसंयोजन करार करने में अपनी विफलता की स्थिति में चैनलों के सिगनलों के विसंयोजन की तारीख की सूचना।

11. अंतःसंयोजन करार का क्षेत्र – (1) किसी प्रसारक और मल्टी–सिस्टम ऑपरेटर के बीच किए गए अंतःसंयोजन करार में, टेलीविज़न चैनल के सिगनलों के वितरण के उद्देश्य के लिए क्षेत्र विनिर्धारित करने हेतु निम्नलिखित ब्योरे शामिल होंगेः

(क) केंद्र सरकार द्वारा प्रदान किए गए पंजीकरण में यथा उल्लिखित मल्टी–सिस्टम ऑपरेटर के प्रचालन का पंजीकृत क्षेत्र;

(ख) उन विशिष्ट क्षेत्रों के नाम, जिनके लिए टेलीविज़न चैनल (चैनलों) के सिगनलों के वितरण पर अंतःसंयोजन करार करने के समय मूलतः सहमति की गई थी; और

(ग) तद्नुरूपी राज्य (राज्यों)/ संघ शासित क्षेत्र (क्षेत्रों) के नाम, जिनमें इस उप–विनियम के खंड (ख) में यथाउल्लिखित इस प्रकार सहमति वाले क्षेत्र स्थित हैं।

(2) किसी मल्टी–सिस्टम ऑपरेटर को यह विकल्प होगा कि वह उस/उन चैनल (चैनलों) के प्रसारक को पूर्व–लिखित नोटिस देकर उप–विनियम (1) के अंतर्गत सहमति वाले क्षेत्रों के पार, प्रसारक द्वारा ऐसी नोटिस प्राप्ति के 30 दिन के बाद, चैनल वितरित कर सके, और ऐसी नोटिस को मौजूदा अंतःसंयोजन करार का भाग माना जाएगाः

परंतु यह कि विस्तारण के ये क्षेत्र निम्नलिखित के अंदर पड़ते होंः

(क) मल्टी–सिस्टम ऑपरेटर के प्रचालन के पंजीकृत क्षेत्र के अंदर; और

(ख) राज्यों या संघ शासित क्षेत्रों जिसमें मल्न्टी सिस्टम ऑपरेटर को अंतःसंयोजन करार के अर्न्तगत सिग्नल को वितरित करने की अनुमति प्राप्त है।

(3) **उपविनियम** (2) में निहित प्रावधान लागू नहीं होंगे यदि प्रसारक ने लिखित आपत्ति, कारणों सहित उन 30 दिनों के भीतर मल्टी–सिस्टम ऑपरेटर को दिया हैः

परंतु यह कि प्रसारक की कोई ऐसी आपत्ति जो कि अनुचित हो वह सिगनल का प्रावधान, क्षेत्रों के पार, उपविनियम (1) के खंड (ख) के अंतर्गत, करने को मना किया जाना माना जाएगा

12. टेलीविज़न चैनलों के वितरक और स्थानीय केबल ऑपरेटर के बीच अंतःसंयोजन करार – (1) टेलीविज़न चैनलों का कोई भी वितरक स्थानीय केबल ऑपरेटर के साथ एक लिखित अंतःसंयोजन करार किए बिना किसी स्थानीय केबल ऑपरेटर को टेलीविज़न चैनल के सिगनल उपलब्ध नहीं कराएगा।

(2) कोई भी स्थानीय केबल ऑपरेटर टेलीविज़न चैनलों के किसी वितरक के साथ एक लिखित अंतःसंयोजन करार किए बिना किसी उपभोक्ता को किसी प्रसारक के टेलीविज़न चैनलों के सिगनल वितरित नहीं करेगा।

(3) प्रत्येक मल्टी–सिस्टम ऑपरेटर किसी स्थानीय केबल ऑपरेटर से लिखित अनुरोध की प्राप्ति के 30 दिन के अंदर उक्त करार के खंड 10, 11 और 12 पर परस्पर सहमति करके अनुसूची 5 में उल्लिखित मॉडल अंतःसंयोजन करार के अनुरूप टेलीविज़न चैनलों के सिगनल उपलब्ध कराने के लिए स्थानीय केबल ऑपरेटर के साथ एक लिखित अंतःसंयोजन करार करेगा,

परंतु यह कि मल्टी–सिस्टम ऑपरेटर और स्थानीय केबल ऑपरेटर, मॉडल अंतःसंयोजन करार के किसी खंड में परिवर्तन किए बिना और उनका विलोप किए बिना परस्पर करार के जरिए मॉडल अंतःसंयोजन करार में अभिवर्धन कर सकते हैं। तथापि, इस प्रकार के अभिवर्धन का मॉडल अंतःसंयोजन करार में यथा विनिर्धारित खंडों में से किसी खंड पर अल्पीकरण प्रभाव नहीं होगा;

पुनः परंतु यह कि यदि मल्टी–सिस्टम ऑपरेटर और स्थानीय केबल ऑपरेटर इस उप–विनियम में ऊपर यथा उपबंधित अंतःसंयोजन करार करने में विफल रहते हैं तो मल्टी–सिस्टम ऑपरेटर और स्थानीय केबल ऑपरेटर अनुसूची 6 में यथाविनिर्दिष्ट मानक अंतःसंयोजन करार करेंगे।

स्पष्टीकरण : संदेह दूर करने के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि विनिर्धारित मॉडल अंतःसंयोजन करार की शर्तों और निबंधनों तथा पक्षकारों द्वारा परस्पर करार के जरिए जोड़ी गई शर्तों और निबंधनों के बीच किसी विरोध की स्थिति में विनिर्धारित मॉडल अंतःसंयोजन करार की शर्तें और निबंधन अभिभावी होंगे।

(4) किसी स्थानीय केबल ऑपरेटर के साथ लिखित अंतःसंयोजन करार कर लेने पर प्रत्येक मल्टी–सिस्टम ऑपरेटर उस स्थानीय केबल ऑपरेटर को लिखित अंतःसंयोजन करार करने के 30 दिन के अंदर टेलीविज़न चैनलों के सिगनल उपलब्ध कराएगा।

(5) प्रत्येक ऐसे मल्टी–सिस्टम ऑपरेटर, जो किसी स्थानीय केबल ऑपरेटर के साथ कोई अंतःसंयोजन करार करता है, की यह जिम्मेदारी होगी कि वह करार के निष्पादन की तारीख से 15 दिन की अवधि के अंदर उस स्थानीय केबल ऑपरेटर को उस करार की एक प्रति सौंपे और स्थानीय केबल ऑपरेटर से प्राप्त अभिस्वीकृति की प्रति रखे।

(6) प्रत्येक मल्टी–सिस्टम ऑपरेटर, मौजूदा अंतःसंयोजन करार की समाप्ति से पहले स्थानीय केबल ऑपरेटर के साथ एक नया लिखित अंतःसंयोजन करार करेगा,

परंतु यह कि मल्टी–सिस्टम ऑपरेटर मौजूदा अंतःसंयोजन करार की समाप्ति की तारीख से कम से कम 60 दिन पहले नया लिखित अंतःसंयोजन करार करने के लिए स्थानीय केबल ऑपरेटर को नोटिस देगा;

पुनः परंतु यह कि यदि पक्षकार मौजूदा अंतःसंयोजन करार की समाप्ति से पहले नया लिखित अंतःसंयोजन करार करने में विफल रहते हैं, तो वितरक, मौजूदा अंतःसंयोजन करार की समाप्ति पर स्थानीय केबल ऑपरेटर को टेलीविज़न चैनलों के सिगनल उपलब्ध नहीं कराएगा;

परंतु यह यह भी कि मल्टी–सिस्टम ऑपरेटर अपने मौजूदा अंतःसंयोजन करार की समाप्ति की तारीख से 15 दिन पहले, उन चैनलों पर जो अंतःसंयोजन करार में शामिल हैं, स्क्रोल के जरिए उपभोक्ताओं को निम्नलिखित सूचित करेगाः

(क) अपने मौजूदा अंतःसंयोजन करार की समाप्ति की तारीख; और

(ख) नया अंतःसंयोजन करार करने में अपनी विफलता की स्थिति में चैनलों के सिगनलों के विसंयोजन की तारीख की सूचना

(7) स्थानीय केबल ऑपरेटर और मल्टी–सिस्टम ऑपरेटर के बीच सेवा प्रभारों का निर्धारण, परस्पर करार द्वारा किया जाएगा।

परंतु यह कि ऐसे मामलों में, जहां मल्टी–सिस्टम ऑपरेटर और स्थानीय केबल ऑपरेटर सहमति पर पहुंचने में विफल रहते हैं तो अभिदत्त विवरण क्षमता के लिए नेटवर्क क्षमता शुल्क तथा वितरण शुल्क की धनराशि मल्टी–सिस्टम ऑपरेटर और स्थानीय केबल ऑपरेटर के बीच क्रमशः 55:45 के अनुपात में बांटी जाएगी।

(8) इस विनियम के उप–विनियमों (3), (4), (5), (6) और (7) के उपबंध, आवश्यक परिवर्तनों के साथ एचआईटीएस ऑपरेटर और आईपीटीवी ऑपरेटर पर लागू होंगे।

13. **डीटीएच ऑपरेटर पर अननुप्रयोज्यता** – विनियम 11 और 12 में दी गई कोई भी बात किसी डीटीएच ऑपरेटर पर लागू नहीं होगी।

अध्याय V

सब्सक्रिप्शन रिपोर्ट और अंकेक्षण

14. सब्सक्रिप्शन रिपोर्ट और मासिक शुल्क – (1) टेलीविज़न चैनलों का प्रत्येक वितरक, उन प्रसारकओं, जिनके साथ चैनलों के वितरण के लिए लिखित अंतःसंयोजन करार किए गए हैं, को प्रत्येक कैलेंडर मास की समाप्ति से सात दिन के अंदर अनुसूची 7 में विनिर्दिष्ट फार्मेट पर चैनल और पे चैनलों के गुच्छे की पूर्ण और सही मासिक सब्सक्रिप्शन रिपोर्ट उपलब्ध कराएगा।

परंतु यह कि किसी प्रसारक को यह विकल्प होगा कि वह, वितरक को तीन सप्ताह का पूर्व–लिखित नोटिस देने के पश्चात टेलीविज़न चैनल के सिगनल विसंयोजित कर सके, यदि वितरक इस विनियम के अंतर्गत सब्सक्रिप्शन रिपोर्ट उपलब्ध कराने में विफल रहता है;

(2) मासिक सब्सक्रिप्शन रिपोर्ट के आधार पर, प्रसारक, ऐसे वितरक द्वारा भुगतानयोग्य अधिकतम खुदरा मूल्य के प्रसारक के हिस्से के लिए वितरक को मासिक इनवॉयस जारी करेगा और उस इनवॉयस में, भुगतान की नियत तारीख के साथ–साथ वर्तमान भुगतान की देय धनराशियां और बकाया धनराशियां, यदि कोई हैं, का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाएगा,

परंतु यह कि प्रसारक, वितरक द्वारा इनवॉयस की प्राप्ति की तारीख से, भुगतान करने के लिए टेलीविज़न चैनलों के वितरक को कम से कम 15 दिन की समय अवधि की अनुमति देगा;

पुनः परंतु यह कि यदि वितरक, कैलेंडर मास की समाप्ति से सात दिन की अवधि के अंदर मासिक सब्सक्रिप्शन रिपोर्ट उपलब्ध कराने में विफल रहता है तो प्रसारक को यह अधिकार होगा कि वह तुरंत पिछले महीने के लिए वितरक द्वारा भुगतानयोग्य सब्सक्रिप्शन शुल्क के प्रसारक के सब्सक्रिप्शन के दस प्रतिशत तक बढ़ाई गई धनराशि के लिए कोई अनंतिम इनवॉयस जारी कर सके एवं वितरक का यह दायित्व होगा कि वह इस अनंतिम इनवॉयस के आधार पर भुगतान करे;

परंतु यह यह भी कि प्रसारक और वितरक के लिए अनिवार्य होगा कि वे ऐसे अनंतिम इनवॉयस के जारी किए जाने की तारीख से तीन महीने के अंदर, वितरक द्वारा भेजी गई मासिक सब्सक्रिप्शन रिपोर्ट के आधार पर प्रसारक द्वारा किए गए अनंतिम इनवॉयस और अंतिम इनवॉयस के बीच मेल–मिलाप करें।

(3) टेलीविज़न चैनलों का प्रत्येक वितरक, उन प्रसारकओं, जिनके साथ टारगेट मार्केट में औसत सक्रिय उपभोक्ता आधार के साथ–साथ प्रसारक द्वारा भुगतान योग्य कैरिज शुल्क धनराशि के भुगतान के लिए, चैनल चलाने हेतु किए गए लिखित अंतःसंयोजन करार किए गए हैं, को मासिक इनवॉयस और टेलीविज़न चैनलों के वितरक द्वारा चलाए गए चैनल के लिए मासिक सब्सक्रिप्शन रिपोर्ट अनुसूची 7 में विनिर्दिष्ट फार्मेट पर जारी करेगा और ऐसे इनवॉयस में, भुगतान की नियत तारीख के साथ–साथ वर्तमान भुगतान की देय धनराशियों और बकाया धनराशियों, यदि कोई हैं, का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाएगा,

परंतु यह कि वितरक, प्रसारक द्वारा इनवॉयस की प्राप्ति की तारीख से, भुगतान करने के लिए प्रसारक को कम से कम 15 दिन की समय अवधि की अनुमति देगा;

15. अंकेक्षण – (1) प्रत्येक टेलीविज़न चैनलों का वितरक, यह सत्यापित करने के लिए कि वितरक द्वारा प्रसारक को उपलब्ध कराई गई मासिक सब्सक्रिप्शन रिपोर्टें पूर्ण, सत्य और सही हैं, एक कैलेंडर वर्ष में एक बार किसी अंकेक्षक से अपनी उपभोक्ता प्रणाली, कंडीशनल

एक्सेस प्रणाली और अन्य संबंधित प्रणालियों का अंकेक्षण कराएगा और इस संबंध में उस प्रत्येक प्रसारक को एक अंकेक्षण रिपोर्ट जारी करेगा, जिनके साथ उसने अंतःसंयोजन करार किया है,

परंतु यह कि प्राधिकरण, इस अंकेक्षण के उद्देश्य के लिए अंकेक्षकों का पैनल बना सकता है और टेलीविज़न चैनलें के प्रत्येक वितरक के लिए यह अनिवार्य होगा कि वह, पैनल में रखे गए अंकेक्षकों में से किसी से, इस उप–विनियम के अंतर्गत अंकेक्षण कराए;

पुनः परंतु यह कि अंकेक्षण के कारण कोई भिन्नता, जिसके परिणामस्वरूप, बिल में दी गई धनराशि के 0.5 प्रतिशत से कम हो, में, पहले ही जारी कर दिए गए भुगतान कर दिए गए इनवॉयसों का कोई संशोधन आवश्यक नहीं होगा।

(2) ऐसे मामलों में, जहां कोई प्रसारक उप–विनियम (1) के अंतर्गत प्राप्त अंकेक्षण रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं है या किसी प्रसारक की राय में, वितरक द्वारा इस्तेमाल की जा रही एड्रेसेबल प्रणाली अनुसूची 3 में विनिर्दिष्ट शर्तें पूरी नहीं कर करती तो वितरक को लिखित में असंतुष्टि के कारण संसूचित करने के पश्चात वह प्रसारक, अधिक से अधिक एक कैलेंडर वर्ष में एक बार टेलीविज़न चैनलों के वितरक की उपभोक्ता प्रबंधन प्रणाली, कंडीशनल एक्सेस प्रणाली और अन्य संबंधित प्रणालियों का अंकेक्षण करेगा,

परंतु यह कि प्राधिकरण, इस अंकेक्षण के उद्देश्य के लिए अंकेक्षकों का पैनल बना सकता है और टेलीविज़न चैनलें के प्रत्येक वितरक के लिए यह अनिवार्य होगा कि वह, पैनल में रखे गए अंकेक्षकों में से किसी से, इस उप–विनियम के अंतर्गत अंकेक्षण कराए;

पुनः परंतु यह कि अंकेक्षण में यह पता चलता है कि प्रसारक को अतिरिक्त धनराशि भुगतान योग्य है तो वितरक 10 दिन के अंदर, अंतःसंयोजन करार से प्रसारक द्वारा विनिर्दिष्ट दर पर विलंबित भुगतान संबंधी ब्याज के साथ–साथ उन धनराशियों का भुगतान करेगा और यदि किसी अवधि के लिए देय ब्याज सहित वह धनराशि, उस अवधि के लिए देय होने के लिए, वितरक द्वारा सूचित धनराशि से 2 प्रतिशत अधिक या इससे अधिक हो जाती है तो वितरक अंकेक्षण व्यय वहन करेगा और भविष्य में ऐसी त्रुटियों से बचने के लिए आवश्यक कार्रवाई करेगा;

पुनः परंतु यह कि प्रसारक को यह विकल्प होगा कि वह वितरक को तीन सप्ताह का पूर्व–नोटिस देने के पश्चात टेलीविज़न चैनल के सिगनल विसंयोजित कर सके, यदि अंकेक्षण में यह पता चलता है कि वितरक द्वारा इस्तेमाल की जा रही एड्रेसेबल प्रणाली, अनुसूची 3 में विनिर्दिष्ट शर्तें पूरी नहीं करती।

(3) टेलीविज़न चैनलों का प्रत्येक वितरक, अंकेक्षकों को आवश्यक सहायता प्रदान करेगा ताकि अंकेक्षण कार्य एक समयबद्ध तरीके से पूरा किया जा सके।

अध्याय VI

विविध

16. अधिकतम खुदरा मूल्य और किसी चैनल के स्वरूप में परिवर्तन – पे चैनल या पे चैनलों के गुच्छे, जैसा भी मामला हो, प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित प्रशुल्क आदेश के अंतर्गत घोषित अधिकतम खुदरा मूल्य में या उसके स्वरूप में कोई परिवर्तन करने से पहले प्रत्येक प्रसारक, इन विनियमों के उपबंधों का पालन करेगा, जिनमें पे चैनलों के प्रसारकओं द्वारा संदर्भ अंतःसंयोजन प्रस्ताव के प्रकाशन से संबंधित उपबंध शामिल हैं, परंतु यह इन्हीं तक सीमित नहीं है।

17. टेलीविज़न चैनल के सिगनलों का विसंयोजन – कोई भी सेवा प्रदाता, अन्य सेवा प्रदाता को लिखित में कम से कम तीन सप्ताह का ऐसा नोटिस दिए बिना, टेलीविज़न चैनल के सिगनल विसंयोजित नहीं करेगा, जिसमें प्रस्तावित विसंयोजन के कारणों का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया होः

परंतु यह कि तीन सप्ताह के नोटिस की अवधि, अन्य सेवा प्रदाता द्वारा नोटिस प्राप्त करने की तारीख से आरंभ होगीः

पुनः परंतु यह कि टेलीविज़न चैनलों का वितरक, विसंयोजन की तारीख से 15 दिन पहले, उन टेलीविज़न चैनलों के सिगनलों के विसंयोजन की तारीख के संबंध में उन चैनलों पर जिनका विसंयोजन प्रस्तावित है, स्क्रोल के जरिए उपभोक्ता को सूचित करेगाः

परंतु यह यह भी कि कोई भी सेवा प्रदाता, टेलीविज़न स्क्रीन पर लगाए जाने वाले स्थिर चित्र के रूप में, टेलीविज़न चैनलों के सिगनलों के विसंयोजन के लिए ऐसा नोटिस प्रदर्शित नहीं करेगा, जिससे उपभोक्ताओं को सामान्य रूप से देखने में बाधा उत्पन्न हो।

18. इलेक्ट्रॉनिक कार्यक्रम संदर्शिका में चैनलों का सूचीकरण – (1) प्रत्येक प्रसारक अपने चैनलों का जेनरे निर्धारित करेगा जो कि या तो भक्ति या सामान्य मनोरंजन या सूचना मनोरंजन या किडस या मूविज या संगीत या न्यूज एवं समसामयिक या खेल या विविध में से एक होगा ।

(2) वितरक के लिए यह अनिवार्य होगा कि वह इलेक्ट्रॉनिक कार्यक्रम संदर्शिका में चैनलों को ऐसे तरीके से स्थान दे कि प्रसारक द्वारा घोषित उसी प्रकार के जेनरे के टेलीविज़न चैनल लगातार एक साथ रखे जाएं और एक चैनल केवल एक स्थान पर दिखाई दे,

परंतु यह कि उसी प्रकार के अंदर उसी भाषा के सभी टेलीविज़न चैनल इलेक्ट्रॉनिक कार्यक्रम संदर्शिका में एकसाथ लगातार दिखाई देगें।

परंतु वितरक प्रसारक के द्वारा निर्धारित किये गए जेनरे के अतंर्गत उप–जेनरे के अतंर्गत रख सकता है।

(3) प्रत्येक वितरक के लिए यह आवश्यक होगा कि टेलीविज़न चैनलों का प्रत्येक वितरक, वितरण नेटवर्क पर उपलब्ध प्रत्येक टेलीविज़न चैनल के लिए एक अनन्य चैनल नंबर देगा।

(4) किसी विशेष टेलीविज़न चैनल को एक बार दिया गया चैनल नंबर, नंबर दिए जाने की तारीख से कम से कम एक वर्ष की अवधि तक वितरक द्वारा नहीं बदला जाएगा।

परंतु यह कि यह उप–विनियम, वितरण नेटवर्क पर अनुपलब्ध हो गए चैनल के मामले में लागू नहीं होगा;

पुनः परंतु यह कि यदि कोई प्रसारक, किसी चैनल के प्रकार में परिवर्तन करता है तो विशेष टेलीविज़न चैनल को दिया गया चैनल नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कार्यक्रम संदर्शिका को स्थान देने के लिए परिवर्तित किया जाएगा।

19. सेवा प्रदाता के ब्योरे – (1) उपभोक्ता या सेवा प्रदाता के हित की रक्षा करने या प्रसारण एवं केबल सेक्टर की व्यवस्थित प्रगति सुनिश्चित करने की दृष्टि से या आदेश अथवा निर्देश द्वारा इन विनियमों को मॉनीटर करने और उनका अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए प्राधिकरण, सेवा प्रदाताओं द्वारा ब्योरों की रिपोर्टिंग के उद्देश्य के लिए वेबसाइट विनिर्दिष्ट कर सकता है।

(2) प्रत्येक सेवा प्रदाता, इन विनियमों के प्रारंभण से 30 दिन के अंदर या इस उद्देश्य के लिए वेबसाइट की पहचान से 30 दिन के अंदर, इनमें से जो भी बाद में, प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट वेबसाइट पर अपना नाम, पता, संपर्क नंबर, ई–मेल का पता और केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए लाइसेंस/ अनुमति/ पंजीकरण के ब्योरे सूचित करेगा।

(3) कोई ऐसा सेवा प्रदाता, जो इन विनियमों को लागू किए जाने के पश्चात अपने प्रचालन आरंभ करता है, अपने प्रचालनों के प्रारंभ्ण की तारीख से 30 दिन के अंदर या इस उद्देश्य के लिए वेबसाइट की पहचान से 30 दिन के अंदर, इनमें से जो भी बाद में हो, प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट वेबसाइट पर अपना नाम, पता, संपर्क नंबर, ई–मेल का पता और केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए लाइसेंस/ अनुमति पंजीकरण के ब्योरे सूचित करेगा।

(4) किसी सेवा प्रदाता के लिए यह अनिवार्य होगा कि वह प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट वेबसाइट से यह सत्यापन करे कि टेलीविज़न चैनलों के सिगनल या नेटवर्क के एक्सेस, जैसा भी मामला हो, उपलब्ध कराने के लिए अंतः संयोजन प्राप्त करने के इच्छुक सेवा प्रदाता ने उप–विनियम (2) और उप–विनियम (3) के अंतर्गत अपने ब्योरे सूचित कर दिए हैं;

परंतु यह कि यह उप–विनियम, प्राधिकरण द्वारा ऐसी वेबसाइट विनिर्दिष्ट करने की स्थिति में ही लागू होगा।

20. अनुपालन अधिकारी की नामजदगी और उसके दायित्व – (1) प्रत्येक प्रसारक और टेलीविज़न चैनलों का प्रत्येक वितरक, इन विनियमों के प्रारंभण की तारीख से 30 दिन के अंदर एक अनुपालन अधिकारी को नामजद करेगा।

(2) प्रत्येक प्रसारक और टेलीविज़न चैनलों का प्रत्येक वितरक,जो इन विनियमों के लागू किए जाने के पश्चात अपने प्रचालन आरंभ करता है, अपने प्रचालनों के प्रारंभण की तारीख से 30 दिन के अंदर एक अनुपालन अधिकारी नामजद करेगा।

(3) टेलीविज़न चैनलों का प्रत्येक ऐसा प्रसारक या वितरक, जैसा भी मामला हो, इन विनियमों के उपबंधों के अंतर्गत अनुपालन अधिकारी नामजदगी की तारीख से 30 दिन के अंदर प्राधिकरण को, बोर्ड के संकल्प, जिसमें उस अनुपालन अधिकारी की नामजदगी प्राधिकृत की गई हो, की अधिप्रमाणित प्रति के साथ–साथ अनुपालन अधिकारी का नाम, पूरा पता, संपर्क नंबर और ई–मेल का पता प्रस्तुत करेगा।

परंतु यह कि टेलीविज़न चैनलों का प्रत्येक वितरक, जो एक कंपनी नहीं है, इन विनियमों के उपबंधों के अंतर्गत अनुपालन अधिकारी की नामजदगी की तारीख से 30 दिन के अंदर प्राधिकरण को प्राधिकार–पत्र, जिसमें उस अनुपालन अधिकारी की नामजदगी प्राधिकृत की गई हो, की अधिप्रमाणित प्रति के साथ–साथ अनुपालन अधिकारी का नाम, पूरा पता, संपर्क नंबर और ई–मेल का पता प्रस्तुत करेगा।

(4) इस विनियम के उपबंधों के अंतर्गत नामजद किए गए अनुपालन अधिकारी के नाम में किसी परिवर्तन की स्थिति में, इसे बोर्ड के संकल्प या प्राधिकार पत्र, जैसा भी मामला हो, की अधिप्रमाणित प्रति के साथ–साथ, ऐसा परिवर्तन होने की तारीख से 30 दिन के अंदर सेवा प्रदाता द्वारा प्राधिकरण को सूचित किया जाएगा।

(5) अनुपालन अधिकारी के पते या संपर्क नंबर या ई–मेल के पते में किसी परिवर्तन की स्थिति में ऐसा परिवर्तन होने की तारीख से 10 दिन के अंदर सेवा प्रदाता द्वारा प्राधिकरण को सूचित किया जाएगा।

(6) अनुपालन अधिकारी निम्नलिखित के लिए जिम्मेदार होगाः

(क) इन विनियमों के उपबंधों के साथ अनुरूपता सुनिश्चित करने के लिए जागरूकता पैदा करना;

(ख) इन विनियमों और इन विनियमों के अंतर्गत जारी किए गए प्राधिकरण के अन्य निर्देशों के अनुपालन के संबंध में प्राधिकरण को सूचित करना;

(ग) यह सुनिश्चित करना कि उचित प्रक्रियाएं स्थापित कर दी गई हैं और उनका पालन किया जा रहा है ।

(7) उप–विनियम (6) में निहित प्रावधान सेवा प्रदाता द्वारा इन विनियमों के पालन के दायित्व के अतिरिक्त होगा ।

21. प्राधिकरण द्वारा हस्तक्षेप – उपभोक्ता या सेवा प्रदाता के हित की रक्षा करने या प्रसारण एवं केबल सेक्टर की व्यवस्थित प्रगति को बढ़ावा देने और सुनिश्चित करने की दृष्टि से या इन विनियमों को मॉनीटर करने और उनका अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए प्राधिकरण आदेश या निर्देश के माध्यम से समय–समय पर हस्तक्षेप कर सकता है।

22. निरसन – (1) दूरसंचार (प्रसारण एवं केबल सेवाएं) अंतःसंयोजन (डिजिटल एड्रेसेबल केबल टेलीविज़न प्रणालियां) विनियम 2012, को एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है।

(2) दूरसंचार (प्रसारण एवं केबल सेवाएं) अंतःसंयोजन, विनियम 2004 को एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है।

(3) इस विनियम के उप–विनियम (2) तथा उप–विनियम(1) में वर्णित विनियमों के निरसन के होते हुए भी, उक्त विनियम में की गई कोई बात अथवा की गई किसी कार्यवाही को इन विनियमों के तदनुरूपी उपबंधों के अंतर्गत किया गया अथवा लिया गया समझा जाएगा।

(सुधीर गुप्ता)

सचिव, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

टिप्पणी : इस व्याख्यात्मक ज्ञापन में, दूरसंचार (प्रसारण एवं केबल) सेवाएं अंतःसंयोजन (एड्रेसेबल प्रणालियां) विनियम, 2017 के उद्देश्य और कारण स्पष्ट किए गए हैं।

अनुसूची 1

(विनियम 8 का उप–विनियम (2) देखें)

कैरिज शुल्क राशि की गणना

इंटरकनेक्शन अनुबंध की अवधि के दौरान, प्रत्येक माह या तत्संबंधी भाग के लिए कैरिज शुल्क राशि की गणना निम्नानुसार की जाएगीः–

क्र. सं.	कैरिज शुल्क राशि की गणना
1	यदि टार्गेट मार्केट में चैनल की मासिक उपभोक्ता संख्या, टार्गेट मार्केट में उस माह में वितरक के सक्रिय उपभोक्ताओं की औसत संख्या के पांच प्रतिशत से कम है तो कैरिज शुल्क राशि इंटरकनेक्शन अनुबंध में यथा तय प्रति चैनल, प्रति माह प्रति उपभोक्ता कैरिज शुल्क की दर गुणा टार्गेट मार्केट में उक्त माह में वितरक के सक्रिय उपभोक्ताओं की औसत संख्या के बराबर होगी।
2	यदि टार्गेट मार्केट में चैनल की मासिक उपभोक्ता संख्या, टार्गेट मार्केट में उक्त माह में वितरक के सक्रिय उपभोक्ताओं की औसत संख्या के पांच प्रतिशत के बराबर या अधिक है मगर दस प्रतिशत से कम है तो कैरिज शुल्क राशि इंटरकनेक्शन अनुबंध में यथा तय प्रति चेनल, प्रति माह प्रति उपभोक्ता कैरिज शुल्क की दर गुणा टार्गेट मार्केट में उक्त माह में वितरक के सक्रिय उपभोक्ताओं की औसत संख्या के 0.75 के बराबर होगी।
3	यदि टार्गेट मार्केट में चैनल की मासिक उपभोक्ता संख्या, टार्गेट मार्केट में उक्त माह में वितरक के सक्रिय उपभोक्ताओं की औसत संख्या के दस प्रतिशत के बराबर या अधिक है मगर पन्द्रह प्रतिशत से कम है तो कैरिज शुल्क राशि इंटरकनेक्शन अनुबंध में यथा तय प्रति चैनल, प्रति माह प्रति उपभोक्ता कैरिज शुल्क की दर गुणा टार्गेट मार्केट में उक्त माह में वितरक के सक्रिय उपभोक्ताओं की औसत संख्या के 0.5 के बराबर होगी।
4	यदि टार्गेट मार्केट में चैनल की मासिक उपभोक्ता संख्या, टार्गेट मार्केट में उक्त माह में वितरक के सक्रिय उपभोक्ताओं की औसत संख्या के पन्द्रह प्रतिशत के बराबर या अधिक है मगर बीस प्रतिशत से कम है तो कैरिज शुल्क राशि इंटरकनेक्शन अनुबंध में यथा तय प्रति चैनल, प्रति माह प्रति उपभोक्ता कैरिज शुल्क की दर गुणा टार्गेट मार्केट में उक्त माह में वितरक के सक्रिय उपभोक्ताओं की औसत संख्या के 0.25 के बराबर होगी।
5	यदि टार्गेट मार्केट में चैनल की मासिक उपभोक्ता संख्या, टार्गेट मार्केट में उक्त माह में वितरक के सक्रिय उपभोक्ताओं की औसत संख्या के बीस प्रतिशत के बराबर या अधिक है तो कैरिज शुल्क राशि 'शून्य' होगी।

टिप्पणीः– (1) हाई डेफिनेशन चैनल के लिए कैरिज शुल्क की गणना करने के लिए टार्गेट मार्केट में उक्त माह में वितरकों के सक्रिय उपभोक्ताओं की औसत संख्या हाई डेफिनेशन टेलीविजन चैनलों को प्राप्त करने में समर्थ उपभोक्ताओं की संख्या के बराबर होगा।

(2) एक माह में वितरक के सक्रिय उपभोक्ताओं की औसत संख्या की गणना इन विनियमों की अनुसूची **7** में दी गई विधि से की जाएगी।

(3) चैनल के लिए मासिक उपभोक्ता की गणना इन विनियमों की अनुसूची **7** में दी गई विधि से की जाएगी।

(4) नीचे दिए उदाहरण–1 (स्टैंडर्ड डेफिनेशन चैनल हेतु) और उदाहरण–2 हाई डेफिनेशन चैनल हेतु) में कैरिज शुल्क राशि की गणना के बारे में बताया गया है.

उदाहरण–1

मान लीजिये टेलीविजन चैनलों का एक वितरक का प्रसारक के साथ 'एक्स' नाम के स्टैंडर्ड डेफिनेशन चैनल को 0.20 रु. प्रति उपभोक्ता प्रति माह की दर पर कैरिज करने का अनुबंध हो रखा है। प्रसारक द्वारा वितरक को देय कैरिज शुल्क राशि की गणना निम्नलिखित विधि से की जाएगीः–

माह	**माह के दौरान उपभोक्ताओं की औसत संख्या**	**स्टैंडर्ड डेफिनेशन चेनल 'एक्स' की मासिक उपभोक्ता संख्या का प्रतिशत**	**कैरिज शुल्क की दर (पैसे में)**	**गुणक**	**कैरिज शुल्क राशि (रु. में)**
(क)	(ख)	(ग)	(घ)	(ङ)	(च)=(ख)x(घ)x(ङ)
जनवरी	1000	4%	20	1	200.00
फरवरी	800	8%	20	0.75	120.00
मार्च	1500	12%	20	0.50	150.00
अप्रैल	2000	19%	20	0.25	100.00
मई	3000	20%	20	0	0.00
जून	4000	22%	20	0	0.00
जुलाई	10000	17%	20	0.25	500.00
अगस्त	20000	25%	20	0	0.00

उदाहरण–2

मान लीजिये टेलीविजन चैनलों का एक वितरक का प्रसारक के साथ 'वाई' नाम के हाई डेफिनेशन चैनल को 0.40 रु. प्रति उपभोक्ता प्रति माह की दर पर कैरिज करने का अनुबंध हो रखा है। प्रसारक द्वारा वितरक को देय कैरिज शुल्क राशि की गणना निम्नलिखित विधि से की जाएगीः–

माह	**माह के दौरान हाई डेफिनेशन एसटीबी की औसत संख्या**	**हाई डेफिनेशन चेनल 'वाई' की मासिक उपभोक्ता संख्या का प्रतिशत**	**कैरिज शुल्क की दर (पैसे में)**	**गुणक**	**कैरिज शुल्क राशि (रु. में)**
(क)	(ख)	(ग)	(घ)	(ङ)	(च)=(ख)x(घ)x(ङं)
जनवरी	100	2%	40	1	40.00
फरवरी	80	5%	40	0.75	24.00
मार्च	150	11%	40	0.50	30.00
अप्रैल	160	16%	40	0.25	16.00
मई	180	20%	40	0	0.00
जून	200	22%	40	0	0.00
जुलाई	190	17%	40	0.25	19.00
अगस्त	170	25%	40	0	0.00

अनुसूची 2

(विनियम 10 का उप–विनियम (4) देखें)

टेलीविजन चैनल (चैनलों) के सिगनल के अनुरोध का आवेदन फार्म

1. टेलीविजन चैनलों के वितरक का नामः
2. वितरक के मालिकों/निदेशकों/साझेदारों के नामः
3. पंजीकृत कार्यालय का पताः
4. पत्राचार का पता
5. संपर्क व्यक्ति/अधिकृत प्रतिनिधि का नामः
6. टेलीफोनः
7. ईमेल एड्रेसः
8. पंजीकरण प्रमाणपत्र/अनुमति/लाइसेंस की प्रति (प्रति संलग्न करें) :
9. वितरक द्वारा कार्यान्वित हेड–एंड, कंडीशनल एक्सेस सिस्टम (सीएएस) और सब्सक्राइबर मैनेजमेंट सिस्टम (एसएमएस) का विवरणः
10. क्षेत्रों, संबंधित राज्य (राज्यों)/केन्द्र शासित प्रदेश (प्रदेशों) का विवरण और हेड–एंड का विवरण, जिससे इन क्षेत्रों में टेलीविजन चैनलों के सिगनलों का वितरण किया जाएगाः
11. वितरक के क्षेत्रवार वर्तमान उपभोक्ताओं की संख्याः
12. चैनल (चैनलों) और बुके (बुकों) की सूची, जिनके लिए टेलीविजन चैनलों के सिगनलों के लिए अनुरोध किए गए हैंः
13. सेवा कर पंजीकरण संख्याः
14. मनोरंजन कर संख्या :
15. पैन संख्या (प्रति संलग्न करें):
16. क्या सीएएस/एसएमएस विनियमों का अनुपालन करते हैंः हां/नहीं
17. दूरसंचार (प्रसारण एवं केबल) सेवाए इंटरकनेक्शन (एड्रेसेबल सिस्टम) विनियम 2017, की **अनुसूची III** के अनुपालन में लेखा–परीक्षक की रिपोर्ट की प्रतिः, यदि उपलब्ध हों,

_____

(हस्ताक्षर)

स्थान व तारीख

घोषणा

मैं _____सुपुत्र/सुपुत्री_____,_____ (टेलीविजन चैनलों के वितरक का नाम) के_____ (मालिक/स्वामी/साझेदार/निदेशक/अधिकृत हस्तक्षरकर्ता) इसके द्वारा घोषणा करता/करती हूं कि ऊपर दिया गया विवरण सत्य और सही है। मैं उल्लेख करता/करती हूं कि टेलीविजन चैनलों के वितरण हेतु संस्थापित एड्रेसेबल सिस्टम दूरसंचार (प्रसारण एवं केबल) सेवाए इंटरकनेक्शन (एड्रेसेबल सिस्टम) विनियम 2017 की **अनुसूची III** में निर्दिष्ट तकनीकी और अन्य अपेक्षा (अपेक्षाओं) को पूरा करता है। एड्रेसेबल सिस्टम का कॉन्फिग्रेशन एवं वर्जन में लेखा–परीक्षक की रिपोर्ट जारी होने के बाद कोई बदलाव नहीं किया गया है।

_____

(हस्ताक्षर)

तारीख व स्थान

अनुसूची 3

(विनियम 10 का उप–विनियम (6) देखें)

एड्रेसेबल सिस्टम की अपेक्षाएं

क) कंडीशनल एक्सेस सिस्टम (सीएएस) और सब्सक्राइबर मैनेजमेंट सिस्टम (एसएमएस):

1. टेलीविजन चैनलों के वितरक को सुनिश्चित करना होगा कि उसके द्वारा कार्यान्वित सीएएस का मौजूदा संस्करण का हैकिंग का कोई इतिहास नहीं है।

   स्पष्टीकरण: इस संबंध में सीएएस वैंडर से वितरक के पास उपलब्ध लिखित घोषणा का अर्थ इस अपेक्षा का अनुपालन माना जायेगा ।

2. एसएमएस में निष्पादित प्रत्येक कमांड, एक्टीवेशन एवं डिएक्टीवेशन कमांड सहित, मगर इन्हीं तक सीमित नहीं, के अनुरूप कम से कम दो पिछले क्रमागत वर्षों के लिए लॉग्स को जनरेट, रिकार्ड और मैंटेन करने के लिए एसएमएस स्वतंत्र रूप से समर्थ होगा।

3. सीएएस और एमएमएस में दर्ज डाटा और लॉग्स में बदलाव करना संभव नहीं होगा।

4. टेलीविजन चैनलों का वितरक प्रमाणित करेगा कि उसके द्वारा कार्यान्वित सीएएस में सीधे सीएएस टर्मिनल से सेट टॉप बॉक्स (एसटीबी) को एक्टीवेट और डिएक्टीवेट करने की सुविधा नहीं है। एसटीबी के सभी एक्टीवेशन और डिएक्टीवेशन एसएमएस की कमांड से किया जाएंगे।

5. एसएमएस और सीएएस को इस तरह से एकीकृत किया जाएगा कि दोनों सिस्टम में एसटीबी का एक्टीवेशन और डिएक्टीवेशन एक साथ हों।

   स्पष्टीकरण: आवश्यक और पर्याप्त विधियां उपलब्ध होंगी ताकि एसटीबी का प्रत्येक एक्टीवेशन और डिएक्टीवेशन एसएमएस और सीएएस टर्मिनलों में जनरेट होने वाली रिपोर्टों में प्रदर्शित हों।

6. टेलीविजन चैनलों का वितरक प्रमाणित करेगा कि सीएएस में एसटीबी ओवर–द–एयर (ओटीए) अपग्रेड करने की क्षमता है ताकि जुड़े एसटीबी को हैकिंग की स्थिति में अपग्रेड किया जा सकें।

7. किसी उपकरण या सॉफ्टवेयर के इस्तेमाल से फिंगरप्रिंटिंग अमान्य नहीं होने चाहिए।

8. सीएएस और एसएमएस 24 घंटे के भीतर वितरकों के उपभोक्ताओं की संख्या के कम से कम 10 प्रतिशत एसटीबी या सेवाओं को एक्टीवेट या डिएक्टीवेट करने में समर्थ होने चाहिए।

9. कंटेंट की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एसटीबी और व्यूविंग कार्ड (वीसी) को एसएमएस से युग्मित किया जाएगा।

10. सीएएस और एसएमएस चैनल बाई चैनल और एसटीबी बाई एसटीबी के आधार पर रिपोर्ट जनरेट करने के उद्देश्य के लिए उपभोक्ताओं को एकल रूप से एड्रेस करने में समर्थ होने चाहिए।

11. एसएमएस कंप्यूटीकृत होना चाहिए और उपभोक्ताओं से संबंधित महत्वपूर्ण सूचना और डाटा को रिकार्ड करने में समर्थ होना चाहिए जैसेः

क. विशिष्ट ग्राहक पहचान (आईडी)

ख. सब्सक्रिप्शन कान्ट्रेक्ट नंबर

ग. उपभोक्ता का नाम

घ. बिलिंग का पता

ङ. इंस्टॉलेशन का पता

च. लैंडलाइन टेलीफोन नंबर

छ. मोबाइल टेलीफोन नंबर

ज. ईमेल एड्रेस

झ. सब्सक्राइब किए गए चैनल (चैनलों), बुके (बुकों) और सेवाएं

ञ. विशिष्ट एसटीबी नंबर

ट. विशिष्ट वीसी नंबर

12. एसएमएस निम्नलिखित में समर्थ होना चाहिए:

क. एसटीबी के एक्टीवेशन एवं डिएक्टीवेशन के संबंध में ऐतिहासिक डाटा को देखना और मुद्रित करना।

ख. संस्थापित प्रत्येक एसटीबी और वीसी का पता लगाना।

ग. प्रत्येक उपभोक्ता के लिए शुल्क में बदलाव और उपभोक्ता द्वारा किए गए अनुरोध के तदनुरूपी स्रोत के ऐतिहासिक डाटा को जनरेट करना।

13. एसएमएस को निम्नलिखित के संबंध में वांछित समय पर रिपोर्ट जनरेट करने में समर्थ होना चाहिएः

i. पंजीकृत उपभोक्ताओं की कुल संख्या
ii. सक्रिय उपभोक्ताओं की कुल संख्या
iii. अस्थायी रूप से निलंबित उपभोक्ताओं की कुल संख्या
iv. डिएक्टीवेट किए गए उपभोक्ताओं की कुल संख्या
v. सिस्टम में काली सूची में डाले गए एसटीबी की सूची।
vi. विनिर्धारित फार्मेट में चैनल (चैनलों), बुके (बुकों) वार मासिक उपभोक्ता रिपोर्ट।

vii. प्रत्येक बुके के भाग के रूप में शामिल चैनलों के नाम।

viii. निर्धारित समय पर चैनल या बुके विशेष के सब्सक्राइब करने वाले सक्रिय उपभोक्ताओं की कुल संख्या।

ix. उपभोक्ता द्वारा सब्सक्राइब किए गए अला–कार्टे चैनल (चैनलों) और बुके (बुकों) के नाम।

x. चैनल या बुके विशेष के शुल्क के लिए एजिंग रिपोर्ट।

14. सीएएस में निष्पादित प्रत्येक कमांड, एसएमएस द्वारा जारी एक्टीवेशन एवं डिएक्टीवेशन कमांड सहित, मगर इन्हीं तक सीमित नहीं, के अनुरूप कम से कम दो पिछले क्रमागत वर्षों के लिए लॉग्स को जनरेट, रिकार्ड और मैंटेन करने के लिए सीएएस स्वतंत्र रूप से समर्थ होगा।

15. सीएएस ऐसे वीसी नंबरों और एसटीबी नंबरों को टैग करने और काली सूची में डालने में समर्थ होगा जो विगत में पाइरेसी में शामिल रहे हैं ताकि ऐसे वीसी या एसटीबी दुबारा कार्यान्वित न किए जा सकें।

16. यह सीएएस के लॉग्स से निम्नलिखित रिपोर्टें जनरेट करने में समर्थ होगाः

क. एसटीबी–वीसी पेयरिंग/डिपेयरिंग

ख. एसटीबी एक्टीवेशन/डिएक्टीवेशन

ग. एसटीबी के लिए नियत चैनल

घ. निर्धारित अवधि के लिए चैनल विशेष के एक्टीवेशन या डिएक्टीवेशन की रिपोर्ट।

17. एसएमएस मदवार विवरण जैसे सब्सक्राइब किए गए चैनलों की संख्या, सब्सक्राइब किए गए चैनलों की रेंटल राशि, ग्राहक परिसर उपस्कर हेतु रेंटल राशि, तननुरूपी पे चैनल (चैनलों) और पे चैनलों के बुके (बुकों) की सूची और खुदरा मूल्य और कर सहित पे चैनल (चैनलों) और पे चैनलों के बुके (बुकों) के लिए प्रभार के साथ प्रत्येक उपभोक्ता के लिए बिल जनरेट करने में समर्थ होगा।

18. वितरक सुनिश्चित करेगा कि सीएएस और एसएमएस वैंडर (वैंडरों) के पास वर्षभर 24x7 आधार पर सिस्टम को मैंटेन करने की क्षमता है।

19. टेलीविजन चैनलों का वितरक चैनलों के वितरण के लिए कार्यान्वित सीएएस और एसएमएस के विवरण की घोषणा करेगा। किसी अतिरिक्त सीएएस/एसएमएस को कार्यान्वित करने के मामले में, वितरक द्वारा इसकी सूचना प्रसारकों को दी जाएगी।

20. किसी उपभोक्ता को एसएमएस से डिएक्टीवेट करने के मामले में सभी कार्यक्रम/सेवाएं उस उपभोक्ता के लिए बंद कर दी जाएंगी।

21. टेलीविजन चैनलों के वितरक को सीएएस और एसएमएस के असंपादित डाटा को कम से कम दो वर्ष के लिए संभाल कर रखना होगा।

(ख**)** फिंगरप्रिंटिंगः

1. टेलीविजन चैनलों का वितरक सुनिश्चित करेगा कि इसके पास नियमित अंतराल पर फिंगर प्रिंटिंग चलाने के लिए सिस्टम, प्रोसेस और कंट्रोल्स हैं।

2. एसटीबी फिंगर प्रिंटिंग के विजिबल और कवर्ट टाइप को सपोर्ट करने वाला होना चाहिए।

3. फिंगर प्रिंटिंग एसटीबी के रिमोट पर किसी बटन (की) को दबाने पर विलुप्त होने वाली नहीं होनी चाहिए।

4. फिंगर प्रिंटिंग वीडियो की सबसे ऊपरी सतह पर होनी चाहिए।

5. फिंगर प्रिंटिंग इस तरह होनी चाहिए कि यह विशिष्ट एसटीबी नंबर या विशिष्ट वीसी नंबर को पहचान सकें।

6. फिंगर प्रिंटिंग एसटीबी की सभी स्क्रीनों जैसे मेन्यू, इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्राम गाइड (ईपीजी), सेटिंग्स, नो कंटेंट स्क्रीन और गेम्स आदि पर प्रदर्शित होनी चाहिए।

7. फिंगरप्रिंट की लोकेशन, फॉट कलर और बैकग्राउंड कलर हेड एंड से परिवर्तनीय होना चाहिए और व्यूविंग डिवाइस पर रैंडम होना चाहिए।

8. फिंगर प्रिंटिंग विशिष्ट एसटीबी और/या वीसी की पहचान करने के लिए करेक्टरों की संख्या को बताने में समर्थ होनी चाहिए।

9. फिंगर प्रिंटिंग ग्लोबल के साथ–साथ एकल एसटीबी आधार पर संभव होनी चाहिए।

10. ओवर्ट फिंगर प्रिंटिंग टेलीविजन चैनलों के वितरक द्वारा समय, लोकेशन, अवधि, फ्रिक्वेंसी के संबंध में किसी बदलाव में प्रदर्शित की जानी चाहिए।

11. स्क्रॉल मैसेजिंग केवल स्क्रीन के निचले भाग में उपलब्ध होनी चाहिए।

12. एसटीबी में यह व्यवस्था होनी चाहिए कि फिंगर प्रिंटिंग कभी भी डिसेबल न हों।

13. सभी पे चैनलों के लिए वॉटरमार्किंग नेटवर्क लोगो केवल इन्कोडर एंड में इन्सर्ट किया जाएगा।

(ग) सेट टॉप बॉक्स (एसटीबी):

1. सभी एसटीबी में कंडीशनल एक्सेस सिस्टम होना चाहिए।

2. एसटीबी हेड–एंड द्वारा इन्सर्ट किए गए कंडीशनल एक्सेस मैसेजों को डिक्रिप्ट करने में समर्थ होने चाहिए।

3. एसटीबी को फिंगर प्रिंटिंग करने में समर्थ होना चाहिए। एसटीबी इन्टाइटलमेंट कंट्रोल मैसेज (ईसीएम) और इन्टाइटलमेंट मैनेजमेंट मैसेज (ईएमएम) आधारित फिंगरप्रिटिंग को सपोर्ट करने वाला होना चाहिए।

4. एसटीबी एकल रूप में हेड–एंड से एड्रेसेबल होना चाहिए।

5. एसटीबी हेड–एंड से मैसेज प्राप्त करने में समर्थ होना चाहिए।

6. मैसेज करेक्टर लंबाई कम से कम 120 करेक्टर की होगी।

7. इसमें ग्लोबल मैसेजिंग, ग्रुप मैसेजिंग और एकल एसटीबी मैसेजिंग की व्यवस्था होनी चाहिए।

8. एसटीबी में फोर्स्ड फिंगर प्रिटिंग डिस्प्ले सहित फोर्स्ड मैसेजिंग की क्षमता होनी चाहिए।

9. एसटीबी को लागू भारतीय मानक ब्यूरो का अनुपालन करने वाला होना चाहिए।

10. एसटीबी ओटीए सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करने के लिए ओवर द एयर के लिए एड्रेसेबल होना चाहिए।

11. कार्यक्रमों को रिकार्ड करने की सुविधा वाले एसटीबी में कंटेंट कॉपी प्रोटेक्शन सिस्टम लगा होना चाहिए।

अनुसूची 4

(विनियम 10 का उप–विनियम (16) देखें)

टेलीविजन चैनल के पुनः प्रसारण के लिए नेटवर्क उपलब्ध कराने के लिए आवेदन फार्म

1. प्रसारक का नामः
2. प्रसारक के सीईओ/एमडी के नामः
3. पंजीकृत कार्यालय का पताः
4. पत्राचार का पता
5. संपर्क व्यक्ति/अधिकृत प्रतिनिधि का नामः
6. टेलीफोनः
7. ईमेल एड्रेसः
8. चैनल (चैनलों) के नाम, जिनके पुनःप्रसारण के लिए आवेदन किया गया हैः
9. भारत में ऊपर वर्णित चैनल (चैनलों) की डाउन–लिकिंग के लिए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा जारी अनुमति पत्र की प्रतिः
10. चैनल (चैनलों) की प्रकृति (पे या फ्री टू एयर):
11. चैनल (चैनलों) का प्रकारः
12. चैनल (चैनलों) की भाषा (भाषाएं):
13. चैनल (चैनलों) के डाउन–लिकिंग पैरामीटरः
    क. सेटेलाइट का नामः
    ख. कक्षीय स्थानः
    ग. ध्रुवीकरणः
    घ. डाउनलिकिंग आवृतिः
14. चैनल (चैनलों) का मॉडयुलेशन/कोडिंग कम्प्रेशन स्टैंडर्डः
15. चैनल (चैनलों) का इन्क्रिप्शनः इन्क्रिप्टिड/अनइन्क्रिप्टिड

_____

(हस्ताक्षर)

स्थान व तारीख

घोषणा

मैं _____पुत्र/पुत्री_____, _____ (प्रसारक का नाम) का _____ (अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता) इसके द्वारा घोषणा करता/करती हूं कि ऊपर दिया गया विवरण सही और सत्य है।

_____

(हस्ताक्षर)

तारीख व स्थान

अनुसूची–5

(विनियम 12 के उप–विनियम (3) को संदर्भित)

मल्टी सिस्टम ऑपरेटर और स्थानीय केबल ऑपरेटर के बीच डिजिटल एड्रेसेबल प्रणालियों (डीएएस) के माध्यम से केबल टेलीविजन सेवाओं की पेशकश करने के लिए आदर्श अंतःसंयोजन करार

[1. इस करार के प्रत्येक पृष्ठ पर एमएसओ तथा एलसीओ के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्त्ता द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे।]

2. इस प्रारूप के खंडों में आबंटित संख्या में कोई फेरबदल नहीं किया जाएगा तथा किसी भी प्रकार का परिवर्धन एवं परिवर्तन (यदि कोई हो) संबंधित खंड के अंत में या इस प्रारूप के अंत में किया जाएगा]

यह तकनीकी तथा वाणिज्यिक अंतःसंयोजन करार इसकी अनुसूचियों तथा अनुलग्नकों सहितः

प्रथम पक्ष, _____ जिनका पंजीकृत कार्यालय _____ में स्थित है, अन्य भाग में इसके प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता (जिसे इसके पश्चात् **"एमएसओ"** कहा जाएगा, जिस शब्द में जब तक कि संदर्भ अथवा तत्संबंधी अर्थ के प्रतिकूल न हो, इसके उत्तराधिकारी, समनुदेशिति, वारिस तथा निष्पादन सम्मिलित हैं।)

एमएसओ का दर्जा : व्यक्ति विशेष/फर्म/कंपनी/व्यक्तियों का संघ/व्यक्तियों का निकाय (जो लागू न हो उसे काट दें अथवा व्यक्तियों के संघ/व्यक्तियों के निकाय की स्थिति में उपर्युक्त रूप से संशोधन करें।)

और

द्वितीय पक्ष, _____ जिनका पंजीकृत कार्यालय _____ में स्थित है, इसके प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता (जिसे इसके पश्चात् **"एलसीओ"** कहा जाएगा, जिस शब्द में जब तक कि संदर्भ अथवा तत्संबंधी अर्थ के प्रतिकूल न हो, इसके उत्तराधिकारी, समनुदेशिति, वारिस तथा निष्पादन सम्मिलित हैं।)

एलसीओ का दर्जा : व्यक्ति विशेष/फर्म/कंपनी/व्यक्तियों का संघ/व्यक्तियों का निकाय (जो लागू न हो उसे काट दें अथवा व्यक्तियों के संघ/व्यक्तियों के निकाय की स्थिति में उपर्युक्त रूप से संशोधन करें।)

के बीच दिन _____ माह _____ 201_____ को निष्पादित किया गया।

एमएसओ तथा **एलसीओ** को इसके पश्चात् व्यक्तिगत रूप से 'पक्ष' कहा जाएगा तथा समग्र रूप से ''**पक्ष(क्षों)**'' कहा जाएगा।

जबकि,

(क) एमएसओ एक केबल ऑपरेटर होता है, जिसे सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम, 1994 के तहत केन्द्र सरकार द्वारा केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियम) अधिनियम, 1995 की धारा 4क के तहत अधिसूचित _____ क्षेत्र में एड्रेसेबल प्रणालियों के माध्यम से केबल टेलीविजन उपलब्ध करवाने के लिए _____ दिनांक _____ का पंजीकरण संख्या प्रदान किया गया है।

(ख) एलसीओ एक केबल ऑपरेटर है, जिसे केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम, 1994 के तहत _____ (क्षेत्र के नाम का उल्लेख करें) में केबल टेलीविजन सेवाएं प्रदान करने के लिए ._____ मुख्य डाकघर (मुख्य डाकघर का नाम) में दिनांक _____ को पंजीकरण संख्या _____प्रदान किया गया है।

(ग) एलसीओ ने दिनांक_____ के पत्र संख्या_____ के माध्यम से टेलीविजन चेनलों हेतु सिग्नल उपलब्ध कराने के लिए अनुरोध किया है तथा एमएसओ दिनांक_____के पत्र संख्या _____ के माध्यम से ऐसे एलसीओ को टेलीविजन चैनलों के लिए सिग्नल उपलब्ध कराने को सहमत हो गया है।

(घ) क्षेत्र : इस करार के संदर्भ में क्षेत्र _____ है ख्उस क्षेत्र(त्रों)/शहरों (रों)/जिला(लों)/राज्य(यों) के नाम का उल्लेख करें जिसके लिए इस करार पर हस्ताक्षए किए जा रहे हैं।

(ङ) दोनों पक्ष, प्रधान से प्रधान आधार पर तथा गैर–अनन्य आधार पर क्षेत्र में टेलीविजन चैनलों के संवितरण के संबंध में भूमिका, उत्तरदायित्व, अधिकार, दायित्व, तकनीकी तथा वाणिज्यिक व्यवस्थाओं को शासित करने के लिए आपस में इस करार को निष्पादित करने के लिए सहमत हुए हैं।

(च) दोनों पक्ष इस बात पर भी आपस में सहमत हैं कि दोनों पक्षों के बीच किसी सम्पत्ति/ परिसम्पत्तियों के लेन–देन सहित प्रत्येक लेन–देन को लिखित में तथा अन्य सत्यापन योग्य तरीकों के माध्यम से किया जाएगा।

अब इसलिए, उपर्युक्त तथा इनमें अंतर्विष्ट प्रसंविदा पर विचार करते हुए, दोनों पक्ष निम्नानुसार सहमत हैं:–

1. परिभाषाएं

इस करार में उपयोग किए गए शब्द तथा वाक्यों का अर्थ, उन्हें इस करार की अनुसूची में दिया गया अर्थ होगा। इस अंतःसंयोजन करार में उपयोग किए गए परंतु परिभाषित नहीं किए गए और इसके तहत अधिनियम तथा नियम तथा विनियम में परिभाषित अथवा केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियम) अधिनियम, 1995 (1995 का सातवां) में परिभाषित अन्य शब्दों तथा वाक्यों का वही अर्थ होगा, जो उन्हें उन अधिनियमों अथवा नियमों और विनियमों, जैसा मामला हो, में दिया गया है।

2. करार की शर्तें

2.1 करार, _____ (दिनांक/माह/वर्ष) से प्रभावी होगा तथा _____ (दिनांक/माह/वर्ष) अथवा एमएसओ अथवा एलसीओ के पंजीकरण की समाप्ति की तिथि, जैसा भी मामला हो, जो भी पहले हो, अथवा करार की शर्तों के अनुरूप किसी भी पक्ष द्वारा समाप्त कर दिये जाने तक प्रभावी रहेगा।

2.2 करार की अवधि को पक्षों द्वारा आपस में सहमत निबंधन और शर्तों पर लिखित में दर्ज करके आगे बढ़ाया जा सकता है बशर्ते कि विस्तारित अवधि एमएसओ अथवा एलसीओ के पंजीकरण की अवधि की अंतिम तिथि, जो भी पहले हो, से अधिक न हो।

3. करार को समाप्त करना

3.1 किसी भी पक्ष को निम्न स्थिति में दूसरे पक्ष को 21 दिन का लिखित में अग्रिम नोटिस देकर करार को समाप्त करने का अधिकार होगा:–

(i) किसी पक्ष द्वारा करार की शर्तों के तात्विक उल्लंघन किये जाने की स्थिति में, जिसे एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को पंद्रह (15) दिनों के लिखित में दिए जाने हेतु अपेक्षित समय–सीमा के भीतर सशोधित नहीं किया गया हो; अथवा

(ii) शोधन अक्षमता, दिवालिया होने अथवा किसी दूसरे पक्ष की परिसंपत्तियों पर प्रापक की नियुक्ति; अथवा

(iii) दूसरा पक्ष पायरेसी करे, अथवा उसकी अनुमति दे अथवा किसी पक्ष को चैनल पर उपलब्ध कराई गई ऐसी प्रोग्रामिंग सेवा को चलाने के लिए किसी व्यक्ति को प्रलोभन दे जोकि समय–समय पर यथा संशोधित केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम, 1994 में विहित कार्यक्रम तथा विज्ञापन संहिता का उल्लंघन हो।

3.2 एमएसओ द्वारा क्षेत्र में टेलीविजन चैनलों सिग्नलों के पुनर्प्रसारण के व्यापार को बंद किए जाने पर एलसीओ को करार समाप्त करने का अधिकार होगा।

3.3 एलसीओ द्वारा द्वारा क्षेत्र में अपने केबल टेलीविजन व्यापार को बंद किए जाने पर एमएसओ को करार को समाप्त करने का अधिकार होगा।

3.4 यदि किसी कारणवश, एमएसओ क्षेत्र में टेलीविजन के पुनर्प्रसारण के व्यापार को बंद करने का निर्णय लेता है तो वह एलसीओ को इस प्रकार सेवा बंद करने के कारणों का उल्लेख करते हुए कम से कम 90 दिन पूर्व लिखित नोटिस देगा।

3.5 यदि एलसीओ, सब्सक्राइबर को टेलीविजन सिग्नल उपलब्ध कराने के व्यापार को बंद करने का निर्णय लेता है तो, वह एमएसओ को इस प्रकार सेवा बंद करने के कारणों का उल्लेख करते हुए कम से कम 90 दिन पूर्व लिखित नोटिस देगा।

4. करार समाप्त करने और करार के समाप्त होने का प्रभाव :

4.1 किसी भी पक्ष द्वारा करार समाप्त करने अथवा करार की अवधि की समाप्ति की स्थिति में, जैसा भी मामला हो, प्रत्येक पक्ष दूसरे पक्ष को करार की समाप्ति की तिथि तक दूसरे पक्ष को देय और बकाया सभी राशियों का भुगतान करेगा।

4.2 एलसीओ, करार की समाप्ति होने अथवा करार की अवधि पूर्ण होने के 15 दिनों के अंदर, जैसा भी मामला हो, यहां उल्लिखित उपबंधों की शर्तों के अनुरूप, एलसीओ की अभिरक्षा में रखी हुई एमएसओ की सभी सम्पत्तियों और परिसंपत्तियों को एमएसओ को सौंपेगा तथा एलसीओ की अभिरक्षा में रखी हुई एमएसओ की सभी सम्पत्तियों और परिसंपत्तियों को हुई हानि अथवा क्षति, यदि कोई हो तो, की इस संबंध में प्राप्त हुए नोटिस की प्राप्ति के 30 दिनों के अंदर एलसीओ को भरपाई करेगा और एलसीओ द्वारा ऐसी परिसम्पत्तियों/आस्तियों का रखरखाव करने में अक्षम होने पर एलसीओ, एमएसओ को ऐसी परिसम्पत्तियों/आस्तियों के मूल्यह्रासित मूल्य का भुगतान करेगा।

4.3 एमएसओ, करार की समाप्ति होने अथवा करार की अवधि पूर्ण होने के 15 दिनों के अंदर, जैसा भी मामला हो, यहां उल्लिखित उपबंधों की शर्तों के अनुरूप, एमएसओ की अभिरक्षा में रखी हुई एलसीओ की सभी सम्पत्तियों और परिसंपत्तियों को एलसीओ को सौंपेगा तथा एमएसओ की अभिरक्षा में रखी हुई एलसीओ की सभी सम्पत्तियों और परिसंपत्तियों को हुई हानि अथवा क्षति, यदि कोई हो तो, की इस संबंध में प्राप्त हुए नोटिस की प्राप्ति के तीस (30) दिनों के अंदर एलसीओ को भरपाई करेगा और एमएसओ द्वारा ऐसी परिसम्पत्तियों/आस्तियों का रखरखाव करने में अक्षम होने पर एमसीओ, एलसीओ को ऐसी परिसम्पत्तियों/आस्तियों के मूल्यह्रासित मूल्य का भुगतान करेगा।

स्पष्टीकरण : उपर्युक्त खण्ड 4.2 तथा 4.3 की एमएसओ तथा एलसीओ के हार्डवेयर अथवा सब्सक्राइबर के भवन में संस्थापित अन्य उपस्करों, जैसा भी मामला हो, के संबंध में कोई अनुप्रयोज्यनीयता नहीं होगी।

4.4 यदि एलसीओ अथवा एमएसओ, जैसा भी मामला हो, उक्त विनिर्धारित अवधि के अंदर ऐसी सम्पत्तियों अथवा परिसंपत्तियों को सौंपने अथवा उन्हें पहुंची हानि अथवा क्षति की भरपाई करने में सक्षम नहीं हो पाता है तो चूककर्ता पक्ष इसके मूल्यह्रासित मूल्य पर भारतीय स्टेट बैंक के आधारभूत ब्याज दर के दो प्रतिशत के ऊपर की साधारण ब्याज दर पर भुगतान करने हेतु बाध्य होगा।

5. सेवा को उपलब्ध कराया जाना

5.1 एमएसओ इस करार की शर्तों के अनुरूप संबंधित प्राधिकरणों के मौजूदा मानदण्डों, नीतियों, लागू कानूनों तथा नियमों और विनियमों, निदेशों तथा आदेशों के अनुरूप गैर–अनन्य आधार पर टेलीविजन चैनलों के सिग्नल उपलब्ध कराएगा ताकि इसे क्षेत्र के सब्सक्राईबरों को पुनः प्रसारित किया जा सके।

5.2 एलसीओ, एमएसओ को अपने नेटवर्क तक गैर–अनन्य आधार पर पहुंच उपलब्ध कराएगा ताकि एमएसओ द्वारा उपलब्ध कराए गए टेलीविजन सिग्नलों को क्षेत्र में सब्सक्राईबरों तक पहुंचाया जा सके।

5.3 दोनों पक्ष लागू कानूनों तथा विनियमों के अनुरूप कड़ाई से केवल डिजीटल एड्रेसेबल प्रणाली के माध्यम से ही कूटबद्ध पद्धति द्वारा ही किसी चैनल, विषयवस्तु अथवा कार्यक्रम का अनिवार्य रूप से प्रसारण, पुनःप्रसारण करेंगे अथवा उसे प्रणाली के माध्यम से संवाहित करेंगे।

5.4 सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु इस करार के पक्षों के कर्तव्य तथा उत्तरदायित्व, इस करार के **खण्ड 10** में अंतर्विष्ट हैं।

5.5 इस करार के **खण्ड–10** में उल्लिखित कर्तव्यों तथा उत्तरदायित्वों को ध्यान में रखते हुए एलसीओ तथा एमएसओ के बीच राजस्व निपटारे का इस करार में उल्लिखित **खण्ड–12** में उल्लेख किया गया है।

6. एमएसओ के अधिकार

6.1 इस करार के तहत, एमएसओ के पास केबल टेलीविजन सेवाओं को प्रदान करने के लिए उपयोग किये गए अपने नेटवर्क के स्वामित्व का अधिकार बरकरार रहेगा और वह संपूर्ण अथवा नेटवर्क के किसी भाग का विस्तार/उन्नयन/परिवर्तन/प्रतिस्थापन/पुनः डिजाइन कर सकता है, बशर्ते कि इस प्रकार के क्रियाकलाप से सब्सक्राइबर को उपलब्ध कराई जा रही सेवा की गुणवत्ता (क्यूओएस) बाधित न हो अथवा उसमें किसी प्रकार की गिरावट न हो।

6.2 एमएसओ संबंधित प्राधिकरणों के मौजूदा मानदण्डों, नीतियों, लागू कानूनों और नियमों, विनियमों, निदेशों तथा आदेशों के अनुरूप टेलीविजन चैनलों के पुनर्प्रसारण हेतु प्रसारकों के साथ अंतःसंयोजन करार पर हस्ताक्षर करेगा।

6.3 एमएसओ को लागू कानूनों तथा विनियमों के अध्यधीन सब्सक्राइबर द्वारा भुगतान किये जाने हेतु प्रत्येक चैनल के अधिकतम खुदरा मूल्य को अंतिमरूप से विनिर्दिष्ट करने का अधिकार होगा

6.4 एमएसओ को उसकी व्यापारिक योजना तथा लागू मानदण्डों, नीतियों तथा लागू कानूनों तथा नियमों, विनियमों और टैरिफ आदेशों के अनुरूप नेटवर्क पर पेशकश किये जा रहे चैनलों/सेवाओं को पैकेज के रूप में प्रदान करने का अधिकार होगा।

6.5 एमएसओ को समय–समय पर प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित लागू टैरिफ आदेश तथा विनियमों के उपबंधों के अनुपालन में बुनियादी सेवा टीयर (बीएसटी) की दरों को विनिर्दिष्ट करने का अधिकार होगा।

6.6 एमएसओ को प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित लागू टैरिफ आदेशों के उपबंधों के अनुपालन में चैनलों के बुके की दरों, यदि एमएसओ द्वारा पेशकश किए गए हों तो, को विनिर्दिष्ट करने का अधिकार होगा।

6.7 एमएसओ को करार तथा लागू आदेशों और विनियमों के तहत अपने उत्तरदायित्वों की पूर्ति के प्रयोजनार्थ एलसीओ से सभी अपेक्षित जानकारी प्राप्त करने का अधिकार होगा।

7. एलसीओ के अधिकार

7.1 इस करार के तहत, एलसीओ के पास केबल टेलीविजन सेवाओं को प्रदान करने के लिए उपयोग किये गए अपने नेटवर्क के स्वामित्व का अधिकार बरकरार रहेगा और वह संपूर्ण अथवा नेटवर्क के किसी भाग का विस्तार/उन्नयन/परिवर्तन/प्रतिस्थापन/पुनः डिजाईन कर सकता है, बशर्ते कि इस प्रकार के क्रियाकलाप से सब्सक्राइबर को अपने नेटवर्क पर उपलब्ध कराई जा रही सेवा की गुणवत्ता (क्यूओएस) बाधित न हो अथवा उसमें किसी प्रकार की अवनति न हो।

7.2 एलसीओ को करार तथा लागू आदेशों और विनियमों के तहत अपने उत्तरदायित्वों की पूर्ति के प्रयोजनार्थ एमएसओ से सभी अपेक्षित जानकारी प्राप्त करने का अधिकार होगा।

8. एमएसओ के दायित्व

8.1 एमएसओ चैनलों, बिलिंग साइकिलों अथवा प्रतिदायों हेतु व्यक्ति विशेष की प्राथमिकता को दर्ज कर तथा उपलब्ध करवाकर कार्यक्षम तथा त्रुटिमुक्त सेवाएं सुनिश्चित करने के लिये हेड–एंड, कन्डीशनल एक्सेस सिस्टम (सीएएस) तथा सब्सक्राइबर प्रबंधन प्रणाली (एसएमएस) को स्थापित करेगा तथा चालू करेगा।

8.2 एमएसओ, सब्सक्राइबर को पेशकश किए जाने वाले चैनलों, चैनलों के बुके, सब्सक्राइबर को पेशकश की जाने वाली सेवाओं के ब्यौरे के संबंध में आवश्यक तथा पर्याप्त जानकारी एलसीओ को उपलब्ध कराएगा।

8.3 एमएसओ सेवाएं उपलब्ध कराने, कर्तव्य और उत्तरदायित्व, राजस्व निपटान तथा सेवा की गुणवत्ता आदि के संबंध में एलसीओ की शिकायतों के निपटान हेतु वेब आधारित शिकायत निपटान प्रणाली उपलब्ध करवाएगा।

8.4 एमएसओ, पहले से सक्रिय एसटीबी जारी नहीं करेगा तथा उपभोक्ता आवेदन प्ररूप (सीएएफ) के ब्यौरे की सब्सक्राइबर प्रबंधन प्रणाली में प्रविष्टि करने के बाद ही एसटीबी को सक्रिय करेगा।

8.5 एमएसओ, देय प्रभारों पर प्रत्येक माह के लिये भुगतान किये जाने वाले प्रभारों अथवा प्रत्येक सब्सक्राइबर के लिये बिलिंग साइकिल के अनुसार बिलिंग साइकिल के समाप्त होने के तीन दिनों के अंदर नियमित आधार पर सब्सक्राइबरों के लिये बिलों को तैयार करेगा।

8.6 एमएसओ, करार तथा लागू आदेशों और विनियमों के तहत पक्षों द्वारा उत्तरदायित्वों के वहन के प्रयोजनार्थ अपने नियंत्रणाधीन एसएमएस के संगत भाग तक एलसीओ को एक्सेस उपलब्ध कराएगा।

8.7 एमएसओ पायरेसी अथवा ऐसे अन्य क्रियाकलापों में संलिप्त नहीं होगा, जिसके प्रभाव से और जिसके परिणामस्वरूप एलसीओ अथवा ऐसे प्रसारण से संबद्ध व्यक्तियों के ट्रेडमार्क अथवा प्रतिलिप्याधिकार का उल्लंघन अथवा अतिलंघन हो।

8.8 एमएसओ वर्तमान में लागू सभी संविधि अथवा कानूनों, अथवा वर्तमान में लागू किसी कानून के तहत जारी, प्रकाशित अथवा परिचालित किन्ही नियमों, संहिता, विनियमों, अधिसूचनाओं, परिपत्रों, दिशानिर्देशों, आदेशों, निदेशों आदि का अनुपालन करेगा।

8.9 एमएसओ ऐसा कोई कार्य अथवा कृत्य नहीं करेगा, जिसके परिणामस्वरूप इस करार के तहत केबल टेलीविजन सिग्नल के संबंध में एलसीओ के किसी अधिकार अथवा हित अथवा एलसीओ की किसी संपत्ति का अतिउलंघन हो अथवा उस पर प्रतिकूल पड़े।

8.10 एमएसओ संपूर्ण सिग्नल को सब्सक्राइबर के भवन में संस्थापित एसटीबी तक कूटबद्ध करने के लिए उत्तरदायी होगा।

8.11 एमएसओ, एलसीओ को तीन माह का अग्रिम नोटिस दिए बिना टेलीविजन चैनलों के सिग्नलों को बंद नहीं करेगा तथा अंतःसयोजन विनियमों में यथा परिकल्पित, प्रस्तावित सेवाओं को बंद करने के कारणों का स्पष्ट रूप से उल्लेख करेगा।

8.12 एमएसओ, सब्सक्राइबर हेतु ऑनलाइन भुगतान गेटवे, पूर्व भुगतान प्रणालियां तथा सब्सक्राइबर से भुगतान की प्राप्ति होने पर इलेक्ट्रॉनिक पावती हेतु सुविधा उपलब्ध करायेगा।

8.13 एमएसओ, एलसीओ को अनुरक्षण हेतु पहले से सक्रिय नहीं किए गए अतिरिक्त एसटीबी के रूप में अधिकतम 30 एसटीबी की अधिकतम सीमा के साथ उसके नेटवर्क पर सक्रिय कुल एसटीबी के कम से कम 2 प्रतिशत एसटीबी उपलब्ध कराएगा ताकि एसटीबी में किसी खराबी के कारण प्रभावित सेवाओं को त्वरित रूप बहाल किया जा सके। करार की अवधि के दौरान, अनुरक्षण हेतु अतिरिक्त एसटीबी की संख्या को बनाए रखा जाएगा।

8.14 एमएसओ, एलसीओ को पैकेज की संरचना अथवा सब्सक्राईबरों को पेशकश किए जा रहे खुदरा टैरिफ में प्रस्तावित परिवर्तनों के संबंध में कम से कम 15 दिन पहले जानकारी देगा।

8.15 एलसीओ की पूर्व सहमति के बिना एमएसओ को इस करार के तहत अपने किन्हीं अधिकारों अथवा दायित्वों को समनुदेशित करने अथवा अंतरण करने का कोई अधिकार नहीं होगा।

9. एलसीओ के दायित्व

9.1 एलसीओ सब्सक्राइबरों से प्राप्त उपभोक्ता आवेदन प्ररूप (सीएएफ) की प्रति को 15 दिनों के अंदर एमएसओ को सौंपेगा।

9.2 एलसीओ, प्रत्येक सब्सक्राइबर द्वारा केबल टेलीविजन सेवाओं के लिए एलसीओ को भुगतान की गई बिल राशि के ब्यौरे को एसएमएस में प्रविष्टि करने के लिए उत्तरदायी होगा।

9.3 एलसीओ पायरेसी अथवा ऐसे अन्य क्रियाकलापों में संलिप्त नहीं होगा, जिसके प्रभाव से और जिसके परिणामस्वरूप एमएसओ अथवा ऐसे प्रसारण से संबद्ध व्यक्तियों के ट्रेडमार्क अथवा प्रतिलिप्याधिकार का उल्लंघन अथवा अतिलंघन हो।

9.4 एमएसओ की पूर्व सहमति के बिना एलसीओ को इस करार के तहत अपने किन्हीं अधिकारों अथवा दायित्वों को समनुदेशित करने अथवा अंतरण करने का कोई अधिकार नहीं होगा।

9.5 एलसीओ सब्सक्राइबर से मौजूदा कनेक्शनों हेतु कनेक्शन काटने के आवेदन के माध्यम से तथा नए कनेक्शन के मामले में उपभोक्ता आवेदन प्ररूप के माध्यम से अनुरोध प्राप्त किए बिना एमएसओ के एसटीबी को किसी अन्य एमएसओ के एसटीबी से प्रतिस्थापित नहीं करेगा। नए सेट–टॉप बाक्स को नए उपभोक्ता आवेदन प्ररूप में दिए गए ब्योरे की नए एमएसओ के सब्सक्राइबर प्रबंधन प्रणाली में प्रविष्टि के पश्चात् ही सक्रिय किया जाएगा।

9.6 एलसीओ :–

(i) एमएसओ द्वारा बिना उसकी पूर्व सहमति के ऐसे किसी सिग्नल को प्रसारित, पुनर्प्रसारित नहीं करेगा, सिग्नलों के बीच में डालेगा अथवा आपस में नहीं मिलाएगा;

(ii) एमएसओ द्वारा प्रसारित किसी सिग्नल पर किसी वाणिज्यिक जानकारी अथवा विज्ञापन अथवा सूचना को नहीं डालेगा। इस प्रकार सिग्नल से की गई छेड़छाड़ अथवा सिग्नलों के बीच में किसी सूचना को डाले जाने को इस करार का उल्लंघन माना जाएगा तथा यह एमएसओ को कानून अथवा इस करार के तहत विहित ऐसा नोटिस देकर इस करार को समाप्त किये जाने का पर्याप्त आधार माना जाएगा।

(iii) एमएसओ द्वारा उपलब्ध कराए गए सिग्नलों में किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप नहीं करेगा साथ ही कोई डिकोडिंग, सिग्नल प्राप्त करन और रिकॉर्ड करने के उपस्कर(रों), नकली सेट टॉप बॉक्स अथवा स्मार्ट कार्ड अथवा ऐसे ही अन्य उपकरणों का उपयोग नहीं करेगा।

(iv) एमएसओ की लिखित अनुमति के बिना सील सहित हार्डवेयर में छेड़छाड़ अथवा फेर–बदल (सेट टॉप बॉक्स को नहीं खोलने के लिए लगाई गई सील) नहीं करेगा और स्मार्ट कार्ड अथवा सेट टॉप बॉक्स का दुरुपयोग नहीं करेगा, पुर्नस्थापन नहीं करेगा, नहीं हटायेगा अथवा अन्यत्र शिफ्ट नहीं करेगा, उन्हें उनके संबंधित मूल पते से नहीं हटायेगा।

(v) सेट टॉप बॉक्स की संस्थापना से पूर्व अथवा उसके पश्चात् एमएसओ द्वारा आपूर्ति किये गये/अनुमोदित सेट टॉप बॉक्स, स्मार्ट कार्ड तथा किसी अन्य उपकरण के अलावा कोई डिकोडिंग, सिग्नल प्राप्त करने वाले, रिकार्डिंग उपकरण(णों), नकली सेट टॉप बॉक्स(सों), स्मार्ट कार्ड(डों) का उपयोग नहीं करेगा तथा ऐसे सब्सक्राइबर के विरुद्ध एमएसओ द्वारा विनिर्दिष्ट कार्रवाई करेगा।

(iv) एमएसओ की लिखित अनुमति के बिना संबंधित मूल पतों से सील सहित हार्डवेयर में छेड़छाड़, उनमें फेरबदल, दुरुपयोग, पुर्नस्थापन तथा स्मार्ट कार्ड और सेट टॉप बॉक्स को हटाये जाने तथा अन्यत्र ले जाये जाने और उपयोग के संबंध में तुरंत जानकारी देगा तथा सेट टॉप बॉक्स से पहले अथवा उसके बाद किसी डिकोडिंग, सिग्नल प्राप्त करने वाले, रिकॉर्डिंग, उपस्कर(रों) नकली सेट टॉप बॉक्स(सों) तथा एमएसओ द्वारा आपूर्ति किये गये हार्डवेयर के अलावा किसी अन्य स्मार्ट कार्ड(डों), सेट टॉप बॉक्स(सों), स्मार्ट कार्ड(डों) के अलावा उपयोग किये जा रहे अन्य संस्थापित मद की जानकारी देगा तथा ऐसे सब्सक्राइबर के विरूद्ध एमएसओ द्वारा निर्देशित कार्रवाई करेगा।

9.7 एलसीओ केबल टेलीविजन सिग्नलों के आगे पुनर्प्रसारण हेतु किसी कंपनी को कनेक्शन उपलब्ध नहीं करवायेगा।

9.8 एलसीओ न ही केबल टेलीविजन सिग्नलों को रिकॉर्ड करेगा और तत्पश्चात् उनका पुनर्प्रसारण करेगा अथवा एमएसओ द्वारा प्रसारित किये जा रहे सिग्नलों अथवा ट्रंक लाइन को ब्लॉक करेगा अथवा उनमें परिवर्धन अथवा पुर्नस्थापन अथवा उनके साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा और न ही किसी व्यक्ति को ऐसा करने देगा।

9.9 एलसीओ ऐसा कोई कार्य अथवा कृत्य नहीं करेगा, जिसके परिणामस्वरूप इस करार के तहत केबल टेलीविजन सिग्नल के संबंध में एमएसओ के किसी अधिकार अथवा हित अथवा एमएसओ की किसी संपत्ति का अति–उलंघन हो अथवा उस पर प्रतिकूल पड़े।

9.10 एलसीओ इस करार, लागू आदेशों और विनियमों के तहत पक्षों द्वारा उत्तरदायित्वों को पूर्ण किये जाने के प्रयोजनार्थ एमएसओ के नियंत्रणाधीन प्रणालियों तक पहुंच उपलब्ध करायेगा।

9.11 एलसीओ, एमसीओ को तीन सप्ताह का अग्रिम नोटिस दिए बिना टेलीविजन चैनलों के सिग्नलों को बंद नहीं करेगा, जिसमें वह अंतःसयोजन विनियम में यथा परिकल्पित, प्रस्तावित सेवाओं को बंद करने के कारणों का स्पष्ट रूप से उल्लेख करेगा।

10. एमएसओ और एलसीओ के कार्य और दायित्वः

क्र.सं.	कार्य	पक्षों की परस्पर सहमति के आधार पर एमएसओ या एलसीओ के दायित्व – तदनुसार खाने को भरें	टिप्पणी
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**
1.	प्रारंभिक सब्सक्रिप्शन के लिए, इलेक्ट्रॉनिक अथवा प्रिंट अथवा दोनों फारमेट में सेवा की गुणवत्ता विनियमों की अनुसूची–1 में यथा निर्दिष्ट आवेदन के फार्मेट तैयार करना।		
2	क. मुहैया कराए गए ग्राहक परिसर उपस्कर योजना और इस पर लागू वारंटी/मरम्मत नीति के विवरण की सूचना उपभोक्ता को मुहैया कराना। ख. सेवा की गुणवत्ता विनियमों के अनुसार, प्रत्येक नए कनेक्शन के समय सेवाओं के विवरण की सूचना उपभोक्ताओं को मुहैया कराना।		
3	विधिवत रूप से भरे उपभोक्ता आवेदन फार्म प्राप्त होने पर उपभोक्ता को टेलीविजन सेवाएं मुहैया कराना और इसकी एक प्रति उपभोक्ता को देना।		जिस पक्ष को यह उत्तरदायित्व सौंपा गया है वह प्रत्येक मामले में आवेदन प्राप्त होने से 24 घंटे के अंदर सब्सक्राइबर प्रबंधन प्रणाली (एसएमएस) में जानकारी को अद्यतन करेगा।
4	सेवा की गुणवत्ता विनियमों के उपबंधों के अनुसार प्रत्येक उपभोक्ता को एक विशिष्ट पहचान संख्या (यूआईएन) देना और इसकी सूचना देना।		एसएमएस से यूआईएन जनरेट किया जाएगा। अगर यह जिम्मेदारी एलसीओ को दी जाती है तो एसएमएस की संगत एक्सेस एमएसओ द्वारा एलसीओ को मुहैया कराई जाएगी।

5	उपभोक्ताओं के लिए टेलीविजन प्रसारण सेवाओं को एक्टीवेट करना।		➢ एक्टीवेशन एसएमएस में उपभोक्ता आवेदन फार्म की जानकारी डालने के बाद ही किया जाएगा । ➢ यदि एलसीओ को उत्तरदायित्व सौंपा जाता है तो एमएसओ को एसटीबी को सक्रिय करने के लिए एसएमएस के संगत भाग तक पहुंच उपलब्ध करानी चाहिए।
6	सेवा की गुणवत्ता विनियमों के उपबंधों के अनुसार, उपभोक्ता से अनुरोध प्राप्त होने पर चैनल और बुकों को एक्टीवेट करना।		
7	सेवा की गुणवत्ता विनियमों के उपबंधों के अनुसार, उपभोक्ता से अनुरोध प्राप्त होने पर चैनल और बुकों को डीएक्टीवेट करना।		
8	सेवा की गुणवत्ता विनियमों के उपबंधों के अनुसार, उपभोक्ता से अनुरोध प्राप्त होने पर टेलीविजन प्रसारण सेवाओं को अस्थायी रूप से निलंबित रखना।		
9	सेवा की गुणवत्ता विनियमों के उपबंधों के अनुसार, उपभोक्ता से अनुरोध प्राप्त होने पर टेलीविजन प्रसारण सेवाओं को पुनः स्थापित रखना।		
10	सेवा की गुणवत्ता विनियमों के उपबंधों के अनुसार, उपभोक्ता के अनुरोध पर उसके कनेक्शन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करना।		
11	सेवा की गुणवत्ता विनियमों में यथा निर्दिष्ट निरोधक रखरखाव के लिए सिगनलों की रूकावट के बारे में उपभोक्ताओं को सूचना देना।		
12	सेवा की गुणवत्ता में यथा निर्दिष्ट नियमों एवं शर्तों को पूरा करने के अध्यधीन उपभोक्ता से अनुरोध प्राप्त होने पर टेलीविजन प्रसारण सेवाओं के कनेक्शन को काटना।		
13	उपभोक्ताओं को प्रीपेड या पोस्टपेड या दोनों के आधार पर टेलीविजन प्रसारण सेवाओं की पेशकश करना।		
14	उपभोक्ता के अनुरोध पर भुगतान प्रणाली को प्रीपेड से पोस्टपेड में या पोस्टपेड से प्रीपेड, जैसा भी मामला हों, में बदलना।		

15	सेवा की गुणवत्ता के मानदंडों के अनुसार, उपभोक्ताओं के लिए पोस्टपेड बिल जनरेट करना।		
16	सेवा की गुणवत्ता विनियमों के अनुसार उपभोक्ताओं को पोस्टपेड बिल भेजना।		
17	सेवा की गुणवत्ता विनियमों के अनुसार, पोस्टपेड उपभोक्ताओं द्वारा किए गए भुगतान के लिए रसीदें जारी करना और देना तथा रसीदों का विवरण सब्सक्राइबर मैनेजमेंट सिस्टम (एसएमएस) में दर्ज करना।		
18	उपभोक्ताओं को प्रीपेड भुगतान की पावती देना और तदनुसार सब्सक्राइबर मैनेजमेंट सिस्टम को अपडेट करना।		
19	सेवा की गुणवत्ता विनियमों में निर्दिष्ट मानकों के अनुरूप उपभोक्ताओं को सेट टॉप बॉक्स मुहैया कराना।		
20	सेवा की गुणवत्ता विनियमों के अनुसार, सीपीई के लिए विभिन्न योजनाओं की पेशकश करना।		
21	सेवा की गुणवत्ता विनियमों के अनुसार, गारंटी/वारंटी अवधियों की समाप्ति के बाद एकमुश्त खरीद योजना के तहत मुहैया कराए गए ग्राहक परिसर उपस्कर के लिए वार्षिक रखरखाव योजना की पेशकश करना।		
22	सेवा की गुणवत्ता विनियमों के अनुसार, खराब सेट टॉप बॉक्स की मरम्मत करना।		
23	सेवा की गुणवत्ता विनियमों में दिए गए ग्राहक सेवा चैनलों और वेबसाइटों के माध्यम से उपभोक्ताओं के लिए टॉल फ्री ग्राहक सेवा नंबर और वेब आधारित शिकायत निवारण प्रणाली का पता प्रकाशित/प्रचारित करना।		
24	सेवा की गुणवत्ता विनियमों के अनुसार, उपभोक्तओं के लिए कार्यविधि पुस्तिका (एमओपी) मुहैया कराना।		एमएसओ एमओपी की विषय–वस्तु को अंतिम रूप देगा। ऐसी एमओपी की प्रतियां एलसीओ को दी जाएगी।

25	सरकार को करों का भुगतान करना।	**एमएसओ और/या एलसीओ**	संबंधित कर प्राधिकारियों के नियमों एवं विनियमों के अनुसार, अनुबंध पर हस्ताक्षर के समय कर भुगतान दायित्वों का विशिष्ट विवरण साथ वाले खाने में भरा जाएगा।

टिप्पणीः– ऊपर कॉलम (2) में उल्लिखित विभिन्न कार्यों के लिए दायित्व पक्षों की परस्पर सहमति पर आधारित हैं और तदनुसार कॉलम (3) के खाने भरे जाएंगे।

11. बिलिंग

11.1 उपभोक्ता के लिए बिलिंग _____के नाम में की जाएगी। बहरहाल, प्रत्येक पक्ष सुनिश्चित करेगा कि करों से संबंधित लागू कानूनों, नियमों एवं विनियमों का अनुपालन किया जाए।

11.2 पक्ष, ऊपर खंड 11.1 में उपभोक्ताओं के लिए बिलिंग के लिए जिसके नाम पर सहमति हुई है, उपभोक्ता द्वारा अदा किए गए शुल्क का भुगतान प्राप्त करेगा। इस अनुबंध के खंड 12.1 के अनुसार, दूसरे पक्ष से बिल प्राप्त होने पर राजस्व शेयर का भुगतान पहले पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को किया जाएगा।

12. एलसीओ और एमएसओ के बीच राजस्व सेटलमेंट और संबंधित अधिकार एवं दायित्व

12.1एलसीओ और वितरक के बीच प्रभारों का सेटलमेंट निम्नलिखित तरीके से किया जाएगाः–

(क) सब्सक्राइब किए गए चैनलों के लिए नेटवर्क क्षमता शुल्क मल्टी सिस्टम ऑपरेटर और लोकल केबल ऑपरेटर के बीच क्रमशः __: __के अनुपात में शेयर किया जाएगा।

(ख) वितरण शुल्क मल्टी सिस्टम ऑपरेटर ओर लोकल केबल ऑपरेटर के बीच क्रमशः __: __के अनुपात में शेयर किया जाएगा।

टिप्पणीः–

(1) परस्पर अनुबंध के मामलों में, जिनमें एमएसओ और एलसीओ के कार्य और दायित्व खंड (10) के कॉलम (3) के अनुसार तय किए गए हैं, इस खंड में परस्पर सहमति के आधार पर यथोचित ढंग से संशोधन किया जा सकता है।

(2) सब्सक्राइब किए गए चैनलों के लिए नेटवर्क क्षमता शुल्क और वितरण शुल्क की परिभषा वही है जो अंतः संयोजन विनियम और टैरिफ आदेश में निहित है ।

12.2*

(जब उपभोक्ताओं के लिए बिलिंग एलसीओ के नाम में है और एलसीओ उपभोक्ताओं द्वारा अदा किए गए शुल्क का भुगतान प्राप्त करता है)

एमएसओ राजस्व सेटलमेंट के लिए एलसीओ द्वारा देय बकायों के लिए एलसीओ को मासिक बिल जारी करेगा और ऐसे बिलों में भुगतान की देय तारीख, जो सात दिन से कम नहीं होगी, के साथ वर्तमान भुगतान देय राशियों और बकायों, यदि कोई हों, का स्पष्ट रूप से उल्लेख करेगा। बकायों की मांग को अवधि, जिससे बकाया संबंधित है, की सेवा के बिल के प्रमाण के साथ प्रस्तुत किया जाएगा। बिल में उल्लिखित राशि का भुगतान उसमें उल्लिखित देय तारीख को या उससे पहले किया जाना चाहिए।

<u>या</u>

12.2*

(जब उपभोक्ताओं के लिए बिलिंग एमएसओ के नाम में है और एमएसओ उपभोक्ताओं द्वारा अदा किए गए शुल्क का भुगतान प्राप्त करता है)

एमएसओ उपभोक्ता बिलिंग और भुगतान की रसीद से संबंधित पूरी सूचना को एलसीओ के साथ साझा करेगा। एलसीओ राजस्व सेटलमेंट के लिए एमएसओ द्वारा देय बकायों के लिए एमएसओ को मासिक बिल जारी करेगा और ऐसे बिलों में भुगतान की देय तारीख, जो सात दिन से कम नहीं होगी, के साथ वर्तमान भुगतान देय राशियों और बकायों, यदि कोई हों, का स्पष्ट रूप से उल्लेख करेगा। बकायों की मांग को अवधि, जिससे बकाया संबंधित है, की सेवा के बिल के प्रमाण के साथ प्रस्तुत किया जाएगा। बिल में उल्लिखित राशि का भुगतान उसमें उल्लिखित देय तारीख को या उससे पहले किया जाना चाहिए।

(*एकल अनुबंध पर हस्ताक्षर करते समय जो लागू न हों, उसे काट दें)

12.3 संबंधित पक्ष सब्सक्राइबर से वसूली गई सब्सक्रिप्शन राशि के ब्यौरे को देय तिथि से 7 दिन के अंदर सब्सक्राइबर प्रबंधन प्रणाली में अद्यतन करेंगे।

13. भुगतान में चूक

13.1 इस करार के उपबंधों अथवा कानून के तहत दोनों पक्षों को प्राप्त ऐसे अधिकारों तथा उपचार पर बिना प्रतिकूल प्रभाव डाले, एमएसओ अथवा एलसीओ द्वारा देय राशि की संबंधित अंतिम तिथि अथवा उससे पूर्व भुगतान में विलम्ब अथवा भुगतान नहीं किए जाने पर एमएसओ अथवा एलसीओ, जैसा भी मामला हो, को अधिकार होगा कि वहः–

(i) सक्षम प्राधिकरण के लागू नियमों, विनियमों निदेशों अथवा आदेशों के अनुपालन के अधीन सेवाओं को बंद कर दे;

(ii) लागू कानूनों के अनुपालन के अधीन इस करार को समाप्त कर दे।

(iii) जिस तिथि को ऐसी राशि देय हो जाती है, उससे लेकर जिस तिथि तक राशि का वास्तव में भुगतान कर दिया जाता है, तक भारतीय स्टेट बैंक के आधारभूत ब्याज की दर में दो प्रतिशत जोड़कर साधारण ब्याज दर के अनुसार विलम्बित भुगतान की वसूली करे।

13.2 उस स्थिति में जब कोई पक्ष ने विगत में लगातार तीन माह तक भुगतान करने में चूक की हो तो दूसरे पक्ष को ब्याज मुक्त जमा राशि की मांग करने का अधिकार होगा जो कि बीते 6 माह की बिलिंग राशि कुल औसत राशि से अधिक नहीं होगा जिसे करार की शेष अवधि के लिए बनाए रखा जाएगा।

13.3 उपर्युक्त खण्ड 13.1 में यथा उल्लिखित सेवा को समाप्त किए जाने पर, चाहे वह इस करार के समाप्त किए जाने पर की गई हो, अथवा नहीं, चूककर्ता पक्ष को भविष्य में उसके द्वारा भुगतान की जाने वाली संपूर्ण राशि को जमा करना होगा। करार को समाप्त किए जाने पर तीस दिनों के अंदर लेखा जोखा का निपटान किया जाएगा तथा किसी भी पक्ष द्वारा विलम्ब से किए जाने वाले भुगतान के लिए दूसरे पक्ष द्वारा भारतीय स्टेट बैंक के आधारभूत ब्याज दर के ऊपर दो प्रतिशत की दर से साधारण ब्याज का भुगतान किया जाएगा।

14. वचन

14.1 प्रत्येक पक्ष, दूसरे पक्ष के स्वामित्व तथा उसके द्वारा संस्थापित सम्पत्ति के विशिष्ट स्वामित्व को मान्यता देगा तथा उस पर, उसका किसी भी स्वरूप का कोई अधिकार, दावा अथवा हित अथवा किसी भी स्वरूप का ग्रहणाधिकार नहीं होगा।

14.2 इस करार में अंतर्विष्ट किसी भी शर्त से कोई भी पक्ष किसी भी प्रयोजनार्थ दूसरे पक्ष का एजेन्ट अथवा भागीदार अथवा प्रतिनिधि नहीं बनेगा और किसी भी पक्ष को किसी अन्य पक्ष के नाम पर अथवा उसकी ओर से किसी भी प्रकार की देयताएं अथवा दायित्व, स्पष्ट अथवा अभिप्रेत, को ग्रहण करने, सृजन करने अथवा वहन करने का कोई अधिकार होगा तथा एमएसओ और एलसीओ के बीच संबंध, प्रधान से प्रधान आधार पर होगा।

14.3 दोनों पक्षों द्वारा यह स्पष्ट रूप से समझ लिया गया है कि ''_____'' लोगो (चिह्न), एमएसओ का पंजीकृत ट्रेडमार्क है तथा एलसीओ इस लोगो (चिह्न) का उपयोग, इस करार की अवधि के दौरान एमएसओ के केबल टेलीविजन नेटवर्किंग व्यापार के लाभ के लिए करेगा। एतद्द्वारा, एमएसओ द्वारा एलसीओ को उक्त लोगो (चिह्न) के उपयोग हेतु केबल के व्यापार के संबंध में तथा उक्त सीमा तक उपयोग करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

14.4 दोनों पक्षों द्वारा यह स्पष्ट रूप से समझ लिया गया है कि ''_____'' लोगो (चिह्न), एलसीओ का पंजीकृत ट्रेडमार्क है तथा एमएसओ इस लोगो (चिह्न) का उपयोग, इस करार की अवधि के दौरान एलसीओ के केबल टेलीविजन नेटवर्किंग व्यापार के लाभ के लिए करेगा। एतद्द्वारा, एलसीओ द्वारा एमएसओ को उक्त लोगो (चिह्न) के उपयोग हेतु केबल के व्यापार के संबंध में तथा उक्त सीमा तक उपयोग करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

14.5 प्रत्येक पक्ष द्वारा यह स्पष्ट रूप से समझ लिया गया है तथा स्वीकार किया जाता है कि उसकी अपनी केबल टेलीविजन सेवा हेतु अथवा दूसरे पक्ष द्वारा सहमति वापस लिए जाने के बाद दूसरे पक्ष की किसी बौद्धिक सम्पत्ति का उपयोग करने का कोई अधिकार नहीं होगा।

14.6 यदि एलसीओ तथा एमएसओ, जैसा भी मामला हो, किसी अन्य पक्ष/व्यक्ति (तृतीय पक्ष) को संपूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से केबल टेलीविजन सेवा उपलब्ध कराने के इसके व्यापार में अपने हित का अंतरण करने का निर्णय लेता है तो एलसीओ अथवा एमएसओ, जैसा भी मामला हो, वह एलसीओ अथवा एमएसओ को पूर्व नोटिस देगा। पक्षों को इस प्रकार से अंतरण पर कोई आपत्ति नहीं होगी, यदि दूसरे पक्ष ने इस संविदा के तहत अपने दायित्वों का अनुपालन किया है तथा अपनी सभी देयताओं का भुगतान किया है।

बशर्ते कि, तथापि, ऐसा तृतीय पक्ष इस करार तथा अन्य वचन/बंधपत्रों की निबंधन और शर्तों के पालन करने के संबंध में एक अनुपालना विलेख को एमएसओ तथा एलसीओ, जैसा भी मामला हो, के संपूर्ण रूप से संतुष्ट होने तक हस्ताक्षर करेगा तथा निष्पादित करेगा ताकि इस करार के उपबंधों को प्रभावी बनाया जा सके।

14.7 एलसीओ को अपने डाक पंजीकरण प्रमाण पत्र को केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियम) अधिनियम, 1995 के अनुरूप नवीकृत बनाए रखना चाहिए ताकि डाक प्राधिकरण द्वारा जारी पंजीकरण प्रमाण पत्र की निबंधन और शर्तों का अनुपालन किया जा सके।

14.8 एमएसओ को केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियम) अधिनियम, 1995 के अनुरूप समय–समय पर अपने पंजीकरण प्रमाण पत्र, को नवीकृत करके रखना चाहिए ताकि पंजीकरण की निबंधन और शर्तों का अनुपालन किया जा सके।

14.9 दोनो पक्ष केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम, 1994, समय–समय पर यथा संशोधित, में विहित कार्यक्रम संहिता तथा विज्ञापन संहिता का अनुपालन करेंगे।

14.10 दोनों पक्ष, देश में वर्तमान में लागू कानूनों, जो उन पर लागू हों, का अनुपालन करेंगे।

15. पायरेसी की रोकथाम

15.1 दोनों पक्ष न तो स्वयं पायरेसी अथवा हार्डवेयर अथवा तत्संबंधी किसी घटक में उपयोग की जाने वाली रिवर्स इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकी में संलिप्त होंगे न ही किसी व्यक्ति को ऐसा करने देंगे, न ही वे इससे सृजित सिग्नलों के पुनर्प्रसारण हेतु एक मिनी हेड–एंड की स्थापना हेतु किसी उपकरण से जोड़े जाने वाले हार्डवेयर का उपयोग करेंगे।

15.2 किसी भी सब्सक्राइबर को किसी प्रकार से पायरेसी को बढ़ावा देते हुए पाये जाने पर को एमएसओ अथवा एलसीओ, जैसा भी मामला हो, द्वारा विधिवत् रूप से नोटिस देकर उसकी सेवाएं बंद कर दी जाएगी।

16. दावा परित्याग तथा क्षतिपूर्ति

16.1 किसी भी स्थिति में एमएसओ, एमएसओ के किसी कृत्य के कारण, किसी कार्यक्रम अथवा जानकारी के वचन के परिणामस्वरूप किसी प्रत्यक्ष अथवा परिणामी क्षति अथवा हानि अथवा सेवा में व्यवधान अथवा बाधा अथवा बंद किये जाने के संबंध में किसी प्रकार की असुविधा, निराशा के परिणामस्वरूप होने वाले किसी प्रत्यक्ष, विशेष, अनुषंगी अथवा परिणामी क्षति के लिए एलसीओ के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा।

16.2 किसी भी स्थिति में एलसीओ, एलसीओ के किसी कृत्य के कारण किसी कार्यक्रम अथवा जानकारी के वचन के परिणामस्वरूप किसी प्रत्यक्ष अथवा परिणामी क्षति अथवा हानि अथवा सेवा में व्यवधान अथवा बाधा अथवा बंद किये जाने के संबंध में किसी प्रकार की असुविधा, निराशा के परिणामस्वरूप होने वाले किसी प्रत्यक्ष, विशेष, अनुषंगी अथवा परिणामी क्षति के लिए एमएसओ के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा।

16.3 एलसीओ किसी तृतीय पक्ष अथवा किसी सब्सक्राइबर से किसी असुविधा, हानि अथवा एलसीओ की किसी चूक के कारण उन्हें पहुंचे क्षोभ अथवा एलसीओ की चूक के कारण करार के समाप्त होने अथवा सेवा के बंद होने के परिणामस्वरूप किसी दावे, कार्रवाई, कार्यवाहियों के लिये सभी लागत, व्यय तथा नुकसान के लिए एमएसओ की क्षतिपूर्ति करेगा।

16.4 एमसीओ किसी तृतीय पक्ष अथवा किसी सब्सक्राइबर से किसी असुविधा, हानि अथवा एमएसओ की किसी चूक के कारण उन्हें पहुंचे क्षोभ अथवा एमएसओ की चूक के कारण करार के समाप्त होने अथवा सेवा के बंद होने के परिणामस्वरूप किसी दावे, कार्रवाई, कार्यवाहियों के लिये सभी लागत, व्यय तथा नुकसान के लिए एलसीओ की क्षतिपूर्ति करेगा।

17. शासी विधि तथा विवाद निपटान

17.1 भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 द्वारा यथा अधिदेशित दोनों पक्ष, इस करार के परिणामस्वरूप पक्षों के बीच किसी दावे विवाद, अथवा मतभेद के संबंध में दूरसंचार विवाद निपटारा तथा अपीलीय अधिकरण, नई दिल्ली (**"टीडीसेट"**) के अलावा किसी अन्य न्यायालय अथवा न्यायिक अधिकरण/भारत में प्राधिकरण में कोई वाद दायर नहीं करेंगे अथवा व्यादेश अथवा अंतरिम आदेश प्राप्त नहीं करेंगे। दोनों पक्ष सहमत हैं कि पक्षों के बीच सभी विवादों को केवल टीडीसेट के समक्ष कार्यवाहियां दायर कर ही सुलझाया जायेगा।

18. अपरिहार्य घटना

18.1 एमएसओ अथवा एलसीओ द्वारा उनके किन्हीं दायित्वों के निर्वहन में असफल रहने पर, दूसरा पक्ष, अन्य पक्ष पर कोई दावा करने का हकदार नहीं होगा अथवा इसे इस करार का उल्लंघन नहीं माना जाएगा बशर्ते कि इस प्रकार की असफलता अपरिहार्य घटना

के परिणामस्वरूप हुई हो। यदि अपरिहार्य घटना के माध्यम से इस करार में दी गई शर्तों के परिणामस्वरूप दायित्वों के निर्वहन में विलंब हो जाता है तो, ऐसे विलम्ब की अवधि को इस करार द्वारा विहित अवधि के परिकलन हेतु विचार नहीं किया जाएगा। अपरिहार्य घटना में ईश्वरीय कृत्य, भूकंप, ज्वार, तूफान, बाढ़, तड़ित, विस्फोट, आग लगना, तोड़–फोड़, संगरोध, महामारी, लूट–पाट, सिविल उपद्रव, आतंकवादी हमला, युद्ध जैसी स्थिति अथवा प्राधिकरणों द्वारा बनाए गए किसी कानून अथवा नियम और विनियम अथवा पक्षों के पंजीकरण का रद्दीकरण अथवा पक्षों के औचित्यपूर्ण नियंत्रण से परे परिस्थितियां, जो किसी भी पक्ष को यहां परिकल्पित लेन–देन को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से आरंभ करने अथवा पूर्ण करने से बाधित करती है। इस प्रकार की अपरिहार्य घटना से प्रभावित पक्ष, इस प्रकार की घटना के होने के संबंध में तुरंत दूसरे पक्ष को जानकारी देंगे। दोनों पक्षों के बीच यह सहमति है कि किसी भी स्थिति में निधियों की कमी अपरिहार्य घटना नहीं होगी अथवा मानी जाएगी। यदि अपरिहार्य घटना की स्थिति एक माह से अधिक की अवधि तक जारी रहती है तो दोनों पक्ष करार के भावी निष्पादन पर निर्णय लेने के लिए बैठक करेंगे। यदि दोनों पक्ष भावी निष्पादन हेतु योजना पर सहमत नहीं हो पाते हैं तो करार को किसी एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को एक माह का नोटिस देकर, जोकि एक माह की अवधि पर समाप्त हो जाएगा, करार को समाप्त कर दिया जाएगा।

18.2 अपरिहार्य घटना के आरंभ होने से पूर्व किसी पक्ष के प्रोद्भूत भुगतान दायित्व ऐसी अपरिहार्य घटना के कारण करार की समाप्ति पर भी यथावत बना रहेगा।

19. नोटिस

19.1 किसी भी पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को प्रारंभ में उल्लिखित पते अथवा ऐसे परिवर्तित पते पर, जिसकी पक्ष जानकारी दे, वैध रूप से भेजा गया नोटिस माना जाएगा, यदि इसे पंजीकृत डाक पावती देय (आरपीएडी) अथवा डाक विभाग की स्पीड पोस्ट सेवा अथवा दस्ती द्वारा जिसकी विधिवत् रूप से पावती दी गई हो और दूसरे पक्ष द्वारा प्राप्ति की तिथि अथवा आरपीएडी से नोटिस भेजने की तिथि से सात दिन, जो भी पहले हो, ऐसे नोटिस की प्राप्ति की तिथि मानी जाएगी।

20. अंतरण हेतु निर्बंधन

20.1 कोई भी पक्ष दूसरे पक्ष के पूर्ण नेटवर्क अथवा उसके भाग को न तो हटायेगा, न विक्रय करेगा, समनुदेशित करेगा, बंधक रखेगा, अंतरण करेगा/किराये पर देगा अथवा विल्लंगमित करेगा। यदि कोई पक्ष किसी उपर्युक्त कृत्य में संलिप्त होता है तो उक्त कृत्य अवैध होगा तथा प्रारंभ से ही प्रभावहीन होगा और पक्ष भी लागू कानून के तहत किन्हीं कार्यवाही हेतु भागी होगा।

21. गोपनीयता

21.1 दोनों पक्ष एक दूसरे के कार्यों/व्यापार में भागीदारी करते हुए एक–दूसरे से प्राप्त जानकारी को पूर्णरूप से गोपनीय रखेंगे और इसे किसी ऐसे व्यक्ति के समक्ष उद्घटित नहीं करेंगे जो इस करार में पक्षकार नहीं है।

21.2 दोनों पक्ष अपने कर्मचारियों, अधिकारियों, परामर्शदाताओं, सहयोगियों, ठेकेदार, एजेन्टों, प्राधिकृत व्यक्तियों, तथा ऐसे ही व्यक्तियों को जिन्हें उपयुक्त जानकारी हो, को भी गोपनीयता की बाध्यता के दायित्व से आबद्ध करेंगे।

21.3 दोनों पक्ष, एतद्द्वारा सहमत हैं कि सांविधिक प्राधिकरणों द्वारा मांगे जाने गोपनीय जानकारी का उद्घटन किया जा सकता है।

22. आशोधन

22.1 करार को लिखित के अलावा किसी अन्य पद्धति से आशोधित, फेरफार अथवा समाप्त नहीं किया जा सकता है। युक्तिका करार, अनुलग्नक, अनुसूचियां अथवा कोई अन्य दस्तावेज, चाहे जिस भी नाम से इसे जाना जाए, परंतु इसे करार के संबंध में निष्पादित किया गया हो, के साथ ही साथ करार में किसी भी परिवर्तन पर पक्षों द्वारा लिखित में आपस में सहमति होनी चाहिए तथा उसे पक्षों द्वारा अथवा उनकी ओर से निष्पादित किया जाना चाहिए।

23. बाध्यकारी प्रभाव

23.1 यह करार उपर्युक्त विषय पर पक्षों के बीच सभी पूर्व सहमतियों को आशोधित करता है और इसे दोनों पक्षों द्वारा लिखित के अलावा किसी भी अन्य पद्धति से संशोधित नहीं किया जाएगा। किसी अन्य विषय के संबंध में पक्षों (यदि कोई हो तो) किसी अन्य बोध अथवा इस करार के तहत सम्मिलित नहीं किए गए पक्षों के प्रोद्भूत अधिकार और दायित्व, यदि कोई हो, तो पूर्ण रूप से लागू तथा प्रभावी रहेंगे।

इसके साक्षी स्वरूप पक्षों ने उपर्युक्त तिथि माह तथा वर्ष में अपने हस्ताक्षर किए हैं।

एमएसओ की ओर से हस्ताक्षर किए गए।

(_____)

साक्षियों की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए गए

1. _____

2. _____

एलसीओ की ओर से हस्ताक्षर किए गए।

(_____)

साक्षियों की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए गए

1. _____

2. _____

नोटः मुख्तारनामा/प्राधिकार पत्र की स्वप्रमाणित प्रतियां, जिनके माध्यम से इस करार के हस्ताक्षरकर्ताओं को पक्षों की ओर से इस करार पर हस्ताक्षर करने तथा उसे निष्पादित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है, को इस करार के साथ संलग्न किया जाएगा।

परिभाषाएं तथा निर्वचन

क. परिभाषाएं

इस करार में जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, निम्न शब्दों तथा वाक्यों का अर्थ होगा, जो नीचे दिया गया है:–

(a) **''अधिनियम''** का अभिप्राय भारतीय दूरसंचार प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (1997 का 24), समय–समय पर यथा संशोधित अधिनियम से है;

(b) **''एड्रेसेबल प्रणाली''** का अभिप्राय वही होगा जोकि दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएं अंतःसंयोजन (एड्रेसेबल प्रणालियां) विनियम, 2017 में दिया गया है;

(c) **''प्राधिकरण''** का अभिप्राय भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 की धारा 3 की उप–धारा (1) के तहत स्थापित भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण से है;

(d) **''बुनियादी सेवा टीयर''** का वही अर्थ होगा, जो इसे टैरिफ आदेश में दिया गया है;

(e) **''बुके''** अथवा **''चैनलों के बुके''** से आशय विशिष्ट चैनलों के संकलन से है, जिनकी एक समूह या बंडल के रूप में पेशकश की जाती हैं और जिसमें इसकी सभी व्याकरणिक भिन्नताएं तथा संबंद्ध अभिव्यक्तियों का तदनुसार आशय होगा ;

(f) **''प्रसारक''** से आशय किसी व्यक्ति, व्यक्तियों के समूह, निगमित निकाय, या किसी संगठन या किसी ऐसे निकाय से है, जो अपने नाम पर अपने चैनलों के लिए केंद्र सरकार से डॉउनलिंकिग अनुमति प्राप्त कर प्रोग्रामिंग सेवाएं मुहैया करवाता है" ;

(g) **''केबल सेवाएं** अथवा **केबल टेलीविजन सेवाएं''** से आशय कार्यक्रमों का प्रसारण है, जिसमें केबल के माध्यम से टेलीविजन चैनलों के सिग्नलों का पुनर्प्रसारण शामिल है ;

(h) **''केबल टेलीविजन नेटवर्क अथवा केबल टेलीविजन नेटवर्क''** से आशय है, क्लोज्ड ट्रांसमिशन पाथ और संबन्धित सिगनल जनरेशन नियंत्रण और वितरण उपकरण से मिलकर बनी कोई प्रणाली, जिसे मल्टीपल सब्सक्राइबरों द्वारा केबल सेवा प्राप्त करने के लिए डिजाइन किया गया है ;

(i) **''उपभोक्ता सेवा केन्द्र''** का आशय किसी सेवा की गुणवत्ता विनियम में संदर्भित विभाग अथवा एक सुविधा से है।

(j) **''सीटीएन अधिनियम''** का अभिप्राय समय–समय पर यथा आशोधित केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियम) अधिनियम, 1995 (1995 का सातवां) से है।

(k) **''कूटबद्ध करना''** किसी केबल टेलीविजन नेटवर्क के सिग्नल के संबंध में कूटबद्ध करने का अभिप्राय ऐसे सिग्नल को एक प्रणालीबद्ध तरीके से परिवर्तित करना है ताकि किसी एड्रेसेबल प्रणाली के उपयोग के बिना सिग्नल का उपयोग नहीं किया जा सके और वाक्यांश ''अकूटबद्ध'' का तदनुसार अर्थ होगा;

(l) **''फ्री–टु–एयर–चैनल''** का समान अर्थ होगा, जो टैरिफ आदेश में विहित किया गया है।

(m) **''हार्डवेयर''** का अभिप्राय एक मल्टी सिस्टम ऑपरेटर (एमएसओ) द्वारा अनुमोदित सेट टॉप बॉक्स, रिमोट तथा अन्य संबद्ध पुर्जों तथा सहायक उपकरणों से है ताकि कूटबद्ध रूप में पारेषित चैनलों के सिग्नलों को पढ़ा जा सके।

(n) **"हेड–एंड"** का अभिप्राय एक सुविधा से है, जिसमें उपग्रह, रीसीवर, मॉड्यूलेटर, कम्प्रेशन उपकरण, मल्टीप्लेक्सिस, और कन्डीशनल एक्सेस सुविधाएं अन्य पारेषण उपकरण शामिल हैं और उसमें एन्टीना भी शामिल होते हैं, जो उपग्रह और/अथवा स्थानीय स्टूडियो अथवा संबद्ध एलसीओ के माध्यम से सब्सक्राइबर को पुनर्प्रसारण हेतु सिग्नल प्राप्त करते हैं।

(o) **"अंतःसंयोजन विनियम"** का अभिप्राय दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएं अंतःसंयोजन (एड्रेसेबल प्रणालियां) विनियम, 2017 से है।

(p) **"पद्धति नियम पुस्तिका (एमओपी)"** का अभिप्राय सेवा की गुणवत्ता विनियम में संदर्भित पद्धति से है।

(q) **"पे–चैनल"** का वही अर्थ होगा, जो उसे टैरिफ आदेश में दिया गया है।

(r) **"पायरेसी"** का अभिप्राय किसी व्यक्ति द्वारा किसी पद्धति अथवा तरीके से केबल टेलीविजन सिग्नल को अप्राधिकृत रूप से प्राप्त करना उसका पुनर्प्रसारण तथा पुनर्वितरण करना है, जिसमें असीमित रूप से किसी पुर्जे अथवा किसी सहायक उपकरण में छेड़–छाड़, उसकी सील के साथ छेड़–छाड़ करना अथवा हार्डवेयर का दुरुपयोग, प्रतिस्थापन, उसे हटाया जाना और/अथवा उसे अन्यत्र ले जाया जाना अथवा सेट–टॉप बाक्स से पहले अथवा उसके बाद किसी किसी डिकोडिंग, सिग्नल प्राप्त करने वाले उपकरण, रिर्काडिंग उपकरण(णों), नकली अथवा अप्राधिकृत उपकरणों का उपयोग करना अथवा कोई अन्य क्रियाकलाप करना, जिसके परिणामस्वरूप एमएसओ अथवा एलसीओ, जैसा भी मामला हो, के ट्रेडमार्क अथवा प्रतिलिप्याधिकार का उल्लंघन हो, है;

(s) **"कार्यक्रम"** का अभिप्राय कोई टेलीविजन प्रसारण है, जिसमें :–

(i) चलचित्रों, वृत्तचित्रों, नाटकों, विज्ञापनों तथा धारावाहिकों का प्रदर्शन;

(ii) कोई भी श्रव्य और दृश्य अथवा श्रव्य–दृश्य सीधा कार्यक्रम अथवा प्रस्तुतिकरण; और

''प्रोग्रामिंग सेवा'' वाक्य का तदनुसार अर्थ लिया जाए;

(t) **"सेवा की गुणवत्ता विनियम"** का अभिप्राय दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएं सेवा की गुणवत्ता के मानक तथा उपभोक्ता संरक्षण (एड्रेसेबल प्रणालियां) विनियम, 2017 से है;

(u) **"सेट टॉप बॉक्स** अथवा **एसटीबी"** का आशय एक ऐसे उपकरण से है जो टेलीविजन रिसीवर से जुड़ा हुआ या उसका एक भाग होता है; और जो सब्सक्राइबर को सब्सक्राइब किए गए चैनलों को देखने में समर्थ बनाता है;

(v) **"स्मार्ट कार्ड"** का अभिप्राय मल्टी सिस्टम ऑपरेटर (एमएसओ) द्वारा हार्डवेयर के भाग विधिवत रूप से अनुमोदित कार्ड से है, जो किसी सब्सक्राइबर को केबल टेलीविजन चैनल के सिग्नल तक पहुंचने हेतु सक्षम बनाता है;

(w) **"सब्सक्राइबर"** "सब्सक्राइबर' से आशय इस विनियम के प्रयोजनार्थ ऐसे व्यक्ति से है जो किसी टेलीविजन चैनल के वितरक द्वारा उपलब्ध कराई गई टेलीविजन प्रसारण सेवाओं को ऐसे व्यक्ति द्वारा बताए गए स्थान पर बिना किसी अन्य व्यक्ति को पुनर्प्रसारित किए केबल टेलीविजन के सिग्नल प्राप्त करता है और केबल टेलीविजन के सिग्नलों को आगे अन्य किसी अन्य व्यक्ति को कोई विशिष्ट धनराशि प्राप्त कर न ही सुनने देता है और न ही देखने देता है और सब्सक्राइब की गई टेलीविजन प्रसारण सेवाओं को प्राप्त करने के लिए ऐसे प्रत्येक स्थान पर अवस्थित ऐसा प्रत्येक सेट टॉप बॉक्स एक सब्सक्राइबर माना जाएगा।

(x) **"सब्सक्राइबर प्रबंधन प्रणाली** अथवा **एसएमएस**से आशय है, कोई प्रणाली या उपकरण जो सब्सक्राइबर का नाम और पता, सब्सक्राइबर द्वारा उपयोग में लाया जा रहा हार्डवेयर, सब्सक्राइबर द्वारा सब्सक्राइब्ड चैनल या चैनलों के बुके (गुच्छे), प्रणाली में यथापरिभाषित चैनलों के बुक या चैनलों का मूल्य, किसी चैनल या चैनलों के बुके की एक्टिवेशन या डिएक्टिवेशन की तारीख और समय, सब्सक्राइबर के रिकार्ड पर किए गए सभी कार्यों का एक लॉग, प्रत्येक सब्सक्राइबर को दिए गए इनवॉइस और भुगतान की गई धनराशि का प्रत्येक बिलिंग अवधि के लिए सब्सक्राइबर को प्रदान की गई छूट के संबंध में सब्सक्राइबर का रिकार्ड तथा ब्योरा एकत्रित करता है।

(y) **"टैरिफ आदेश"** का अभिप्राय दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएं (आठवां) (एड्रेसेबल प्रणालियां) टैरिफ आदेश, 2017 से है।

(z) **"ट्रंक लाइन"** का अभिप्राय कोएक्सियल/ऑप्टिक फाईबर केबल नेटवर्क तथा अन्य संबंद्ध उपकरण जैसे रीसिवर नोड्स, एम्प्लीफायर, स्पिल्टिर्स आदि से है, जिनके स्वामी तथा संस्थापनाकर्त्ता मल्टी सिस्टम केबल ऑपरेटर (एमएसओ) अथवा उसकी संबंद्ध कंपनियां होती हैं ताकि एलसीओ सहित विभिन्न एलसीओ के अंतिम उपभोक्ता तक विभिन्न एलसीओ को केबल टेलीविजन सिग्नलों का पारेषण किया जा सके ताकि वे संबंधित सब्सक्राइबरों का केबल टेलीविजन सिग्नलों का पुनर्प्रसारण कर सकें।

इस अंतःसंयोजन करार में उपयोग किए गए अन्य सभी शब्दों तथा वाक्य, जिनका निर्वचन नहीं किया गया है परंतु उसके तहत तथा केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियम) अधिनियम, 1995 (वर्ष 1995 का सातवां) और तत्संबंध के तहत बनाए गए बनाए गए नियम तथा विनियम में परिभाषित किया गया है, उनका क्रमशः वही अर्थ होगा जो उन अधिनियमों, नियमों अथवा विनियमों, जैसा भी मामला हो, में दिया गया है।

ख. निर्वचन

इस करार में जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो :

(क) इस करार में किसी एकवचन के संबंध में दिए गए किसी संदर्भ में बहुवचन तथा प्रतिलोमतः भी सम्मिलित होगा तथा किसी एक लिंग के संबंध में दिए गए संदर्भ में सभी लिंग सम्मिलित होंगे जबतक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो;

(ख) ''व्यक्ति'' शब्द में व्यक्ति विशेष, निगम, कारपोरेशन, भागीदारियां, व्यक्तियों के संघ तथा अन्य कंपनियां सम्मिलित हैं;

(ग) किसी अनुच्छेद, खण्ड, उप–खण्ड, परिशिष्ट, अनुलग्नकों के संबंध में किया गया कोई उल्लेख करार में उल्लिखित अनुच्छेद, खण्ड, उप–खण्ड, परिशिष्ट, अनुलग्नक माना जाएगा, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा उपबंध न हो;

(घ)'' माह'' के संबंध में किया संदर्भ का अभिप्राय एक कलेण्डर माह होगा;

(ङ) शीर्षक तथा नाम केवल संदर्भ की सुलभता के लिए हैं तथा इस करार के निर्वचन को प्रभावित नहीं करेंगे तथा किसी भी स्थिति में उन्हें शीर्षक से अलग रखकर इस प्रकार नहीं पढ़ा जाना चाहिए, जिससे ऐसा अर्थ निकले जो इस करार की विभिन्न खण्डों के निर्वचन के अनुकूल नहीं हो;

(च) विधि, विनियम, सांविधिक उपबंध, आदेश, दिशानिर्देश, नीति आदि के संबंध में किये गए किसी संदर्भ में समय–समय पर यथा आशोधित, संहिताबद्ध, संशोधित अथवा पुनः अधिनियमित ऐसे कानून अथवा विनियम अथवा उपबंध, आदेश, दिशानिर्देश, नीति आदि के संबंध में किया गया संदर्भ शामिल है।

अनुसूची–6

(विनियम 12 के उप–विनियम (3) को संदर्भित)

मल्टी सिस्टम ऑपरेटर और स्थानीय केबल ऑपरेटर के बीच डिजिटल एड्रेसेबल प्रणालियों (डीएएस) के माध्यम से केबल टेलीविजन सेवाओं की पेशकश करने के लिए मानक अंतःसंयोजन करार

{1. इस करार के प्रत्येक पृष्ठ पर एमएसओ तथा एलसीओ के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे।}

यह तकनीकी तथा वाणिज्यिक अंतःसंयोजन करार इसकी अनुसूचियों तथा अनुलग्नकों सहितः

प्रथम पक्ष, _____ जिनका पंजीकृत कार्यालय _____ में स्थित है, अन्य भाग में इसके प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता (जिसे इसके पश्चात् **"एमएसओ"** कहा जाएगा, जिस शब्द में जब तक कि संदर्भ अथवा तत्संबंधी अर्थ के प्रतिकूल न हो, इसके उत्तराधिकारी, समनुदेशिति, वारिस तथा निष्पादन सम्मिलित हैं।)

एमएसओ का दर्जा : व्यक्ति विशेष/फर्म/कंपनी/व्यक्तियों का संघ/व्यक्तियों का निकाय (जो लागू न हो उसे काट दें अथवा व्यक्तियों के संघ/व्यक्तियों के निकाय की स्थिति में उपर्युक्त रूप से संशोधन करें।)

और

द्वितीय पक्ष, _____ जिनका पंजीकृत कार्यालय _____ में स्थित है, इसके प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता (जिसे इसके पश्चात् **"एलसीओ"** कहा जाएगा, जिस शब्द में जब तक कि संदर्भ अथवा तत्संबंधी अर्थ के प्रतिकूल न हो, इसके उत्तराधिकारी, समनुदेशिति, वारिस तथा निष्पादन सम्मिलित हैं।)

एलसीओ का दर्जा : व्यक्ति विशेष/फर्म/कंपनी/व्यक्तियों का संघ/व्यक्तियों का निकाय (जो लागू न हो उसे काट दें अथवा व्यक्तियों के संघ/व्यक्तियों के निकाय की स्थिति में उपर्युक्त रूप से संशोधन करें।)

के बीच दिन _____ माह _____ 201_____ को निष्पादित किया गया।

एमएसओ तथा **एलसीओ** को इसके पश्चात् व्यक्तिगत रूप से 'पक्ष' कहा जाएगा तथा समग्र रूप से ''**पक्ष(क्षों)**'' कहा जाएगा।

जबकि,

(क) एमएसओ एक केबल ऑपरेटर होता है, जिसे सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम, 1994 के तहत केन्द्र सरकार द्वारा केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियम) अधिनियम, 1995 की धारा 4क के तहत अधिसूचित _____ क्षेत्र में एड्रेसेबल प्रणालियों के माध्यम से केबल टेलीविजन उपलब्ध करवाने के लिए _____ दिनांक _____ का पंजीकरण संख्या प्रदान किया गया है।

(ख) एलसीओ एक केबल ऑपरेटर है, जिसे केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम, 1994 के तहत _____ (क्षेत्र के नाम का उल्लेख करें) में केबल टेलीविजन सेवाएं प्रदान करने के लिए ._____ मुख्य डाकघर (मुख्य डाकघर का नाम) में दिनांक _____ को पंजीकरण संख्या _____प्रदान किया गया है।

(ग) एलसीओ ने दिनांक_____ के पत्र संख्या_____ के माध्यम से टेलीविजन चेनलों हेतु सिग्नल उपलब्ध कराने के लिए अनुरोध किया है तथा एमएसओ दिनांक_____के पत्र संख्या _____ के माध्यम से ऐसे एलसीओ को टेलीविजन चैनलों के लिए सिग्नल उपलब्ध कराने को सहमत हो गया है।

(घ) क्षेत्र : इस करार के संदर्भ में क्षेत्र _____ है [उस क्षेत्र(त्रों)/शहरों (रों)/जिला(लों)/राज्य(यों) के नाम का उल्लेख करें जिसके लिए इस करार पर हस्ताक्षए किए जा रहे हैं।]

(ङ) दोनों पक्ष, प्रधान से प्रधान आधार पर तथा गैर–अनन्य आधार पर क्षेत्र में टेलीविजन चैनलों के संवितरण के संबंध में भूमिका, उत्तरदायित्व, अधिकार, दायित्व, तकनीकी तथा वाणिज्यिक व्यवस्थाओं को शासित करने के लिए आपस में इस करार निष्पादित करने के लिए सहमत हुए हैं।

(च) दोनों पक्ष इस बात पर भी आपस में सहमत हैं कि दोनों पक्षों के बीच किसी सम्पत्ति/ परिसम्पत्तियों के लेन–देन सहित प्रत्येक लेन–देन को लिखित में तथा अन्य सत्यापन योग्य तरीकों के माध्यम से किया जाएगा।

अब इसलिए, उपर्युक्त तथा इनमें अंतर्विष्ट प्रसंविदा पर विचार करते हुए, दोनों पक्ष निम्नानुसार सहमत हैं:–

1. परिभाषाएं

इस करार में उपयोग किए गए शब्द तथा वाक्यों का अर्थ, उन्हें इस करार की अनुसूची में दिया गया अर्थ होगा। इस अंतःसंयोजन करार में उपयोग किए गए परंतु परिभाषित नहीं किए गए और इसके तहत अधिनियम तथा नियम तथा विनियम में परिभाषित अथवा केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियम) अधिनियम, 1995 (1995 का सातवां) में परिभाषित अन्य शब्दों तथा वाक्यों का वही अर्थ होगा, जो उन्हें उन अधिनियमों अथवा नियमों और विनियमों, जैसा मामला हो, में दिया गया है।

2. करार की शर्तें

2.1 करार, _____ (दिनांक/माह/वर्ष) से प्रभावी होगा तथा _____ (दिनांक/माह/वर्ष) अथवा एमएसओ अथवा एलसीओ के पंजीकरण की समाप्ति की तिथि, जैसा भी मामला हो, जो भी पहले हो, अथवा करार की शर्तों के अनुरूप किसी भी पक्ष द्वारा समाप्त कर दिये जाने तक प्रभावी रहेगा।

2.2 करार की अवधि को पक्षों द्वारा आपस में सहमत निबंधन और शर्तों पर लिखित में दर्ज करके आगे बढ़ाया जा सकता है बशर्ते कि विस्तारित अवधि एमएसओ अथवा एलसीओ के पंजीकरण की अवधि की अंतिम तिथि, जो भी पहले हो, से अधिक न हो।

3. करार को समाप्त करना

3.1 किसी भी पक्ष को निम्न स्थिति में दूसरे पक्ष को 21 दिन का लिखित में अग्रिम नोटिस देकर करार को समाप्त करने का अधिकार होगा:–

(i) किसी पक्ष द्वारा करार की शर्तों के तात्विक उल्लंघन किये जाने की स्थिति में, जिसे एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को पंद्रह (15) दिनों के लिखित में दिए जाने हेतु अपेक्षित समय–सीमा के भीतर संसाधित नहीं किया गया हो; अथवा

(ii) शोधन अक्षमता, दिवालिया होने अथवा किसी दूसरे पक्ष की परिसंपत्तियों पर प्रापक की नियुक्ति; अथवा

(iii) दूसरा पक्ष पायरेसी करे, अथवा उसकी अनुमति दे अथवा किसी पक्ष को चैनल पर उपलब्ध कराई गई ऐसी प्रोग्रामिंग सेवा को चलाने के लिए किसी व्यक्ति को प्रलोभन दे जोकि समय–समय पर यथा संशोधित केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम, 1994 में विहित कार्यक्रम तथा विज्ञापन संहिता का उल्लंघन हो।

3.6 एमएसओ द्वारा क्षेत्र में टेलीविजन चैनलों सिग्नलों के पुनर्प्रसारण के व्यापार को बंद किए जाने पर एलसीओ को करार समाप्त करने का अधिकार होगा।

3.7 एलसीओ द्वारा द्वारा क्षेत्र में अपने केबल टेलीविजन व्यापार को बंद किए जाने पर एमएसओ को करार को समाप्त करने का अधिकार होगा।

3.8 यदि किसी कारणवश, एमएसओ क्षेत्र में टेलीविजन के पुनर्प्रसारण के व्यापार को बंद करने का निर्णय लेता है तो वह एलसीओ को इस प्रकार सेवा बंद करने के कारणों का उल्लेख करते हुए कम से कम 90 दिन पूर्व लिखित नोटिस देगा।

3.9 यदि एलसीओ, सब्सक्राइबर को टेलीविजन सिग्नल उपलब्ध कराने के व्यापार को बंद करने का निर्णय लेता है तो, वह एमएसओ को इस प्रकार सेवा बंद करने के कारणों का उल्लेख करते हुए कम से कम 90 दिन पूर्व लिखित नोटिस देगा।

4. करार समाप्त करने और करार के समाप्त होने का प्रभाव :

4.1 किसी भी पक्ष द्वारा करार समाप्त करने अथवा करार की अवधि की समाप्ति की स्थिति में, जैसा भी मामला हो, प्रत्येक पक्ष दूसरे पक्ष को करार की समाप्ति की तिथि तक दूसरे पक्ष को देय और बकाया सभी राशियों का भुगतान करेगा।

4.2 एलसीओ, करार की समाप्ति होने अथवा करार की अवधि पूर्ण होने के 15 दिनों के अंदर, जैसा भी मामला हो, यहां उल्लिखित उपबंधों की शर्तों के अनुरूप, एलसीओ की अभिरक्षा में रखी हुई एमएसओ की सभी सम्पत्तियों और परिसंपत्तियों को एमएसओ को सौंपेगा तथा एलसीओ की अभिरक्षा में रखी हुई एमएसओ की सभी सम्पत्तियों और परिसंपत्तियों को हुई हानि अथवा क्षति, यदि कोई हो तो, की इस संबंध में प्राप्त हुए नोटिस की प्राप्ति के 30 दिनों के अंदर एलसीओ को भरपाई करेगा और एलसीओ द्वारा ऐसी परिसम्पत्तियों/आस्तियों का रखरखाव करने में अक्षम होने पर एलसीओ, एमएसओ को ऐसी परिसम्पत्तियों /आस्तियों के मूल्यह्रासित मूल्य का भुगतान करेगा।

4.3 एमएसओ, करार की समाप्ति होने अथवा करार की अवधि पूर्ण होने के 15 दिनों के अंदर, जैसा भी मामला हो, यहां उल्लिखित उपबंधों की शर्तों के अनुरूप, एमएसओ की अभिरक्षा में रखी हुई एलसीओ की सभी सम्पत्तियों और परिसंपत्तियों को एलसीओ को सौंपेगा तथा एमएसओ की अभिरक्षा में रखी हुई एलसीओ की सभी सम्पत्तियों और परिसंपत्तियों को हुई हानि अथवा क्षति, यदि कोई हो तो, की इस संबंध में प्राप्त हुए नोटिस की प्राप्ति के तीस (30) दिनों के अंदर एलसीओ को भरपाई करेगा और एमएसओ द्वारा ऐसी परिसम्पत्तियों/आस्तियों का रखरखाव करने में अक्षम होने पर एमसीओ, एलसीओ को ऐसी परिसम्पत्तियों/आस्तियों के मूल्यह्रासित मूल्य का भुगतान करेगा।

स्पष्टीकरण : उपर्युक्त खण्ड 4.2 तथा 4.3 की एमएसओ तथा एलसीओ के हार्डवेयर अथवा सब्सक्राइबर के भवन में संस्थापित अन्य उपस्करों, जैसा भी मामला हो, के संबंध में कोई अनुप्रयोज्यनीयता नहीं होगी।

4.5 यदि एलसीओ अथवा एमएसओ, जैसा भी मामला हो, उक्त विनिर्धारित अवधि के अंदर ऐसी सम्पत्तियों अथवा परिसंपत्तियों को सौंपने अथवा उन्हें पहुंची हानि अथवा क्षति की भरपाई करने में सक्षम नहीं हो पाता है तो चूककर्ता पक्ष इसके मूल्यह्रासित मूल्य पर भारतीय स्टेट बैंक के आधारभूत ब्याज दर के दो प्रतिशत के ऊपर की साधारण ब्याज दर पर भुगतान करने हेतु बाध्य होगा।

5. सेवा को उपलब्ध कराया जाना

5.1 एमएसओ इस करार की शर्तों के अनुरूप संबंधित प्राधिकरणों के मौजूदा मानदण्डों, नीतियों, लागू कानूनों तथा नियमों और विनियमों, निदेशों तथा आदेशों के अनुरूप गैर–अनन्य आधार पर टेलीविजन चैनलों के सिग्नल उपलब्ध कराएगा ताकि इसे क्षेत्र के सब्सक्राईबरों को पुनः प्रसारित किया जा सके।

5.2 एलसीओ, एमएसओ को अपने नेटवर्क तक गैर–अनन्य आधार पर पहुंच उपलब्ध कराएगा ताकि एमएसओ द्वारा उपलब्ध कराए गए टेलीविजन सिग्नलों को क्षेत्र में सब्सक्राईबरों तक पहुंचाया जा सके।

5.3 दोनों पक्ष लागू कानूनों तथा विनियमों के अनुरूप कड़ाई से केवल डिजीटल एड्रेसेबल प्रणाली के माध्यम से ही कूटबद्ध पद्धति द्वारा ही किसी चैनल, विषयवस्तु अथवा कार्यक्रम का अनिवार्य रूप से प्रसारण, पुनःप्रसारण करेंगे अथवा उसे प्रणाली के माध्यम से संवाहित करेंगे।

5.4 सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु इस करार के पक्षों के कर्तव्य तथा उत्तरदायित्व, इस करार के **खण्ड 10** में अंतर्विष्ट हैं।

5.5 इस करार के **खण्ड–10** में उल्लिखित कर्तव्यों तथा उत्तरदायित्वों को ध्यान में रखते हुए एलसीओ तथा एमएसओ के बीच राजस्व निपटारे का इस करार में उल्लिखित **खण्ड–12** में उल्लेख किया गया है।

6. एमएसओ के अधिकार

6.1 इस करार के तहत, एमएसओ के पास केबल टेलीविजन सेवाओं को प्रदान करने के लिए उपयोग किये गए अपने नेटवर्क के स्वामित्व का अधिकार बरकरार रहेगा और वह संपूर्ण अथवा नेटवर्क के किसी भाग का विस्तार/उन्नयन/परिवर्तन/प्रतिस्थापन/पुनः डिजाइन कर सकता है, बशर्ते कि इस प्रकार के क्रियाकलाप से सब्सक्राइबर को उपलब्ध कराई जा रही सेवा की गुणवत्ता (क्यूओएस) बाधित न हो अथवा उसमें किसी प्रकार की गिरावट न हो।

6.2 एमएसओ संबंधित प्राधिकरणों के मौजूदा मानदण्डों, नीतियों, लागू कानूनों और नियमों, विनियमों, निदेशों तथा आदेशों के अनुरूप टेलीविजन चैनलों के पुनर्प्रसारण हेतु प्रसारकों के साथ अंतःसंयोजन करार पर हस्ताक्षर करेगा।

6.3 एमएसओ को लागू कानूनों तथा विनियमों के अध्यधीन सब्सक्राइबर द्वारा भुगतान किये जाने हेतु प्रत्येक चैनल के अधिकतम खुदरा मूल्य को अंतिमरूप से विनिर्दिष्ट करने का अधिकार होगा

6.4 एमएसओ को उसकी व्यापारिक योजना तथा लागू मानदण्डों, नीतियों तथा लागू कानूनों तथा नियमों, विनियमों और टैरिफ आदेशों के अनुरूप नेटवर्क पर पेशकश किये जा रहे चैनलों/सेवाओं को पैकेज के रूप में प्रदान करने का अधिकार होगा।

6.5 एमएसओ को समय–समय पर प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित लागू टैरिफ आदेश तथा विनियमों के उपबंधों के अनुपालन में बुनियादी सेवा टीयर (बीएसटी) की दरों को विनिर्दिष्ट करने का अधिकार होगा।

6.6 एमएसओ को प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित लागू टैरिफ आदेशों के उपबंधों के अनुपालन में चैनलों के बुके की दरों, यदि एमएसओ द्वारा पेशकश किए गए हों तो, को विनिर्दिष्ट करने का अधिकार होगा।

6.7 एमएसओ को करार तथा लागू आदेशों और विनियमों के तहत अपने उत्तरदायित्वों की पूर्ति के प्रयोजनार्थ एलसीओ से सभी अपेक्षित जानकारी प्राप्त करने का अधिकार होगा।

7. एलसीओ के अधिकार

7.1 इस करार के तहत, एलसीओ के पास केबल टेलीविजन सेवाओं को प्रदान करने के लिए उपयोग किये गए अपने नेटवर्क के स्वामित्व का अधिकार बरकरार रहेगा और वह संपूर्ण अथवा नेटवर्क के किसी भाग का विस्तार/उन्नयन/परिवर्तन/प्रतिस्थापन/पुनः डिजाईन कर सकता है, बशर्ते कि इस प्रकार के क्रियाकलाप से सब्सक्राइबर को अपने नेटवर्क पर उपलब्ध कराई जा रही सेवा की गुणवत्ता (क्यूओएस) बाधित न हो अथवा उसमें किसी प्रकार की अवनति न हो।

7.2 एलसीओ को करार तथा लागू आदेशों और विनियमों के तहत अपने उत्तरदायित्वों की पूर्ति के प्रयोजनार्थ एमएसओ से सभी अपेक्षित जानकारी प्राप्त करने का अधिकार होगा।

8. एमएसओ के दायित्व

8.1 एमएसओ चैनलों, बिलिंग साइकिलों अथवा प्रतिदायों हेतु व्यक्ति विशेष की प्राथमिकता को दर्ज कर तथा उपलब्ध करवाकर कार्यक्षम तथा त्रुटिमुक्त सेवाएं सुनिश्चित करने के लिये हेड–एंड, कन्डीशनल एक्सेस सिस्टम (सीएएस) तथा सब्सक्राइबर प्रबंधन प्रणाली (एसएमएस) को स्थापित करेगा तथा चालू करेगा।

8.2 एमएसओ, सब्सक्राइबर को पेशकश किए जाने वाले चैनलों, चैनलों के बुके, सब्सक्राइबर को पेशकश की जाने वाली सेवाओं के ब्यौरे के संबंध में आवश्यक तथा पर्याप्त जानकारी एलसीओ को उपलब्ध कराएगा।

8.3 एमएसओ सेवाएं उपलब्ध कराने, कर्तव्य और उत्तरदायित्व, राजस्व निपटान तथा सेवा की गुणवत्ता आदि के संबंध में एलसीओ की शिकायतों के निपटान हेतु वेब आधारित शिकायत निपटान प्रणाली उपलब्ध करवाएगा।

8.4 एमएसओ, पहले से सक्रिय एसटीबी जारी नहीं करेगा तथा उपभोक्ता आवेदन प्ररूप (सीएएफ) के ब्यौरे की सब्सक्राइबर प्रबंधन प्रणाली में प्रविष्टि करने के बाद ही एसटीबी को सक्रिय करेगा।

8.5 एमएसओ, देय प्रभारों पर प्रत्येक माह के लिये भुगतान किये जाने वाले प्रभारों अथवा प्रत्येक सब्सक्राइबर के लिये बिलिंग साइकिल के अनुसार बिलिंग साइकिल के समाप्त होने के तीन दिनों के अंदर नियमित आधार पर सब्सक्राइबरों के लिये बिलों को तैयार करेगा।

8.6 एमएसओ, करार तथा लागू आदेशों और विनियमों के तहत पक्षों द्वारा उत्तरदायित्वों के वहन के प्रयोजनार्थ अपने नियंत्रणाधीन एसएमएस के संगत भाग तक एलसीओ को एक्सेस उपलब्ध कराएगा।

8.7 एमएसओ पायरेसी अथवा ऐसे अन्य क्रियाकलापों में संलिप्त नहीं होगा, जिसके प्रभाव से और जिसके परिणामस्वरूप एलसीओ अथवा ऐसे प्रसारण से संबद्ध व्यक्तियों के ट्रेडमार्क अथवा प्रतिलिप्याधिकार का उल्लंघन अथवा अतिलंघन हो।

8.8 एमएसओ वर्तमान में लागू सभी संविधि अथवा कानूनों, अथवा वर्तमान में लागू किसी कानून के तहत जारी, प्रकाशित अथवा परिचालित किन्ही नियमों, संहिता, विनियमों, अधिसूचनाओं, परिपत्रों, दिशानिर्देशों, आदेशों, निदेशों आदि का अनुपालन करेगा।

8.9 एमएसओ ऐसा कोई कार्य अथवा कृत्य नहीं करेगा, जिसके परिणामस्वरूप इस करार के तहत केबल टेलीविजन सिग्नल के संबंध में एलसीओ के किसी अधिकार अथवा हित अथवा एलसीओ की किसी संपत्ति का अतिउलंघन हो अथवा उस पर प्रतिकूल पड़े।

8.10 एमएसओ संपूर्ण सिग्नल को सब्सक्राइबर के भवन में संस्थापित एसटीबी तक कूटबद्ध करने के लिए उत्तरदायी होगा।

8.11 एमएसओ, एलसीओ को तीन माह का अग्रिम नोटिस दिए बिना टेलीविजन चैनलों के सिग्नलों को बंद नहीं करेगा तथा अंतःसयोजन विनियमों में यथा परिकल्पित, प्रस्तावित सेवाओं को बंद करने के कारणों का स्पष्ट रूप से उल्लेख करेगा।

8.12 एमएसओ, सब्सक्राइबर हेतु ऑनलाइन भुगतान गेटवे, पूर्व भुगतान प्रणालियां तथा सब्सक्राइबर से भुगतान की प्राप्ति होने पर इलेक्ट्रॉनिक पावती हेतु सुविधा उपलब्ध करायेगा।

8.13 एमएसओ, एलसीओ को अनुरक्षण हेतु पहले से सक्रिय नहीं किए गए अतिरिक्त एसटीबी के रूप में अधिकतम 30 एसटीबी की अधिकतम सीमा के साथ उसके नेटवर्क पर सक्रिय कुल एसटीबी के कम से कम 2 प्रतिशत एसटीबी उपलब्ध कराएगा ताकि एसटीबी में किसी खराबी के कारण प्रभावित सेवाओं को त्वरित रूप बहाल किया जा सके। करार की अवधि के दौरान, अनुरक्षण हेतु अतिरिक्त एसटीबी की संख्या को बनाए रखा जाएगा।

8.14 एमएसओ, एलसीओ को पैकेज की संरचना अथवा सब्सक्राईबरों को पेशकश किए जा रहे खुदरा टैरिफ में प्रस्तावित परिवर्तनों के संबंध में कम से कम 15 दिन पहले जानकारी देगा।

8.15 एलसीओ की पूर्व सहमति के बिना एमएसओ को इस करार के तहत अपने किन्हीं अधिकारों अथवा दायित्वों को समनुदेशित करने अथवा अंतरण करने का कोई अधिकार नहीं होगा।

9. एलसीओ के दायित्व

9.1 एलसीओ सब्सक्राइबरों से प्राप्त उपभोक्ता आवेदन प्ररूप (सीएएफ) की प्रति को 15 दिनों के अंदर एमएसओ को सौंपेगा।

9.2 एलसीओ, प्रत्येक सब्सक्राइबर द्वारा केबल टेलीविजन सेवाओं के लिए एलसीओ को भुगतान की गई बिल राशि के ब्यौरे को एसएमएस में प्रविष्टि करने के लिए उत्तरदायी होगा।

9.3 एलसीओ पायरेसी अथवा ऐसे अन्य क्रियाकलापों में संलिप्त नहीं होगा, जिसके प्रभाव से और जिसके परिणामस्वरूप एमएसओ अथवा ऐसे प्रसारण से संबद्ध व्यक्तियों के ट्रेडमार्क अथवा प्रतिलिप्याधिकार का उल्लंघन अथवा अतिलंघन हो।

9.4 एमएसओ की पूर्व सहमति के बिना एलसीओ को इस करार के तहत अपने किन्हीं अधिकारों अथवा दायित्वों को समनुदेशित करने अथवा अंतरण करने का कोई अधिकार नहीं होगा।

9.5 एलसीओ सब्सक्राइबर से मौजूदा कनेक्शनों हेतु कनेक्शन काटने के आवेदन के माध्यम से तथा नए कनेक्शन के मामले में उपभोक्ता आवेदन प्ररूप के माध्यम से अनुरोध प्राप्त किए बिना एमएसओ के एसटीबी को किसी अन्य एमएसओ के एसटीबी से प्रतिस्थापित नहीं करेगा। नए सेट–टॉप बाक्स को नए उपभोक्ता आवेदन प्ररूप में दिए गए ब्योरे की नए एमएसओ के सब्सक्राइबर प्रबंधन प्रणाली में प्रविष्टि के पश्चात् ही सक्रिय किया जाएगा।

9.6 एलसीओ :–

(i) एमएसओ द्वारा बिना उसकी पूर्व सहमति के ऐसे किसी सिग्नल को प्रसारित, पुनर्प्रसारित नहीं करेगा, सिग्नलों के बीच में डालेगा अथवा आपस में नहीं मिलाएगा;

(ii) एमएसओ द्वारा प्रसारित किसी सिग्नल पर किसी वाणिज्यिक जानकारी अथवा विज्ञापन अथवा सूचना को नहीं डालेगा। इस प्रकार सिग्नल से की गई छेड़छाड़ अथवा सिग्नलों के बीच में किसी सूचना को डाले जाने को इस करार का उल्लंघन माना जाएगा तथा यह एमएसओ को कानून अथवा इस करार के तहत विहित ऐसा नोटिस देकर इस करार को समाप्त किये जाने का पर्याप्त आधार माना जाएगा।

(iii) एमएसओ द्वारा उपलब्ध कराए गए सिग्नलों में किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप नहीं करेगा साथ ही कोई डिकोडिंग, सिग्नल प्राप्त करन और रिकॉर्ड करने के उपस्कर(रों), नकली सेट टॉप बॉक्स अथवा स्मार्ट कार्ड अथवा ऐसे ही अन्य उपकरणों का उपयोग नहीं करेगा।

(iv) एमएसओ की लिखित अनुमति के बिना सील सहित हार्डवेयर में छेड़छाड़ अथवा फेर–बदल (सेट टॉप बॉक्स को नहीं खोलने के लिए लगाई गई सील) नहीं करेगा और स्मार्ट कार्ड अथवा सेट टॉप बॉक्स का दुरुपयोग नहीं करेगा, पुर्नस्थापन नहीं करेगा, नहीं हटायेगा अथवा अन्यत्र शिफ्ट नहीं करेगा, उन्हें उनके संबंधित मूल पते से नहीं हटायेगा।

(v) सेट टॉप बॉक्स की संस्थापना से पूर्व अथवा उसके पश्चात् एमएसओ द्वारा आपूर्ति किये गये/अनुमोदित सेट टॉप बॉक्स, स्मार्ट कार्ड तथा किसी अन्य उपकरण के अलावा कोई डिकोडिंग, सिग्नल प्राप्त करने वाले, रिकार्डिंग उपकरण(णों), नकली सेट टॉप बॉक्स(सों), स्मार्ट कार्ड(डों) का उपयोग नहीं करेगा तथा ऐसे सब्सक्राइबर के विरुद्ध एमएसओ द्वारा विनिर्दिष्ट कार्रवाई करेगा।

(vi) एमएसओ की लिखित अनुमति के बिना संबंधित मूल पतों से सील सहित हार्डवेयर में छेड़छाड़, उनमें फेरबदल, दुरुपयोग, पुर्नस्थापन तथा स्मार्ट कार्ड और सेट टॉप बॉक्स को हटाये जाने तथा अन्यत्र ले जाये जाने और उपयोग के संबंध में तुरंत जानकारी देगा तथा सेट टॉप बॉक्स से पहले अथवा उसके बाद किसी डिकोडिंग, सिग्नल प्राप्त करने वाले, रिकॉर्डिंग, उपस्कर(रों) नकली सेट टॉप बॉक्स(सों) तथा एमएसओ द्वारा आपूर्ति किये गये हार्डवेयर के अलावा किसी अन्य स्मार्ट कार्ड(डों), सेट टॉप बॉक्स(सों), स्मार्ट कार्ड(डों) के अलावा उपयोग किये जा रहे अन्य संस्थापित मद की जानकारी देगा तथा ऐसे सब्सक्राइबर के विरूद्ध एमएसओ द्वारा निर्देशित कार्रवाई करेगा।

9.7 एलसीओ केबल टेलीविजन सिग्नलों के आगे पुनर्प्रसारण हेतु किसी कंपनी को कनेक्शन उपलब्ध नहीं करवायेगा।

9.8 एलसीओ न ही केबल टेलीविजन सिग्नलों को रिकॉर्ड करेगा और तत्पश्चात् उनका पुनर्प्रसारण करेगा अथवा एमएसओ द्वारा प्रसारित किये जा रहे सिग्नलों अथवा ट्रंक लाइन को ब्लॉक करेगा अथवा उनमें परिवर्धन अथवा पुर्नस्थापन अथवा उनके साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा और न ही किसी व्यक्ति को ऐसा करने देगा।

9.9 एलसीओ ऐसा कोई कार्य अथवा कृत्य नहीं करेगा, जिसके परिणामस्वरूप इस करार के तहत केबल टेलीविजन सिग्नल के संबंध में एमएसओ के किसी अधिकार अथवा हित अथवा एमएसओ की किसी संपत्ति का अति–उलंघन हो अथवा उस पर प्रतिकूल पड़े।

9.10 एलसीओ इस करार, लागू आदेशों और विनियमों के तहत पक्षों द्वारा उत्तरदायित्वों को पूर्ण किये जाने के प्रयोजनार्थ एमएसओ के नियंत्रणाधीन प्रणालियों तक पहुंच उपलब्ध करायेगा।

9.11 एलसीओ, एमसीओ को तीन सप्ताह का अग्रिम नोटिस दिए बिना टेलीविजन चैनलों के सिग्नलों को बंद नहीं करेगा, जिसमें वह अंतःसयोजन विनियम में यथा परिकल्पित, प्रस्तावित सेवाओं को बंद करने के कारणों का स्पष्ट रूप से उल्लेख करेगा।

10. एमएसओ और एलसीओ के कार्य और दायित्वः

क्र.सं.	कार्य	एमएसओ या एलसीओ के दायित्व	टिप्पणी
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**
1	प्रारंभिक सब्सक्रिप्शन के लिए, इलेक्ट्रॉनिक अथवा प्रिंट अथवा दोनों फारमेट में सेवा की गुणवत्ता विनियमों की अनुसूची–1 में यथा निर्दिष्ट आवेदन के फार्मेट तैयार करना।	**एमएसओ**	
2	क. मुहैया कराए गए ग्राहक परिसर उपस्कर योजना और इस पर लागू वारंटी/मरम्मत नीति के विवरण की सूचना उपभोक्ता को मुहैया कराना। ख. सेवा की गुणवत्ता विनियमों के अनुसार, प्रत्येक नए कनेक्शन के समय सेवाओं के विवरण की सूचना उपभोक्ताओं को मुहैया कराना।	**एलसीओ**	एमएसओ एसटीबी को उपलब्ध कराने/एसटीबी को वापस करने, तत्संबंध पर लागू वारंटी/ मरम्मत संबंधी नीतिको अंतिम रूप देगा। तथापि, एमएसओ ऐसे ब्योरे को एलसीओ के साथ साझा करेगा।
3	विधिवत रूप से भरे उपभोक्ता आवेदन फार्म प्राप्त होने पर उपभोक्ता को टेलीविजन सेवाएं मुहैया कराना और इसकी एक प्रति उपभोक्ता को देना।	**एलसीओ**	जिस पक्ष को यह उत्तरदायित्व सौंपा गया है वह प्रत्येक मामले में आवेदन प्राप्त होने से 24 घंटे के अंदर सब्सक्राइबर प्रबंधन प्रणाली (एसएमएस) में जानकारी को अद्यतन करेगा।

4	सेवा की गुणवत्ता विनियमों के उपबंधों के अनुसार प्रत्येक उपभोक्ता को एक विशिष्ट पहचान संख्या (यूआईएन) देना और इसकी सूचना देना।	**एलसीओ**	एसएमएस से यूआईएन जनरेट किया जाएगा। एसएमएस की संगत एक्सेस एमएसओ द्वारा एलसीओ को मुहैया कराई जाएगी।
5	उपभोक्ताओं के लिए टेलीविजन प्रसारण सेवाओं को एक्टीवेट करना।	**एमएसओ**	➢ एक्टीवेशन एसएमएस में उपभोक्ता आवेदन फार्म की जानकारी डालने के बाद ही किया जाएगा । ➢ यदि एलसीओ को उत्तरदायित्व सौंपा जाता है तो एमएसओ को एसटीबी को सक्रिय करने के लिए एसएमएस के संगत भाग तक पहुंच उपलब्ध करानी चाहिए।
6	सेवा की गुणवत्ता विनियमों के उपबंधों के अनुसार, उपभोक्ता से अनुरोध प्राप्त होने पर चैनल और बुकों को एक्टीवेट करना।	**एलसीओ**	एक्टीवेशन एसएमएस के द्वारा ही किया जाएगा ।
7	सेवा की गुणवत्ता विनियमों के उपबंधों के अनुसार, उपभोक्ता से अनुरोध प्राप्त होने पर चैनल और बुकों को डीएक्टीवेट करना।	**एलसीओ**	डीएक्टीवेशन एसएमएस के द्वारा ही किया जाएगा ।
8	सेवा की गुणवत्ता विनियमों के उपबंधों के अनुसार, उपभोक्ता से अनुरोध प्राप्त होने पर टेलीविजन प्रसारण सेवाओं को अस्थायी रूप से निलंबित रखना।	**एलसीओ**	निलंबन एसएमएस के द्वारा ही किया जाएगा ।

9	सेवा की गुणवत्ता विनियमों के उपबंधों के अनुसार, उपभोक्ता से अनुरोध प्राप्त होने पर टेलीविजन प्रसारण सेवाओं को पुनः स्थापित रखना।	**एलसीओ**	पुनः स्थापन एसएमएस के द्वारा ही किया जाएगा ।
10	सेवा की गुणवत्ता विनियमों के उपबंधों के अनुसार, उपभोक्ता के अनुरोध पर उसके कनेक्शन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करना।	**एलसीओ**	एलसीओ द्वारा प्राप्त भुगतान के ब्योरे को तुरंत एसएमएस में अद्यतन किया जाएगा
11	सेवा की गुणवत्ता विनियमों में यथा निर्दिष्ट निरोधक रखरखाव के लिए सिगनलों की रूकावट के बारे में उपभोक्ताओं को सूचना देना।	**एमएसओ**	यदि एलसीओ द्वारा निरोधात्मक रखरखाव किया जाना हो तो वह एमएसओ को सूचित करेगा ताकि वह सब्सक्राइबरों को जानकारी दे सके।
12	सेवा की गुणवत्ता में यथा निर्दिष्ट नियमों एवं शर्तों को पूरा करने के अध्यधीन उपभोक्ता से अनुरोध प्राप्त होने पर टेलीविजन प्रसारण सेवाओं के कनेक्शन को काटना।	**एमएसओ**	
13	उपभोक्ताओं को प्रीपेड या पोस्टपेड या दोनों के आधार पर टेलीविजन प्रसारण सेवाओं की पेशकश करना।	**एमएसओ**	
14	उपभोक्ता के अनुरोध पर भुगतान प्रणाली को प्रीपेड से पोस्टपेड में या पोस्टपेड से प्रीपेड, जैसा भी मामला हों, में बदलना।	**एमएसओ**	
15	सेवा की गुणवत्ता के मानदंडों के अनुसार, उपभोक्ताओं के लिए पोस्टपेड बिल जनरेट करना।	**एमएसओ**	
16	सेवा की गुणवत्ता विनियमों के अनुसार उपभोक्ताओं को पोस्टपेड बिल भेजना।	**एमएसओ**	
17	सेवा की गुणवत्ता विनियमों के अनुसार, पोस्टपेड उपभोक्ताओं द्वारा किए गए भुगतान के लिए रसीदें जारी करना और देना तथा रसीदों का विवरण सब्सक्राइबर मैनेजमेंट सिस्टम (एसएमएस) में दर्ज करना।	**एमएसओ**	
18	उपभोक्ताओं को प्रीपेड भुगतान की पावती देना और तदनुसार सब्सक्राइबर मैनेजमेंट सिस्टम को अपडेट करना।	**एमएसओ**	
19	सेवा की गुणवत्ता विनियमों में निर्दिष्ट मानकों के अनुरूप उपभोक्ताओं को सेट टॉप बॉक्स मुहैया कराना।	**एमएसओ**	
20	सेवा की गुणवत्ता विनियमों के अनुसार, सीपीई के लिए विभिन्न योजनाओं की पेशकश करना।	**एमएसओ**	

21	सेवा की गुणवत्ता विनियमों के अनुसार, गारंटी/वारंटी अवधियों की समाप्ति के बाद एकमुश्त खरीद योजना के तहत मुहैया कराए गए ग्राहक परिसर उपस्कर के लिए वार्षिक रखरखाव योजना की पेशकश करना।	**एमएसओ**	
22	सेवा की गुणवत्ता विनियमों के अनुसार, खराब सेट टॉप बॉक्स की मरम्मत करना।	**एमएसओ**	
23	सेवा की गुणवत्ता विनियमों में दिए गए ग्राहक सेवा चैनलों और वेबसाइटों के माध्यम से उपभोक्ताओं के लिए टॉल फ्री ग्राहक सेवा नंबर और वेब आधारित शिकायत निवारण प्रणाली का पता प्रकाशित/प्रचारित करना।	**एमएसओ**	
24	सेवा की गुणवत्ता विनियमों के अनुसार, उपभोक्तओं के लिए कार्यविधि पुस्तिका (एमओपी) मुहैया कराना।	**एलसीओ**	एमएसओ एमओपी की विषय–वस्तु को अंतिम रूप देगा। ऐसी एमओपी की प्रतियां एलसीओ को दी जाएगी।
25	सरकार को करों का भुगतान करना।	**एमएसओ और/या एलसीओ**	संबंधित कर प्राधिकारियों के नियमों एवं विनियमों के अनुसार, अनुबंध पर हस्ताक्षर के समय कर भुगतान दायित्वों का विशिष्ट विवरण साथ वाले खाने में भरा जाएगा।

11. बिलिंग

11.1 सब्सक्राइबर हेतु बिलिंग एमएसओ के नाम पर की जाएगी। तथापि, प्रत्येक पक्ष यह सुनिश्चित करेगा कि करों से संबंधित लागू कानून, नियम तथा विनियमों का अनुपालन किया जाए।

11.2 एमएसओ सब्सक्राइबरों द्वारा दिया गया सब्सक्रिप्शन फीस को ग्रहण करेगा। राजस्व हिस्सा, इस समझौते के खंड 12.1 के अनुसार, एमएसओ, एलसीओ से बीजक मिलने पर, एलसीओ को देगा।

12. एलसीओ और एमएसओ के बीच राजस्व सेटलमेंट और संबंधित अधिकार एवं दायित्व

12.1 सब्सक्राइब किए गए चैनलों के लिए नेटवर्क क्षमता शुल्क और वितरण शुल्क मल्टी सिस्टम ऑपरेटर और लोकल केबल ऑपरेटर के बीच क्रमशः 55:45 के अनुपात में शेयर किया जाएगा।

नोटः सब्सक्राइब किए गए चैनलों के लिए नेटवर्क क्षमता शुल्क और वितरण शुल्क की परिभषा वही है जो अंतः संयोजन विनियम और टैरिफ आदेश में निहित है ।

12.2 एमएसओ सब्सक्राइबर बिलिंग और भुगतान प्राप्ति से संबंधित पूरी सूचना एलसीओ के साथ साझा करेगा। एलसीओ, एमएसओ को भुगतान की जाने वाली देय राशि के लिए एमएसओ को मासिक बीजक(कों) जारी करेगा तथा ऐसे बीजक(कों) में स्पष्ट रूप से वर्तमान भुगतान देय राशि तथा बकाया राशि, यदि कोई हो तो, का भुगतान की अंतिम तिथि के साथ उल्लेख किया जाएगा, जो कि सात दिनों से कम नहीं होगी। बकाया राशि हेतु किसी भी मांग के साथ उस अवधि हेतु बीजकों को भेजे जाने का प्रमाण भी संलग्न किया जाए। बीजकों के अनुसार बिल की गई सभी राशियों का भुगतान उसमें उल्लिखित देय राशि हेतु अंतिम तिथि अथवा उससे पूर्व किया जाएगा।

12.3 संबंधित पक्ष सब्सक्राइबर से वसूली गई सब्सक्रिप्शन राशि के ब्यौरे को देय तिथि से 7 दिन के अंदर सब्सक्राइबर प्रबंधन प्रणाली में अद्यतन करेंगे।

13. भुगतान में चूक

13.1 इस करार के उपबंधों अथवा कानून के तहत दोनों पक्षों को प्राप्त ऐसे अधिकारों तथा उपचार पर बिना प्रतिकूल प्रभाव डाले, एमएसओ अथवा एलसीओ द्वारा देय राशि की संबंधित अंतिम तिथि अथवा उससे पूर्व भुगतान में विलम्ब अथवा भुगतान नहीं किए जाने पर एमएसओ अथवा एलसीओ, जैसा भी मामला हो, को अधिकार होगा कि वहः–

(i) सक्षम प्राधिकरण के लागू नियमों, विनियमों निदेशों अथवा आदेशों के अनुपालन के अधीन सेवाओं को बंद कर दे;

(ii) लागू कानूनों के अनुपालन के अधीन इस करार को समाप्त कर दे।

(iii) जिस तिथि को ऐसी राशि देय हो जाती है, उससे लेकर जिस तिथि तक राशि का वास्तव में भुगतान कर दिया जाता है, तक भारतीय स्टेट बैंक के आधारभूत ब्याज की दर में दो प्रतिशत जोड़कर साधारण ब्याज दर के अनुसार विलम्बित भुगतान की वसूली करे।

13.2 उस स्थिति में जब कोई पक्ष ने विगत में लगातार तीन माह तक भुगतान करने में चूक की हो तो दूसरे पक्ष को ब्याज मुक्त जमा राशि की मांग करने का अधिकार होगा जो कि बीते 6 माह की बिलिंग राशि कुल औसत राशि से अधिक नहीं होगा जिसे करार की शेष अवधि के लिए बनाए रखा जाएगा।

13.3 उपर्युक्त खण्ड 13.1 में यथा उल्लिखित सेवा को समाप्त किए जाने पर, चाहे वह इस करार के समाप्त किए जाने पर की गई हो, अथवा नहीं, चूककर्ता पक्ष को भविष्य में उसके द्वारा भुगतान की जाने वाली संपूर्ण राशि को जमा करना होगा। करार को समाप्त किए जाने पर तीस दिनों के अंदर लेखा जोखा का निपटान किया जाएगा तथा किसी भी पक्ष द्वारा विलम्ब से किए जाने वाले भुगतान के लिए दूसरे पक्ष द्वारा भारतीय स्टेट बैंक के आधारभूत ब्याज दर के ऊपर दो प्रतिशत की दर से साधारण ब्याज का भुगतान किया जाएगा।

14. वचन

14.1 प्रत्येक पक्ष, दूसरे पक्ष के स्वामित्व तथा उसके द्वारा संस्थापित सम्पत्ति के विशिष्ट स्वामित्व को मान्यता देगा तथा उस पर, उसका किसी भी स्वरूप का कोई अधिकार, दावा अथवा हित अथवा किसी भी स्वरूप का ग्रहणाधिकार नहीं होगा।

14.2 इस करार में अंतर्विष्ट किसी भी शर्त से कोई भी पक्ष किसी भी प्रयोजनार्थ दूसरे पक्ष का एजेन्ट अथवा भागीदार अथवा प्रतिनिधि नहीं बनेगा और किसी भी पक्ष को किसी अन्य पक्ष के नाम पर अथवा उसकी ओर से किसी भी प्रकार की देयताएं अथवा दायित्व, स्पष्ट अथवा अभिप्रेत, को ग्रहण करने, सृजन करने अथवा वहन करने का कोई अधिकार होगा तथा एमएसओ और एलसीओ के बीच संबंध, प्रधान से प्रधान आधार पर होगा।

14.3 दोनों पक्षों द्वारा यह स्पष्ट रूप से समझ लिया गया है कि ''_____'' लोगो (चिह्न), एमएसओ का पंजीकृत ट्रेडमार्क है तथा एलसीओ इस लोगो (चिह्न) का उपयोग, इस करार की अवधि के दौरान एमएसओ के केबल टेलीविजन नेटवर्किंग व्यापार के लाभ के लिए करेगा। एतद्द्वारा, एमएसओ द्वारा एलसीओ को उक्त लोगो (चिह्न) के उपयोग हेतु केबल के व्यापार के संबंध में तथा उक्त सीमा तक उपयोग करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

14.4 दोनों पक्षों द्वारा यह स्पष्ट रूप से समझ लिया गया है कि ''_____'' लोगो (चिह्न), एलसीओ का पंजीकृत ट्रेडमार्क है तथा एमएसओ इस लोगो (चिह्न) का उपयोग, इस करार की अवधि के दौरान एलसीओ के केबल टेलीविजन नेटवर्किंग व्यापार के लाभ के लिए करेगा। एतद्द्वारा, एलसीओ द्वारा एमएसओ को उक्त लोगो (चिह्न) के उपयोग हेतु केबल के व्यापार के संबंध में तथा उक्त सीमा तक उपयोग करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

14.5 प्रत्येक पक्ष द्वारा यह स्पष्ट रूप से समझ लिया गया है तथा स्वीकार किया जाता है कि उसकी अपनी केबल टेलीविजन सेवा हेतु अथवा दूसरे पक्ष द्वारा सहमति वापस लिए जाने के बाद दूसरे पक्ष की किसी बौद्धिक सम्पत्ति का उपयोग करने का कोई अधिकार नहीं होगा।

14.6 यदि एलसीओ तथा एमएसओ, जैसा भी मामला हो, किसी अन्य पक्ष/व्यक्ति (तृतीय पक्ष) को संपूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से केबल टेलीविजन सेवा उपलब्ध कराने के इसके व्यापार में अपने हित का अंतरण करने का निर्णय लेता है तो एलसीओ अथवा एमएसओ, जैसा भी मामला हो, वह एलसीओ अथवा एमएसओ को पूर्व नोटिस देगा। पक्षों को इस प्रकार से अंतरण पर कोई आपत्ति नहीं होगी, यदि दूसरे पक्ष ने इस संविदा के तहत अपने दायित्वों का अनुपालन किया है तथा अपनी सभी देयताओं का भुगतान किया है।

बशर्ते कि, तथापि, ऐसा तृतीय पक्ष इस करार तथा अन्य वचन/बंधपत्रों की निबंधन और शर्तों के पालन करने के संबंध में एक अनुपालना विलेख को एमएसओ तथा एलसीओ, जैसा भी मामला हो, के संपूर्ण रूप से संतुष्ट होने तक हस्ताक्षर करेगा तथा निष्पादित करेगा ताकि इस करार के उपबंधों को प्रभावी बनाया जा सके।

14.7 एलसीओ को अपने डाक पंजीकरण प्रमाण पत्र को केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियम) अधिनियम, 1995 के अनुरूप नवीकृत बनाए रखना चाहिए ताकि डाक प्राधिकरण द्वारा जारी पंजीकरण प्रमाण पत्र की निबंधन और शर्तों का अनुपालन किया जा सके।

14.8 एमएसओ को केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियम) अधिनियम, 1995 के अनुरूप समय–समय पर अपने पंजीकरण प्रमाण पत्र, को नवीकृत करके रखना चाहिए ताकि पंजीकरण की निबंधन और शर्तों का अनुपालन किया जा सके।

14.9 दोनो पक्ष केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम, 1994, समय–समय पर यथा संशोधित, में विहित कार्यक्रम संहिता तथा विज्ञापन संहिता का अनुपालन करेंगे।

14.10 दोनों पक्ष, देश में वर्तमान में लागू कानूनों, जो उन पर लागू हों, का अनुपालन करेंगे।

15. पायरेसी की रोकथाम

15.1 दोनों पक्ष न तो स्वयं पायरेसी अथवा हार्डवेयर अथवा तत्संबंधी किसी घटक में उपयोग की जाने वाली रिवर्स इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकी में संलिप्त होंगे न ही किसी व्यक्ति को ऐसा करने देंगे, न ही वे इससे सृजित सिग्नलों के पुनर्प्रसारण हेतु एक मिनी हेड–एंड की स्थापना हेतु किसी उपकरण से जोड़े जाने वाले हार्डवेयर का उपयोग करेंगे।

15.2 किसी भी सब्सक्राइबर को किसी प्रकार से पायरेसी को बढ़ावा देते हुए पाये जाने पर को एमएसओ अथवा एलसीओ, जैसा भी मामला हो, द्वारा विधिवत् रूप से नोटिस देकर उसकी सेवाएं बंद कर दी जाएगी।

16. दावा परित्याग तथा क्षतिपूर्ति

16.1 किसी भी स्थिति में एमएसओ, एमएसओ के किसी कृत्य के कारण, किसी कार्यक्रम अथवा जानकारी के वचन के परिणामस्वरूप किसी प्रत्यक्ष अथवा परिणामी क्षति अथवा हानि अथवा सेवा में व्यवधान अथवा बाधा अथवा बंद किये जाने के संबंध में किसी प्रकार की असुविधा, निराशा के परिणामस्वरूप होने वाले किसी प्रत्यक्ष, विशेष, अनुषंगी अथवा परिणामी क्षति के लिए एलसीओ के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा।

16.2 किसी भी स्थिति में एलसीओ, एलसीओ के किसी कृत्य के कारण किसी कार्यक्रम अथवा जानकारी के वचन के परिणामस्वरूप किसी प्रत्यक्ष अथवा परिणामी क्षति अथवा हानि अथवा सेवा में व्यवधान अथवा बाधा अथवा बंद किये जाने के संबंध में किसी प्रकार की असुविधा, निराशा के परिणामस्वरूप होने वाले किसी प्रत्यक्ष, विशेष, अनुषंगी अथवा परिणामी क्षति के लिए एमएसओ के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा।

16.3 एलसीओ किसी तृतीय पक्ष अथवा किसी सब्सक्राइबर से किसी असुविधा, हानि अथवा एलसीओ की किसी चूक के कारण उन्हें पहुंचे क्षोभ अथवा एलसीओ की चूक के कारण करार के समाप्त होने अथवा सेवा के बंद होने के परिणामस्वरूप किसी दावे, कार्रवाई, कार्यवाहियों के लिये सभी लागत, व्यय तथा नुकसान के लिए एमएसओ की क्षतिपूर्ति करेगा।

16.4 एमसीओ किसी तृतीय पक्ष अथवा किसी सब्सक्राइबर से किसी असुविधा, हानि अथवा एमएसओ की किसी चूक के कारण उन्हें पहुंचे क्षोभ अथवा एमएसओ की चूक के कारण करार के समाप्त होने अथवा सेवा के बंद होने के परिणामस्वरूप किसी दावे, कार्रवाई, कार्यवाहियों के लिये सभी लागत, व्यय तथा नुकसान के लिए एलसीओ की क्षतिपूर्ति करेगा।

17. शासी विधि तथा विवाद निपटान

17.1 भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 द्वारा यथा अधिदेशित दोनों पक्ष, इस करार के परिणामस्वरूप पक्षों के बीच किसी दावे विवाद, अथवा मतभेद के संबंध में दूरसंचार विवाद निपटारा तथा अपीलीय अधिकरण, नई दिल्ली (**"टीडीसेट"**) के अलावा किसी अन्य न्यायालय अथवा न्यायिक अधिकरण/भारत में प्राधिकरण में कोई वाद दायर नहीं करेंगे अथवा व्यादेश अथवा अंतरिम आदेश प्राप्त नहीं करेंगे। दोनों पक्ष सहमत हैं कि पक्षों के बीच सभी विवादों को केवल टीडीसेट के समक्ष कार्यवाहियां दायर कर ही सुलझाया जायेगा।

18. अपरिहार्य घटना

18.1 एमएसओ अथवा एलसीओ द्वारा उनके किन्हीं दायित्वों के निर्वहन में असफल रहने पर, दूसरा पक्ष, अन्य पक्ष पर कोई दावा करने का हकदार नहीं होगा अथवा इसे इस करार का उल्लंघन नहीं माना जाएगा बशर्ते कि इस प्रकार की असफलता अपरिहार्य घटना के परिणामस्वरूप हुई हो। यदि अपरिहार्य घटना के माध्यम से इस करार में दी गई शर्तों के परिणामस्वरूप दायित्वों के निर्वहन में विलंब हो जाता है तो, ऐसे विलम्ब की अवधि को इस करार द्वारा विहित अवधि के परिकलन हेतु विचार नहीं किया जाएगा। अपरिहार्य घटना में ईश्वरीय कृत्य, भूकंप, ज्वार, तूफान, बाढ़, तड़ित, विस्फोट, आग लगना, तोड़–फोड़, संगरोध, महामारी, लूट–पाट, सिविल उपद्रव, आतंकवादी हमला, युद्ध जैसी स्थिति अथवा प्राधिकरणों द्वारा बनाए गए किसी कानून अथवा नियम और विनियम अथवा पक्षों के पंजीकरण का रद्दीकरण अथवा पक्षों के औचित्यपूर्ण नियंत्रण से परे परिस्थितियां, जो किसी भी पक्ष को यहां परिकल्पित लेन–देन को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से आरंभ करने अथवा पूर्ण करने से बाधित करती है। इस प्रकार की अपरिहार्य घटना से प्रभावित पक्ष, इस प्रकार की घटना के होने के संबंध में तुरंत दूसरे पक्ष को जानकारी देंगे। दोनों पक्षों के बीच यह सहमति है कि किसी भी स्थिति में निधियों की कमी अपरिहार्य घटना नहीं होगी अथवा मानी जाएगी। यदि अपरिहार्य घटना की स्थिति एक माह से अधिक की अवधि तक जारी रहती है तो दोनों पक्ष करार के भावी निष्पादन पर निर्णय लेने के लिए बैठक करेंगे। यदि दोनों पक्ष भावी निष्पादन हेतु योजना पर सहमत नहीं हो पाते हैं तो करार को किसी एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को एक माह का नोटिस देकर, जोकि एक माह की अवधि पर समाप्त हो जाएगा, करार को समाप्त कर दिया जाएगा।

18.2 अपरिहार्य घटना के आरंभ होने से पूर्व किसी पक्ष के प्रोद्भूत भुगतान दायित्व ऐसी अपरिहार्य घटना के कारण करार की समाप्ति पर भी यथावत बना रहेगा।

19. नोटिस

19.1 किसी भी पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को प्रारंभ में उल्लिखित पते अथवा ऐसे परिवर्तित पते पर, जिसकी पक्ष जानकारी दे, वैध रूप से भेजा गया नोटिस माना जाएगा, यदि इसे पंजीकृत डाक पावती देय (आरपीएडी) अथवा डाक विभाग की स्पीड पोस्ट सेवा अथवा दस्ती द्वारा जिसकी विधिवत् रूप से पावती दी गई हो और दूसरे पक्ष द्वारा प्राप्ति की तिथि अथवा आरपीएडी से नोटिस भेजने की तिथि से सात दिन, जो भी पहले हो, ऐसे नोटिस की प्राप्ति की तिथि मानी जाएगी।

20. अंतरण हेतु निर्बंधन

20.1 कोई भी पक्ष दूसरे पक्ष के पूर्ण नेटवर्क अथवा उसके भाग को न तो हटायेगा, न विक्रय करेगा, समनुदेशित करेगा, बंधक रखेगा, अंतरण करेगा/किराये पर देगा अथवा विल्लंगमित करेगा। यदि कोई पक्ष किसी उपर्युक्त कृत्य में संलिप्त होता है तो उक्त कृत्य अवैध होगा तथा प्रारंभ से ही प्रभावहीन होगा और पक्ष भी लागू कानून के तहत किन्हीं कार्यवाही हेतु भागी होगा।

21. गोपनीयता

21.1 दोनों पक्ष एक दूसरे के कार्यों/व्यापार में भागीदारी करते हुए एक–दूसरे से प्राप्त जानकारी को पूर्णरूप से गोपनीय रखेंगे और इसे किसी ऐसे व्यक्ति के समक्ष उद्घटित नहीं करेंगे जो इस करार में पक्षकार नहीं है।

21.2 दोनों पक्ष अपने कर्मचारियों, अधिकारियों, परामर्शदाताओं, सहयोगियों, ठेकेदार, एजेन्टों, प्राधिकृत व्यक्तियों, तथा ऐसे ही व्यक्तियों को जिन्हें उपयुक्त जानकारी हो, को भी गोपनीयता की बाध्यता के दायित्व से आबद्ध करेंगे।

21.3 दोनों पक्ष, एतद्द्वारा सहमत हैं कि सांविधिक प्राधिकरणों द्वारा मांगे जाने गोपनीय जानकारी का उद्घटन किया जा सकता है।

22. आशोधन

22.1 करार को लिखित के अलावा किसी अन्य पद्धति से आशोधित, फेरफार अथवा समाप्त नहीं किया जा सकता है। युक्तिका करार, अनुलग्नक, अनुसूचियां अथवा कोई अन्य दस्तावेज, चाहे जिस भी नाम से इसे जाना जाए, परंतु इसे करार के संबंध में निष्पादित किया गया हो, के साथ ही साथ करार में किसी भी परिवर्तन पर पक्षों द्वारा लिखित में आपस में सहमति होनी चाहिए तथा उसे पक्षों द्वारा अथवा उनकी ओर से निष्पादित किया जाना चाहिए।

23. बाध्यकारी प्रभाव

23.1 यह करार उपर्युक्त विषय पर पक्षों के बीच सभी पूर्व सहमतियों को आशोधित करता है और इसे दोनों पक्षों द्वारा लिखित के अलावा किसी भी अन्य पद्धति से संशोधित नहीं किया जाएगा। किसी अन्य विषय के संबंध में पक्षों (यदि कोई हो तो) किसी अन्य बोध अथवा इस करार के तहत सम्मिलित नहीं किए गए पक्षों के प्रोद्भूत अधिकार और दायित्व, यदि कोई हो, तो पूर्ण रूप से लागू तथा प्रभावी रहेंगे।

इसके साक्षी स्वरूप पक्षों ने उपर्युक्त तिथि माह तथा वर्ष में अपने हस्ताक्षर किए हैं।

एमएसओ की ओर से हस्ताक्षर किए गए।

(_____)

साक्षियों की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए गए

1. _____

2. _____

एलसीओ की ओर से हस्ताक्षर किए गए।

(_____)

साक्षियों की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए गए

1. _____

2. _____

नोटः मुख्तारनामा/प्राधिकार पत्र की स्वप्रमाणित प्रतियां, जिनके माध्यम से इस करार के हस्ताक्षरकर्ताओं को पक्षों की ओर से इस करार पर हस्ताक्षर करने तथा उसे निष्पादित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है, को इस करार के साथ संलग्न किया जाएगा।

परिभाषाएं तथा निर्वचन

क. परिभाषाएं

इस करार में जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, निम्न शब्दों तथा वाक्यों का अर्थ होगा, जो नीचे दिया गया है:–

(a) **''अधिनियम''** का अभिप्राय भारतीय दूरसंचार प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (1997 का 24), समय–समय पर यथा संशोधित अधिनियम से है;

(b) **''एड्रेसेबल प्रणाली''** का अभिप्राय वही होगा जोकि दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएं अंतःसंयोजन (एड्रेसेबल प्रणालियां) विनियम, 2017 में दिया गया है;

(c) **''प्राधिकरण''** का अभिप्राय भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 की धारा 3 की उप–धारा (1) के तहत स्थापित भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण से है;

(d) **''बुनियादी सेवा टीयर''** का वही अर्थ होगा, जो इसे टैरिफ आदेश में दिया गया है;

(e) **''बुके''** अथवा **''चैनलों के बुके''** से आशय विशिष्ट चैनलों के संकलन से है, जिनकी एक समूह या बंडल के रूप में पेशकश की जाती हैं और जिसमें इसकी सभी व्याकरणिक भिन्नताएं तथा संबंद्ध अभिव्यक्तियों का तदनुसार आशय होगा ;

(f) **''प्रसारक''** से आशय किसी व्यक्ति, व्यक्तियों के समूह, निगमित निकाय, या किसी संगठन या किसी ऐसे निकाय से है, जो अपने नाम पर अपने चैनलों के लिए केंद्र सरकार से डॉउनलिंकिग अनुमति प्राप्त कर प्रोग्रामिंग सेवाएं मुहैया करवाता है" ;

(g) **''केबल सेवाएं** अथवा **केबल टेलीविजन सेवाएं''** से आशय कार्यक्रमों का प्रसारण है, जिसमें केबल के माध्यम से टेलीविजन चैनलों के सिग्नलों का पुनर्प्रसारण शामिल है ;

(h) **''केबल टेलीविजन नेटवर्क अथवा केबल टेलीविजन नेटवर्क''** से आशय है, क्लोज्ड ट्रांसमिशन पाथ और संबन्धित सिगनल जनरेशन नियंत्रण और वितरण उपकरण से मिलकर बनी कोई प्रणाली, जिसे मल्टीपल सब्सक्राइबरों द्वारा केबल सेवा प्राप्त करने के लिए डिजाइन किया गया है ;

(i) **''उपभोक्ता सेवा केन्द्र''** का आशय किसी सेवा की गुणवत्ता विनियम में संदर्भित विभाग अथवा एक सुविधा से है।

(j) **''सीटीएन अधिनियम''** का अभिप्राय समय–समय पर यथा आशोधित केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियम) अधिनियम, 1995 (1995 का सातवां) से है।

(k) **''कूटबद्ध करना''** किसी केबल टेलीविजन नेटवर्क के सिग्नल के संबंध में कूटबद्ध करने का अभिप्राय ऐसे सिग्नल को एक प्रणालीबद्ध तरीके से परिवर्तित करना है ताकि किसी एड्रेसेबल प्रणाली के उपयोग के बिना सिग्नल का उपयोग नहीं किया जा सके और वाक्यांश ''अकूटबद्ध'' का तदनुसार अर्थ होगा;

(l) **''फ्री–टु–एयर–चैनल''** का समान अर्थ होगा, जो टैरिफ आदेश में विहित किया गया है।

(m) **''हार्डवेयर''** का अभिप्राय एक मल्टी सिस्टम ऑपरेटर (एमएसओ) द्वारा अनुमोदित सेट टॉप बॉक्स, रिमोट तथा अन्य संबद्ध पुर्जों तथा सहायक उपकरणों से है ताकि कूटबद्ध रूप में पारेषित चैनलों के सिग्नलों को पढ़ा जा सके।

(n) **"हेड–एंड"** का अभिप्राय एक सुविधा से है, जिसमें उपग्रह, रीसीवर, मॉड्यूलेटर, कम्प्रेशन उपकरण, मल्टीप्लेक्सिस, और कन्डीशनल एक्सेस सुविधाएं अन्य पारेषण उपकरण शामिल हैं और उसमें एन्टीना भी शामिल होते हैं, जो उपग्रह और/अथवा स्थानीय स्टूडियो अथवा संबंद्ध एलसीओ के माध्यम से सब्सक्राइबर को पुनर्प्रसारण हेतु सिग्नल प्राप्त करते हैं।

(o) **"अंतःसंयोजन विनियम"** का अभिप्राय दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएं अंतःसंयोजन (एड्रेसेबल प्रणालियां) विनियम, 2017 से है।

(p) **"पद्धति नियम पुस्तिका (एमओपी)"** का अभिप्राय सेवा की गुणवत्ता विनियम में संदर्भित पद्धति से है।

(q) **"पे–चैनल"** का वही अर्थ होगा, जो उसे टैरिफ आदेश में दिया गया है।

(r) **"पायरेसी"** का अभिप्राय किसी व्यक्ति द्वारा किसी पद्धति अथवा तरीके से केबल टेलीविजन सिग्नल को अप्राधिकृत रूप से प्राप्त करना उसका पुनर्प्रसारण तथा पुनर्वितरण करना है, जिसमें असीमित रूप से किसी पुर्जे अथवा किसी सहायक उपकरण में छेड़–छाड़, उसकी सील के साथ छेड़–छाड़ करना अथवा हार्डवेयर का दुरुपयोग, प्रतिस्थापन, उसे हटाया जाना और/अथवा उसे अन्यत्र ले जाया जाना अथवा सेट–टॉप बाक्स से पहले अथवा उसके बाद किसी किसी डिकोडिंग, सिग्नल प्राप्त करने वाले उपकरण, रिर्काडिंग उपकरण(णों), नकली अथवा अप्राधिकृत उपकरणों का उपयोग करना अथवा कोई अन्य क्रियाकलाप करना, जिसके परिणामस्वरूप एमएसओ अथवा एलसीओ, जैसा भी मामला हो, के ट्रेडमार्क अथवा प्रतिलिप्याधिकार का उल्लंघन हो, है;

(s) **"कार्यक्रम"** का अभिप्राय कोई टेलीविजन प्रसारण है, जिसमें :–

(i) चलचित्रों, वृत्तचित्रों, नाटकों, विज्ञापनों तथा धारावाहिकों का प्रदर्शन;

(ii) कोई भी श्रव्य और दृश्य अथवा श्रव्य–दृश्य सीधा कार्यक्रम अथवा प्रस्तुतिकरण; और

''प्रोग्रामिंग सेवा'' वाक्य का तदनुसार अर्थ लिया जाए;

(t) **"सेवा की गुणवत्ता विनियम"** का अभिप्राय दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएं सेवा की गुणवत्ता के मानक तथा उपभोक्ता संरक्षण (एड्रेसेबल प्रणालियां) विनियम, 2017 से है;

(u) **"सेट टॉप बॉक्स** अथवा **एसटीबी"** का आशय एक ऐसे उपकरण से है जो टेलीविजन रिसीवर से जुड़ा हुआ या उसका एक भाग होता है; और जो सब्सक्राइबर को सब्सक्राइब किए गए चैनलों को देखने में समर्थ बनाता है;

(v) **"स्मार्ट कार्ड"** का अभिप्राय मल्टी सिस्टम ऑपरेटर (एमएसओ) द्वारा हार्डवेयर के भाग विधिवत रूप से अनुमोदित कार्ड से है, जो किसी सब्सक्राइबर को केबल टेलीविजन चैनल के सिग्नल तक पहुंचने हेतु सक्षम बनाता है;

(w) **"सब्सक्राइबर"** "सब्सक्राइबर' से आशय इस विनियम के प्रयोजनार्थ ऐसे व्यक्ति से है जो किसी टेलीविजन चैनल के वितरक द्वारा उपलब्ध कराई गई टेलीविजन प्रसारण सेवाओं को ऐसे व्यक्ति द्वारा बताए गए स्थान पर बिना किसी अन्य व्यक्ति को पुनर्प्रसारित किए केबल टेलीविजन के सिग्नल प्राप्त करता है और केबल टेलीविजन के सिग्नलों को आगे अन्य किसी अन्य व्यक्ति को कोई विशिष्ट धनराशि प्राप्त कर न ही सुनने देता है और न ही देखने देता है और सब्सक्राइब की गई टेलीविजन प्रसारण सेवाओं को प्राप्त करने के लिए ऐसे प्रत्येक स्थान पर अवस्थित ऐसा प्रत्येक सेट टॉप बॉक्स एक सब्सक्राइबर माना जाएगा।

(x) **"सब्सक्राइबर प्रबंधन प्रणाली** अथवा **एसएमएस**से आशय है, कोई प्रणाली या उपकरण जो सब्सक्राइबर का नाम और पता, सब्सक्राइबर द्वारा उपयोग में लाया जा रहा हार्डवेयर, सब्सक्राइबर द्वारा सब्सक्राइब्ड चैनल या चैनलों के बुके (गुच्छे), प्रणाली में यथापरिभाषित चैनलों के बुक या चैनलों का मूल्य, किसी चैनल या चैनलों के बुके की एक्टिवेशन या डिएक्टिवेशन की तारीख और समय, सब्सक्राइबर के रिकार्ड पर किए गए सभी कार्यों का एक लॉग, प्रत्येक सब्सक्राइबर को दिए गए इनवॉइस और भुगतान की गई धनराशि का प्रत्येक बिलिंग अवधि के लिए सब्सक्राइबर को प्रदान की गई छूट के संबंध में सब्सक्राइबर का रिकार्ड तथा ब्योरा एकत्रित करता है।

(y) **"टैरिफ आदेश"** का अभिप्राय दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएं (आठवां) (एड्रेसेबल प्रणालियां) टैरिफ आदेश, 2017 से है।

(z) **"ट्रंक लाइन"** का अभिप्राय कोएक्सियल/ऑप्टिक फाईबर केबल नेटवर्क तथा अन्य संबंद्ध उपकरण जैसे रीसिवर नोड्स, एम्प्लीफायर, स्पिल्टिर्स आदि से है, जिनके स्वामी तथा संस्थापनाकर्त्ता मल्टी सिस्टम केबल ऑपरेटर (एमएसओ) अथवा उसकी संबंद्ध कंपनियां होती हैं ताकि एलसीओ सहित विभिन्न एलसीओ के अंतिम उपभोक्ता तक विभिन्न एलसीओ को केबल टेलीविजन सिग्नलों का पारेषण किया जा सके ताकि वे संबंधित सब्सक्राइबरों का केबल टेलीविजन सिग्नलों का पुनर्प्रसारण कर सकें।

इस अंतःसंयोजन करार में उपयोग किए गए अन्य सभी शब्दों तथा वाक्य, जिनका निर्वचन नहीं किया गया है परंतु उसके तहत तथा केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियम) अधिनियम, 1995 (वर्ष 1995 का सातवां) और तत्संबंध के तहत बनाए गए बनाए गए नियम तथा विनियम में परिभाषित किया गया है, उनका क्रमशः वही अर्थ होगा जो उन अधिनियमों, नियमों अथवा विनियमों, जैसा भी मामला हो, में दिया गया है।

ख. निर्वचन

इस करार में जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो :

(क) इस करार में किसी एकवचन के संबंध में दिए गए किसी संदर्भ में बहुवचन तथा प्रतिलोमतः भी सम्मिलित होगा तथा किसी एक लिंग के संबंध में दिए गए संदर्भ में सभी लिंग सम्मिलित होंगे जबतक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो;

(ख) ''व्यक्ति'' शब्द में व्यक्ति विशेष, निगम, कारपोरेशन, भागीदारियां, व्यक्तियों के संघ तथा अन्य कंपनियां सम्मिलित हैं;

(ग) किसी अनुच्छेद, खण्ड, उप–खण्ड, परिशिष्ट, अनुलग्नकों के संबंध में किया गया कोई उल्लेख करार में उल्लिखित अनुच्छेद, खण्ड, उप–खण्ड, परिशिष्ट, अनुलग्नक माना जाएगा, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा उपबंध न हो;

(घ)'' माह'' के संबंध में किया संदर्भ का अभिप्राय एक कलेण्डर माह होगा;

(ङ) शीर्षक तथा नाम केवल संदर्भ की सुलभता के लिए हैं तथा इस करार के निर्वचन को प्रभावित नहीं करेंगे तथा किसी भी स्थिति में उन्हें शीर्षक से अलग रखकर इस प्रकार नहीं पढ़ा जाना चाहिए, जिससे ऐसा अर्थ निकले जो इस करार की विभिन्न खण्डों के निर्वचन के अनुकूल नहीं हो;

(च) विधि, विनियम, सांविधिक उपबंध, आदेश, दिशानिर्देश, नीति आदि के संबंध में किये गए किसी संदर्भ में समय–समय पर यथा आशोधित, संहिताबद्ध, संशोधित अथवा पुनः अधिनियमित ऐसे कानून अथवा विनियम अथवा उपबंध, आदेश, दिशानिर्देश, नीति आदि के संबंध में किया गया संदर्भ शामिल है।

अनुसूची 7

(विनियम 14 के उप–विनियम (1) और (3) देखें)

मासिक उपभोक्ता संख्या रिपोर्ट

A: टेलीविजन चैनलों के वितरक द्वारा प्रसारक को मुहैया कराई जाने वाली चैनलों और बुकों की मासिक उपभोक्ता संख्या रिपोर्ट

रिपोर्ट का महीना:_____ वर्ष:_____

A.1 चैनल या बुके के मासिक उपभोक्ताओं की गणना सारणी–1 और सारणी–2 के अनुसार, प्रत्येक माह में चार बार दर्ज उक्त चैनल या बुके, जैसा भी मामला हों, के उपभोक्ता की गणना का औसत निकाल कर की जाएगी। उपभोक्ताओं की गणना को किसी मामले के लिए दिन के 19:00 बजे से 23:00 बजे के बीच दर्ज किया जाएगा।

सारणी 1– अला–कार्टे चैनलों के लिए मासिक उपभोक्ता गणना

क्र. सं.	चैनल का नाम	माह के 7वें दिन की चैनल के उपभोक्ताओं की संख्या	माह के 14वें दिन की चैनल के उपभोक्ताओं की संख्या	माह के 21वें दिन की चैनल के उपभोक्ताओं की संख्या	माह के 28वें दिन की चैनल के उपभोक्ताओं की संख्या	चैनल की मासिक उपभोक्ता गणना
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=[(3)+(4)+(5)+(6)]/4
1.						
2.						

सारणी 2– पे चैनलों के बुके के लिए मासिक उपभोक्ता गणना

क्र. सं.	पे चैनलों के बुके का नाम	प्रसारक के बुके के घटक चैनलों का नाम	माह के 7वें दिन की बुके के उपभोक्ताओं की संख्या	माह के 14वें दिन की बुके के उपभोक्ताओं की संख्या	माह के 21वें दिन की बुके के उपभोक्ताओं की संख्या	माह के 28वें दिन की बुके के उपभोक्ताओं की संख्या	चैनल की मासिक उपभोक्ता गणना
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=[(4)+(5)+(6)+(7)]/4

1.							
2.							

B: उपभोक्ता संख्या रिपोर्ट उन मामलों में, जिनमें कैरिज शुल्क का लेनदेन शामिल है ।

रिपोर्ट का महीना:_____ वर्ष:_____

टार्गेट मार्केटः _____

B1: चैनल वितरक के द्वारा कैरी किए जाने वाले चैनल के लिए मासिक उपभोक्ता संख्या की गणना इस अनुसूची के सारणी 1 के तरीके से की जाएगी ।

B2: टार्गेट मार्केट में सक्रिय उपभोक्ता आधार की औसत संख्या को सारणी–3 के विधि से प्रत्येक माह में चार बार दर्ज सक्रिय उपभोक्ता आधार की संख्या का औसत निकाल कर ज्ञात किया जाएगा। नेटवर्क के सक्रिय उपभोक्ता आधार की संख्या किसी मामले के लिए दिन के 19:00 बजे से 23:00 बजे के बीच दर्ज की जाएगी।

।

सारणी 3 – टार्गेट मार्केट में सक्रिय उपभोक्ता आधार की संख्या

एसटीबी का प्रकार	माह के 7वें दिन सक्रिय उपभोक्ता आधार की संख्या	माह के 14वें दिन सक्रिय उपभोक्ता आधार की संख्या	माह के 21वें दिन सक्रिय उपभोक्ता आधार की संख्या	माह के 28वें दिन सक्रिय उपभोक्ता आधार की संख्या	माह की सक्रिय उपभोक्ता आधार की औसत संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=[(2)+(3)+(4)+(5)]/4
स्टैंडर्ड डेफिनेशन					
हाई डेफिनेशन					

B3: स्टैंडर्ड डेफिनेशन चैनल के कैरिज शुल्क की गणना के लिए टारगेट मारकेट में स्थापित स्टैंडर्ड डेफिनेशन सेट टॉप बॉक्स और हाई डेफिनेशन सेट टॉप बॉक्स के औसत सक्रिय उपभोक्ता आधार को लिया जाएगा ।

B4: हाई डेफिनेशन चैनल के कैरिज शुल्क की गणना के लिए टारगेट मारकेट में स्थापित हाई डेफिनेशन सेट टॉप बॉक्स के औसत सक्रिय उपभोक्ता आधार को लिया जाएगा ।

नोटः

1 टेलीविजन चैनलों के वितरक से सब्सक्राइब की गई टेलीविजन प्रसारण सेवाएं प्राप्त करने के लिए उपभोक्ता द्वारा इंगित स्थान पर लगे प्रत्येक सेट टॉप बॉक्स में एक उपभोक्ता शामिल होगा।

2 रिपोर्टें केवल पढ़ने की अनुमति के साथ गैर–संशोधीय पीडीएफ फार्मेट में जनरेट की जाएगी।

दूरसंचार (प्रसारण एवं केवल) अंतःसंयोजन (एड्रेसेबल प्रणाली) विनियम, 2017 (2017 का संख्या 1) का व्याख्यात्मक ज्ञापन

पृष्ठभूमि

1. भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम में, भारतीय दूरसंचार विनियम प्राधिकरण को, अन्य कार्यों के साथ–साथ, भिन्न–भिन्न सेवा प्रदाताओं के बीच तकनीकी सुसंगतता और प्रभावी अंतःसंयोजन सुनिश्चित करने, सेवा प्रदाताओं के बीच अंतःसंयोजनीयता की शर्तें और निबंधन निर्धारित करने और दूरसंचार सेवाएं उपलब्ध कराने से प्राप्त अपने राजस्व सहभाजित करने के लिए सेवा प्रदाताओं के बीच व्यवस्था विनियमित करने के कार्य सौंपे गए हैं। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम की धारा 2(k) के अनुसार, वर्ष 2004 में केंद्रीय सरकारी अधिसूचना के जरिए प्रसारण एवं केवल सेवाओं को प्राधिकरण के दायरे में लाया गया था। सेवा प्रदाताओं के बीच, अंतःसंयोजन एक तकनीकी–वाणिज्यिक समझौता है, जिसके जरिए सेवा प्रदाता, उपभोक्ताओं को प्रसारण सेवाएं प्रदान करने के लिए अपने उपस्कर और जालक्रम (नेटवर्क) संयोजित करते हैं।

2. भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ऊपर उल्लिखित कार्यों का निर्वहन करने के लिए, प्राधिकरण समय–समय पर, प्रसारण एवं केवल सेवाओं के सेवा प्रदाताओं के बीच अंतःसंयोजन हेतु विनियामक ढांचा अधिसूचित करता है। इस ढांचे के अंतर्गत सेवा प्रदाता, समझौता करने और प्रसारण सेवाएं उपलब्ध कराने से प्राप्त राजस्व सहभाजित करने के लिए अपनी वाणिज्यिक और तकनीकी शर्तों को अंतिम रूप देते हैं।

3. प्रसारण एवं केबल सेवाओं के लिए प्रथम अंतःसंयोजन विनियम नामतः दूरसंचार (प्रसारण एवं केबल सेवाएं) अंतःसंयोजन विनियम, 2004 (2004 की 13) (जिसे इसमें आगे अंतःसंयोजन विनियम, 2004 कहा गया है) प्राधिकरण द्वारा 10/12/2004 को अधिसूचित की गई थी। ये मूलतः, उस समय प्रचलित एनॉलॉग मोड में टेलीविज़न चैनल संकेतों के पुनः प्रेषण हेतु सेवा प्रदाताओं के बीच अंतःसंयोजन समझौते विनियमित करने के लिए अधिसूचित किए गए थे। समय–समय पर, डायरेक्ट टू होम (डीटीएच), हेड ऐण्ड इन दि स्काई (एचआईटीएस) और इंटरनेट प्रोटोकोल टेलीविज़न (आईपीटीवी) आदि जैसे एड्रेसेबल प्रणाली शामिल करने के लिए अंतःसंयोजन विनियमावली, 2004 का दायरा स्पष्ट करने और उसका विस्तार करने की आवश्यकता उत्पन्न हुई। अंतःसंयोजन विनियमावली, 2004 की मूलभूत विशेषताओं में, अन्य बातों के साथ–साथ टीवी चैनलों के वितरकों को गैर–पक्षपातपूर्ण शर्तों पर किसी टीवी चैनल के संकेत उपलब्ध कराने, अंतःसंयोजन के लिए संदर्भ अंतःसंयोजन प्रस्ताव (आरआईओ) प्रकाशित करने, लिखित अंतःसंयोजन करार करने, टीवी चैनल के संकेतों के विसंयोजन और उपभोक्ता आधार का पता लगाने के लिए उपबंध सम्मिलित हैं।

4. प्रौद्योगिकी के विकास ने, केबल टीवी सेवाओं के डिजिटलीकरण और एड्रेसेबिलिटी का मार्ग प्रशस्त किया। केबल टीवी सेवाओं में एड्रेसेबिलिटी वाला डिजिटलीकरण कार्यान्वित करने के लिए संसद ने 30 दिसंबर, 2011 को केबल टेलीविज़न नेटवर्क (विनियम) अधिनियम, 1995 संशोधित किया। बाद में, 28 अप्रैल, 2012 को भारत सरकार द्वारा केबल टेलीविज़न नेटवर्क (संशोधन) नियमावली, 2012 अधिसूचित की गई थी। केबल टीवी नियमावली, 2012 की अधिसूचना के तुरंत बाद, प्राधिकरण ने 30 अप्रैल, 2012 की दूरसंचार (प्रसारण एवं केवल सेवाएं) अंतःसंयोजन (डिजिटल एड्रेसेबल केबल टेलीविज़न प्रणाली) विनियमावली, 2012 (2012 की 9) (जिसे इसमें आगे दूरसंचार विनियमावली, 2012 कहा गया है) अधिसूचित की। ये विनियम विशेष रूप से डिजिटल एड्रेसेबल केबल टेलीविज़न प्रणाली (डीएएस) के जरिए उपलब्ध कराई जाने वाली केबल टीवी सेवाओं के लिए लागू थे। जबकि दूरसंचार विनियमावली, 2004, गैर–एड्रेसेबल केबल टीवी प्रणालियों के लिए और डीटीएच, एचआईटीएस तथा आईपीटीवी जैसी अन्य एड्रेसेबल प्रणालियों के लिए भी जारी रहीं। दूरसंचार विनियमावली, 2012 की मूलभूत विशेषताएं, ऊपर पैरा 3 में उल्लिखित अंतःसंयोजन नियमावली, 2004 की मूलभूत विशेषताओं के समान थीं।

5. 31 मार्च, 2017 के पश्चात भारत सरकार द्वारा अधिसूचित रूपरेखा के अनुसार, केबल टीवी सेवाओं की व्यवस्था करने की अनुमति, केबल डिजिटल एड्रेसेबल प्रणाली के जरिए ही प्रदान की जाएगी। अब तक अधिकांश डीएएस अधिसूचित क्षेत्रों में केबल टीवी सेवाओं का डिजिटलीकरण पूरा कर लिया गया है। डीएएस अधिसूचित क्षेत्रों में केबल टीवी सेवाओं के डिजिटलीकरण और एड्रेसेबिलिटी के कार्यान्वयन के साथ प्रसारण एवं केबल सेवाओं के अधिकांश उपभोक्ता, एड्रेसेबल प्रणाली के जरिए ये सेवाएं प्राप्त करते हैं।

6. एड्रेसेबल प्रणालियों के जरिए उपलब्ध कराई गई प्रसारण एवं केबल सेवाओं को, 'ऐनालॉग नॉन–एड्रेसेबल प्रणालियों के जरिए उपलब्ध कराई जाने वाली प्रसारण एवं केबल सेवाओं की तुलना में अनेक लाभ प्राप्त हैं। एड्रेसेबल प्रणालियां, उपभोक्ताओं को सेवाएं प्रदान करने में दक्ष हैं और उपभोक्ताओं को सेवाएं चुनने में समर्थ करते हैं। उपभोक्ता, सिग्नल बेहतर गुणवत्ता, देखने की वृद्धित अनुभूति, चैनलों के अधिक विकल्प प्राप्त करते हैं और वे केवल उन्हीं चैनलों/सेवाओं के लिए भुगतान करते हैं, जिनके लिए वे अंशदान करते हैं। सेवा प्रदाताओं के लिए एड्रेसेबल प्रणालियां, सत्यापनयोग्य मापदंडों पर आधारित पारदर्शी व्यवसाय लेन–देनों को समर्थ बनाती हैं, विषय–वस्तु की सुरक्षा को समर्थ बनाती हैं। सरकार द्वारा कर संग्रहण, बाज़ार के वास्तविक आकार के अनुरूप होता है।

7. डिजिटलीकरण का पूरा लाभ, पणधारियों को केवल तभी प्राप्त हो सकता है, यदि व्यवसाय संबंधी लेन–देन, उद्देश्य, मापनयोग्य और परिकलनयोग्य मापदंडों पर आधारित हो। प्रभावी प्रतियोगिता तभी संभव है, जब अंतःसंयोजन, पारदर्शी और गैर–पक्षपातपूर्ण सिद्धांतों पर आधारित हो। प्राधिकरण को संज्ञान है कि अंतःसंयोजन विनियम ढांचा पारदर्शी और गैर पक्षपात पूर्ण नियमों को सुनिश्चित करने के लिए सेक्टर में आवश्यक अनुशासन लाने में सहायक होना चाहिए। साथ ही साथ ढांचे में व्यवसाय करने और अभिनवीकरण के लिए मूल्य श्रृंखला में सेवा प्रदाताओं को आवश्यक स्वतंत्रता भी उपलब्ध कराई जानी चाहिए। इसे सभी सेवा प्रदाताओं को समान अवसर और उपभोक्ताओं को प्रभावी विकल्प उपलब्ध कराने में समर्थ होना चाहिए।

8. विनियामक ढांचे को, इस सेक्टर में होने वाली प्रमुख प्रगतियों के साथ गति बनाए रखने के लिए विकसित होना चाहिए। तदनुसार, प्राधिकरण ने, एड्रेसेबल प्रणालियों, जिनमें प्रशुल्क संबंधी आदेश और अंतःसंयोजन तथा सेवा की गुणवत्ता (क्यू ओएस) विनियमावली शामिल हैं, के जरिए प्रदान की गई प्रसारण एवं केबल सेवाओं के लिए विनियामक ढांचे की संपूर्ण और हॉलिस्टिक तरीके से समीक्षा करने का निर्णय लिया।

9. स्थापित पद्धति के अनुरूप, प्रसारण एवं केबल सेवाओं के विनियामक ढांचे की समीक्षा करने के लिए, प्राधिकरण ने प्रशुल्क, अंतःसंयोजन और क्यूओएस मुद्दों पर परामर्श पत्रों की श्रृंखलाएं जारी कीं। "टीवी सेवाओं से संबंधित प्रशुल्क मुद्दे" विषय पर परामर्श पत्र 29 जनवरी, 2016 को जारी किया गया था, "एड्रेसेबल प्रणालियों के जरिए वितरित प्रसारण टीवी सेवाओं के लिए अंतःसंयोजन ढांचा" 4 मई, 2016 को जारी किया गया था और "डिजिटल एड्रेसेबल प्रणालियों और उपभोक्ता संरक्षण में सेवाओं की गुणवत्ता से संबंधित मुद्दे" 18 मई, 2016 को जारी किया गया था।

10. "एड्रेसेबल प्रणालियों के जरिए वितरित प्रसारण टीवी सेवाओं के लिए अंतःसंयोजन ढांचा" (सीपी) विषय पर परामर्श के लिए, अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत करने के लिए पणधारियों को मूलतः एक महीने का समय दिया गया था। पणधारियों के अनुरोधों पर, टिप्पणियां प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख, एक सप्ताह के समय अर्थात 10 जून, 2016 तक बढ़ा दी गई थी। प्रति टिप्पणियां प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख 17 जून, 2016 थी। इस परामर्श सत्र के प्रत्युत्तर में पणधारियों से कुल 28 टिप्पणियां और 1 प्रति–टिप्पणी प्राप्त हुई थी। बाद में, पणधारियों के साथ अंतःसंयोजन से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए दिल्ली में 13 जुलाई, 2016 को 'ओपन हाउस चर्चा' (ओएचडी) कार्यक्रम किया गया था, जिसमें पणधारियों ने बड़ी संख्या में भाग लिया था।

11. पणधारियों द्वारा उपलब्ध कराई गई टिप्पणियों और प्रति–टिप्पणियों के विस्तृत विश्लेषण और उपलब्ध सूचना के आधार पर अंतःसंयोजन से संबंधित मुद्दों की आंतरिक जांच के पश्चात प्राधिकरण ने अंतःसंयोजन विनियमावली, 2016 नामतः दूरसंचार (प्रसारण एवं केबल सेवा) अंतः संयोजन (एड्रेसेबल प्रणालियां) विनियमावली, 2016 का मसौदा तैयार किया और व्याख्यात्मक ज्ञापन, जिसमें पणधारियों के साथ परामर्श हेतु अंतःसंयोजन विनियमावली, 2016 के मसौदे के उद्देश्य और कारण विस्तार से दिए गए थे, के साथ यह मसौदा भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण की वेबसाइट पर अपलोड किया गया था। पणधारियों से यह अनुरोध किया गया था कि वे मसौदे पर अपनी टिप्पणियां/विचार, विशेष रूप से मसौदे में सुझाए गए विशिष्ट मूल्यों पर, उपलब्ध कराएं। टिप्पणियों के लिए पणधारियों को 28 अक्तूबर, 2016 तक का समय दिया गया था, जिसे पणधारियों के अनुरोध पर प्राधिकरण द्वारा 15 नवंबर, 2016 तक बढ़ा दिया गया था। पणधारियों से यह अनुरोध भी किया गया था कि वे अन्य विनियमावली के मसौदे/प्रशुल्क आदेशों के साथ और के अंदर विनियमावली की पूर्णता और सुसंगतता पर अपने इनपुट उपलब्ध कराएं। विचारों/टिप्पणियों को बेहतर समझने के लिए पणधारियों से अनुरोध किया गया था कि वे पर्याप्त औचित्य के साथ अपने इनपुट उपलब्ध कराएं। इसके प्रत्युत्तर में कुल 45 टिप्पणियां प्राप्त हुई थीं और ये लिखित टिप्पणियां भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण की वेबसाइट पर अपलोड की गई थीं। पणधारियों से प्राप्त टिप्पणियों पर विचार करने और आंतरिक विश्लेषण के पश्चात, प्राधिकरण ने दूरसंचार (प्रसारण एवं केबल) सेवा अंतःसंयोजन (एड्रेसेबल प्रणालियां) विनियमावली, 2016 को अंतिम रूप दिया। उत्तरवर्ती पैराग्राफों में दूरसंचार (प्रसारण एवं केबल) सेवा अंतःसंयोजन (एड्रेसेबल प्रणालियां) विनियमावली, 2016 के उद्देश्य और कारण स्पष्ट किए गए हैं।

<u>कॉपीराइट मामले</u>

12 मसौदा इंटरक्नेक्शन विनियमावली, 2016 की प्रतिक्रिया में कुछ प्रसारकों द्वारा यह कहा गया है कि ''गैर–अनन्य'' तथा ''अवश्य उपलब्धि'' के संबंध में किए गए प्रावधान प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम, 1957 के कुछ प्रावधानों के परस्पर विरोधी हैं । उनका यह दावा है कि प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम, 1957 में विषय स्वामियों तथा प्रसारण संगठनों को अपने कार्य के लिए विशिष्ट लाइसेंस अथवा निर्धारण करने तथा प्रसारण पुनर्निमाण अधिकार प्रदान करने की अनुमति प्राप्त है जबकि मसौदा विनियमों के अंतर्गत प्रसारकों से अनिवार्य तौर पर अपने चैनल टेलीविजन चैनलों के वितरकों को गैर अनन्य आधार पर उपलब्ध करवाने की अपेक्षा की गई है । उनका यह भी कहना है कि मसौदा इंटरक्नेक्शन विनियम, 2016 में प्रसारकों को वितरकों के साथ मोलभाव करने का अधिकार प्रदान नहीं किया गया है ।

13 प्राधिकरण का यह मानना है कि टेलीविजन चैनल एक पृथक एवं अलग प्रकार का 'उत्पाद' है तथा इसमें फिल्में, खेल, नाटक, धारावाहिक, संगीत इत्यादि जैसे अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम होते हैं । इनमें से कुछ कार्यक्रम प्रसारकों द्वारा स्वयं निर्मित किए जाते हैं अथवा वे अन्य विषय उत्पादकों अथवा उत्पादन गृहों से इनकी प्राप्ति लाइसेंस /निर्धारण के माध्यम से प्राप्त करते हैं । तदनुसार, टेलीविजन चैनल विभिन्न प्रकार के कॉपीराइट योग्य कार्य होते हैं जिनका स्वामित्व या तो उनके पास होता है या फिर प्रसारक द्वारा अन्य कॉपीराइट स्वामियों / लेखकों से इनकी प्राप्ति लाइसेंस / निर्धारण के माध्यम से की जाती है । इन्टरक्नेक्शन विनियम, 2017 के प्रावधानों से किसी भी स्वरूप में यह नियंत्रण नहीं किया जा सकता कि प्रसारकों द्वारा किस मूल्य/रॉयल्टी पर अथवा किस प्रकार विषय स्वामियों से इनकी प्राप्ति की जा सकती है । इन विनियमों में किसी भी प्रकार से प्रसारकों द्वारा अपने टेलीविजन चैनलों के लिए विषय स्वामियों से लाइसेंस प्राप्त करने की प्रक्रिया का नियमन नहीं किया गया है तथा न ही इसमें टेलीविजन चैनलों के लिए विशेष रू॰ से कापीराइट युक्त कार्यों के विनियमन की व्यवस्था की गई है । इन विनियमों के अंतर्गत तथापि डीपीओ को अंशदाताओं के सम्मुख प्रस्तुति के लिए टेलीविजन चैनलों की प्राप्ति बिना किसी पक्षपात के आधार पर होती है । तदनुसार प्रसारक द्वारा दिया गया यह दावा सही नहीं है कि विनियमों में किए गए प्रावधान कॉपीराइट अधिनियम के परस्पर विरोधी हैं ।

14 प्रसारक द्वारा डीपीओ को गैर अनन्य आधार पर टेलीविजन सिग्नलों की अनिवार्य उपलब्धि तथा आरआईओ के आधार पर अनुबंध की अनिवार्यता प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम के प्रावधानों के परस्पर विरोधी होने के संबंध में किया गया दावा सुव्यवस्थित विधिक स्थिति के अनुसार नहीं है । इस मामले का निपटान माननीय टीडीएसएटी द्वारा मैसर्स नोएडा सॉफ्टवेयर टैक्नॉलोजी पार्क लिमिटेड बनाम मैसर्स मीडिया प्रो एंटरप्राइज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड एवं अन्यों के मामले की वर्ष 2014 की याचिका संख्या 295(सी) पर दिनांक 7.

12.2015 को दिए गए निर्णय से हो गया था । मैसर्स नोएडा सॉफ्टवेयर टैक्नॉलोजी पार्क लिमिटेड बनाम मैसर्स मीडिया प्रो एंटरप्राइज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के मामले के संबंध में माननीय टीडीएसएटी के निर्णय पर अपील दायर की गई थी तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 2016 की सिविल अपील संख्या 1446 को दिनांक 26.2.2016 को जारी आदेश के माध्यम से खारिज कर दिया गया था ।

15 प्रसारकों द्वारा आरआईओ के आधार पर इंटरक्नेक्शन अनुबंध पर हस्ताक्षर किए जाने से प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम के तहत उन्हें अपने बीआरआर की लाइसेंसिंग के पारस्परिक मोलभाव के लिए प्राप्त अधिकार समाप्त होने के संबंध में दिया गया तर्क भी मान्य नहीं है । इस विषय पर इस ओर ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि केबल टेलीविजन नेटवर्क नियमावली, 1994 के नियम 10 के साथ पठनीय नियम 9 के अंतर्गत भादूविप्रा के लिए प्रसारक तथा एमएसओ के मध्य इंटरक्नेक्शन के लिए किए जाने वाले मानक इंटरक्नेक्शन अनुबंध (एसआईए) का उल्लेख किए जाने की अनिवार्यता की गई है । तथापि, इन विनियमों के संबंध में भादूविप्रा द्वारा वस्तुतः प्रसारकों के लिए आरआईओ अथवा एसआई के संबंध में किसी प्रकार का ऐसा विर्निदेशन नहीं किया गया है जिससे नवोपाय एवं अपनी प्रस्तुतियों के प्रति उन्हें पूर्ण बाजार स्वतंत्रता प्राप्त हुई हौै। इन विनियमों से प्रसारकों को विनियमों / मूल्य सूची आदेश के अनुपालन की शर्त पर अपनी पसंद के अनुसार आरआईओ के निर्माण तथा डिजायन करने की स्वतंत्रता प्राप्त होती है । माननीय टीडीएसएटी ने स्टार स्पोर्ट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड बनाम हैथवे केबल एंड डाटाकॉम लिमिटेड के मामले में 2014 की याचिका संख्या 47(सी) पर अपने दिनांक 25.9.2014 के निर्णय में समान अवसरों की उपलब्धि के उपाय के सुनिश्चय के लिए आरआईओ की अवधारणा के लिए अनुमोदन दिया गया है । इन विनियमों में यदि कुछ किया जा सकता था तो वह यह है कि इनके संबंध में भादूविप्रा ने विनियामक द्वारा किए जाने वाले हस्तक्षेप का दायरा कम कर दिया है ।

16 ऊपर संदर्भित निर्णयों में माननीय टीडीएसएटी द्वारा कॉपीराइट तथा इन्टरक्नेक्शन विनियमों के मामलों पर गहनता से विचार किया गया है तथा निश्चयात्मक रूप से यह निर्धारण किया गया है कि गैर–अन्ययता, पक्षपात रहित, इंटरक्नेशन प्रस्ताव के संदर्भ इत्यादि से संबंधित प्रावधान प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम के प्रावधानों से परस्पर विरोधी नहीं हैं ।

<u>गैर–अपवर्जकता का सिद्धांत</u>

17. अंतः संयोजन विनियमावली, 2004 और अंतः संयोजन विनियमावली, 2012 में उन अपवर्जक समझौतों का निषेध किया गया है जो सेवा प्रदाताओं के बीच वितरण नेटवर्क तक पहुंच या टीवी चैनलों के सिग्नल प्राप्त करने के लिए अन्य सेवा प्रदाताओं को रोकते हैं। गैर–अपवर्जकता के सिद्धांत की जांच प्राथमिकतः उपभोक्ताओं के दृष्टिकोण से की जानी होगी। जबकि इस परिस्थिति में, हालांकि बड़ी संख्या में प्रसारणकर्ता पूरे लोकप्रिय प्रकार से उपस्थित हैं, परंतु प्रतियोगिता टीवी चैनलों के एकाधिकार वाले स्वरूप के कारण अपूर्ण है। उसी प्रकार के अंदर टीवी चैनलों को उनके ब्रांडिंग और कार्यक्रमों की बनावट द्वारा एक–दूसरे से भिन्न कर दिया जाता है। वे उपभोक्ताओं की अवधारणा में पूर्ण विकल्प नहीं हैं जैसाकि किसी एकाधिकार में एकाधिकार वाली प्रतियोगिता में फर्में मूल्य प्राप्तकर्ताओं के बजाय मूल्य निर्धारितकर्ता हैं। यदि किसी बाज़ार विशेष में मांग वाला कोई टीवी चैनल किसी एक टीवी वितरण नेटवर्क पर उपलब्ध नहीं है और दूसरा लोकप्रिय चैनल उस बाज़ार में किसी प्रतियोगी वितरण नेटवर्क पर उपलब्ध नहीं है तो उस बाज़ार में उपभोक्ताओं को अपने पसंदीदा चैनलों को देखने के लिए एक से अधिक ऑपरेटरों की सेवाओं हेतु अंशदान करना पड़ सकता है। प्रसारण और केबल टीवी सेक्टर में, कुछ सीमा तक, प्रसारणकर्ताओं और डीपीओ के बीच वर्टिकल इंटेग्रेशन अभी भी मौजूद है। किसी भी प्रकार के ऐसे अपवर्जक समझौते, जिनके द्वारा लोकप्रिय टीवी चैनलों के सिग्नल किसी प्रतियोगी को मना किए जा सकते हैं ताकि प्रसारणकर्ता के एकीकृत वितरण नेटवर्क को बढ़ावा दिया जा सके, उचित प्रतियोगिता और उपभोक्ताओं की पसंद को प्रभावित कर सकते हैं। इसी प्रकार, किसी डीपीओ द्वारा किसी प्रसारणकर्ता या एलसीओ के साथ कोई ऐसा समझौता या व्यवस्था करना, डीपीओ के नेटवर्क तक अन्य प्रसारणकर्ता या अन्य एलसीओ की पुनः प्रेषण या टीवी चैनलों के सिग्नल प्राप्त करने के लिए डीपीओ के नेटवर्क तक पहुंच को रोकता है, प्रतियोगिता के प्रतिकूल हो सकता है।

18 प्रसारण सेवाओं तथा केबल सेवाओं के क्षेत्र के विनियामक के तौर पर भादूविप्रा द्वारा इस क्षेत्र के लिए समान अवसर प्रदान करने एवं स्वच्छ प्रतिस्पर्द्धा के निर्माण का सुनिश्चय करने तथा उपभोक्ताओंएवं सेवा प्रदात्ताओं के हितों के संरक्षण का सुनिश्चय करने से

संबंधित कार्य किए जा रहे हैं । तदनुसार, भादूविप्रा को बाजार में प्रतिस्पर्द्धा के लिए हानिकर सभी मामलों की देख रेख तथा प्रत्याशित आधार पर उपाय करने की शक्तियां प्राप्त हैं । प्राधिकरण का ऐसा मानना है कि टेलीविजन चैनलों के वितरण के लिए किसी प्रकार की अन्ययता प्रतिस्पर्द्धा के लिए हानिकर है तथा इसलिए इसकी अनुमति प्रदान नहीं की जानी चाहिए एवं सिग्नल के लिए प्रावधानों की अनिवार्यता स्वच्छ प्रतिस्पर्द्धा तथा उपभोक्ता हित के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए एक अर्थपूर्ण उपाय है । इसलिए, प्राधिकरण का यह मत था कि टीवी चैनल के वितरण में किसी भी प्रकार की अपवर्जकता प्रतियोगिता के लिए प्रतिकूल है और इसलिए इसकी अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। तद्नुसार, अंतः संयोजन विनियमावली, 2016 में गैर–अपवर्जकता के आवश्यक उपबंध किए गए थे। अंतः संयोजन विनियमावली, 2016 के मसौदे के प्रत्युत्तर में प्राप्त टिप्पणियों का विश्लेषण करने के पश्चात ऐसा प्रतीत होता है कि इस सिद्धांत को व्यापक रूप से स्वीकार किया गया है और इसलिए गैर–अपवर्जकता का सिद्धांत इन विनियमों में रखा गया है!

'मस्ट कैरी'

19 इसी प्रकार, 'मस्ट कैरी' संबंधी उपबंध, अविभेदकारी आधार पर और इस संबंध में अनुरोध प्राप्त होने पर डीपीओ के लिए प्रसारकों के टीवी चैनलों के सिगनलों को कैरी करने को अनिवार्य बनाते हैं। 'मस्ट कैरी' संबंधी उपबंध इंटरकनेक्शन विनियम, 2012 में विद्यमान हैं जो डीएएस के जरिये मुहैया कराई जा रही केबल टीवी सेवाओं पर लागू थे। इंटरकनेक्शन विनियम, 2012 के 'मस्ट कैरी' उपबंध हिंदी, अंग्रेजी और क्षेत्रीय चैनलों के प्रसारकों को उपभोक्ताओं को पुनःप्रसारित करने के लिए एमएसओ के नेटवर्क को प्राप्त करने में समर्थ बनाते हैं। हालांकि, इंटरकनेक्शन विनियम, 2004, जो गैर–एड्रेसेबल केबल टीवी सिस्टम और अन्य एड्रेसेबल सिस्टम जैसे डीटीएच, एचआईटीएस और आईपीटीवी को नियंत्रित करते हैं, में कोई 'मस्ट कैरी' उपबंध नहीं था। परामर्श पत्र में सभी एड्रेसेबल सिस्टम्स के लिए एकसमान 'मस्ट कैरी– उपबंध बनाने का प्रस्ताव किया गया था।

20 वैल्यु चेन में सेवा प्रदाता याचक या प्रदाता के रूप में काम कर सकता है। उदाहरण के लिए, जब वितरक प्रसारक से टीवी चैनलों के सिगनलों की मांग करता है हो वह एक याचक के रूप में काम करता है और ऐसे मामले में प्रसारक टीवी चैनल के सिगनलों का प्रदाता बन जाता है। और जब प्रसारक इसके चैनल (चैनलों) के पुनःप्रसारण के लिए वितरक के नेटवर्क के लिए वितरक से संपर्क करता है, यह एक याचक का काम करता है और वितरक प्रदाता बन जाता है। 'मस्ट प्रोवाइड' उपबंध बाजार में मांग के आधार पर उपभोक्ताओं को टीवी चैनल उपलब्ध कराने में डीपीओ की सहायता करता है। इसी प्रकार, 'मस्ट कैरी' उपबंध लक्षित बाजार में प्रवेश करने के लिए टेलीविजन चैनल के मार्ग की बाधाओं को दूर करता है ताकि प्रसारक उक्त लक्षित बाजार में उपलब्ध डीपीओ के माध्यम से अपने चैनलों का वितरण कर सकें।

21 परामर्श पत्र के जवाब में अधिकांश प्रसारकों ने उल्लेख किया है कि 'मस्ट कैरी' उपबंध को सभी प्रकार के नेटवर्क पर लागू किया जाना चाहिए। जबकि, एक प्रसारक ने कहा है कि 'मस्ट कैरी' उपबंध डीटीएच और एचआईटीएस नेटवर्कों पर लागू नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि इस में ट्रांसपोडर क्षमता संबंधी बाधाएं हैं। कुछ डीपीओ ने कहा कि 'मस्ट कैरी' उपबंध को सीमित ट्रांसपोडर क्षमता के चलते डीटीएच और एचआईटीएस नेटवर्क के लिए अनिवार्य नहीं किया जाना चाहिए। परामर्श पत्र पर प्राप्त टिप्पणियों का विश्लेषण करने के बाद, सभी प्रकार के एड्रेसेबल सिस्टमों के लिए मसौदा इंटरकनेक्शन विनियम, 2016 में 'मस्ट कैरी' उपबंध, जिसमें पहले आओ पहले पाओ के आधार पर डीपीओ की अतिरिक्त क्षमता का आवंटन किया जाएगा, का प्रस्ताव किया गया था।

22 मसौदा इंटरकनेक्शन विनियम, 2016 के प्रत्युत्तर में एक प्रसारक ने सुझाव दिया कि इस खंड का पर्याप्त कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए अनुरोध–पत्रों की सही समय पर निगरानी अपेक्षित है। यह सुझाव दिया गया था कि प्रसारकों के चैनलों के पुनःप्रसारण के लिए उनके अनुरोधों को डीपीओ द्वारा केवल वेबसाइट के माध्यम से प्राप्त किए जाएं । एक अन्य डीपीओ का यह मत था कि डीपीओ को किसी परिवर्तन के बारे में 30 दिन के बजाय 7 दिन के भीतर क्रम में लंबित चैनलों की सूची और अपने

नेटवर्क की चैनल की कैरी करने क्षमता का पूरा विवरण प्रकाशित और अद्यतन करना चाहिए। कुछ प्रसारकों और एक एसोसिएशन ने कहा कि डीपीओ के लिए चैनल कैरी करने की न्यूनतम क्षमता निर्धारित नहीं करने से पहले आओ पहले पाओ के आधार पर प्रस्ताव मस्ट कैरी उपबंध मस्ट कैरी के सिद्धांत के महत्व को समाप्त कर देगा क्योंकि पात्र चैनल अनुरोध की टाइमिंग के कारण एक्सेस से वंचित हो जाएंगे। उन्होंने आगे कहा कि क्षेत्रीय चैनलों को क्षेत्रीय एमएसओ द्वारा कैरी किया जाना चाहिए। कई प्रसारकों ने यह सुझाव दिया कि डीपीओ सभी चैनलों/बुके, जो पिछले कैलेंडर तिमाही के दौरान उनके प्लेटफार्म पर उपलब्ध हैं, को प्रस्तावित विनियम के प्रभावी होने की तारीख से कम से कम अगले 60 दिनों तक कैरी करना जारी रखना चाहिए ताकि सभी प्रसारकों को समान अवसर उपलब्ध हो सकें।

23 डीटीएच ऑपरेटरों ने टिप्पणी की है कि सेटेलाइट बैंडविड्थ कम मात्रा में उपलब्ध संसाधन है, जो अपेक्षित ट्रांसपोंडर शामिल करने के लिए डीटीएच ऑपरेटरों के लिए न केवल इसे अत्यधिक लागत वाला बनाता है बल्कि विभिन्न स्वीकृतियों के लिए लंबे प्रतीक्षा समय (सामान्यतः 1–2 वर्ष) के कारण इसे प्राप्त करना मुश्किल है। इसलिए उनका मत है कि मांग को पूरा करने और अपने रिटेल ग्राहकों को प्राथमिकता देने के लिए इस बैंडविड्थ का किफायती और कुशलतापूर्वक इस्तेमाल करने की छूट उन्हें दी जाएं।

24 डीटीएच ऑपरेटरों ने यह भी कहा है कि 'पहले आओ पहले पाओ' को उन मामलों में लागू नहीं किया जाना चाहिए, जिनमें मांग और आपूर्ति के बीचं अंतर है और/या उपलब्ध कराए जाने वाले संसाधन कम मात्रा में उपलब्ध हैं। 'पहले आओ पहले पाओ' के सिद्धांत के कारण प्रसारकों और डीपीओ के बीच विवाद हो सकता है क्योंकि चैनल को कैरी करने के लिए प्रसारकों के अनुरोधों का प्राथमिकता स्तर का निर्धारण करना मुश्किल होगा। इसके कारण प्रशासनिक समस्या (डॉक्यूमेंटेशन, आदि) भी होगी, जिसे संभालना निजी कंपनी के लिए मुश्किल होगा। डीटीएच ऑपरेटरों ने यह भी कहा है कि इन चुनौतियों के कारण यह मीडिया कभी भी केबल ऑपरेटरों की बराबरी नहीं कर सकता इसलिए एक बिजनस कंपनी होने के नाते यह उनका अधिकार है कि वे सेटेलाइट स्पेस को सर्वाधिक संभावित बिजनेस अनुपात में बेचने में समर्थ बनें।

25 कुछ डीटीएच ऑपरेटरों ने कहा है कि मस्ट कैरी का उपबंध डीटीएच को उन चैनलों को भी कैरी करने के लिए बाध्य करेगा जिनकी मांग बेहद कम है या बिल्कुल भी नहीं है और यह डीटीएच ऑपरेटरों के साथ–साथ ग्राहकों के लिए भी बेहद हानिकारक होगा। इसका प्रभाव डीटीएच ऑपरेटरों के ग्राहकों पर पड़ेगा जो दूसरे डिजिटल प्लेटफार्म की ओर आकर्षित हो सकते हैं। डीएएच ऑपरेटर, जिनके पास क्षेत्र आधारित ऑफर हो सकते हैं, से भिन्न डीटीएच प्रचालन एक अखिल भारतीय प्रचालन है जिसमें डीटीएच ऑपरेटर को चैनलों को चुनकर अपने प्लेटफार्म में शामिल करना होता है।

26 एक एमएसओ ने यह सुझाव दिया है कि 'मस्ट कैरी मुद्दे' से संबंधित विनियम में यह परंतुक शाामिल किया जाए कि यदि शैली (श्जॉर) में शामिल चैनलों की संख्या उपलब्ध क्षमता के 10 प्रतिशत के बराबर हो जाती है तो वितरक को 'पहले आओ पहले पाओ' के आधार पर चैनल को कैरी करने से मना करने की आजादी होनी चाहिए।

27 सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के डाउनलिकिंग दिशानिर्देशों के अनुसार, प्रसारक अपने टीवी चैनल केवल टीवी चैनलों के वितरकों के जरिये वितरित कर सकता है। अतः यह आवश्यक है कि बाजार विशेष को सेवित करने के इच्छुक प्रसारक को उक्त बाजार में मौजूद टीवी चैनलों के वितरकों के जरिये उक्त बाजार विशेष को एक्सेस करने में समर्थ होना चाहिए। 'मस्ट कैरी' सिद्धांत चैनलों के लिए प्रवेश संबंधी बाधाओं को दूर करता है और सुनिश्चित करता है कि नेटवर्क चैनल के वितरण के लिए एक्सेस करने योग्य है। डीपीओ द्वारा उक्त बाजार विशेष के लिए एक्सेस की मनाही के कारण उक्त प्रसारक के लिए जोखिम बढ़ सकता है क्योंकि वह किसी अन्य वैकल्पिक माध्यम के जरिये उक्त बाजार विशेष में अंतिम उपभोक्ता तक नहीं पहुंच सकता है। इसलिए, व्यवस्था मुहैया कराने की आवश्यकता है ताकि प्रसारक की लक्षित बाजार में वितरण नेटवर्क तक पहुंच हों।

28 दूसरी ओर एक डीपीओ बाजार में मांग और नेटवर्क संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर अपने वितरण नेटवर्कों के लिए योजना तैयार करता है। इस बात की अत्यधिक संभावना है कि किसी दिए गए समय पर, जब कोई प्रसारक अपने चैनलों के पुनःप्रसारण के लिए वितरक से संपर्क करता है तो वितरण नेटवर्क में अतिरिक्त क्षमता उपलब्ध नहीं हो सकती है। क्षमता संबंधी और वितरण

नेटवर्क के लिए अविभेदकारी एक्सेस संबंधी समस्याओं का समाधान करने के लिए एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाएं जाने की आवश्यकता है। तदनुसार, इन विनियमों में निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं:

i. डीपीओ के लिए उनके लक्षित बाजार की घोषणा करने और कुल चैनल कैरी करने की क्षमता और विनियम में विनिर्धारित अन्य विवरण के साथ अतिरिक्त चैनल क्षमता को वेबसाइट पर प्रकाशित करने को अनिवार्य बनाया गया है क्योंकि नेटवर्क–नेटवर्क की क्षमता में अंतर हो सकता है,

ii. डीपीओ द्वारा अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित सूचना में होने वाले बदलाव को इसे किए जाने की जारीख से सात दिनों के भीतर अपनी वेबसाइट पर अपडेट करना जरूरी होगा ताकि प्रसारक चैनलों को कैरी करने के लिए अनुरोध करने से पहले सही निर्णय ले सकें।

iii. नेटवर्क के लिए एक्सेस प्राप्त करने के लिए एक इंटरकनेक्शन अनुबंध होना चाहिए।

iv. डीपीओ को क्रम में चैनलों की एक सूची बनानी होगी और इसे अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित करना होगा, जिनके लिए उनके चैनलों के पुनःप्रसारण हेतु प्रसारकों से अनुरोध प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा, हस्ताक्षरित अनुबंधों एवं अतिरिक्त चैनल क्षमता की अनुपलब्धता के कारण लंबित अनुबंधों की सूची भी वेबसाइट पर प्रकाशित करनी होगी। इससे न केवल पारदर्शिता बढ़ेगी बल्कि यह एक्सेस मांगने वाले गैर–गंभीर कंपनियों के लिए अवरोधक का काम करेगा।

v. डीपीओ को टेलीविजन चैनलों के पुनःप्रसारण हेतु सूची में से सुसंगत तरीके से इसके नेटवर्क पर प्रत्येक वैकल्पिक अतिरिकत चैनल क्षमता को आवंटित करना होगा। इससे अविभेदकारी मसले का समाधान होगा।

29 अतः प्राधिकरण ने फैसला किया है कि 'मस्ट कैरी' उपबंध को अतिरिक्त क्षमता की उपलब्धता के अधीन सभी प्रकार के डीपीओ पर एकसमान रूप से लागू किया जाना चाहिए। इस तरह से डीपीओ को उनके नेटवर्क के लिए योजना बनाने की आजादी होगी तो प्रसारक अविभेदकारी आधार पर वितरण नेटवर्कों को एक्सेस करने में समर्थ होंगे।

30 प्रसारकों के लिए की गई ''अवश्य उपलब्ध करवाने'' की अनिवार्यता की व्यवस्था के प्रतिफल स्वरूप प्रसारकों द्वारा डीपीओ को ''अवश्य धारण करें'' के दायित्व सौंपे जाने की काफी समय से की जा रही मांग का सम्मान करते हुए भादूविप्रा द्वारा इन विनियमों में सभी श्रेणियों के डीपीओ के लिए ऐसे प्रावधान लागू किए गए हैं । ''अवश्य धारण करें'' से संबंधित प्रावधानों के अंतर्गत डीपीओ द्वारा प्रसारकों के टेलीविजन चैनलों का वहन लिखित अनुरोध प्राप्त होने पर बिना किसी पक्षपात के किया जाना अनिवार्य किया गया है ।

31 डीपीओ द्वारा चैनल कैरी करने की न्यूनतम क्षमता की स्थापना के संबंध में कुछ हितधारकों के सुझाव पर प्राधिकरण ने टिप्पणी की है कि भारत विविध अपेक्षाओं वाला एक बहुवादी देश है इसलिए विभिन्न जनसंख्यिकी के आधार पर ग्राहकों की पसंद में भिन्नता हो सकती है। डीपीओ जिस बाजार में काम कर रहे हैं, उसकी आवश्यकता के अनुसार नेटवर्क क्षमता का निर्माण करते हैं। इसलिए नेटवर्कों के लिए न्यूनतम क्षमता को अनिवार्य करने से एक क्षेत्र का उद्देश्य पूरा हो सकता है मगर ये दूसरे क्षेत्र के लिए उपयुक्त नहीं हो सकते हैं। इसके विपरीत, वितरण नेटवर्क के लिए चैनल कैरी करने की न्यूनतम क्षमता को अनिवार्य बनाने से उपभोक्ताओं की लागत में वृद्धि हो सकती है। डीपीओ की कैरी करने की क्षमता के मामले में बाजार शक्तियां महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकती हैं। अतः प्राधिकरण का यह मत है कि डीपीओ की चैनल वहन क्षमता को बाजार शक्तियों पर छोड़ दिया जाए और इसीलिये इसे विनियामित नहीं किया गया है।

32 प्राधिकरण ने नोट किया है कि आमतौर पर वितरण नेटवर्क पर उपलब्ध चैनल बाजार में मांग के अनुसार डीपीओ द्वारा वितरित 'मस्ट कैरी', 'मस्ट प्रोवाइड' और फ्री टू एयर चैनलों का मिश्रण हैं। इसलिये यह जरूरी है कि वितरण नेटवर्क की उपलब्ध क्षमता का सर्वोत्तम उपयोग किया जाए ताकि बाजार विशेष में उपभोक्ताओं की मांग को पूरा किया जा सकें। अतः ये विनियम इसके

नेटवर्क की क्षमता पर पूर्ण अधिकार प्रदान करते हैं। बहरहाल, अतिरिक्त चैनल क्षमता के संबंध में लंबित सूची से सुसंगत तरीके से प्रत्येक वैकल्पिक क्षमता का आवंटन करने को अनिवार्य बनाया गया है। ऐसे चैनलों के लिए डीपीओ चैनल उपभोक्ताओं की औसत संख्या 20 प्रतिशत तक पहुंचने तक कैरिज शुल्क लेगा। अतः उपरोक्त व्यवस्था किसी भी तरीके से डीपीओ के बिजनस योजना पर रोक नहीं लगाती है और प्रसारकों की चिंता का निवारण करने के साथ चैनल कैरी करने की इसकी क्षमता पर इसके अधिकार की भी रक्षा करती है।

33 एमएसओ का यह सुझाव कि 'मस्ट कैरी मुद्दे' से संबंधित विनियम में यह परंतुक शामिल किया जाए कि यदि शैली (श्जॉर) में शामिल चैनलों की संख्या उपलब्ध क्षमता के 10 प्रतिशत के बराबर हो जाती है तो वितरक को 'पहले आओ पहले पाओ' के आधार पर चैनल को कैरी करने से मना करने की आजादी होनी चाहिए, को स्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि डीपीओ केवल वैकल्पिक अतिरिक्त क्षमता को आवंटित कर रहे हैं जो कैरिज शुल्क के साथ है। इसके अलावा, ऐसे चैनल को जारी रखने में उपभोक्ता की मांग की भी भूमिका होगी और यदि यह उपभोक्ताओं की संख्या के न्यूनतम प्रतिशत को प्राप्त करने में विफल रहता है तो चैनल को बंद करने के लिए पहले से प्रावधान किए गए हैं। इस मुद्दे पर आगे के पैराग्राफ में चर्चा की गई है।

34 'मस्ट कैरी' के अंतर्गत अलोकप्रिय चैनलों को कैरी करने से डीपीओ को बचाने के लिए प्रारूप इंटरकनेक्शन विनियम, 2016 में प्रस्ताव किया गया था कि यदि उक्त टेलीविजन चैनल विशेष के मासिक शुल्क प्रत्येक पिछले क्रमागत 6 माह में इंटरकनेक्शन अनुबंध में विनिर्धारित लक्षित बाजार में उक्त वितरक के सक्रिय उपभोक्ताओं की औसत मासिक संख्या के 5 प्रतिशत से कम है तो डीपीओ टेलीविजन चैनल को कैरी करने को बंद कर सकता है। इस मुद्दे पर, अधिकांश प्रसारकों का यह मत है कि इस तरह के प्रावधान डीपीओ को भेदभाव करने के लिए एकपक्षीय शक्ति दे सकते हैं और यह नेटवर्क तटस्थता के सिद्धांत के खिलाफ होगा और यह ऑपरेटर को चैनलों के लिए गेट कीपर के रूप में काम करने में समर्थ बनाएगा। एक प्रसारक ने यह सुझाव दिया कि यदि पिछले 6 माह में शुल्क उक्त अवधि के दौरान उक्त ऑपरेटर के औसत के कुल सक्रिय उपभोक्ता संख्या के न्यूनतम 10 प्रतिशत के बराबर या उससे कम है तो चैनल को बंद करने के लिए डीटीएच और एचआईटीएस ऑपरेटरों के लिए प्रावधान किया जाए। कई प्रसारकों ने कहा है कि चूंकि एचडी की पैठ बहुत कम है इसलिए यह संभावना है कि कई मामलों में एचडी चैनल 5 प्रतिशत के मानक पर खरे नहीं उतरेंगे और उन्हें डीपीओ द्वारा बंद किया जा सकता है। इसलिए, उन्होंने इस संबंध में एचडी चैनलों के लिए संरक्षण की मांग की है। कुछ अन्य प्रसारकों ने कहा है कि इसी तरह अंग्रेजी शैली के चैनलों का मामला है, क्योंकि बहुत कम लोग अंग्रेजी भाषा के चैनलों की मांग कर रहे हैं। इसके विपरीत, कुछ डीपीओ ने उल्लेख किया है कि 6 माह के स्थान पर पिछले 3 माह के उपभोक्ताओं की औसत संख्या पर शुल्क प्रतिशत 5 प्रतिशत से कम बना रहता है तो डीपीओ को चैनल बंद करने की अनुमति दी जाए और ऐसे डिस्कनेक्शन के बाद उसी चैनल को दुबारा कैरी करने से मना करने की अनुमेय अवधि को 1 वर्ष से बढ़ाकर 3 वर्ष किया जाए।

35 प्राधिकरण ने उल्लेख किया है कि ऐसे प्रावधान इंटरकनेक्शन, 2012 में विधमान हैं जो डीएएस पर लागू थे। प्राधिकरण का यह मानना है कि ऐसे प्रावधान सुनिश्चित करेंगे कि अलोकप्रिय चैनल वितरण नेटवर्क पर जगह को न घेरें और यह बाजार के अनुसार बेहतर गुणवत्ता वाले कंटेंट का सृजन करने के लिए प्रेरित करेगा। अतः मामूली आशोधन के साथ प्रावधान को बरकरार रखा गया है। अपेक्षित शुल्क स्तर बनाए रखने में विफल रहने पर डीपीओ अपने स्वविवेक से एक और वर्ष के लिए नेटवर्क हेतु एक्सेस प्रदान करने में मना कर सकता है।

36 डिजिटल नेटवर्कों की अनूठी खूबियों में से एक खूबी यह है कि यह हाई डेफिनेशन (एचडी) चैनलों के पुनः प्रसारण को सपोर्ट करता है। एचडी चैनलों में पिक्चर क्वालिटी और देखने का अनुभव बाजार में प्रचलित एसडी चैनलों के मुकाबले काफी बेहतर होता है। आमतौर पर, एचडी चैनलों का बिट–रेट तदनुरूपी एसडी चैनलों के बिट रेट से लगभग दो गुना होता है। अतः प्राधिकरण ने

यह अनिवार्य किया है कि यदि डीपीओ द्वारा एक एचडी चैनल बंद या शामिल किया जाता है तो अतिरिक्त क्षमता की गणना करने के उद्देश्य से एक एचडी चैनल को दो एसडी चैनल के बराबर गिना जाएगा।

37 प्राधिकरण ने यह उल्लेख किया है कि केवल 17 प्रतिशत डीटीएच उपभोक्ताओं के पास एचडी सेट टॉप बॉक्स हैं और एमएसओ के उपभोक्ताओं के मामले मे यह संख्या बहुत कम है। अतः ऐसी स्थिति में, डीपीओ के कुल उपभोक्ता आधार के 5 प्रतिशत से नीचे रहने वाला एचडी चैनलों का शुल्क अत्यधिक है। इसलिए प्राधिकरण का यह मानना है कि ऐसे चैनलों को संरक्षण की आवश्यकता है और यह निर्णय लिया गया है कि इस उप–विनियम के अंतर्गत एचडी चैनलों के मासिक शुल्क की गणना करने के लिए एचडी चैनल प्राप्त करने में समर्थ सक्रिय उपभोक्ताओं की औसत संख्या पर विचार किया जाएगा।

38 बहरहाल, प्राधिकरण ने अंग्रेजी भाषा के चैनलों को संरक्षण के संबंध में कुछ हितधारकों के सुझाव पर असहमति जताई हैं क्योंकि भाषा या शैली (श्जॉर) के आधार पर चैनलों को संरक्षण प्रदान करना अनुचित होगा और चैनलों की भाषा के लिए उपभोक्ताओं की पसंद के आधार पर उपभोक्ताओं को अलग–अलग करना भी असंभव होगा।

39 वेब आधारित इंटरकनेक्शन अनुरोध प्रबंधन सिस्टम की स्थापना के संबंध में परामर्श पत्र के प्रत्युत्तर में हितधारकों के सुझाव पर प्राधिकरण ने ऐसे सिस्टम के विकास के मुद्दों पर विचार करने के लिए एक कार्यबल का गठन किया है।

सिग्नल उपलब्ध कराने/नेटवर्क तक पहुंच के लिए समय–सीमा

40 अंतःसंयोजन विनियमावली, 2004 में एक समयबद्ध तरीके से इच्छुक व्यक्ति को टीवी चैनलों के सिग्नल उपलब्ध कराने से संबंधित उपबंध दिए गए हैं। यह उपबंध किया गया था कि सेवा प्रदाता को या तो अनुरोध की तारीख से 60 दिन के निश्चित समय में सिग्नल उपलब्ध कराने चाहिए और यदि सेवा प्रदाता अनुरोध को अस्वीकार कर देता है तो इस प्रकार मना करने के कारण लिखित में दर्ज किए जाने चाहिएं और अनुरोध की तारीख से 60 दिन के अंदर इच्छुक व्यक्ति को संसूचित किऐ जाने चाहिएं ताकि प्रभावित पक्षकार सुधारात्मक कार्रवाइयां कर सके या समुचित मंच के समक्ष कार्रवाई कर सके, जैसा भी मामला हो। समय से उपभोक्ताओं की मांग पूरी करने के लिए सेवा प्रदाताओं के बीच समयबद्ध अंतःसंयोजन आवश्यक है। तथापि, पिछले समय में अनेक अवसरों पर प्राधिकरण ने यह नोट किया है कि हालांकि सेवा प्रदाता (प्रसारणकर्ता या डीपीओज) ने निर्धारित समय के अंदर अनुरोधों का उत्तर नहीं दिया, परंतु परस्पर सहमति वाले लिखित अंतःसंयोजन करार करने के लिए की गई वार्ताओं को अनावश्यक रूप से लंबा खींचा गया जिससे विनियमों का उद्देश्य ही विफल हो गया। अनेक मामलों में लंबी खींची गई वार्ताओं के कारण 60 दिन की समयावधि का पालन किसी भी पक्षकार द्वारा नहीं किया गया। परामर्श पत्र में समय से सिग्नल उपलब्ध कराने/ वितरण नेटवर्क तक पहुंच से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की गई थी।

41 परामर्श पत्र के प्रत्युत्तर में अधिकांश प्रसारणकर्ताओं और कुछ डीपीओज ने किसी उप–विभाजन के बिना टीवी चैनल के सिग्नल उपलब्ध कराने/नेटवर्क तक पहुंच के लिए 60 दिन की मौजूदा समय–सीमा का समर्थन किया और सुझाव दिया कि किसी चूक के मामले में सेवा प्रदाताओं पर वित्तीय प्रोत्साहन और निरुत्साहन लगाए जाएं। अन्य प्रसारणकर्ताओं ने टिप्पणी की कि टीवी चैनलों के सिग्नल उपलब्ध कराने के लिए सभी प्रक्रियाएं पूरी करने हेतु किसी प्रसारणकर्ता के लिए 60 दिन की अवधि पर्याप्त नहीं है और इसलिए इसे बढ़ाया जाना चाहिए। कुछ डीपीओज ने बताया कि 60 दिनों को दो अवधियों अर्थात 30–30 दिन की अवधि में उप–विभाजित किया जाए, पहली आपत्तियां उठाने के लिए, तकनीकी लेखा–परीक्षा आदि के लिए और दूसरी दोषों को दूर करने के लिए। एक केबल प्रचालक ने टिप्पणी की कि टीवी चैनलों के सिग्नल उपलब्ध कराने के लिए 30 दिन पर्याप्त हैं।

42 प्राधिकरण ने नोट किया कि सेवा प्रदाताओं के लिए यह आवश्यक है कि वे टीवी चैनलों के सिग्नल/ नेटवर्क तक पहुंच उपलब्ध कराने से पहले कुछ क्रियाकलाप करें, जैसे लिखित अंतःसंयोजन करार करने के लिए वाणिज्यिक चर्चाएं, वितरण नेटवर्क का मूल्यांकन, एकीकृत रिसीवर डिकोडरों (आईआरडी) की व्यवस्था और अन्य तकनीकी अवसंरचना। सिग्नलों को समय से नेटवर्क तक पहुंच उपलब्ध कराना सुनिश्चित करने के लिए यह आवश्यक है कि अंतःसंयोजन करारों पर हस्ताक्षर करने के लिए चर्चाओं को

अनावश्यक रूप से लंबा न खींचा जाए। अंतःसंयोजन करारों पर हस्ताक्षर करने में होने वाले विलंब के परिणामस्वरूप टीवी चैनलों के सिग्नल/नेटवर्क तक पहुंच उपलब्ध कराने में विलंब होता है। अनेक बार यह अवलोकन किया गया है कि या तो कुछ अतिरिक्त सूचना के अभाव के कारण या तकनीकी अथवा वाणिज्यिक आधारों पर करार करने से मनाही अनुमत अवधि के बिल्कुल अंत में प्रदाता द्वारा इच्छुक व्यक्ति को संसूचित की गई थी। इसलिए, 60 दिन के अनुमत समय का इस्तेमाल केवल अंतःसंयोजन करार पर हस्ताक्षर करने या मना करने के लिए नहीं किया जा सकता। करार पर हस्ताक्षर करने की समयावधि और टीवी चैनल के सिग्नल/ नेटवर्क तक पहुंच उपलब्ध कराने से पहले किए जाने वाले बाकी अन्य क्रियाकलापों को इस प्रकार विभाजित किए जाने की आवश्यकता है ताकि विलंब को समाप्त किया जा सके। इसलिए, प्राधिकरण का मत था कि इसमें शामिल पक्षकारों को किसी सेवा प्रदाता से अनुरोध की प्राप्ति की तारीख से 30 दिन के अंदर लिखित अंतःसंयोजन करार करके सभी वाणिज्यिक चर्चाओं को पूरा करना चाहिए और अंतःसंयोजन करार पर हस्ताक्षर करने की तारीख से अगले 30 दिन के अंदर टीवी चैनलों के सिग्नल/नेटवर्क तक पहुंच उपलब्ध कराने की आवश्यक व्यवस्था करनी चाहिए। तद्नुसार, अंतःसंयोजन विनियमावली, 2016 के मसौदे में करार पर हस्ताक्षर करने और सिग्नल/ नेटवर्क तक पहुंच उपलब्ध कराने के लिए 60 दिन की अवधि को 30–30 दिन की अलग–अलग दो अवधियों में विभाजित करने के लिए आवश्यक उपबंध किए गए थे। अंतःसंयोजन विनियमावली, 2016 के मसौदे के प्रत्युत्तर में प्राप्त टिप्पणियों के विश्लेषण के पश्चात ऐसा प्रतीत होता है कि पणधारियों के पास, परामर्श पत्र के प्रत्युत्तर में पहले से ही शामिल कर ली गई टिप्पणियों के अलावा, कोई अन्य विशिष्ट टिप्पणी नहीं है और इसलिए, अंतःसंयोजन विनियमावली, 2016 के मसौदे में यथाप्रस्तावित सिग्नल/ नेटवर्क तक पहुंच उपलब्ध कराने के लिए समय–सीमा से संबंधित उपबंधों को इन विनियमों में रखा गया है।

43 विलंब के लिए सेवा प्रदाताओं पर वित्तीय निरुत्साहन लगाने के पहलू पर प्राधिकरण ने नोट किया कि आमतौर पर सिग्नल/ वितरण नेटवर्क तक पहुंच उपलब्ध कराने में होने वाले विलंब या तो करारों पर हस्ताक्षर करने में विलंब के कारण हुए थे या सेवा प्रदाताओं के बीच विभिन्न स्वरूप के विवादों के कारण। अब अंतःसंयोजन करारों पर हस्ताक्षर करने और बाकी तकनीकी क्रियाकलापों के लिए समयावधियों का अलग–अलग किया जाना और संदर्भ अंतःसंयोजन प्रस्ताव के आधार पर करारों पर हस्ताक्षर करने की शर्त से काफी हद तक अंतःसंयोजन करारों पर हस्ताक्षकर करने में होने वाले विलंबों से संबंधित मुद्दा हल करने में समर्थ होना चाहिए। सेवा प्रदाताओं द्वारा विवादों का हल समुचित रूप से या तो परस्पर चर्चाओं के जरिए किया जा सकता है या इस पर विवाद निवारण मंचों द्वारा निर्णय लिया जा सकता है। इसलिए प्राधिकरण का यह मत है कि इस चरण में वित्तीय निरुत्साहन निर्धारित करना आवश्यक नहीं।

<u>सिग्नलों/नेटवर्क तक पहुंच से मना करने के कारण</u>

44 अंतःसंयोजन विनियमावली, 2004 और अंतःसंयोजन विनियमावली, 2012 में सिग्नल/ नेटवर्क तक पहुंच से मना करने के लिए अनुमत मापदंडों में से एक मापदंड भुगतान में चूक थी। अंतःसंयोजन विनियमावली, 2016 के मसौदे में भी परामर्श पत्र के प्रत्युत्तर में प्राप्त टिप्पणियों के विस्तृत विश्लेषण के पश्चात प्राधिकरण ने प्रस्ताव दिया कि उस उपबंध को जारी रखा जाए, जो "अवश्य उपलब्ध कराना चाहिए" और "आवश्यक रूप से करना चाहिए" के सिद्धांत को ऐसे मामलों में गैर–लागू बनाता है, जहां इच्छुक व्यक्ति भुगतान में चूक करने वाला है और निरंतर चूक करता रहता है।

45 अंतःसंयोजन विनियमावली, 2016 के मसौदे के प्रत्युत्तर में कुछ प्रसारणकर्ताओं ने कहा कि किसी डीपीओ (इच्छुक व्यक्ति) द्वारा की जाने वाली चूक पर विचार करते हुए अंतःसंयोजन अनुरोध की मनाही के लिए एक तर्कसंगत मापदंड के रूप में इस सेक्टर में प्रचालनरत अन्य सभी प्रसारणकर्ताओं के साथ–साथ उस प्रसारणकर्ता के साथ डीपीओ द्वारा की गई चूक पर विचार किया जाना चाहिए। अन्य प्रसारणकर्ता ने टिप्पणी की कि मना करने के कारणों में तकनीकी विनिर्देशनों का पालन न करने वाले डीपीओज के

विरुद्ध लंबित आपराधिक कार्यवाही/ डीपीओ के आपराधिक रिकार्ड, भुगतान न करने का प्रमाणिक ट्रैक रिकार्ड/ किसी प्रसारणकर्ता के साथ पिछली बकाया धनराशि शामिल होनी चाहिए।

46 किसी उद्योग के लिए पूरी मूल्य श्रृंखला में राजस्व प्रवाह, उस उद्योग के विकास हेतु सबसे आवश्यक होता है। यह बात सही है कि किसी आदी चूककर्ता सेवा प्रदाता को सिग्नल/ वितरण नेटवर्क तक पहुंच उपलब्ध कराने से पहले कुछ अतिरिक्त शर्तों का सामना करना चाहिए। तथापि, गैर–पक्षपातपूर्ण तरीके से ऐसा करने के लिए उद्योग को किसी सेवा प्रदाता की चूक के स्तर को मापने के लिए एक इंडेक्स तैयार करने की आवश्यकता है, जो आज मौजूद नहीं है। जब कभी उद्योग द्वारा ऐसा तंत्र विकसित कर लिया जाता है, तो यह कुछ अतिरिक्त शर्तें लगाने के लिए अन्य कारण हो सकता है। चूक से संबंधित मौजूदा उपबंध में यह शामिल है और पूर्ण नहीं। सेवा प्रदाता गैर–पक्षपातपूर्ण तरीके से कोई तर्कसंगत शर्त लगाने के लिए स्वतंत्र हैं। इसलिए, प्राधिकरण ने उस उपबंध को रखा है, जो "अवश्य उपलब्ध कराना चाहिए" और "अवश्य करना चाहिए" के सिद्धांत को ऐसे मामलों में गैर–लागू बनाता है, जहां इच्छुक व्यक्ति भुगतान में चूक करता है और चूक करना जारी रखता है।

<u>डीपीओज के गुच्छे में किसी चैनल का पैकेजिंग</u>

47 अंशदान की आसानी के लिए वितरक अंशदाताओं की मांग के अनुसार, चैनलों के गुच्छे का प्रस्ताव देते हैं। तथापि, पिछले समय में यह बात नोट की गई थी कि वितरकों द्वारा प्रस्तावित गुच्छों में उनके चैनलों की पैकेजिंग के लिए वितरकों पर प्रसारणकर्ताओं द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रभाव रहा है। इस प्रकार की पद्धतियों के परिणामस्वरूप गुच्छे के एक भाग के रूप में कुछ लोकप्रिय चैनलों के साथ–साथ कुछ गैर–लोकप्रिय चैनलों के प्रस्ताव भी दिए गए हैं। इस पद्धति के परिणामस्वरूप उपभोक्ता की पसंद के साथ समझौता किया गया है क्योंकि अंशदाता घटक चैनलों के ए–ला–कार्टे मूल्यों की रकम और गुच्छे के मूल्य के बीच व्यापक अंतर के कारण ए–ला–कार्टे चैनलों के स्थान पर उस गुच्छे के प्रति अंशदान करने के लिए मजबूर थे। इस मुद्दे का हल निकालने की दृष्टि से अंतःसंयोजन विनियमावली, 2016 के मसौदे में यह प्रस्ताव दिया गया था कि कोई प्रसारणकर्ता अंतःसंयोजन करार में कोई ऐसा खंड शामिल नहीं करेगा, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, अंशदाताओं को प्रस्तावित किसी गुच्छे में चैनलों का पैकेज करने के लिए किसी डीपीओ के निर्णय को प्रभावित करता हो।

48 अंतःसंयोजन विनियमावली, 2016 के मसौदे के प्रत्युत्तर में कुछ प्रसारणकर्ताओं ने यह राय व्यक्त की कि विशिष्ट पैकेजिंग की बात कहने के लिए प्रसारणकर्ताओं पर पूर्ण प्रतिबंध की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए क्योंकि यह किसी प्रसारणकर्ता के राजस्व प्रवाह को प्रभावित करता है। प्रसारणकर्ताओं ने यह भी कहा कि ताक वाले चैनलों को इसके कारण हानि होगी और यह भौगोलिक वितरण के हिसाब से चैनलों की पहुंच को प्रभावित करेगा और इसलिए यह इस उद्योग में अच्छी गुणवत्ता वाली विषय वस्तु प्रस्तुत करने को सीमित कर सकता है। एक समाचारपत्र प्रसारणकर्ता ने टिप्पणी दी कि डीपीओज को किसी मिश्रित/ चैनलों के मिश्रण के बजाय "प्रकार वाइस पैक्स" सृजित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इसके अलावा, व्यापक प्रकार को कवर करने वाले पैकेजों के लिए डीपीओज को प्रतियोगी प्रकार में अन्य चैनलों के साथ किसी चैनल को नुकसान पहुंचाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

49 कुछ वितरकों ने सुझाया कि विनियमों में एक ऐसा प्रावधान जोड़ा जाना चाहिए जो प्रसारकों को ऐसी शर्त लगाने से रोके जिसमें वितरकों को प्रसारकों द्वारा निर्मित बुकों को ले जाने आवश्यक हों। उन्होने कहा कि यदि ऐसा प्रावधान नहीं जुड़ता है तो प्रसारक अपने बुके को आगे देने की कोशिश करेगा कि सब्सक्राईबर द्वारा चुने बुके को ।

50 इस मुद्दे का हल निकालने की दृष्टि से अंतःसंयोजन (प्रसारण एवं केबल) सेवाएं (आठवां) (एडजस्टेबल प्रणालियां) प्रशुल्क आदेश, 2017 में प्राधिकरण एक नया ढांचा लाया है, जिसमें प्रसारणकर्ता भुगतान चैनल या अनन्य ए–ला–कार्टे चैनल के रूप में अपना भुगतान चैनल घोषित करेगा। इस ढांचे के अनुसार, प्रसारणकर्ता को यह स्वतंत्रता है कि वह अपने भुगतान चैनलों का प्रस्ताव

गुच्छे (गुच्छों) के रूप में दे। इसी प्रकार, किसी वितरक को भी यह स्वतंत्रता दी गई है कि वह भिन्न–भिन्न प्रसारणकर्ताओं के भुगतान चैनलों का गुच्छा (गुच्छों) या ए–ला–कार्टे भुगतान चैनलों को शामिल करके अपना स्वयं का गुच्छा (गुच्छे) तैयार कर सके।

51 पणधारियों की ये दलीलें अधार्य हैं कि पैकेजिंग पर प्रस्तावित प्रतिबंध अच्छी गुणवत्ता की विषय–वस्तु के उत्पादन को सीमित कर सकते हैं और किसी प्रसारणकर्ता के राजस्व प्रवाह को प्रभावित कर सकते हैं क्योंकि उनकी पसंद के अनुसार, उपभोक्ताओं द्वारा चैनलों/गुच्छों के प्रति अंशदान द्वारा इसके मौद्रिकीकरण और उनकी मांगें पूरी करने के लिए अच्छी गुणवत्ता वाली विषय–वस्तु का प्रस्ताव देने हेतु प्रसारणकर्ताओं को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। भौगोलिक वितरण के हिसाब से चैनलों की पहुंच में सुधार करने के लिए प्राधिकरण ने इन विनियमों में "अवश्य करना चाहिए" के उपबंधों का दायरा पहले ही बढ़ा दिया है। तथापि, अंशदान के हिसाब से चैनलों की पहुंच उपभोक्ताओं की पसंद पर छोड़ दी जानी चाहिए क्योंकि यह वितरण प्रणाली में एड्रेसेबिलिटी के कार्यान्वयन के लिए प्राथमिक आधारों में से एक आधार है।

52 चूंकि गुच्छे बनाने की स्वतंत्रता दोनों पणधारियों को दी गई है, इसलिए यह आशा की जाती है कि वे उपभोक्ताओं की मांग के आधार पर गुच्छे तैयार करेंगे। उपभोक्ताओं की पसंद के अलावा, गुच्छे का संघटन तय करने के लिए बीपीओज पर किसी प्रकार का प्रभाव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रभाव इस सेक्टर की व्यवस्थित प्रगति को प्रभावित कर सकता है। यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से कि उपभोक्ताओं की पसंद गुच्छों का संघटन निर्धारित करने के लिए केवल एक मार्गदर्शी कारक बना रहे, यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि कोई भी प्रसारणकर्ता वितरक के स्तर पर गुच्छा तैयार करने में हस्तक्षेप न करे।

53 चैनलों के अ–लॉ–कार्टे प्रसारण या बुके के रूप में प्रसारण के लिए आवश्यक है कि प्रसारक और वितरक के बीच में आवश्यक अंतःसंयोजन करार हो। यदि एक वितरक किसी प्रसारक के साथ बुके के लिए समझौता करता है परंतु उस बुके के कुछ चैनलों को अपने बुके में शामिल करता है तो दोनों के बीच शुल्क का लेन देन चैनलों के अ–लॉ–कार्टे के आधार पर अंतःसंयोजन करार के आधार पर होगा। इसलिए इन विनियमों में प्रसारक और वितरक के बीच अ–लॉ–कार्टे के आधार पर अंतःसंयोजन करार को आवश्यक किया गया है।

54 वितरकों के प्रसंग जो कि प्रसारकों द्वारा बुके के संबंध में है, प्राधिकरण का मत है कि यदि प्रसारक के द्वारा बनाए गए बुके के सभी चैनल वितरक के नेटर्वक में उपलब्ध नहीं है तो वितरक को ऐसे बुके ले जाने की आवश्यकता नहीं है । तद्नुसार, इन विनियमों में यह उपबंध किया गया है कि प्रसारणकर्ता अंतःसंयोजन करार में किसी पूर्व शर्त या किसी ऐसे खंड का उपबंध नहीं कर सकता, जो किसी गुच्छे में चैनल की पैकेजिंग को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता हो।

<u>एलसीओज को सिग्नल उपलब्ध कराना</u>

55 डीएएस और एचआईटीएच सेवाओं के मामले में अंतिम मील की संयोजनीयता अधिकांशतः एलसीओज द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। केबल टीवी अधिनियम और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार, एलसीओज उनके प्रचालन के क्षेत्र के प्रधान डाक घर में पंजीकृत किए जाते हैं। अंतःसंयोजन विनियमावली, 2004 और अंतःसंयोजन विनियमावली, 2012 में अनुरोध करने की तारीख से 60 दिन के अंदर एलसीओज को टीवी चैनल के सिग्नल समय से उपलब्ध कराने से संबंधित उपबंध दिए गए हैं।

56 इन विनियमों में समय से सिग्नल उपलब्ध कराना और अंतःसंयोजन करार करना सुनिश्चित करने के लिए 60 दिन की समयावधि को दो भागों में विभाजित कर दिया गया है। इस बात को अनिवार्य बना दिया गया है कि डीपीओज को अनुरोध की प्राप्ति की तारीख से 30 दिन के अंदर अंतःसंयोजन करार कर लेना चाहिए और इसके पश्चात अगले 30 दिनों के अंदर एलसीओज को टीवी चैनलों के सिग्नल उपलब्ध कराने चाहिए।

57 मूल्य शृंखला में उचित राजस्व प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए यह आवश्यक है कि इनवॉयस समय से जारी किए जाएं और देय भुगतानों का निपटान समय से किया जाए। व्यवसाय संबंधी लेन–देनों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए, बकाया धनराशियां, यदि कोई हैं, को उत्तरवर्ती इनवॉयसों में दर्शाया जाना आवश्यक है। अनेक बार पणधारियों के साथ किए गए विचार–विमर्श के

दौरान यह सूचित किया गया था कि या तो नियमित इनवॉयसों के अभाव में या उत्तरवर्ती इनवॉयसों में बकाया धनराशि को सूचित न किए जाने के कारण एलसीओज को अंतिम अनेक महीनों के लिए बकाया धनराशियों के रूप में भारी धनराशियों के भुगतान की मांग का अचानक सामना करना पड़ता है। अनेक बार एलसीओज को इस बात की सूचना नहीं होती कि उनके विरुद्ध इतनी भारी लंबित धनराशियां कैसे दर्शाई गई हैं, विशेष रूप से जब वे नियमित रूप से भुगतान कर रहे थे और बकाया धनराशियों को पिछले आसन्न समय में जारी किए गए इनवॉयसों में दर्शाया नहीं गया था। अक्सर इसके परिणामस्वरूप विवाद होते हैं और नए एमएसओ में स्विचिंग होता है।

58 इस मुद्दे का हल यह सुनिश्चित करके निकाला जा सकता है कि एलसीओज को मासिक आधार पर इनवॉयस जारी किए जाएं, जिनमें स्पष्ट रूप से चालू देय धनराशियां और बकाया धनराशियां, यदि कोई हैं, दर्शाई जाएं। इससे व्यवसाय संबंधी लेन–देनों में पारदर्शिता और मूल्य श्रृंखला में राजस्व प्रवाह भी सुनिश्चित होगा। इस सेक्टर में अशोध्य ऋणों की प्रथा को समाप्त करना आवश्यक है। यदि कोई एलसीओ किसी नए एमएसओ में स्विच करना चाहता है, तो अंतिम इनवॉयस में स्पष्ट रूप से उस एलसीओ के प्रति बकाया धनराशियों का स्तर दर्शाया जाएगा। एलसीओ को किसी वितरक के प्रति भुगतान के चूककर्ता के रूप में नहीं माना जाना चाहिए, यदि वह अपनी देय धनराशियों का भुगतान कर देने के एक प्रमाण के रूप में तदनुरूपी भुगतान रसीदों के तुरंत पहले के छः महीने के इनवॉयसों के प्रति प्रस्तुत कर देता है। यह शर्त एलसीओज पर अचानक थोपी जा रही अप्रत्याशित बकाया राशियों से एलसीओज को संरक्षित भी करेगी। तद्नुसार, इस संबंध में उचित उपबंध बनाए गए हैं।

न्यूनतम गारंटियों का निषेध

59 न्यूनतम गारंटी भिन्न–भिन्न प्रकारों की हो सकती हैं। उदाहरण के लिए, कोई सेवा प्रदाता अन्य सेवा प्रदाता पर इस बात के लिए दबाव डाल सकता है कि वह अंशदान शुल्क या कैरिज शुल्क के रूप में एक निर्धारित धनराशि का भुगतान करे, चाहे नेटवर्क में उपभोक्ताओं की संख्या या किसी चैनल के प्रति वास्तव में अंशदान करने वाले उपभोक्ताओं की संख्या कितनी भी हो। कोई ऐसी स्थिति हो सकती है, जहां सेवा प्रदाता अन्य सेवा प्रदाता से यह कह सकता है कि वह सिग्नल उपलब्ध कराने से पहले उपभोक्ताओं की न्यूनतम संख्या सुनिश्चित करे या यह शर्त लगाए कि उपभोक्ता आधार की एक निश्चित संख्या रखने वाला सेवा प्रदाता ही सिग्नल प्राप्त कर सकता है। दूसरी संभावना यह हो सकती है कि सेवा प्रदाता टीवी चैनलों के सिग्नल उपलब्ध कराने के लिए अपने चैनलों के अंशदान के एक न्यूनतम प्रतिशत के लिए एक गारंटी पर जोर दे सकता है। ऐसी स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है, जहां अपने नेटवर्क तक पहुंच उपलब्ध कराने से पहले कोई डीपीओ यह शर्त रख सकता है कि वह केवल अनुरोध किए गए चैनल ही चलाएगा, यदि प्रसारणकर्ता अतिरिक्त चैनल (चैनलों) के चलाने के लिए करार करे या डीपीओ अनुरोध किए गए चैनलों चलाने के लिए कुछ न्यूनतम अवधि विनिर्धारित करे।

60 अंतःसंयोजन विनियमावली, 2004 इस बात का निषेध करती है कि एड्रेसेबल प्रणालियों में कोई भी सेवा प्रदाता किसी वितरक के साथ किए गए अंतःसंयोजन करार में कोई ऐसी शर्त नहीं लगाएगा, किसी ऐसे खंड पर जोर नहीं देगा या किसी ऐसे खंड का उपबंध नहीं करेगा, जो उपलब्ध कराई गई सेवाओं के लिए अंशदान शुल्क के रूप में एक न्यूनतम गारंटीकृत धनराशि का भुगतान करना उस वितरक के लिए आवश्यक बनाए। इसी प्रकार, अंतःसंयोजन विनियमावली, 2012 में यह उपबंध किया गया है कि कोई सेवा प्रदाता किसी अन्य सेवा प्रदाता से उस सेवा प्रदाता द्वारा उपलब्ध कराए गए चैनलों के लिए अंशदान शुल्क के रूप में किसी न्यूनतम गारंटीकृत धनराशि धनराशि की मांग नहीं करेगा। प्रतियोगी बाज़ार किसी भी पक्षकार द्वारा किसी भी प्रकार की न्यूनतम गारंटी पर जोर देने को प्रवेश संबंधी बाधा के रूप में माना जाता है और यह उपभोक्ताओं की पसंद पर प्रतिबंध लगाता है। न्यूनतम गारंटी के मुद्दे पर परामर्श पत्र में चर्चा की गई थी।

61 परामर्श पत्र के प्रत्युत्तर में अधिकांश प्रसारणकर्ताओं और डीपीओज ने यह राय व्यक्त की थी कि उपभोक्ताओं की न्यूनतम गारंटीकृत संख्या या अंशदान शुल्क के रूप में कोई निर्धारित धनराशि जैसी शर्तों की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। प्रसारणकर्ताओं का यह

विचार भी था कि अंशदाता की संख्या और चैनलों की दर, परिकलन के लिए प्रमुख मापदंड होना चाहिए, तथापि, अनुमत सीमा के अंदर नेटवर्क के आकार, एलसीएम (तर्कसंगत चैनल संख्याएं) समतुल्यता आदि के आधार पर छूट को परिकलन हेतु माना जाना चाहिए और एक पूर्व–शर्त के रूप में न्यूनतम गारंटी की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। डीपीओज ने न्यूनतम अंशदान गारंटी के निषेध का भी समर्थन किया।

62 अंतःसंयोजन पक्षकारों के बीच किसी भी प्रकार की न्यूनतम गारंटी तुल्य रूप युग के अतीत की बात है, जिसमें उपभोक्ताओं की संख्या या तो सत्यापनयोग्य थी या इस बात का पता लगाना कठिन था कि कितने उपभोक्ता चैनलों के प्रति अंशदान कर रहे हैं। इसलिए, उनके राजस्व का संरक्षण करने की दृष्टि से सेवा प्रदाता अन्य सेवा प्रदाता से एक निर्धारित धनराशि वसूल किया करते थे या उपभोक्ताओं की एक न्यूनतम संख्या के लिए बिल दिया करते थे, चाहे अन्य सेवा प्रदाता उतने उपभोक्ता प्राप्त करने में समर्थ था या नहीं। इस सेक्टर में डिजिटलीकरण और एड्रेसेबिलिटी के आरंभ होने के साथ एक विशेष चैनल में एक्सेस करने वाला प्रत्येक उपभोक्ता गिना जा सकता है और इसका सत्यापन आसानी से किया जा सकता है। उपभोक्ताओं की निम्न रिपार्टिंग की व्याकुलता राजस्व संबंधी हानि और इस सेक्टर में विवादों का एक मुख्य कारण था और इसे एड्रेसेबल प्रणालियों द्वारा ठीक कर लिया गया है। इसके बावजूद, प्राधिकरण ने अवलोकन किया है कि कुछ और अन्य रूप में न्यूनतम गारंटी इस सेक्टर में अभी भी जारी है। उपभोक्ताओं की संख्या के लिए किसी न्यूनतम गारंटी की शर्त या किसी निर्धारित शुल्क/ निर्धारित धनराशि की शर्त केवल प्रतियोगिता विरुद्ध ही नहीं है बल्कि यह नए सेवा प्रदाताओं के लिए प्रवेश संबंधी बाधाएं भी उत्पन्न करती है। यह इस सेक्टर में डिजिटलीकरण और एड्रेसेबिलिटी को कार्यान्वित करने के उद्देश्य को भी विफल बनाती है। यह उपभोक्ताओं को विकल्प उपलब्ध कराने और सेवाओं को अधिक किफायती बनाने के विरुद्ध है। इसलिए, जहां तक न्यूनतम गारंटी की धनराशि या निर्धारित शुल्क जारी करने के मुद्दे का संबंध है, प्राधिकरण का विचार है कि सेवा प्रदाता न तो किसी निर्धारित धनराशि के भुगतान के लिए जोर दे सकता है और न ही अंतःसंयोजन करार में ऐसे शुल्क के भुगतान के किसी खंड का उपबंध कर सकता है। तद्नुसार, इन विनियमों में आवश्यक उपबंध कर दिए गए हैं। एड्रेसेबिलिटी प्रणालियों की उपभोक्ता प्रबंधन प्रणालियों (एसएमएस) में प्रसारण एवं केबल सेवा का लाभ लेने वाले उपभोक्ताओं की संख्या गिनने के लिए एक पारदर्शी तंत्र का उपबंध किया गया है और इसलिए इसमें एक उपबंध किया गया है कि किसी डीपीओ द्वारा भुगतानयोग्य अंशदान शुल्क का प्रसारणकर्ता के हिस्से का परिकलन उपभोक्ताओं की संख्या के आधार पर किया जाएगा।

63 जहां तक उपभोक्ताओं की किसी न्यूनतम संख्या की गारंटी या उपभोक्ता आधार निर्धारित करने के मुद्दे का संबंध है, प्राधिकरण का यह विचार है कि बाज़ार में प्रतियोगितात्मक सुनिश्चित करने और नए प्रवेशकर्ताओं के लिए प्रवेश संबंधी बाधा दूर करने के लिए किसी भी सेवा प्रदाता को यह अनुमति नहीं दी जानी चाहिए कि वह न्यूनतम उपभोक्ता आधार या अपने चैनल (चैनलों) के न्यूनतम अंशदान प्रतिशत की गारंटी के लिए कोई पूर्व शर्त लगाए। तथापि, प्राधिकरण इस तथ्य के प्रति भी सचेत है कि अनेक सेवा प्रदाता, अपने चैनलों को बढ़ावा देने की दृष्टि से अपने चैनल (चैनलों) के अंशदान के प्रतिशत या उपभोक्ता आधार के कुछ लक्ष्य पूरा करने पर अन्य सेवा प्रदाताओं को गैर–पक्षपातपूर्व तरीके से विनिर्धारित सीमाओं के अंदर छूट प्रदान कर सकते हैं। किसी ऐसी स्थिति में इस सेक्टर की व्यवस्थित प्रगति सुनिश्चित करने के लिए प्राधिकरण का यह विचार है कि ऐसी छूट के प्रसताव का निषेध करना अनुचित होगा। तथापि, किसी भी मामले में ऐसी शर्तें निर्धारित करने को, चैनल देने के लिए एक पूर्व–शर्त या सिग्नलों का बंद कर दिया जाना या सिग्नलों से मना कर दिया जाना माना जाना चाहिए।

64 जहां तक किसी डीपीओ द्वारा नेटवर्क तक पहुंच उपलब्ध कराने के लिए एक पूर्व–शर्त के रूप में चैनल (चैनलों) की संख्या के लिए न्यूनतम गारंटी या अवधि हेतु न्यूनतम गारंटी निर्धारित करने के मुद्दे का संबंध है, प्राधिकरण का यह विचार है कि इस प्रकार की पूर्व–शर्त प्रसारणकर्ताओं के लिए प्रवेश संबंधी बाधा उत्पन्न करेगी और इसलिए इसकी अनुमति नहीं दी गई है तथा इस प्रकार की पूर्व–शर्त को अतर्कसंगत शर्त माना गया है। तथापि, डीपीओ लंबी अवधि के करार करने के लिए या अतिरिक्त चैनल चलाने के लिए एक्सेस का प्रस्ताव देने हेतु कैरिज शुल्क पर निर्धारित सीमाओं के अंदर छूट का प्रस्ताव देने के लिए स्वतंत्र होंगे।

संदर्भ अंतःसंयोजन प्रस्ताव (आरआईओ):

65 सेवा प्रदाताओं द्वारा आरआईओ का प्रकाशन गैर–पक्षपातपूर्ण और समान अवसर की शर्तें पूरी करने के लिए सबसे प्रभावी तरीकों में से एक तरीका है। यह उनकी व्यवसाय संबंधी योजनाओं के अनुसार अपनी सेवाओं का प्रस्ताव देने के लिए सेवा प्रदाताओं को पर्याप्त लचीलापन उपलब्ध कराता है। परामर्श पत्र में परस्पर सहमति वाली उन शर्तों के आधार पर अंतःसंयोजन करारों की अनुमति देने के मुद्दे पर विचार–विमर्श किया गया था, जो किसी प्रसारणकर्ता या डीपीओ द्वारा प्रकाशित आरआईओ का भाग नहीं है। इस बात पर भी चर्चा की गई थी कि क्या आरआईओ अंतःसंयोजन करार पर हस्ताक्षर करने का एकमात्र आधार होना चाहिए और आरआईओ में गैर–पक्षपातपूर्ण और समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए दरों और छूटों सहित सभी शर्तें और निबंधन शामिल होने चाहिए।

66 जमीन पर गैर–पक्षपात को प्रभावी ढंग से सुनिश्चित करने के लिए और परामर्शपत्र के प्रत्युत्तर में पणधारियों की टिप्पणियों पर विचार करने के पश्चात अंतःसंयोजन विनियमावली, 2016 के मसौदे में यह प्रस्ताव दिया गया था कि या तो टीवी चैनलों के सिग्नल उपलब्ध कराने के लिए या चैनलों के पुनः प्रसारण के लिए नेटवर्क तक पहुंच के लिए अंतःसंयोजन करार आरआईओ के अनुसार किया जाना चाहिए।

67 अंतःसंयोजन विनियमावली, 2016 के मसौदे के प्रत्युत्तर में कुछ प्रसारणकर्ताओं और एक प्रसारणकर्ता एसोसिएशन ने कहा कि केवल आरआईओ के आधार पर होने वाला अंतःसंयोजन करार व्यापार की शर्तों का मोल–तोल करने की प्रसारणकर्ताओं की योग्यता को छीनता है जबकि कॉपीराइट अधिनियम प्रसारणकर्ता संगठनों द्वारा परस्पर वार्ताओं की अनुमति देता है।

68 किसी सेवा प्रदाता द्वारा प्रकाशित किया गया आरआईओ एक ऐसा प्रस्ताव है, जिसके आधार पर कोई सेवा प्रदाता गैर–पक्षपातपूर्ण आधार पर इच्छुक व्यक्तियों को नेटवर्क तक पहुंच या टीवी चैनलों के सिग्नल उपलब्ध कराना चाहता है। तथापि, पिछले समय में परस्पर सहमति वाली शर्तों पर लिखित अंतःसंयोजन करार करने के लिए अंतःसंयोजन विनियमावली, 2004 और अंतःसंयोजन विनियमावली, 2012 में उपबंधित लचीलेपन की, विनियामक ढांचे के बाहर जाने और समान स्थिति वाले इच्छुक व्यक्तियों के बीच भेदभाव करने के लिए सेवा प्रदाताओं द्वारा अनेक बार गलत व्याख्या की गई थी। यह सेवा प्रदाताओं के बीच अनेक विवाद उत्पन्न कर रहा था। किसी विनियमित सेक्टर में समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए यह आवश्यक है कि सभी सेवा प्रदाता अधिसूचित विनियमों और आदेशों के अनुसार अपने व्यवसाय संबंधी लेन–देन करें।

69 यह दलील कि केवल आरआईओ के आधार पर अंतःसंयोजन करार करना कॉपीराइट अधिनियम के अंतर्गत प्रसारणकर्ताओं के अधिकार छीन लेता है, जो उन्हें अपने कार्य की लाइसेंसिंग के लिए परस्पर वार्ता करने हेतु स्वतंत्रता प्रदान करता है, का गलत अर्थ लगाया गया है। यह नोट करना महत्त्वपूर्ण है कि ये विनियम, लागू होने वाले विनियमों का अनुपालन करने की शर्त के अधीन उनकी स्वयं की पसंद के अनुसार अपने आरआईओज तैयार करने के लिए प्रसारणकर्ताओं को पूरी स्वतंत्रता देते हैं। इने विनियमों में घोषित मापदंडों के आधार पर परस्पर चर्चाओं के पर्याप्त दायरे का उपबंध किया गया है। इस आरआईओ के ढांचे में नेटवर्क तक पहुंच या सिग्नल उपलब्ध कराने के लिए किए जाने वाले सभी करारों के लिए एक सामूहिक और पारदर्शी आधार का उपबंध किया गया है। इस सेक्टर की व्यवस्थित प्रगति सुनिश्चित करने के लिए यह आवश्यक है कि विनियामक ढांचे में सेवा प्रदाताओं के लिए आसान प्रवेश और निर्गमन के विकल्पों का उपबंध हो। इस सेक्टर में किसी नए प्रवेशकर्ता के लिए अपेक्षित निवेश की प्रतिबद्धता से पहले यह बात सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण है कि वह अग्रवर्ती और पश्चवर्ती संपर्क प्राप्त करने के लिए तर्कसंगत रूप से आश्वस्त हो। प्रसारण और केबल सेवा सेक्टर के मामले में किसी नए प्रसारणकर्ता के लिए यह आवश्यक है कि उसके पास घोषित शर्तों एवं निबंधनों पर नेटवर्क एक्सेस करने का तर्कसंगत आश्वासन हो। इसी प्रकार, किसी नए वितरक के लिए यह आवश्यक है कि उसके पास घोषित शर्तों और निबंधनों पर टीवी चैनलों के सिग्नल प्रापत करने का तर्कसंगत आश्वासन हो। घोषित आरआईओ के बाहर किए जाने वाले परस्पर करार इस सेक्टर की व्यवस्थित प्रगति की इस महत्त्वपूर्ण शर्त को विफल बनाते हैं।

70 यह इस बात को सुनिश्चित करने में सहायता करती है कि प्रवेश करने वाले नए ऑपरेटर ऐसी शर्तें प्राप्त करने के लिए विश्वस्त हो सकते हैं जो अन्य व्यक्तियों पर लागू होने वाली शर्तों की तुलना में कम अनुकूल होंगी। इस आरआईओ में स्वीकार्य शर्तों पर करार करने हेतु मापदंडों की परिभाषा दी जानी चाहिए और यह मापदंड उद्देश्यपरक, मापनयोग्य और परिकलनयोग्य होने चाहिए। इसलिए, प्राधिकरण का यह विचार है कि सभी अंतःसंयोजन करार आरआईओ के अनुसार किए जाने चाहिए।

आरआईओ का परीक्षण

71 इंटरक्नेक्शन विनियम, 2004 तथा इंटरक्नेक्शन विनियम, 2012 के अनुसार सेवा प्रदात्ताओं से अपनी वेबसाइट पर आरआईओ के प्रकाशन की अपेक्षा की गई थी । इसके अलावा, इन विनियमों का निर्माण सेवा प्रदात्ताओं द्वारा आरआईओ की एक प्रति प्राधिकरण में प्रस्तुत किए जाने की अनिवार्यता के लिए भी किया गया था । यदि किसी भागीदार को ऐसा महसूस होता है कि आरआईओ की नियम तथा शर्तों से विनियामक फ्रेमवर्क के प्रावधानों का उल्लंघन हो रहा है तो भागीदार आरआईओ के प्रदात्ता प्रकाशक के सम्मुख अथवा उचित न्यायाधिकरण के सम्मुख अपनी आपत्ति व्यक्त करने के लिए स्वतंत्र है । अनेक अवसरों पर ऐसा देखा गया है कि ऐसी आपत्तियां आरआईओ के प्रकाशन की तिथि से काफी लम्बे समय के पश्चात प्रस्तुत की जाती हैं । इसके परिणामस्वरूप प्रदात्ता द्वारा सुधार कार्रवाई, यदि कोई हो, करने में समय लग जाता है । इसके अलावा, इस आरआईओ के आधार पर अनेक अंवेषकों के साथ पहले ही निष्पादित किए जा चुके अनुबंधों में आरआईओ में बाद के स्तर पर किए गए संशोधन के अनुसार संशोधन करने पड़ते हैं । इस मामले पर सीपी में चर्चा की गई थी जिसमें इस मामले के निपटान के लिए एक परामर्शी दृष्टिकोण प्रस्तुत हुआ था । मसौदा इंटरक्नेक्शन विनियम, 2016 के संबंध में सीपी की प्रतिक्रिया में भागीदारों द्वारा दिए गए सुझावों पर विचार किए जाने के पश्चात यह प्रस्ताव दिया गया कि भागीदारों द्वारा वैल्यू श्रृंखला में की जाने वाली टिप्पणियों पर विचार करने पश्चात ही सेवा प्रदात्ता द्वारा आरआईओ के प्रकाशन को अंतिम रूप दिया जाना चाहिए । ऐसा प्रावधान किए जाने से अंतिम आरआईओ के संबंध में विनियामक फ्रेमवर्क के अनुपालन का भी सुनिश्चय हो सकेगा तथा विवादों में भी कमी आएगी । इस प्रक्रिया के पश्चात भी कोई भी असंतुष्ट भागीदार आरआईओ से संबंधित अपने विवादों के निपटान के लिए उचित न्यायाधिकरण से सम्पर्क कर सकता है ।

72 इसकी प्रतिक्रिया देते हुए कुछ प्रसारकों द्वारा यह टिप्पणी की गई कि डीपीओ को आपत्ति व्यक्त करने के अवसर देने तथा प्रसारकों के लिए उन पर विचार किए जाने की अनिवार्यता तथा की गई आपत्तियों के अनुसार संशोधन किए जाने से अनेक दुविधाएं उत्पन्न हो जाएंगी क्योंकि अनेक डीपीओ (डीटीएच/एमएसओ) कोई न कोई आपत्ति प्रस्तुत करते रहेंगे और आरआईओ को कभी अंतिम रूप प्रदान नहीं किया जा सकेगा । एक प्रसारक द्वारा यह कहा गया कि डीपीओ को ऐसे अधिकार प्रदान नहीं किए जाने चाहिए तथा केवल भादूविप्रा के पास ये अधिकार होने चाहिए और उसे ही प्रसारक द्वारा तैयार किए जा रहे आरआईओ के मसौदे तथा प्रकाशन में दखलंदाजी का उत्तरदायित्व दिया जाना चाहिए । एक डीपीओ द्वारा यह सुझाव दिया गया कि प्रसारक के लिए अपनी आरआईओ अथवा संशोधित आरआईओ विनियमाक अपेक्षाओं के अनुरूप सत्यापन के लिए भादूविप्रा को प्रस्तुत करने की अनिवार्यता की जानी चाहिए । एक अन्य प्रसारक द्वारा यह कहा गया कि यदि आरआईओ विनियामक अपेक्षाओं के अनुसरण में नहीं है तो कोई भी भागीदार विनियामक अथवा माननीय टीडीएसएटी के सम्मुख इसके संबंध में सम्पर्क कर सकता है । अधिकांश डीपीओ द्वारा यह कहा गया कि सभी मसौदा आरआईओ की प्रस्तुति भादूविप्रा के सम्मुख किए जाने की अनिवार्यता की जानी चाहिए तथा अनुमोदन प्राप्त किए जाने के पश्चात ही इसका प्रकाशन किया जाना चाहिए । यदि इसमें उल्लंघन पाए जाते हैं तो विनियामक द्वारा उचित कार्रवाई की जा सकती है । इसके अलावा उन्होंनें यह भी कहा कि यदि कोई खंड विनियामक फ्रेमवर्क के अनुरूप नहीं पाया जाता है तो इसके संबंध मं चुनौती का अधिकार डीपीओ को भी दिया जाना चाहिए ।

73. इस मामले पर विभिन्न भागीदारों द्वारा दी गई टिप्पणियों तथा प्रसारकों एवं वितरकों द्वारा आरआईओ के संबंध में किया जाने वाला अंतिमकरण प्रावधानों के अनुरूप होने पर विचार किए जाने के पश्चात प्राधिकरण द्वारा यह प्रेक्षण किया गया कि आरआईओ के अंतिमकरण की प्रस्तावित प्रक्रिया से देरिया तथा कार्यों की पुनरावृति हो सकती है । इसके अलावा इससे यह निश्चित भी नहीं होता है कि सेवा प्रदात्ता द्वारा अंतिम आरआईओ का प्रकाशन किए जाने के पश्चात विवाद उत्पन्न होंगे अथवा नहीं । इस अतिरिक्त बाधा को यह सुनिश्चय करते हुए सरलता से दूर किया जा सकता है कि सेवा प्रदात्ता द्वारा प्रारम्भ से ही अपने आरआईओ का प्रकाशन विनियामक फ्रेमवर्क का अनुसरण करते हुए ही किया जाए । इसके अलावा ऐसे मसौदा इंटरक्नेक्ट प्रस्ताव की अनुमति दिया जाना, जो इंटरक्नेक्ट विनियमों के अनुसरण में नहीं है, प्रसारकों एवं डीपीओ के मध्य इंटरक्नेक्शन विनियमन के उद्देश्य के अनुरूप नहीं होगा । तदनुसार, प्राधिकरण का यह विचार है कि प्रसारक तथा डीपीओ आरआईओ के प्रकाशन के समय अत्याधिक सावधानी बरतकर प्रारम्भिक स्तर पर ही अपने चैनलों अथवा नेटवर्क, जैसा भी मामला हो, से संबंधित प्रस्तुतियां प्रस्तुत करें ताकि इसकी प्रस्तुति विनियमों एवं मूल्य सूची आदेश के अनुसार हो सके । सभी नियम तथा शर्तें आरआईओ का भाग होंगी ताकि अन्य पक्षों द्वारा इसपर हस्ताक्षर किए जाने के पश्चात यह पूर्ण इंटरक्नेक्शन अनुबंध का भाग बन सके । इस कारण से इस घटक से संबंधित प्रावधान संशोधित कर दिए गए हैं । इन विनियमों में आरआईओ की एक प्रति प्राधिकरण को रिकार्ड के लिए प्रस्तुत किए जाने की अनिवार्यता की गई है । यहां यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि आरआईओ के अनुबंध विनियामक फ्रेमवर्क के अनुरूप न होने पर भागीदारों को अपनी आपत्तियां उचित न्यायाधिकरण में प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता होगी ।

<u>वितरण शुल्क और छूट</u>

74 मसौदा इंटरकनेक्शन विनियम, 2016 में, प्रसारकों द्वारा अपने पे चैनलों और पे चैनलों के बुके पर दी जाने वाली छूट कैर वितरण शुल्क के लिए निर्धारित मूल्यों/दरों पर हितधारकों से टिप्पणियां मांगी गई थी। वितरण शुल्क पे चैनल या पे चैनलों के बुके, जैसा भी मामला हों, के अधिकतम खुदरा मूल्य की 20 प्रतिशत की न्यूनतम दर पर रखने का प्रस्ताव किया गया था। इसके अलावा, प्राधिकरण ने यह भी प्रस्ताव किया था कि प्रसारक चैनल या बुके के अधिकतम खुदरा मूल्य पर डीपीओ को उस सीमा तक छूट की पेशकश कर सकते हैं कि वितरण शुल्क और छूट ऐसे चैनल या बुके के अधिकतम खुदरा मूल्य के 35 प्रतिशत से अधिक न हों। इसी प्रकार यह भी प्रस्ताव किया गया था कि डीपीओ उसके द्वारा घोषित कैरिज शुल्क की दर पर 35 प्रतिशत तक की छूट की पेशकश कर सकते हैं।

75 इस मुद्दे पर, एक प्रसारक ने यह टिप्पणी की कि वितरण शुल्क अधिकतम खुदरा मूल्य का 10 प्रतिशत होनी चाहिए और स्थापन शुल्क एवं मार्केटिंग शुल्क प्रसारक के विभिन्न छूट मानदंडों में सम्मिलित किया जाए जिसकी उच्चतम सीमा 15 प्रतिशत हो और आरआईओ में इसका पारदर्शिता के साथ प्रकटन किया जाए। जबकि एक दूसरे प्रसारक का यह मत था कि वितरण शुल्क को कम करके 15 प्रतिशत किया जाना चाहिए और अधिकतम खुदरा मूल्य पर छूट को बढ़ाकर 20 प्रतिशत किया जाना चाहिए, वो भी 35 प्रतिशत की उच्चतम सीमा के कोई बदलाव किए बगैर। दूसरी ओर अधिकांश डीपीओ ने सुझाव दिया कि वितरण शुल्क 20 प्रतिशत के स्थान पर 55 प्रतिशत होना चाहिए क्योंकि यह सीएएस क्षेत्र में था। एक डीटीएच ऑपरेटर ने कहा कि 20 प्रतिशत का वितरण शुल्क वितरकों की राजस्व सृजन क्षमता को अत्यधिक प्रभावित करेगा और उन्हें अपनी आय के लिए प्रसारकों की मूल्य–निर्धारण नीति पर निर्भर रहना पड़ेगा। इसके अलावा, उन्होंने यह भी कहा कि डीटीएच ऑपरेटर लगभग 4 से 5 प्रतिशत लागत का व्यय संग्रहण लागत के रूप में करते हैं। संग्रहण लागतें एमएसओ द्वारा वहन नहीं की जाती हैं। तदनुसार, एमएसओ के लिए डीटीएच के लिए वितरण मार्जिन 20 प्रतिशत ही रहेगा, क्योंकि लाइसेंस शुल्क सकल राजस्व और संग्रहण लागत का 10 प्रतिशत है, 5 से 6 प्रतिशत का अतिरिक्त मार्जिन डीटीएच ऑपरेटरों को मुहैया कराया जाना चाहिए।

76 इस विनियामक ढांचे में चैनलों के वितरण की लागत को चैनलों की लागत से पृथक किया गया है। टैरिफ आदेश के अनुसार, चैनलों, जिसमें उपभोक्ता प्रबंधन शामिल है, के वितरण की लागत वसूल करने के लिए वितरकों को नेटवर्क क्षमता शुल्क प्रभारित

करने की अनुमति दी गई है। अतः डीपीओ का यह दावा कि वे अपनी आय के लिए प्रसारकों की मूल्य–निर्धारण नीति पर निर्भर रहेंगे, तर्कसंगत नहीं है। वितरण शुल्क केवल पे टेलीविजन चैनल (चैनलों) या साधारण पे चैनलों के बुके (बुकों) के वितरण के उद्देश्य के लिए है। यह तथ्य कि डीटीएच ऑपरेटरों को सरकार को लाइसेंस शुल्क देना अपेक्षित है, को ध्यान में रखते हुए भुगतानों के संग्रहण एवं लेखा में शामिल वितरकों के व्यय, एमएसओ और एलसीओ आदि के बीच वितरण शुल्क में हिस्सेदारी के संबंध में प्राधिकरण ने अधिकतम खुदरा मूल्य के न्यूनतम 20 प्रतिशत को वितरण शुल्क के रूप में निर्धारित किया है। डीपीओ का यह सुझाव कि वितरण शुल्क 20 प्रतिशत के स्थान पर 55 प्रतिशत होना चाहिए क्योंकि यह सीएएस क्षेत्र में था, तर्कसंगत नहीं है क्योंकि उस समय उपभोक्ताओं द्वारा कोई पृथक नेटवर्क क्षमता शुल्क का भुगतान नहीं किया जाता था। यह विनियामक ढांचे की तुलना सीधे पूर्ववर्ती विनियामक ढांचे से नहीं की जा सकती, जिसमें वितरण और चैनल की लागत एक साथ थी।

77 व्यावसाय में उत्पाद के अधिकतम खुदरा मूल्य पर छूट आपूर्तिकर्ता को वैल्यु चेन में कुशलता बढ़ाकर अपनी बिक्री बढ़ाने की सुविधा प्रदान करती है। दूसरी ओर उच्च छूट भेदभाव और उपभोक्ता की पसंद पर रोक लगाने का जरिया बन सकता है। विगत में देखा गया था कि कई बार सेवा प्रदाता अपने आरआईओ में अपने उत्पादों एवं सेवाओं के लिए काफी उच्च दर घोषित कर देते हैं और फिर ऐसी दरों भारी छूट देते हैं। छूट की गैर–तर्कसंगत राशियों के कारण भ्रामक/गलत मूल्य निर्धारण और गैर–बराबरी वाला वातावरण बन सकता है। इसलिए, प्राधिकरण को लगता है कि इस तरह की छूटों पर अंकुश लगाने की आवश्यकता है ताकि इसे पारदर्शी, मापयोग्य और अविभेदकारी शर्तों पर मुहैया कराया जा सकें। इसके अलावा, प्राधिकरण ने कुछ प्रसारकों के इस विचार से सहमति जताई है कि आरआईओ में घोषित मूल्यों पर छूट की अधिकतम राशि की उच्चतम सीमा तय की जानी चाहिए। इससे उनकी सेवाओं के लिए इष्टतम मूल्य घोषित करने में मदद मिलेगी अर्थात वो मूल्य जिस पर सकल राजस्व को अधिकतम किया जा सकें। यह एक समान सेवा प्रदाताओं के बीच भेदभाव की संभावना को भी कम करेगा। विभिन्न हितधारकों द्वारा सुझाई गई छूटों पर उच्चतम सीमा 33 से 50 प्रतिशत के बीच हो सकती है। इसलिए, प्राधिकरण का यह मत है कि वितरण शुल्क और डीपीओ को दी जाने वाली छूट का योग अधिकतम खुदरा मूल्य के 35 प्रतिशत तक सीमित होना चाहिए। इसी प्रकार, डीपीओ द्वारा प्रसारकों को दिए जाने वाले कैरिज शुल्क की दर पर अधिकतम छूट भी 35 प्रतिशत तक सीमित होनी चाहिए। इसके अलावा, विनियमों में यह प्रावधान किया गया है कि आरआईओ में दी जाने वाली ऐसी छूट निष्पक्ष, पारदर्शी एवं अविभेदकारी शर्तों के आधार पर आरईओ में दी जानी चाहिए और छूट के पैरामीटर मापयोग्य एवं गणनायोग्य होंगे।

78 इन विनियमों में एक ऐसा प्रावधान किया गया है जिसमें प्राधिकरण आदेश के माध्यम से वितरक उन चैनलों पर कैरिज शुल्क पर 35 प्रतिशत से अधिक छूट दे सकती है जो जनता की भलाई के लिए हों।

कैरिज शुल्क

79 डीपीओ के नेटवर्क पर इसके टीवी चैनल (चैनलों) को कैरी करने के लिए प्रसारक द्वारा डीपीओ को अदा किए गए प्रभार को सामान्यतः उद्योग द्वारा कैरिज शुल्क कहा जाता है। कैरिज शुल्क का ट्रेंड एनालॉग के दौर में शुरू हुआ था और इसका कारण शायद टीवी सिस्टम में ट्रांसमिशन मीडियम के बैडविड्थ की कमी था। सामान्यतः एक एनालॉग केबल टीवी सिस्टम लगभग 80–100 टीवी चैनल कैरी कर सकता है जबकि प्रसारक के लिए उपलब्ध चैनलों की संख्या नेटवर्क की क्षमता से अधिक हैं। हालांकि एड्रेसेबल सिस्टम में चैनल कैरी करने की क्षमता बढ़ी है मगर उसी दौरान अनुमति प्राप्त प्राइवेट सेटेलाइट टीवी चैनलों की संख्या भी तेजी से बढ़ी है। डीपीओ द्वारा संस्थापित हेड–एंड उपस्कर ने भी एमएसओ के नेटवर्क की कैरी करने की क्षमता को कम किया है। नेटवर्क क्षमता को और बढ़ाने के लिए डीपीओ को अपनी नेटवर्क अवसंरचना को अपग्रेड करना होगा जिसके लिए डीपीओ को अतिरिक्त लागत वहन करनी होगी। ऐसी लागतों के कुछ हिस्से की भरपाई के लिए प्रसारक और डीपीओ के बीच कैरिज शुल्क ट्रांजेक्शन होती हैं।

80 टीवी सेवाओं के टैरिफ संबंधी परामर्श पत्र में कैरिज शुल्क संबंधी मुद्दों पर विचार किया गया था। परामर्श पत्र के प्रत्युत्तर में अधिकांश प्रसारक कैरिज शुल्क के भुगतान की पद्धति के खिलाफ थे और उन्होंने कहा कि डिजिटल नेटवर्कों में क्षमता संबंधी तंगी अब चिंता का विषय नहीं है। उन्होंने कहा कि एड्रेसेबिलिटी के साथ सब्सक्रिप्शन राजस्व में स्थिर वृद्धि हुई है और इसलिए कैरिज शुल्क पर डीपीओ की निर्भरता को कम किया जाना चाहिए। प्रसारकों की ओर एक यह सुझाव आया था कि प्राधिकरण को 50 पैसे से लेकर एक रुपए प्रति चैनल प्रति सेट टॉप बॉक्स पर वार्षिक कैरिज शुल्क की उच्चतम सीमा के साथ डीपीओ द्वारा अवसंरचना लागत पर किए गए व्यय के आधार पर कैरिज शुल्क निर्धारित करना चाहिए।

81 इसके विपरीत, डीपीओ ने कैरिज शुल्क के किसी विनियम का समर्थन नहीं किया और प्रस्ताव किया था कि आपस में बातचीत द्वारा कैरित शुल्क तय किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा था कि वितरण नेटवक की क्षमता डिजिटाइजेशन के बाद भी बाधा बनी हुई है और कैरिज शुल्क डीपीओ को चैनल क्षमता बढ़ाने और अपने नेटवर्क को अपग्रेड करने के लिए प्रोत्साहित करती है। एक डीपीओ ने सुझाव दिया था कि प्रारंभ में कैरिज शुल्क 2 से 5 रुपये के बीच प्रति चैनल प्रति उपभोक्ता प्रतिमाह रखा जाए और उपभोक्ताओं की संख्या बढ़ने के साथ इसे धीरे–धीरे कम किया जाए।

82 मसौदा इंटरकनेक्शन विनियम, 2016 में यह प्रस्ताव किया गया था कि अधिकतम दर, जो एक डीपीओ चैनल कैरी करने की एवज में प्रसारक से वसूल कर सकता है, एसडी चैनल (एचडी चैनल के लिए 0.40 प्रति उपभोक्ता प्रति माह) के लिए 0.20 रुपये प्रति उपभोक्ता प्रतिमाह होगी और इसकी गणना संबंधित बाजार में सक्रिय उपभोक्ताओं की औसत संख्या के आधार पर की जाएगी और चैनल के मासिक सब्सक्रिप्शन में वृद्धि के साथ इसे धीरे–धीरे कम किया जाएगा और यदि चैनल विशेष उक्त बाजार में 20 प्रतिशत पैठ प्राप्त कर लेता है यह शून्य हो जाएगी।

83 मसौदा विनियम, 2016 के प्रत्युत्तर में अधिकांश प्रसारकों ने टिप्पणी की है कि कैरिज शुल्क का कोई औचित्य नहीं है क्योंकि टैरिफ आदेश के संदर्भ में नेटवर्क क्षमता शुल्क डीपीओ द्वार उपभोक्ता से लिया जाता है। प्रसारक ने यह कहा था कि कैरिज शुल्क को उक्त चैनल को सब्सक्राइब करने वाले उपभोक्ताओं की वास्तविक संख्या के आलोक में देखना चाहिए न कि उपभोक्ता आधार के। जबकि दूसरे प्रसारक ने सुझाव रखा कि कैरिज शुल्क पर 10 पैसा प्रति उपभोक्ता प्रतिमाह की उच्चतम सीमा लगाई जानी चाहिए। कुछ प्रसारकों ने टिप्पणी की कि चैनलों (जैसे अंग्रेजी भाषा, जीईसी, फिल्में, खबरें आदि) के कतिपय सेट के लिए कैरिज शुल्क की गणना करने के लिए राज्यों के संदर्भ में लक्षित बाजार को शहरों में उपविभाजित करने की अनुमति प्रदान की जानी चाहिए।

84 समाचार प्रसारकों और उनकी एसोसिएशनों ने टिप्पणी की है कि समाचार प्रसारकों से कोई कैरिज एवं स्थापन/मार्केटिंग शुल्क प्रभारित नहीं किया जाना चाहिए। एक और प्रसारक ने टिप्पणी की कि कैरिज शुल्क पर उच्चतम सीमा लगाने के अलावा, स्थापन शुल्क को नियंत्रित किया जाए और इस पर उच्चतम सीमा लगाई जाए। एचडी चैनलों के लिए प्रसारकों ने सुझाव रखा कि एचडी चैनलों के लिए कैरिज शुल्क की गणना करने के लिए केवल प्रसारक द्वारा यथा घोषित लक्षित बाजार में डीपीओ के एचडी चैनल आधार पर विचार किया जाए।

85 अधिकांश प्रसारकों ने मसौदा इंटरकनेक्शन विनियम, 2016 की अनुसूची–1 में विनिर्धारित कैरिज शुल्क की गणना करने की पद्धति पर अपना असंतोष प्रकट किया है। उनकी आशंका थी कि इस तरह की गणना से डीपीओ अपने कैरिज लाभ के लिए चैनल को 20 प्रतिशत से पार नहीं जाने देगा क्योंकि डीपीओ कभी ऐसे मॉडल को पसंद नहीं करेगा जिसमें चैनल उन्हें कोई कैरिज शुल्क अदा किए बगैर उपभोक्ताओं की 20 प्रतिशत की संख्या के लक्ष्य तक पहुंचते हैं। कुछ समाचार प्रसारकों ने कहा कि फ्री टू एयर चैनलों के लिए सभी कैरिज यथा कैरिज शुल्क/मार्केटिंग शुल्क/स्थापन शुल्क को मिलाकर यह 0.20 रुपए प्रति माह प्रति एसटीबी होना चाहिए। बहरहाल, एक व्यक्ति ने कहा है कि 0.20 रुपये के कैरिज शुल्क की दर से कैरिज शुल्क घटक में अत्यधिक कमी आएगी और प्रसारकों को इससे काफी फायदा होगा।

86 अधिकांश डीपीओ ने यह सुझाव दिया कि कैरिज शुल्क की गणना में स्लैब सिस्टम नहीं होना चाहिए, इससे डीपीओ का पैकेज के लिए अधिकार समाप्त हो जाएगा। एक डीपीओ ने कहा है कि कैरिज शुल्क ट्रांजेक्शन बिजनस से बिजनस (बी2बी) प्रकृति का है

इसलिए इसे विनियामित करना उपभोक्ताओं के हित में नहीं होगा। अधिकांश डीपीओ ने एसडी और एचडी चैनलों के लिए कैरिज शुल्क की सीमा को क्रमशः 20 से 80 पैसे और 40 से 1.20 पैसे करने का सुझाव दिया है।

87 इस विनियामक फ्रेमवर्क में टैरिफ आदेश के अनुसार, चैनलों के वितरण की लागत वसूल करने के लिए वितरकों को नेटवर्क क्षमता शुल्क प्रभारित करने की अनुमति प्रदान की गई है। यह राशि एकल उपभोक्ता द्वारा सब्सक्राइब किए गए चैनलों की संख्या के अनुसार भिन्न हो सकती है। अतः यह आशा है कि डीपीओ चैनलों के सिगनल की मांग करेगा, जिनकी बाजार विशेष में अधिक मांग है। ऐसे चैनलों के लिए डीपीओ कैरिज शुल्क की मांग नहीं कर सकता क्योंकि यह उपभोक्ताओं से प्रभारित नेटवर्क क्षमता शुल्क से रिट्रांसमिशन व्यय वूसल करने में समर्थ होगा। बहरहाल, चैनल, जिनके लिए प्रसारक ने अनुरोध किया है, कैरी करने के लिए डीपीओ चैनल को उपभोक्ताओं की पर्याप्त संख्या द्वारा सब्सक्राइब किए जाने तक उपभोक्ताओं से प्रभारित नेटवर्क क्षमता शुल्क से पूरे रिट्रांसमिशन व्यय को वसूल करने में समर्थ नहीं होगा। डीपीओ के प्लेटफार्म पर चैनल विशेष को कैरी करने पर उसके द्वारा किए गए रिट्रांसमिशन शुल्क और उपभोक्ताओं से प्रभारित नेटवर्क क्षमता शुल्क की राशि के बीच को अंतर को पाटने के लिए डीपीओ को उस सीमा तक उक्त चैनल के प्रसारक से कैरिज शुल्क प्रभारित करने की अनुमति देना उचित होगा।

88 प्राधिकरण कुछ प्रसारकों के इस मत से सहमत है कि 'मस्ट कैरी' के सिद्धांत को असरदार तरीके से लागू करने के लिए कैरिज शुल्क दर पर उच्चतम सीमा लगाना जरूरी है। विगत में, कई मौकों पर प्रसारक से कैरिज शुल्क के आंकड़े मांगे गए थे। मगर प्रसारक कैरिज शुल्क के लिए पृथक आंकडे देने में विफल रहे थे। इसके स्थान पर उन्होंने मिश्रित आंकड़े प्रस्तुत किए, जिसमें कैरिज शुल्क, स्थापन, मार्केटिंग शुल्क, तकनीकी शुल्क, बैंडविड्थ सपोर्ट और अन्य शुल्क शामिल थे, जिसकी वजह से डीपीओ के प्लेटफार्म पर चैनलों के रिट्रांसमिशन की लागत को वसूल करने के लिए अदा किए गए कैरिज शुल्क से संबंधित आंकड़ों को पृथक करना नामुमकिन था।

89 चूंकि डाटा उपलब्ध नहीं था इसलिए प्राधिकरण ने विभिन्न स्रोतों पर विचार किया जो टीवी चैनल की कैरिज शुल्क निकालने के लिए प्रासंगिक थे। दूरदर्शन द्वारा संचालित फ्री टू व्यू डीटीएच सेवा के मामले में, डीटीएच प्लेटफार्म पर एक चैनल को कैरी करने की क्षमता हासिल करने के लिए, 2016 में प्रकाशित आरएफपी के अनुसार आरक्षित मूल्य 4.30 करोड़ रुपये रखा गया था। उद्योग के अनुमानों के अनुसार, 20 से 30 मिलियन उपभोक्ता डीडी फ्री डिश सेवा का लाभ उठा रहे हैं। जो दर्शाता है कि एक चैनल को कैरी की प्रति चैनल लागत 2.15 रुपये प्रतिवर्ष है, 20 मिलियन उपभोक्ता के आधार पर 0.20 पैसा प्रति उपभोक्ता प्रतिमाह है।

90 इस फ्रेमवर्क में, चैनलों, जिनकी मौजूदगी उपभोक्ताओं को ज्ञात नहीं है, को ध्यान में रखकर 'मस्ट कैरी' के उपबंध को स्थापित किया गया है। इसकी पहुंच का विस्तार करने के लिए कैरिज शुल्क वांछित लक्षित बाजार में प्रसारकों को डीपीओ से जुड़ने में समर्थ बनाएगी। ऐसे 6 प्राइवेट ऑपरेटर हैं, जिनके पास अपने प्लेटफार्म पर 300–40 चैनलों को कैरी करने की क्षमता है। अधिकांश एमएसओ के पास 250–400 चैनलों की क्षमता है। प्राधिकरण ने टैरिफ फ्रेमवर्क में यह निणर्य लिया गया है कि वितरण व्यय वसूल करने के लिए डीपीओ द्वारा उपभोक्ताओं से नेटवर्क क्षमता राशि प्रभारित की जाएगी। फ्रेमवर्क में डीपीओ को उपभोक्ताओं से 100 चैनल हेतु नेटवर्क क्षमता राशि के लिए आश्वस्त किया गया है। प्रत्येक 25 चैनल के बंडल के लिए डीपीओ उपभोक्ता से अतिरिकत नेटवर्क क्षमता शुल्क के रूप में एक राशि, जो 20 रु. से अधिक नहीं होगी, प्रभारित कर सकता है। अतः चैनलों के सब्सक्रिप्शन में वृद्धि के साथ नेटवर्क क्षमता शुल्क भी बढ़ता है।

91 यह देखा गया है कि किसी घर द्वारा आमतौर पर सब्सक्राइब किए गए चैनलों की संख्या 80 से 100 के बीच होती है, जो डीपीओ की औसत प्लेटफार्म क्षमता का लगभग 20 प्रतिशत बैठती है। अतः अगर कोई चैनल उपभोक्ता आधार का 20 प्रतिशत प्राप्त कर लेता है तो यह माना जा सकता है कि उक्त चैनल की मांग उपभोक्ताओं द्वारा की गई है, जो 'मस्ट प्रोवाइड' के तहत कैरी किए जा रहे एक चैनल के बराबर है, और जिस पर कोई कैरिज शुल्क लागू नहीं होगा। अतः प्राधिकरण का मानना है कि चैनल लोकप्रियता हासिल कर लेता है इसके देखने वालों की तादाद ज्यादा है तो उक्त चैनल के लिए डीपीओ द्वारा सब्सक्रिप्शन से अर्जित अधिक राजस्व को देखते हुए कैरिज शुल्क की मात्रा कम की जानी चाहिए।

92 गणना में आसानी के लिए प्राधिकरण ने फैसला किया है कि दिए गए माह में यदि चैनल का मासिक सब्सक्रिप्शन लक्षित बाजार में डीपीओ के मासिक औसत सक्रिय उपभोक्ता आधार के 5 प्रतिशत तक पहुंच जाता है, मगर 10 प्रतिशत से कम है तो उक्त माह में प्रसारक द्वारा देय कैरिज शुल्क में 25 प्रतिशत की कमी, और यदि चैनल का मासिक सबसक्रिप्शन मासिक औसत सक्रिय उपभोक्ता आधार 10 प्रतिशत तक पहुंच जाता है मगर 15 प्रतिशत से कम है तो कैरिज शुल्क में 50 प्रतिशत की कमी और यदि चैनल का मासिक सबसक्रिप्शन मासिक औसत सक्रिय उपभोक्ता आधार 15 प्रतिशत तक पहुंच जाता है मगर 20 प्रतिशत से कम है तो कैरिज शुल्क में 75 प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए। यदि चैनल का मासिक सब्सक्रिप्शन दिए गए माह में मासिक औसत उपभोक्ता आधार के 20 प्रतिशत तक पहुंच जाता है तो डीपीओ उक्त माह के लिए कोई कैरिज शुल्क प्रभारित नहीं करेगा।

93 अतः प्राधिकरण इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि किसी भी मामले में कैरिज शुल्क की दर 0.20 रुपए प्रति चैनल प्रति उपभोक्ता प्रतिमाह से अधिक नहीं होगी। चूंकि एचडी चैनलों द्वारा उपयोग की जा रही बैंडविड्थ एसडी चैनलों के लिए अपेक्षित बैडविड्थ से लगभग दो गुना है इसलिए प्राधिकरण ने कैरिज शुल्क पर 0.40 रुपये की सीमा लगाई गई है। डीपीओ अपने राजस्व को अधिकतम करने के लिए निर्धारित उच्चतम सीमा के भीतर अपने आरआईओ में कैरिज शुल्क की दर घोषित कर सकते हैं।

94 प्राधिकरण ने पाया कि वितरक के नेटर्वक पर उपलब्ध चैनल उन क्षेत्रों में पहुचंता है जो उस हैड–इंड या अर्थ स्टेशन के द्वारा कवर होता है । इसलिए वितरकों के द्वारा कैरिज फी की गणना उस हैड–इंड या अर्थ स्टेशन के मासिक औसत सक्रिय उपभोक्ता आधार पर किया जाना उचित प्रतीत होता है । प्राधिकरण ने यह भी देखा की एक विशेष हैड–इंड एक से ज्यादा क्षेत्रों को कवर करता है इसलिए टारगेट मार्किट एरिया को प्रदेश तक सीमित रखना उचित नहीं होगा। इसलिए प्राधिकरण ने यह तय किया है कि हर वितरक अपने हैड–इंड या अर्थ स्टेशन के द्वारा कवर एरिया को टारगेट मार्किट धोषित करेगा। हालांकि वितरक के लिए यह छूट होगी कि वह हैड–इंड या अर्थ स्टेशन के द्वारा कवर एरिया से कम एरिया को गैर भेदभाव तरीके से टारगेट मार्किट धोषित कर सकता है।

95 एचडी चैनल के मामले में प्राधिकरण ने यह देखा है कि अगर उपभोक्ता का एसटीबी एचडी चैनल के सिगनल प्राप्त करने में समर्थ है तो एचडी चैनल देखें जा सकते हैं। इसलिए, एचडी चैनलों के कैरिज के लिए एचडी टीवी चैनल प्राप्त करने में समर्थ वितरकों के औसत सक्रिय उपभोक्ता आधार पर विचार किया जाना चाहिए। एचडी चैनलों का उपभोक्ता आधार बढ़ने पर कैरिज शुल्क में भी उसी अनुपात में वृद्धि होगी। इससे उपभोक्ताओं के लिए एचडी एसटीबी को बढ़ावा मिलेगा और देखने की क्वालिटी में सुधार होगा। तदनुसार, विनियम में यह प्रावधान किया गया है कि एचडी चैनल का कैरिज शुल्क निकालने के लिए लक्षित बाजार में उक्त माह में डीपीओ का औसत सक्रिय उपभोक्ताओं की संख्या में वो उपभोक्ता शामिल होंगे जो हाई डेफिनेशन टेलीविजन चैनलों को प्राप्त करने में समर्थ होंगे। कुछ प्रसारकों ने अपनी टिप्पणियों में यह आशंका प्रकट की थी कि डीपीओ को उनके अपने लाभ के लिए चैनल को 20 प्रतिशत से पार जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी, तर्कसंगत नहीं है क्योंकि चैनलों को कैरी करने के लिए अधिक सब्सक्रिप्शन शुल्क लेना डीपीओ के हित में है। इसके अलावा, यदि चैनल का कंटेंट आकर्षक है तो उपभोक्ता ऐसे चैनलों को सब्सक्राइब करना पसंद करेगा। डीपीओ उपभोक्ता की पसंद का चैनल देने से इंकार नहीं कर सकते ।

<u>प्लेसमेंट</u>

96 एड्रेसेबल प्रणालियों में, प्रौद्योगिकी में एक इलेक्ट्रॉनिक कार्यक्रम संदर्शिका (ईपीजी) का उपबंध किया गया है, जिसमें किसी डीपीओ के नेटवर्क पर चलाए जा रहे चैनल सरल और समझने में आसान तरीके से क्रमबद्ध किए जा सकते हैं ताकि उपभोक्ता इस संदर्शिका को आसानी से पढ़ सके और सभी चैनलों के जरिए फ्लिपिंग के बजाय अपनी पसंद का चैनल चुन सके। अंतःसंयोजन विनियमावली, 2016 के मसौदे में डीपीओज के लिए यह अनिवार्य किया गया था कि वे ईपीजी में प्लेटफार्म में उपलब्ध सभी चैनलों का सूचीकरण ऐसे तरीके से करें कि उपभोक्ता आसानी से अपनी पसंद का चैनल चुन सकें। एक ही प्रकार के चैनलों के बीच किसी चैनल का प्लेसमेंट सुनिश्चित करने के लिए अंतःसंयोजन विनियमावली, 2016 के मसौदे में, ईपीजी में टीवी चैनलों के प्रकार

और भाषा–वार सूचीकरण का प्रस्ताव दिया गया था। इसके अलावा, मसौदे में यह भी प्रस्ताव दिया गया था कि प्रसारणकर्ता ईपीजी में किसी स्थान विशेष पर अपने चैनल रखने के लिए डीपीओ को सिग्नल उपलब्ध कराने हेतु या अपने चैनल को कोई विशेष नंबर देने के लिए कोई पूर्व–शर्त नहीं रख सकता। इसलिए, कार्यान्वित करने के लिए ऐसी शर्त व्यावहारिक रूप से संभव नहीं है। उदाहरण के लिए, यदि कोई दो प्रसारणकर्ता अपने टीवी चैनलों के सिग्नल उपलब्ध कराने से पहले एक पूर्व–शर्त के रूप में ईपीजी में उसी स्थान पर रखने के लिए जोर देते हैं तो वह पूर्व–शर्त पूरी करना किसी डीपीओ के लिए व्यावहारिक रूप से संभव नहीं है।

97 प्रत्युत्तर में अधिकांश प्रसारणकर्ताओं ने यह राय व्यक्त की कि चैनलों का प्लेसमेंट और प्लेसमेंट शुल्क को विनियामक ढांचे के दायरे में लाया जाना चाहिए। उनके अनुसार, गैर–विनियमित प्लेसमेंट और विपणन शुल्क मॉडल को गैर–पारदर्शी बनाता है और एलसीएन के लिए डीपीओज तथा प्रसारणकर्ताओं के बीच किए गए करारों की अनुमति देकर पिछले दरवाजे से प्रवेश का अवसर देता है।

98 प्रशुल्क आदेशों में प्रसारणकर्ताओं को अपने चैनलों का प्रकार घोषित करने की पूरी स्वतंत्रता प्रदान की गई है और इन विनियमों के अनुसार यह बात अनिवार्य बनाई गई है कि कोई डीपीओ प्रसारणकर्ताओं द्वारा घोषित किए गए संबंधित प्रकारों के अंतर्गत ईपीजी में चैनलों को स्थान देगा। इसके अलावा, यह भी अनिवार्य बनाया गया कि डीपीओ एक ऐसे तरीके से एक ही प्रकार के चैनलों को स्थान देगा कि उसी प्रकार के अंदर उसी भाषा के सभी टीवी चैनल इलेक्ट्रॉनिक कार्यक्रम संदर्शिका में एकसाथ लगातार दिखाई दें। एलसीएन नंबर में बार–बार परिवर्तन करने की पद्धति को समाप्त करने की दृष्टि से यह अनिवार्य कर दिया गया है कि एक बार आबंटित एलसीएन नंबर कम से कम एक वर्ष की अवधि के दौरान बदला नहीं जाएगा। इसलिए, चैनलों के प्लेसमेंट पर्याप्त रूप से विनियमित कर दिए गए हैं और प्रसारणकर्ता को आवश्यक संरक्षण प्रदान कर दिया गया है ताकि उनके चैनल ईपीजी में किसी अलाभकारी स्थान पर न रखे जाएं। इसलिए, किसी प्रसारणकर्ता के लिए ईपीजी में किसी विशिष्ट स्थान पर रखने के लिए कहने की कोई शर्त नहीं है।

99 संशोधित विनियामक ढांचे में उपभोक्ता की पसंद पर अधिक जोर दिया गया है। इसलिए, जब उपभोक्ता केवल उन्हीं चुनिंदा चैनलों को चुनेंगे, जो वे वास्तव में देखना चाहते हैं तो चैनलों के प्लेसमेंट का महत्त्व पूरी तरह कम हो जाएगा। इसके अलावा, विनियामक ढांचे में कैरिज और प्लेसमेंट के बीच स्पष्ट रूप से भेद किया गया है। पणधारियों की मांग के अनुसार, कैरिज शुल्क को विनियमित कर दिया गया है और 'अवश्य चलाना चाहिए' वाले उपबंध गैर–पक्षपातपूर्ण तरीके से वितरण नेटवर्क में एक्सेस सुनिश्चित करेंगे। पहले सेवा प्रदाताओं द्वारा इन दोनों प्रकार के शुल्कों को एकसाथ मिला दिया गया था और संयुक्त शुल्क का भुगतान न करने से नेटवर्क तक एक्सेस के लिए किसी चैनल से मना किया जा सकता था। अब ऐसा करना संभव नहीं होगा। चैनलों के पिलेस्मेन्ट के लिए 15 पतिशत तक के डिस्काउट की सीमा का निर्धारण उददेश्य् को पूरा नहीं कर सकेगा क्योंकि यह पे चैनलों के लिए समान अवसर नहीं प्रदान करेगा क्योंकि फ्री – टु – एयर चैनलों के लिए अधिकतम खुदरा मूल्य शून्य होता है। तथापि, यदि कोई प्रसारणकर्ता अभी भी किसी विशेष स्थान पर अपना चैनल रखना चाहता है या अपने चैनल को कोई विशिष्ट नंबर देना चाहता है तो इन विनियमों के उपबंधों की शर्त के अधीन वह प्रसारणकर्ता विनिर्धारित ढांचे के अंदर छूट का प्रस्ताव दे सकता है या अंतःसंयोजन करार करने के पश्चात, चैनल को स्थान देने के लिए किसी वितरक को परस्पर सहमति वाले शुल्क का भुगतान कर सकता है। यहां यह नोट करना महत्त्वपूर्ण है कि चैनलों के प्लेसमेंट के लिए किए गए ऐसे अंतःसंयोजन करार भी गैर–पक्षपातपूर्ण होंगे। ऐसे करार, यदि कोई हैं, मुख्य अंतःसंयोजन करार के साथ संलग्न किए जाएंगे और इन्हें समय–समय पर प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित विनियमों के अनुसार प्राधिकरण के पास फाइल किया जाएगा। इससे पारदर्शिता सुनिश्चित होगी।

100 यह बात नोट की जाती है कि शेयरधारकों से प्राप्त टिप्पणियों में और सेवा प्रदाताओं द्वारा किए गए करारों में, विपणन शुल्क, ब्रांड विड्थ समर्थन शुल्क, चैनल दृश्यता शुल्क आदि जैसे विविध शब्दों का इस्तेमाल भिन्न–भिन्न उद्देश्यों और प्रसारणकर्ताओं तथा डीपीओज के बीच वाणिज्यिक समझौतों के लिए किया गया है। इस प्रकार का वाणिज्यिक समझौता अंतःसंयोजन करार का एक

प्रकार है और इसलिए यह गैर–पक्षपातपूर्ण आधार पर होना चाहिए। इसलिए, विनियामक संबंधी कमियों से बचने के लिए यह अनिवार्य बनाया गया कि यदि टेलीविज़न चैनल (चैनलों) या भुगतान चैनलों के गुच्छे (गुच्छों) के संबंध में टेलीविजन चैनलों के किसी वितरक के साथ एक से अधिक अंतःसंयोजन करार किया गया है, तो उत्तरवर्ती प्रत्येक अंतःसंयोजन करार में उस/ उन चैनल (चैनलों) या गुच्छे (गुच्छों) के लिए उस वितरक के साथ लागू पिछले करारों के ब्योरे दिए जाएंगे।

101 यह भी अवलोकन किया गया है कि अनेक बार अपनी सेवाओं को बढ़ावा देने और विज्ञापन के लिए एक सेवा प्रदाता द्वारा अन्य सेवा प्रदाता को विपणन के नाम से शुल्क का भुगतान किया जाता है। कभी – कभी प्रसारक डिस्ट्रीब्यूटरों को अपने चैनलों को उनके द्वारा बनाए गए बुकों में शामिल करने के लिए मार्केटिंग के नाम पर प्रोत्साहन देता है इन विनियमों में प्राधिकरण में यह साफ – साफ कहा है कि प्रसारक वितरक को अपने चैनलों को उनके बुके में शामिल करने के लिए कोई भी प्रोत्साहन नहीं देगाा क्योंकि यह चैनलों को सब्स्क्राइबरों को अवांच्छित रूप में देने को बाध्य करता है। मार्केटिंग शुल्क का भुगतान किसी सेवा प्रदाता द्वारा दूसरे सेवा प्रदाताओं को सेवाओं को बढ़ावा देने और विज्ञापन के लिए किया जाता है। इसलिए, इस प्रकार के शुल्क को विनियमित करने के लिए कोई विशिष्ट मापदंड नहीं हो सकता। इसलिए, इस चरण में ऐसे शुल्क पर प्राधिकरण द्वारा कोई विनियम निश्चित रूप से एक दोषपूर्ण विनियम होगा। फिर भी प्राधिकरण ने यह छूट दी है कि सेवा प्रदाता दूसरे सेवा प्रदाता को पारदर्शी तरीके से 15 प्रतिशत के अंदर आपसी सहमति से डिस्काउंट दे सकता है। तथापि, यह निर्णय लिया गया है कि दो सेवा प्रदाताओं के बीच, किसी चैनल के लिए किसी भी प्रकार के शुल्क के लिए किया गया कोई करार अंतःसंयोजन करार का भाग बनाया जाना चाहिए और उद्योग की पद्धतियों को मॉनीटर करने में प्राधिकरण को समर्थ बनाने हेतु प्राधिकरण को सूचित किया जाना चाहिए।

<u>सिगनल मुहैया कराने से पहले एड्रेसेबल सिस्टम की लेखा परीक्षा</u>

102 प्राधिकरण ने अपने पिछले विनियामक फ्रेमवर्क में सिगनल मुहैया कराने से पहले तकनीकी लेखा परीक्षा पद्धति निर्धारित की थी। परामर्श पत्र में एड्रेसेबल सिस्टम की तकनीकी लेखा परीक्षा की वर्तमान पद्धति के मुद्दों और उनकी समीक्षा करने की आवश्यकता पर चर्चा की गई थी।

103 परामर्श पत्र के प्रत्युत्तर में, प्रसारकों ने मत प्रकट किया कि एमआईबी द्वारा कोई लाइसेंस प्रदान करने से पहले एक प्रणाली शुरू की जानी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सकें प्रचालन के लिए लाइसेंस मांगने वाला कोई आवेदक एड्रेसेबल सिस्टम की अपेक्षाओं का पूर्णतया अनुपालन करता है। एक डीटीएच ऑपरेटर ने टिप्पणी की है कि लेखा परीक्षा की जिम्मेदारी प्रसारक की है, बहरहाल, ऐसी लेखा परीक्षा वर्ष में एक ही बार की जानी चाहिए और प्रत्येक नए चैनल के लिए तकनीकी लेखा परीक्षा हर बार नहीं की जानी चाहिए। एक और डीटीएच ऑपरेटर ने कहा कि अगर प्रसारक तकनीकी लेखा परीक्षा करना चाहता है तो यह चैनल मुहैया कराने के बाद की जानी चाहिए या साथ–साथ की जानी चाहिए और यह मत रखा कि भादूविप्रा या टीडीसैट या उपयुक्त फोरम को चूककर्ता पक्षों के खिलाफ कार्यवाही करनी चाहिए। कुछ डीपीओ ने यह राय दी कि लेखा परीक्षा कराने का दायित्व प्रसारक का नहीं होना चाहिए और यह सुझाव दिया कि भादूविप्रा प्राधिकृत लेखा परीक्षकों की सूची प्रकाशित कर सकता है, जिनसे डीपीओ अपने सीएएस और एसएमएस की स्वतंत्र लेखा परीक्षा कराने के लिए संपर्क कर सकते हैं। कुछ डीपीओ ने टिप्पणी की है कि प्रसारकों के लिए 15 दिन के भीतर इंटरकनेक्शन अनुबंध पर हस्ताक्षर होने के बाद 15 दिन के अंदर लेखा परीक्षा को पूरा करने को अनिवार्य बनाया जाना चाहिए अन्यथा आईआरडी जारी होगा। एक एमएसओ और एक एलसीओ एसोसिएशन ने कहा कि अगर बीईसीआईएल/प्राधिकृत एजेंसी द्वारा प्लेटफार्म की जांच की जाती है तो बहरहाल कोई आपत्ति नहीं की जानी चाहिए, यदि ऐसी कोई जांच नहीं की जाती है तो प्रसारक 30 दिन के भीतर लेखा परीक्षा कराएगा। हितधारकों के सुझावो औंर चिंताओं को ध्यान में रखकर मसौदा इंटरकनेक्शन विनियम, 2016 में कतिपय खंड जोड़ने का प्रस्ताव किया गया है।

104 मसौदा विनियम, 2016 के प्रत्युत्तर में प्रसारक एसोसिएशन ने कहा है कि प्रसारकों को अपनी तकनीकी टीम के जरिये डीपीओ के तकनीकी सिस्टम की लेखा परीक्षा करने का अधिकार दिया जाना चाहिए और बीईसीआईएल या पैनलबद्ध लेखा परीक्षक केवल पक्षों के बीच विवाद की स्थिति में नियुक्त किए जाएं। उन्होंने कहा कि डीपीओ इसका फायदा उठा सकता है ओर सिस्टम के साथ छेड़छाड़ कर सकता है और बाद में बहाना बना सकता है कि इन सिस्टमों की लेख परीक्षा बीईसीआइएल द्वारा की जाती है और इसे प्रसारक द्वारा चुनौती नहीं दी जा सकती क्योंकि यह एक वर्ष के लिए मान्य है। कुछ प्रसारकों ने टिप्पणी की है कि सिस्टम में 0 प्रतिशत विसंगति और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए लेखा परीक्षा तीन महीने में की जानी चाहिए न कि वर्ष में एक बार। एक और प्रसारक ने कहा कि आईबीएफ या किसी प्रसारक उद्योग निकाय द्वारा नियुक्त लेखा परीक्षा फर्म द्वारा पहली लेखा परीक्षा प्रसारक के प्रतिनिधि की उपस्थिति में की जानी चाहिए।

105 डीपीओ के सिस्टम की लेखा परीक्षा यह सुनिश्चित करने के लिए जरूरी है कि डीपीओ द्वारा कार्यान्वित सिस्टम विनियामक अपेक्षाओं के अनुसार एड्रेसेबल है और डीपीओ का नेटवर्क सिगनल की पाइरेसी के लिए अतिसंवेदनशील नहीं है। टीवी चैनलों के सिगनल प्राप्त करने की प्रक्रिया में लेखा परीक्षा के कारण विलंब को रोकने के लिए यह वांछनीय है कि डीपीओ सुनिश्चित करें कि इसके द्वारा संस्थापित एड्रेसेबल सिस्टम विनियमों में विनिर्धारित अपेक्षाओं को पूरा करता है। यह भी महत्वपूर्ण है कि प्रसारक खुद यह सुनश्चित करें कि डीपीओ का सिस्टम एड्रेसेबल सिस्टम की न्यूनतम अपेक्षाओं को पूरा करता है। प्रसारकों और डीपीओ की अपेक्षाओं को संतुलित करने के लिए प्राधिकरण को लगता है कि लेखा परीक्षा कराने का दायित्व प्रसारक का होना चाहिए, बहरहाल, यह सुनिश्चित करने के लिए कि लेखा परीक्षा के कारण टीवी चैनलों के सिगनल मुहैया कराने की प्रक्रिया में विलंब न हों, एक प्रणाली स्थापित करने की आवश्यकता है। तदनुसार, इन विनियमों में यथोचित प्रावधान किए गए हैं। इनका वर्णन निम्नलिखित पैराग्राफों में किया गया है।

106 लेखा परीक्षा की प्रक्रिया को तेज करने के लिए प्राधिकरण ने फैसला किया है कि यह लेखा परीक्षकों का एक पैनल बनाए, जिनमें से प्रसारक किसी एक को चुन सकते हैं। पैनलबद्ध लेखा परीक्षक द्वारा वितरण प्रणाली की लेखा परीक्षा और सत्यापन करने के बाद यह तर्कसंगत है कि दूसरे प्रसारकों को भी प्रमाणपत्र जारी होने के समय से कम से कम एक वर्ष के लिए इसे स्वीकार करना होगा। इससे न केवल सेवा प्रदाता के ऊपर लागत का बोझ कम पड़ेगा बल्कि लेखा परीक्षा की संख्या भी कम होगी। बहरहाल, संस्थापित एड्रेसेबल सिस्टम के कॉन्फिग्रेशन या वर्सन में कोई बदलाव होता है तो इस बात की जांच करनी होगी कि सिस्टम इन विनियमों की अनुसूची 3 में वर्णित अपेक्षाओं के अनुरूप है, टेलीविजन चैनल (चैनलों) के सिगनल मुहैया कराने से पहले इसे प्रसारक के लिए खोला जाएगा, यदि पिछले एक वर्ष के भीतर ऐसे वितरक के एड्रेसेबल सिस्टम की लेखा परीक्षा की गई है तो वितरक के लिए एड्रेसेबल सिस्टम की लेखा परीक्षा करना।

107 यदि प्रसारक किसी कारण, जिसके लिए डीपीओ जिम्मेदार है, से लेखा परीक्षा पूरी कराने में असमर्थ है, जिसके कारण वह टीवी चैनलों के सिगनल मुहैया कराने के अनुरोध की तारीख से 60 दिनों की निर्धारित अवधि के भीतर टीवी चैनलों के सिगनल मुहैया कराने में असमर्थ है तो इसकी सूचना निर्धारित अवधि के अंदर डीपीओ की दी जाएगी।

108 इसका भी प्रावधान किया गया है कि यदि प्रसारक के मत में वितरक का सिस्टम विनियमों की न्यूनतम तकनीकी विर्निदेशन के अनुसार नहीं है तो प्रसारक वितरक के सिस्टम का अंकेक्षण साल भर में एक बार कर सकता है। परंतु यह साफ किया जाता है कि प्रसारक एड्रेसेबल सिस्टम की अनुपालना अथवा सब्सक्रिप्शन की रिर्पोट के बारे में साल भर में सिर्फ एक बार ही अंकेक्षण कर सकता है । यदि वितरक की प्रणाली एड्रेसेबल सिस्टम विनियमों के अनुसार नहीं है तो प्रसारक वितरक को 3 सप्ताह की लिखित सूचना देकर सिगनल को विच्छेदित कर सकता है।

<u>एड्रेसेबल प्रणालियों के लिए न्यूनतम तकनीकी विनिर्देशन</u>

109 प्राधिकरण ने अपने पिछले ढांचे में एसएमएस, सीएएस और एसटीबीज आदि के संबंध में एड्रेसेबल प्रणालियों के लिए न्यूनतम तकनीकी विनिर्देशन विनिर्धारित किए थे। ये तकनीकी विनिर्देशन प्राथमिकतः एड्रेसेबिलिटी और पारदर्शिता सुनिश्चित करते हैं और नकल की रोकथाम करने में सहायता करते हैं। परामर्श पत्र में, प्राधिकरण ने प्रौद्योगिकियों में हुई प्रगतियों के कारण विनिर्देशनों को अद्यतन बनाने, यदि आवश्यक हों, पर पणधारियों के इनपुट्स मांगे थे। इस मुद्दे पर अधिकांश पणधारियों की राय थी कि भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा मौजूदा तकनीकी विनिर्देशनों की वर्तमान बाज़ार परिदृश्य के अनुरूप समीक्षा किए जाने की आवश्यकता है। अंतःसंयोजन विनियमावली, 2016 के मसौदे में, पणधारियों की टिप्पणियों पर विचार करने और आंतरिक विश्लेषण करने के पश्चात, वितरकों द्वारा संस्थापित प्रणालियों की गुणवत्ता और मानकों को और अधिक सशक्त बनाने के लिए कुछ संशोधनों और अभिवर्धनों का प्रस्ताव दिया गया था।

110 विनियमों के मसौदे में उपभोक्ताओं की न्यूनतम 1 मिलियन की सक्षमता वाले एसएमएस की शर्त समाप्त कर दी गई थी, क्योंकि ऐसे अनेक एमएसओ हो सकते हैं जो अपेक्षाकृत कम उपभोक्ता आधार को सेवा प्रदान करेंगे। यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्रत्येक डीपीओ के पास एक सही आकार की प्रणालियां मौजूद हों, एक उपबंध जोड़ा गया था, जिसमें यह अनिवार्य किया गया था कि तैनात की गई प्रणाली 24 घंटे के अंदर उपभोक्ता आधार के कम से कम 50 प्रतिशत का सक्रियकरण करने में पर्याप्त रूप से सक्षम होनी चाहिए।

111 अधिकांश प्रसारणकर्ताओं ने कहा है कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि नकल न की जाए, विनिर्देशनों को और अधिक सशक्त बनाए जाने की आवश्यकता है। एक डीपीओ ने कहा कि यह शर्त बहुत कठोर है कि तैनात की गई एड्रेसेबल प्रणाली 24 घंटे के अंदर उपभोक्ता आधार के कम से कम 50 प्रतिशत का सक्रियकरण करने के लिए पर्याप्त रूप से सक्षम होनी चाहिए और यह शर्त घटाकर 10 प्रतिशत कर दी जानी चाहिए।

112 पणधारियों से प्राप्त टिप्पणियों पर विचार करने के पश्चात कुछ उपबंधों को और अधिक सशक्त बना दिया गया है, जो इस प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए और नकल को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक हैं। प्राप्त हुए सुझावों के अनुरूप 24 घंटे के अंदर उपभोक्ता आधार के कम से कम 50 प्रतिशत का सक्रिय करने की शर्त को संशोधित करके 10 प्रतिशत कर दिया गया है।

<u>अंतःसंयोजन करार का क्षेत्र</u>

113 आर्गेनिक प्रगति को समर्थ बनाने के लिए अंतःसंयोजन विनियमावली, 2016 के मसौदे में उपबंध किए गए थे, जिनमें इस बात को अनिवार्य बनाया गया था कि किसी प्रसारणकर्ता और किसी डीपीओ के बीच किए गए अंतःसंयोजन करार में, सरकार द्वारा प्रदान किए गए लाइसेंस/ अनुमति/ पंजीकरण में यथा उल्लिखित डीपीओज के प्रचालन के लाइसेंस में दिए गए/ अनुमतिप्राप्त/ पंजीकृत क्षेत्र, उन विशिष्ट क्षेत्रों के नाम, जिनके लिए टेलीविज़न चैनल (चैनलों) के सिग्नलों के वितरण पर अंतःसंयोजन करार करने के समय पर मूलतः सहमति व्यक्त की गई है और तद्नुरूपी राज्य (राज्यों)/ संघ शासित क्षेत्र (क्षेत्रों), जिनमें ये सहमतिप्राप्त क्षेत्र स्थित हैं, के नाम दिए गए होने चाहिए। यह उपबंध किया गया था कि डीपीओज प्रसारणकर्ता को कम से कम 30 दिन का एक पूर्व–लिखित नोटिस देकर अन्य क्षेत्र (क्षेत्रों) में किसी प्रसारणकर्ता का/के टेलीविज़न चैनल (चैनलों) के सिग्नल पुनःप्रसारित कर सकता है, बशर्ते कि यह/यह क्षेत्र अंतःसंयोजन करार में उल्लिखित राज्य/संघ शासित क्षेत्र के अंदर पड़ता हो।

114 प्रत्युत्तर में, कुछ प्रसारणकर्ताओं ने टिप्पणी की कि ऐसे विस्तारण के लिए कम से कम 60 दिन का पूर्व–नोटिस अनिवार्य किया जाना चाहिए और यह लिखित करार की शर्त के अधीन होना चाहिए और केवल डीपीओ द्वारा किसी लिखित नोटिस के आधार पर नहीं। जबकि अन्य प्रसारणकर्ताओं ने राय व्यक्त की कि इस प्रकार के विस्तारण की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए क्योंकि यह प्रसारणकर्ता के हित के विरुद्ध होगा और इसके परिणामस्वरूप अजवाबदेही होगी। इसलिए, नए क्षेत्रों के लिए नया करार निष्पादित किए जाने की आवश्यकता है। यह भी कहा गया कि डीपीओ के अप्रतिबंधित मूवमेंट के कारण प्रतियोगी डीपीओज के बीच विवाद उत्पन्न होंगे। एक डीपीओ ने नोटिस अवधि को घटाकर 15 दिन करने का सुझाव दिया।

115 प्राधिकरण ने नोट किया कि गैर–एड्रेसेबल प्रणालियों में किसी क्षेत्र के लिए अंतःसंयोजन करार करने से पहले उपभोक्ताओं की संख्या हेतु एक आधारभूत सर्वेक्षण के आधार पर विशिष्ट मूल्यांकन की शर्त के कारण अलग करारों की आवश्यकता थी। एड्रेसेबल प्रणालियों के प्रादुर्भाव और एसएमएस में उपभोक्ता के ब्यारों की रिकार्डिंग के पश्चात ये शर्तें अब मौजूद नहीं हैं। यह प्रसारणकर्ताओं के हित में है कि उनके चैनलों की पहुंच बढ़ाई जाए ताकि उन्हें बेहतर अंशदान राजस्व और विज्ञापन संबंधी राजस्व प्राप्त हो सके। अंतःसंयोजन करार करने के समय ये आवश्यक उपबंध किए जा सकते हैं कि विनियमों के अनुसार क्षेत्र में विस्तार करने के लिए इस करार के अंतर्गत जारी किया गया सूचना संबंधी नोटिस करार का एक भाग बन जाएगा और करार की सभी शर्तें और निबंधन विस्तारित क्षेत्रों पर भी लागू होंगे। इसके अलावा, यह एमएसओज के हित में भी है क्योंकि वे अधिक कठिनाइयों के बिना प्रचालन के अपने क्षेत्र की योजना बना सकते हैं। यह दलील धार्य नहीं है कि डीपीओज के अप्रतिबंधित मूवमेंट प्रतियोगी डीपीओज के बीच विवाद उत्पन्न कर सकते हैं, क्योंकि कोई डीपीओ पंजीकरण के अंतर्गत अनुमतिप्राप्त क्षेत्र के अंदर अपने प्रचालनों का विस्तार करने के लिए स्वतंत्र है। यह उपभोक्ताओं के लिए भी अधिक विकल्प उपलब्ध कराएगा। इसलिए यह स्थिति प्रत्येक के लिए लाभ की स्थिति है और यह इस सेक्टर में व्यवसाय करने की आसानी में सुधार करगी। इन विनियमों में लिखित अंतःसंयोजन करार करने के लिए 30 दिन की समयावधि का उपबंध किया गया है। इसलिए, प्राधिकरण का विचार है कि सिग्नलों के पुनः प्रसारण का विस्तार करने से पहले सूचना हेतु 30 दिन की अवधि पर्याप्त है।

<u>डीपीओ और एलसीओ के बीच अंतःसंयोजन करारः</u>

116 डीएएस और एचआईटीएस सेवाओं में स्थानीय केबल ऑपरेटरों (एलसीओज) द्वारा अंधिकांशतः अंतिम मील की संयोजनीयता उपलब्ध कराई जाती है। सरकार द्वारा जारी किए गए आईपीटीवी लाइसेंसिंग दिशानिर्देशों के अनुसार एलसीओज आईपीटीवी सेवा प्रदाताओं के लिए अंतिम मील की संयोजनीयता उपलब्ध करा सकते हैं। उपभोक्ताओं को सेवाएं प्रदान करने के लिए किसी डीपीओ और एलसीओ के बीच दक्ष अंतःसंयोजन करार महत्त्वपूर्ण होते हैं। उपभोक्ताओं के लिए सेवा संबंधी मापदंडों की गुणवत्ता पूरी करने के लिए मूल्य श्रृंखला में एलसीओज बहुत महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मूल्य श्रृंखला में किसी अन्य प्रतिष्ठान की तरह एलसीओज पंजीकृत सेवा प्रदाता हैं। केबल टीवी अधिनियम और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार, एलसीओज अपने प्रचालन के क्षेत्र के प्रधान डाक घर में पंजीकृत किए जाते हैं। गैर–अपवर्जकता, अवश्य उपलब्ध कराना चाहिए, गैर–पक्षपातपूर्णता, लिखित करार और सिग्नलों के समयबद्ध तरीके से उपलब्ध कराए जाने के मूलभूत सिद्धांत किसी डीपीओ और किसी एलसीओ के बीच किए गए अंतःसंयोजन करार पर भी लागू होते हैं।

117 परामर्श पत्र में डीपीओ और एलसीओ के बीच अंतःसंयोजन करार से संबंधित मुद्दे पर पणधारियों से कहा गया था कि वे इस बात पर अपनी राय दें कि क्या मॉडल अंतःसंयोजन करार (एमआईए) और मानक अंतःसंयोजन करार (एसआईए) का ढांचा, जैसाकि अंतःसंयोजन विनियमावली, 2012 के अनुसार अनिवार्य बनाया गया था, एड्रेसेबल प्रणालियों के जरिए प्रसारण सेवाएं उपलब्ध कराने वाले डीपीओज और एलसीओज के बीच अंतःसंयोजन करार के लिए भी लागू किया जाना चाहिए। पणधारियों की टिप्पणियों पर विचार करने और आंतरिक विश्लेषण के पश्चात, अंतःसंयोजन विनियमावली, 2016 के मसौदे में यह प्रस्ताव दिया गया था कि एमएसओ और एलसीओ के बीच अंतःसंयोजन करार के लिए लागू विनियम एचआईटीएस/ आईपीटीवी प्रचालक और एलसीओ के बीच अंतःसंयोजन करार के लिए आवश्यक परिवर्तनों के साथ लागू होंगे। इसके अलावा, स्थानीय केबल ऑपरेटर और डीपीओ के बीच सेवा प्रभारों का समझौता पारस्परिक करार द्वारा विनियमित होगा, बशर्ते कि ऐसे मामलों में, जहां डीपीओ और एलसीओ सेवा प्रभारों के समझौते के लिए किसी परस्पर सहमति पर पहुंचने में विफल हो जाते हैं, तो नेटवर्क क्षमता शुल्क की धनराशि और वितरण शुल्क को एमएसओ और एलसीओ के बीच क्रमशः 55:45 के अनुपात में बांटा जाना था।

118 राजस्व हिस्सेदारी के मुद्दे पर एक एलसीओ ने कहा कि नेटवर्क क्षमता शुल्क की पूरी धनराशि एलसीओज द्वारा वसूल की जानी चाहिए क्योंकि एलसीओज ही ऐसे हैं, जो कॉक्सियल केबल और ऑप्टिकल फाइबर के अपने नेटवर्क के जरिए अंतिम मील की

संयोजनीयता उपलब्ध करा रहे हैं। एलसीओज के पास अंशदान राजस्व के अलावा आय कर कोई अन्य साधन नहीं है, जबकि डीपीओज के पास राजस्व के अन्य स्रोत हैं जैसे स्थानीय वीडियो चैनलों पर विज्ञापन, फ्री टू एयर चैनलों का प्लेसमेंट और कैरिज शुल्क। उन्होंने आगे यह भी कहा कि एलसीओज को सेवा की अच्छी गुणवत्त के लिए अपने नेटवर्क का अनुरक्षण करना होता है और अपने वर्करों को वेतन देना होता है तथा अपने उपभोक्ताओं को निर्बाध सेवा प्रदान करने के लिए बिजली के बिलों का भुगतान करना होता है। तद्नुसार, संग्रहण की इस लागत की प्रतिपूर्ति करने और नेटवर्क के प्रेषण और अनुरक्षण की दृष्टि से प्राधिकरण को यह निर्णय लेना चाहिए कि प्रसारणकर्ता भुगतान चैनल राजस्व के संग्रहण और प्रेषण के लिए वितरण शुल्क का 20 प्रतिशत एलसीओज को उपलब्ध कराएगा और डीपीओज को नहीं।

119 एमआईए और एसआईए के ढांचे में पर्याप्त लचीलापन और अपना व्यवसाय करने के लिए करार के पक्षकारों को पर्याप्त स्वतंत्रता प्रदान की गई है। वे सेवा प्रभारों और बिडिंग के संबंधित निर्धारण, जिम्मेदारियों के वितरण पर परस्पर सहमति व्यक्त करके उपभोक्ताओं को टीवी प्रसारण सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए अंतःसंयोजन करार कर सकते हैं। इसके अलावा, यह उपबंध भी किया गया है कि परस्पर चर्चाओं की विफलता की स्थिति में एक फाल बैक विकल्प के रूप में एसआईए के अनुसार अंतःसंयोजन करार किया जाएगा, जिसमें प्राधिकरण ने जिम्मेदारियों का सीमांकन कर दिया है और डीपीओ तथा एलसीओ के बीच सेवा प्रभारों का तदनुरूपी निर्धारण निश्चित कर दिया है। एसआईए में एलसीओज को उपभोक्ता केंद्रित जिम्मेदारियां दी गई हैं जबकि एमएसओ को ऐसी जिम्मेदारियां दी गई हैं जो प्रत्यक्ष रूप से एसएमएस से संबद्ध हैं, जिनमें उपभोक्ताओं के लिए बिलिंग शामिल है।

120 एड्रेसेबल प्रणालियों में, एसएमएस में प्रत्येक उपभोक्ता द्वारा अंशदानकृत चैनलों/ गुच्छों तथा उपभोक्ता आधार के संबंध में आंकड़ा आधार दिए गए हैं। यह आंकड़ा आधार सत्यापनयोग्य और लेखापरीक्षा योग्य है। एमआईए और एसआईए के उपबंधों के अंतर्गत तदनुरूपी एसएमएस आंकड़ा आधार के एक्सेस को एलसीओ के साथ संबद्ध करने के लिए विस्तारित कर दिया गया है। इन ब्योरों के साथ अंशदान के सही–सही ब्योरे डीपीओ और डीपीओ के साथ जुड़े एलसीओज को ज्ञात होते हैं। सेवा प्रभारों का निर्धारण, किए गए कार्य के सिद्धांत पर किए जाने की आवश्यकता है। तथापि, जिम्मेदारियों का वितरण और डीपीओज तथा एलसीओज के वितरण नेटवर्क के अनुरक्षण की लागत मामला–दर–मामला आधार पर भिन्न–भिन्न है। डीपीओज के राजस्व के स्रोत और संबद्ध खर्चे भी मामला–दर–मामला आधार पर भिन्न–भिन्न हैं। एड्रेसेबल प्रणालियों में अंतर्निहित इन असमानताओं और पारदर्शिता को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकरण का विचार है कि डीपीओ और एलसीओ परस्पर चर्चाओं के आधार पर सेवा संबंधी प्रभार निर्धारित करें। सेवा प्रदाताओं के हितों की रक्षा करने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि सेवा प्रदाताओं के बीच विवाद के कारण सिग्नल बाधित न हों, प्राधिकरण ने केवल ऐसे मामलों के लिए डीपीओ और एलसीओ के बीच एक फाल बैक समझौता विनिर्धारित किया है, जहां डीपीओ और एलसीओ के बीच परस्पर चर्चाएं विफल हो जाती हैं और फिर भी वे अपने संबंध जारी रखना चाहते हैं।

121 मूल्य श्रृंखला में एलसीओ उपभोक्ताओं को अंतिम मील की संयोजनीयता उपलब्ध कराते हैं और उसे किए गए खर्चे वसूल करने और लाभ की एक उचित राशि अर्जित करने में समर्थ होना चाहिए। एक एलसीओ का यह तर्क धार्य नहीं है कि नेटवर्क क्षमता शुल्क की पूरी धनराशि एलसीओ द्वारा वसूल की जानी चाहिए क्योंकि एलसीओ ही ऐसा व्यक्ति है, जो कॉक्सियल केबल और ऑप्टिकल फाइबर के अपने नेटवर्क के जरिए अंतिम मील की संयोजनीयता उपलब्ध करा रहे हैं क्योंकि टीवी चैनलों के वितरण में डीपीओ के नेटवर्क और प्रणालियां भी शामिल हैं। इसके अलावा, एलसीओ की यह दलील भी धार्य नहीं है कि संग्रहण और प्रेषण तथा नेटवर्क के अनुरक्षण की उनकी लागत की प्रतिपूर्ति करने की दृष्टि से प्राधिकरण को यह निर्णय लेना चाहिए कि प्रसारणकर्ता भुगतान चैनल राजस्व के संग्रहण और प्रेषण के लिए वितरण शुल्क का 20 प्रतिशत एलसीओज को उपलब्ध कराएंगे और डीपीओज को नहीं क्योंकि भुगतान टीवी चैनलों के वितरण में डीपीओ तथा लिंक एलसीओ की सेवाएं शामिल होती हैं और एलसीओज का प्रसारणकर्ताओं के साथ कोई सीधा संबंध नहीं है। इस ढांचे में नेटवर्क की क्षमता केवल तथाकथित विनियामक ढांचे के अंशदान के एफटीए के समान हैं और इन दोनों के लिए उपभोक्ताओं को सेवाओं की प्रदायगी हेतु एक ही प्रकार के संसाधनों की आवश्यकता होती है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि अंतःसंयोजन विनियमावली, 2012 के अनुसार किसी फाल बैक समझौते में सेवा

प्रदाताओं के लिए यह आवश्यक था कि वे केवल एफटीए अंशदानों के संबंध में अंशदान संबंधी राजस्व को 55:45 के अनुपात में एमएसओ:एलसीओ के अनपुात में बांटें। इसलिए, प्राधिकरण ने नेटवर्क क्षमता शुल्क की धनराशि के बंटवारे के लिए वही अनुपात विनिर्धारित करने का निर्णय लिया है। भुगतान चैनलों के संबंध में भी चूंकि इस विनियामक ढांचे में भुगतान चैनल के वितरण में शामिल सेवा के लिए प्रभारों को भुगतान चैनल के मूल्य से अलग कर दिया गया है। इसलिए, भुगतान चैनलों के वितरण में शामिल वितरण शुल्क, जो डीपीओ और लिंक एलसीओ दोनों की सेवाओं के लिए प्रभारों के अनुरूप है, को उसी अनुपात में वितरित कर दिया गया है।

सब्सक्रिप्शन रिपोर्ट:

122 एड्रेसेबल प्रणालियों में किसी चैनल या भुगतान चैनलों के किसी गुच्छे के उपभोक्ताओं की संख्या लेखापरीक्षा योग्य और सत्यापन योग्य है। अंत:संयोजन विनियमावली, 2004 और अंत:संयोजन विनियमावली, 2012 में एड्रेसेबल प्रणालियों के लिए अंशदान रिपोर्टों से संबंधित उपबंध दिए गए हैं।

123 अनेक अवसरों पर इस प्रकार की शिकायतें प्राप्त हुई थीं कि डीपीओज प्रसारणकर्ताओं को समय से अंशदान रिपोर्टें उपलब्ध नहीं कराते। दूसरी ओर, डीपीओज ने अक्सर यह शिकायत की है कि प्रसारणकर्ताओं के पास अंशदान रिपोर्ट के लिए कोई संयुक्त फार्मेट नहीं है और अलग–अलग प्रसारणकर्ता के लिए हर बार ग्राहकोनुकूल रिपोर्टें तैयार करना उनके लिए व्यावहारिक रूप से कठिन हो जाता है।

124 डीपीओज ने यह भी सूचना दी कि अक्सर प्रसारणकर्ता अंशदान संबंधी ऐसी सूचना मांगते हैं जो उस विशेष प्रसारणकर्ता के चैनल से संबंधित नहीं होती। दूसरी ओर, मासिक अंशदान की संख्याओं के परिकलन के तरीके पर प्रसारणकर्ताओं ने अनेक बार अपनी चिंता व्यक्त की है कि तत्कालीन विनियामक ढांचे के अनुसार तैयार की गई अंशदान रिपोर्ट में संभवतः उन उपभोक्ताओं को शामिल नहीं किया गया, जो किसी कैलेंडर मास में 30 या 31 दिन, जैसा भी मामला हो, से कम अवधि के लिए सक्रिय रहे हैं। यह उन्हें वाणिज्यिक रूप से अलाभकारी स्थिति में रख सकता है। इन मुद्दों पर परामर्श पत्र में विस्तार से चर्चा की गई थी।

125 प्राधिकरण इस तथ्य से अवगत है कि सही अंशदान रिपोर्टों की समय से उपलब्धता इस सेक्टर की व्यवस्थित प्रगति और मूल्य श्रृंखला में शेयरधारकों का राजस्व सुनिश्चित करने के लिए एक मूलभूत आवश्यकता है। अंशदान रिपोर्ट में होने वाला कोई विलंब मूल्य श्रृंखला में बिलिंग चक्र और नकदी प्रवाह को प्रभावित करता है। पणधारियों की टिप्पणियों पर विचार करने और आंतरिक विश्लेषण करने के पश्चात, अंत:संयोजन विनियमावली, 2016 के मसौदे में एक अनुसूची जोड़ी गई थी, जिसमें अंशदान रिपोर्ट का फार्मेट और अंशदान की संख्याओं के परिकलन के लिए पद्धति विनिर्धारित की गई थी। अंशदान रिपोर्ट की समय से उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए विनियमावली के मसौदे में एक उपबंध किया गया था, जिसमें डीपीओज के लिए यह अनिवार्य किया गया था कि वे प्रत्येक कैलेंडर मास की समाप्ति से 15 दिन के अंदर अंशदान रिपोर्ट उपलब्ध कराएं। किसी भी कारण से डीपीओ से अंशदान रिपोर्ट प्राप्त न होने की स्थिति में प्रसारणकर्ता को यह अधिकार दिया गया था कि वह ठीक पिछले महीने के लिए वितरक द्वारा भुगतानयोग्य प्रसारणकर्ता अंशदान शुल्क की 10 प्रतिशत बढ़ाई गई धनराशि के लिए एक अनंतिम इनवॉयस जारी कर सके और वितरक पर यह दायित्व डाला गया था कि वह उस अनंतिम इनवॉयस के आधार पर भुगतान करे। इसके अलावा, बिल संबंधी आघात से बचने के लिए यह प्रस्ताव दिया गया था कि किसी प्रसारणकर्ता द्वारा जारी किए गए इनवॉयस में स्पष्ट रूप से चालू भुगतान की देय धनराशियां और बकाया, यदि कोई हो, विनिर्दिष्ट किया जाएगा। निवारण के लिए एक यह उपबंध किया गया था कि प्रसारणकर्ता का किसी ऐसी बकाया धनराशि पर कोई दावा नहीं होगा, जो उस इनवॉयस जिससे बकाया धनराशि संबंधित है, के लिए नियत तारीख के पश्चात जारी किए गए तुरंत अगले तीन लगातार इनवॉयसों में उसके द्वारा विनिर्दिष्ट नहीं की गई है।

126 अंत:संयोजन विनियमावली, 2016 के मसौदे के प्रत्युत्तर में दिन के 19:00 बजे से 23:00 बजे के बीच अंशदान काउंट प्राप्त करने के लिए समयावधि के पहलू पर कुछ प्रसारणकर्ताओं ने कहा कि प्राधिकरण को अपराह्न 07.00 बजे से प्रातः 09.30 बजे के बीच सूचना

प्राप्त करने के लिए समयावधि में संशोधन करने पर विचार करना चाहिए। कुछ प्रसारणकर्ताओं ने यह राय व्यक्त की कि अंशदान रिपोर्ट तैयार करने के लिए उपबंधित 15 दिन का समय घटाकर 7 दिन कर दिया जाना चाहिए। एक प्रसारणकर्ता एसोसिएशन ने इनवॉयसों में बकाया धनराशियों से संबंधित उपबंध समाप्त करने और किसी भी समय अपनी बकाया धनराशियों का दावा करने के अपने कानूनी अधिकार को पुनःस्थापित करने की बात कही। प्रसारणकर्ताओं ने कहा कि प्रतिभूति जमा का उपबंध होना चाहिए। रिपोर्टें प्रस्तुत न करने के मामले में, एक प्रसारणकर्ता ने सुझाव दिया कि पहले महीने के पश्चात विसंयोजन की अनुमति दी जानी चाहिए।

127 दूसरी ओर, कुछ एमएसओ और उनकी एसोसिएशन ने सुझाव दिया कि एक महीने में चार बार अंशदान काउंट प्राप्त करना एक कठिन कार्य है और यह ऐसे एसएमएस तथा सीएएस को क्षति पहुंचाएगा जिससे प्रणाली का कार्य–निष्पादन प्रभावित होगा। उनके अनुसार, महीने के आरंभ और अंत में अंशदान काउंट प्राप्त करने की वर्तमान प्रक्रिया सही है।

128 सूचना प्राप्त करने की समयावधि में परिवर्तन करने के संबंध में कुछ पणधारियों के सुझाव पर यह नोट किया गया कि उपभोक्ता काउंट किसी उपभोक्ता द्वारा देखे जा रहे चैनल पर निर्भर नहीं करता बल्कि यह इस तथ्य पर निर्भर करता है कि किसी उपभोक्ता को देखने के लिए कौन सा चैनल प्राधिकृत किया गया है। इसलिए, रिपोर्ट प्राप्त करने के समय में परिवर्तन उपभोक्ताओं की संख्या में कोई अंतर नहीं लाएगा। यह प्रस्ताव प्राइम टाइम के लिए है। इसलिए, प्रस्तावित समयावधि में किसी परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है। जहां तक एक महीने में चार बार सीएएस और एसएमएस से आंकड़े प्राप्त करने का संबंध है, यह नोट किया जाता है कि सीएएस और एसएमएस को स्वतः आंकड़ा प्राप्त करने के लिए पूर्व कार्यक्रमबद्ध बनाया जा सकता है और इसके लिए किसी मैनुअल प्रयास की आवश्यकता नहीं है। इसलिए, एक महीने में चार बार प्राप्त आंकड़ों के आधार पर आंकड़े और रिपोर्टिंग प्राप्त करने के लिए बढ़ी हुई आवधिकता को अनिवार्य करना वास्तविक उपभोक्ताओं के निकट उनके उत्पादों के मौद्रिकीकरण के लिए सेवा प्रदाताओं की सहायता करेगा। उपभोक्ता रिपोर्टें भेजने के लिए समय कम करने के मुद्दे पर प्राधिकरण, पणधारियों के विचार से सहमत है और इसलिए इसे प्रत्येक कैलेंडर मास के अंत से घटा कर 7 दिन कर दिया गया है।

अंकेक्षण

129 मसोदा अंतर संयोजन विनियम 2016 में प्राधिकरण ने अंकेक्षण का एक तरीका प्रस्तावित किया था जिसका उद्देश्य सब्सक्रिप्सन सूचनाओं में निहित सूचनाओं को अंकेक्षित करना था, वितरक को अपने अंकेक्षण करा करके उसकी सूचना प्रसारक को देनी थी । इसका भी प्रावधान किया गया था कि प्रसारक को लगता है कि उसके द्वारा अंकेक्षण उसके अपने हित में आवश्यक है तो वह एक वर्ष में एक बार वितरक के एसएमएस, कैस और अन्य सिस्टमों का अंकेक्षण करा सकता है। सब्सक्रिप्सन सूचनाओं में किसी प्रकार की छेड–छाड को रोकने के उद्देश्य से यह प्रावधान किया गया था कि अंकेक्षण का व्यय वितरक वहन करेगा यदि अंकेक्षित और रिर्पोटिड सब्सक्रिप्सन शुल्क में 2 प्रतिशत से ज्यादा अंतर होता है अन्यथा प्रसारक ही अपने अंकेक्षण का व्यय वहन करेगा। लेकिन इसका भी प्रावधान किया गया था कि यदि अंतर 0.5 प्रतिशत से कम है तो उसके लिए पुनः इन्वॉइस को देने की आवश्यकता नहीं होगी।

130 प्रतिउत्तर में एक प्रसारक ने कहा कि 0.5 प्रतिशत के अंतर को अनदेखा नहीं किया जाना चाहिए। दूसरी तरफ एमएसओ और उनकी संस्था ने कहा कि कैस एवं एसएमएस के बीच में पूरी तरह से तारतम्य संभव नहीं है क्योंकि कई ऐसे कारण है जो सही सूचना प्रदान करने से रोक सकते हैं और इसलिए इनके अंतर को 2.5 प्रतिशत से 3.0 प्रतिशत बढा कर 0.5 प्रतिशत कर देना चाहिए । हालांकि उन्होंने इसके बारे में कोइ प्रमाण नहीं दिया । एक एमएसओ ने सलाह दी कि अंकेक्षण का व्यय सिर्फ प्रसारक को ही हर हालत में वहन करना चाहिए न कि वितरक को । कुछ प्रसारकों ने यह सलाह दी कि विसंगति की अवस्था में मासिक सब्सक्रिप्सन शुल्क का 20 प्रतिशत दंड के रूप मे निर्धारित किया जाना चाहिए।

131 उचित और सही सब्सक्रिप्सन सूचना सेवा प्रदाताओं के मध्य प्रशुल्कों के लेन–देन के लिए अति आवश्यक है। सिस्टमों का अंकेक्षण एक ऐसी विधि है जिससे सही डाटा और सिस्टमों का विर्निदेश विनियमों के हिसाब से सत्यापित किया जा सकता है । इसके अतिरिक्त एड्रेसेबिल सिस्टमों का वेल्यु चेन में एक दूसरे के उपर भरोसा स्थापित करता है इसलिए ऐसे एड्रेसेबिल सिस्टमों के अंकेक्षण के लिए एक विधि का निर्धारित किया जाना आवश्यक है। प्राधिकरण का मत है कि यदि वितरक अपने सब्सक्रिप्सन सूचनों के सत्यापन के लिए अपने सिस्टमों का अंकेक्षण कराके उसकी सूचना सभी प्रसारकों को भेज देता है तो विभिन्न अंकेक्षणों की आवश्यकता नहीं होगी, इस प्रकार की व्यवस्था प्रसारकों एवं वितरकों के खरचे को भी कम करेगा । कुछ प्रसारकों की चिंता है कि सिग्नल उपलब्ध कराने के बाद वितरक का सिस्टम विनियमों के अनुसार नहीं रहता है इसलिए प्रसारकों को इसके अंकेक्षण का अधिकार दिया जाना चाहिए। यदि प्रसारक अंकेक्षण सूचनाओं से संतुष्ट नहीं है या यदि प्रसारक के अनुसार वितरक द्वारा प्रयोग में एड्रेसेबिल सिस्टम विनियमों के अनुसार नहीं है तब प्रसारक कारण बताते हुए वितरक के एसएमएस, कैस और अन्य सिस्टमों का अंकेक्षण कर सकता है, इन विनियमों के प्रावधान सभी पणधारकों को समान अवसर प्रदान करते हैं जिससे कि इनके मध्य झगड़े और खर्च कम हो सकें जहां तक 0.5 प्रतिशत के अंतर का प्रश्न है, यह पाया गया कि इस प्रकार का अंतर सिस्टमों की सीमा की वजह से कभी –कभी हो सकती है। इसलिए पुनः इंवॉइस देने से लेन–देन में देरी हो सकती है। पणधारकों को यह सुनिशचित करना चाहिए कि ऐसी विसंगति बार–बार न आए। प्रसारक की सलाह जिसमें कि उनके द्वारा दंड देने के लिए कहा गया था, इसका प्रावधान किया गया है कि यदि ब्याज मिलाकर विसंगति 2 प्रतिशत से ज्यादा होती है तो अंकेक्षण का व्यय वितरक वहन करेगा। प्राधिकरण ने इस समय कोई दंड निर्धारित नहीं किया है क्योंकि विसंगति आने पर इसकी जांच उचित स्तर पर की जानी चाहिए क्योंकि इसके लिए मामले की परीक्षा और साक्ष्य की आवश्यकता होगी।

<u>टीवी चैनलों के सिग्नलों का विसंयोजनः</u>

132 टीवी चैनलों के सिग्नलों का विसंयोजन ऐसे मुद्दों में से एक मुद्दा है, जहां प्रसारणकर्ताओं और डीपीओज के हित के साथ–साथ उपभोक्ताओं के हित की रक्षा किया जाना भी आवश्यक है। पिछले दृष्टांतों में यह अवलोकन किया गया कि जहां सेवा प्रदाताओं के बीच विवाद के कारण किसी प्रसारणकर्ता या डीपीओ द्वारा सिग्नल काट दिए गए हैं, जिससे उपभोक्ता अधर में लटका दिए गए हैं, अंतःसंयोजन विनियमावली, 2004 और अंतःसंयोजन विनियमावली, 2012 में एक उपबंध था कि जहां सेवा प्रदाताओं के लिए यह अनिवार्य किया गया था कि वे टीवी चैनलों के सिग्नलों के विसंयोजन से पहले संबंधित सेवा प्रदाता को तीन सप्ताह का पूर्व–लिखित नोटिस दें। इसके अलावा, इन विनियमों में एक ऐसा उपबंध भी उपलब्ध था, जिसमें सेवा प्रदाताओं के लिए यह अनिवार्य किया गया था कि वे समाचारपत्रों के जरिए टीवी चैनलों के विसंयोजन के संबंध में सूचना प्रकाशित करें। समाचारपत्रों में विसंयोजन से संबंधित सूचना के प्रकाशन की शर्त को विनियमावली, 2016 के मसौदे में समाप्त कर दिया गया था। इसलिए, उनकी सीमित पहुंच के कारण लक्षित उपभोक्ताओं द्वारा स्थानीय/क्षेत्रीय समाचारपत्र में दी गई अधिसूचनाएं अक्सर अनदेखी रह जाती थीं। इसके अलावा, सेवा प्रदाताओं के लिए 21 दिन की नोटिस अवधि बनाए रखते हुए, इसलिए उपभोक्ताओं के हित की रक्षा करने के लिए संबंधित चैनल पर स्क्रोलों के जरिए प्रकाशन की शर्त का प्रस्ताव दिया गया है।

133 प्रत्युत्तर में एक एमएसओ ने राय व्यक्त की कि समाचारपत्रों में नोटिस के प्रकाशन के अनिवार्य उपबंध को जारी रखा जाना चाहिए, जैसाकि पिछली विनियमावली में अनिवार्य किया गया था। उसने तर्क दिया कि प्रस्तावित विसंयोजन की स्थिति में प्रसारणकर्ता/एमएसओ क्रमशः एमएसओज/ एलसीओ एक सामान्य संसूचन भेज सकते हैं जिसके परिणामस्वरूप चैनल का अचानक विसंयोजन हो सकता है। एक प्रसारणकर्ता ने यह टिप्पणी दी कि प्लेटफार्म पर चैनलों की अनुपलब्धता के संबंध में उपभोक्ताओं को सूचित करने के लिए डीपीओज को यह अनुमति नहीं दी जानी चाहिए कि वे प्रसारणकर्ता के चैनलों पर स्क्रोल चलाएं बल्कि केवल डीपीओज के होम चैनलों पर ही स्क्रोल चलाने की अनुमति दी जानी चाहिए।

134 प्रसारण उद्योग एक उपभोक्ता–केंद्रिक उद्योग है। किसी भी मामले में ऐसा उपभोक्ता, जिसने चूक नहीं की है, को प्रचालकों के बीच करार न करने या विवादों का खामियाजा नहीं भुगतना चाहिए। प्राधिकरण ने अवलोकन किया कि किसी भी कारण से टीवी चैनलों के सिग्नलों के विसंयोजन की स्थिति में उपभोक्ताओं और सेवा प्रदाताओं के हितों की रक्षा करना आवश्यक है। इसलिए, तत्कालीन विनियमों में उपबंधित तीन सप्ताह का समय बनाए रखा गया है। यह अवधि प्रभावित पक्षकारों को यह अवसर देगी कि वे विसंयोजन रोकने के लिए संभावित हल खोजने की संभावना तलाश सकें। विसंयोजन से संबंधित सूचना के समाचारपत्रों के जरिए प्रकाशन को जारी रखने के सुझाव पर प्राधिकरण का विचार है कि समाचारपत्र में नोटिस के प्रकाशन की अनिवार्यता उपभोक्ताओं पर किसी अधिक प्रभाव के बिना सेवा प्रदाताओं पर लागत संबंधी भार को बढ़ाती है क्योंकि स्थानीय/ क्षेत्रीय समाचारपत्र में दी गई ये अधिसूचनाएं उनकी सीमित पहुंच के कारण लक्षित उपभोक्ताओं द्वारा अक्सर अनदेखी रह जाती हैं। चैनलों के विसंयोजन के बारे में स्क्रोल चलाने के पहलू पर यह उल्लेख किया जाता है कि इसे जारी रखना उपभोक्ताओं के हित की रक्षा करने के लिए अधिक प्रभावी है। इसलिए, प्राधिकरण का यह विचार है कि संबंधित चैनल (चैनलों) पर स्क्रोलों के जरिए, विसंयोजन की तारीख से 15 दिन पहले उपभोक्ता को सूचित करना डीपीओ की जिम्मेदारी होगी। इसे रोकने के लिए ऐसे स्क्रोल या सूचना उपभोक्ता की देखने की अनुभूति में बाधा नहीं पहुंचाती या विषय–वस्तु को सामान्य रूप से देखने में बाधा नहीं पहुंचाती। इसलिए, टेलीविज़न स्क्रीन पर स्थिर चित्रों के रूप में डाले गए सूचना के किसी प्रदर्शन का निषेध कर दिया गया है।

<u>इलेक्ट्रॉनिक कार्यक्रम संदर्शिका में चैनलों का सूचीकरण</u>

135 एड्रेसेबल प्रणालियों में, प्रौद्योगिकी में एक इलेक्ट्रॉनिक कार्यक्रम संदर्शिका (ईपीजी) दी गई है, जिसमें डीपीओ के नेटवर्क पर चलाए जा रहे चैनल एक सरल, समझने में आसान तरीके से क्रमबद्ध किए जा सकते हैं ताकि उपभोक्ता आसानी से इस संदर्शिका को पढ़ सकें और सभी चैनलों के जरिए फ्लिपिंग के बजाए अपनी पसंद के चेनल चुन सकें। ईपीजी में प्लेटफार्म पर उपलब्ध प्रत्येक टीवी चैनल को एक चैनल नंबर भी दिया गया है। अंतः संयोजन विनियमावली, 2016 के मसौदे में यह प्रस्ताव दिया गया था कि प्रत्येक डीपीओ द्वारा उसके द्वारा वितरित प्रत्येक टेलीवज़िन चैनल के लिए एक ऐसे तरीके से एक चैनल नंबर दिया जाना चाहिए कि उसी प्रकार के टीवी चैनल निरंतर एकसाथ रखे जाएं और एक स्थान पर केवल एक ही चैनल दिखाई दे। इसके अलावा, यह प्रस्ताव दिया गया था कि टेलीविज़न चैनल को दिया गया नंबर, वह नंबर दिए जाने की तारीख से कम से कम एक वर्ष की अवधि के लिए वितरक द्वारा नहीं बदला जाएगा।

136 प्रत्युत्तर में, अधिकांश प्रसारणकर्ताओं ने कहा कि चैनल को प्रसारण दर्शकगण अनुसंधान परिषद् (बीएआरसी) की रेटिंग के पिछले 12 महीने के औसत के अनुसार ईपीजी में सूचीबद्ध किया जाना चाहिए। उन्होंने यह राय व्यक्त की कि उच्चतर रेटिंग वाले चैनल, चैनलों के एक विशेष प्रकार को आबंटित एलसीएन (तर्कसंगल चैनल नंबर) के शीर्ष पर रखे जाने चाहिए और यह कार्य हर वर्ष दोहराया जा सकता है। एक नए प्रसारणकर्ता ने सुझाव दिया कि हिंदी, अंग्रेजी, व्यवसाय चैनल, क्षेत्रीय चैनल आदि जैसे प्रकार के अंदर उप–श्रेणीकरण होना चाहिए। जबकि अन्य समाचार प्रसारणकर्ता ने टिप्पणी दी कि नई विनियमावली लागू होने के पश्चात एलएनसी आबंटित चैनलों के लिए यथास्थिति बनाए रखी जानी चाहिए और डीपीओज को एलसीएन बदलने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, जब तक उस प्रकार की समग्र शृंखला ही बदल न दी गई हो और फिर भी चैनल की क्रम संबंधी स्थिति उस प्रकार में वही बनी रहनी चाहिए, जबकि कोई नया अभिवर्धन उस प्रकार में तैथिक क्रम में होना चाहिए।

137 कुछ डीपीओज ने बताया कि किसी भी कारण से टीवी चैनलों के विसंयोजन के मामलों में, डीपीओ पर यह दायित्व नहीं डाला जाना चाहिए कि वह प्रसारणकर्ता को पुनः वही चैनल नंबर उपलब्ध कराए, यदि प्लेटफार्म पर वह चैनल दोबारा वापस आता है। एक डीपीओ ने कहा कि चैनल नंबर देने के लिए अनिवार्य की गई अवधि 1 वर्ष से घटाकर 6 महीने कर दी जानी चाहिए।

138 टेलीविजन सेवाओं से संबंधित मूल्य सूची मामले'' शीर्षक के परामर्श पत्र में शैली वर्गीकरण के मुद्दे पर सुस्पष्ट अभिव्यक्ति की जा चुकी है । मूल्य सूची आदेश के मसौदे में सात शैलियां प्रस्तावित की गई थी तथा प्रसारकों को किसी भी प्रस्तावित शैली के लिए

अपने चैनलों का वर्गीकरण करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई थी । विनियम के उपबंधों के अनुसार डीपीओ के लिए प्रसारकों द्वारा की गई घोषणा के अनुसार चैनलों को स्थापित करने की अनिवार्यता की गई है । देश में लगभग 800 टैलीविजन चैनल हैं । यदि सभी प्रसारकों को अपनी शैली तैयार करने की अनुमति प्रदान कर दी जाए तो शैलियों की संख्या इतनी बढ़ जाएगी कि उसे नियंत्रित नहीं किया जा सकेगा जिससे उपभोक्ताओं के सम्मुख्य अत्याधिक कठिनाईयां उत्पन्न हो जाएंगी और उनके लिए अपने टेलीविजन सेट में से ईपीजी के प्रयोग से शैलियों के ढेर में से स्क्रोल करना एक दुष्कर कार्य बन जाएगा । इस प्रकार प्रसारकों को अपनी शैलियां तैयार करने की अनुमति प्रदान करना व्यवहार्य नहीं है । तदनुसार प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट आठ शैलियों में से प्रसारकों के लिए अपने चैनलों की शैली की घोषणा किए जाने की अनिवार्यता की गई है । लोचकता के उद्देश्य से प्रसारकों के लिए विविध प्रकार की शैलियां भी विनिर्दिष्ट की गई हैं ।

139 ईपीजी में चैनलों का उचित सूचीकरण, देखने के उद्देश्य के लिए चैनल का चयन करने में उपभोक्ताओं की सहायता करता है। यदि चैनल, टेलीविज़न रेटिंग पॉइंट (टीआरपी) के आधार पर सूचीबद्ध किए जाते हैं, तो इसके कारण टेलीविज़न रेटिंग पॉइंट के आधार पर समय–समय पर चैनलों का स्थान बदला जा सकता है, जो उन उपभोक्ताओं में नाराजगी उत्पन्न करेगा, जो किसी प्रकार के अंतर्गत ईपीजी में आमतौर पर चैनल का स्थान याद रखते हैं। इसलिए टी–आर–पी के आधार पर चैनलों की लिस्टिंग को निर्धारित नहीं किया गया है और इसे वितरकों के ऊपर छोड़ दिया गया है। प्राधिकरण कुछ पणधारियों के इन विचारों से सहमत है कि उप–श्रेणीकरण, देखने के लिए अपनी पसंद का चैनल चुनने में उपभोक्ता की सहायता करेगा और इसलिए प्राधिकरण ने डीपीओ के लिए यह अनिवार्य कर दिया है कि वे इलेक्ट्रॉनिक कार्यक्रम संदर्शिका में चैनलों को इस तरीके से स्थान दें कि प्रसारणकर्ता द्वारा घोषित उसी प्रकार के टीवी चैनल तैथिक क्रम में एकसाथ रखे गए हों और उसी प्रकार के अंदर उसी भाषा के सभी टीवी चैनल, इलेक्ट्रॉनिक कार्यक्रम संदर्शिका में लगातार साथ–साथ्ज्ञ दिखाई दें।

140 उपभोक्ता आमतौर पर चैनल नंबर याद रखते हैं और अपनी पसंद का चैनल देखने के लिए अपने रिमोट पर चैनल नंबर दबाते हैं। किसी चैनल विशेष को दिए गए चैनल नंबर में बार–बार किए गए परिवर्तन से उपभोक्ताओं को असुविधा होती है। यह भी अवलोकन किया गया है कि अनेक प्रसारणकर्ता, किसी विशेष डीपीओ के नेटवर्क पर, उसे दिए गए नंबर के साथ, उपभोक्ताओं के लिए अपने टीवी चैनल का विज्ञापन करते हैं। प्रसारणकर्ता तब भी कठिनाई का सामना करता है, यदि चैनब नंबर बार–बार बदल दिया जाता है। इसलिए, प्राधिकरण का विचार है कि 6 महीने का समय कम है और इसलिए डीपीओज के लिए यह अनिवार्य कर दिया गया है कि वे नंबर दिए जाने की तारीख से कम से कम एक वर्ष तक चैनल नंबर न बदलें। तथापि, प्राधिकरण कुछ पणधारियों के इस विचार से सहमत है कि यदि किसी कारण से चैनल अनुपलब्ध होता है या किसी प्रसारणकर्ता द्वारा चैनल के प्रकार में कोई परिवर्तन कर दिया जाता है, तो किसी विशेष टेलीविज़न चैनल को दिया गया चैनल नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कार्यक्रम संदर्शिका में नए प्रकार के चैनलों के साथ रखने के लिए बदला जा सकता है। तद्नुसार, इन विनियमों में उचित उपबंध कर दिए गए हैं।

141 नए विनियम लागू होने के पश्चात आबंटित किए गए एलसीएन के लिए यथास्थिति बनाए रखना, डीपीओज के लिए अनिवार्य बनाने के पणधारियों के सुझाव के संबंध में उल्लेख किया जाता है कि यह सुझाव धार्य नहीं है, क्योंकि डीपीओज के प्लेटफार्म पर चैनल की उपलब्धता और इसका स्वरूप, नए ढांचे, सेवा प्रदाताओं के ब्योरों की रिपोर्टिंग के आलोक में भिन्न हो सकता है।

सेवाप्रदाता के विवरण की रिपोर्ट

142 प्रसारण और केबल टीवी सेक्टर में, सेवा प्रदाताओं, नामतः प्रसारणकर्ताओं, एमएसओज, एलसीओज, डीटीएच प्रचालकों, एचआईटीएस प्रचालकों और आईपीटीवी प्रचालकों, की संख्या बहुत अधिक है। आईसीटी के इस्तेमाल द्वारा किसी एकल स्थान पर सूचना की उपलब्धता, एक क्षेत्र विशेष में उपलब्ध सेवा प्रदाताओं का पता लगाने में सेवा प्रदाताओं की सहायता करेगी और

अंतःसंयोजन करार करने के हिसाब से व्यवसाय करने को आसान बनाएगी। यह, बाज़ार में अत्यधिक आवश्यक अनुशासन लाते हुए विनियम का अनुपालन मॉनीटर करने में प्राधिकरण की सहायता भी करेगी, जो इस सेक्टर को एक स्थायी प्रगति के पथ पर लाएगी।

143 तद्नुसार, इन विनियमों में सेवा प्रदाताओं के लिए यह अनिवार्य किया गया है कि वे अपने ब्योरे जैसे नाम, पता, संपर्क नंबर, ई–मेल का पता और केंद्र सरकार द्वारा जारी किया गया लाइसेंस/ अनुमति/ पंजीकरण, प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट वेबसाइट पर प्रस्तुत करें। इसके अलावा, सेवा प्रदाता वेबसाइट से यह सत्यापन करेंगे कि टीवी चैनलों के सिग्नल उपलब्ध कराने के लिए या नेटवर्क तक पहुंच के लिए, जैसा भी मामला हो, विसंयोजन चाहने वाले अन्य सेवा प्रदाता ने वेबसाइट पर अपने ब्योरे दर्ज करा दिए हैं। तथापि, कोई संदेह समापत करने के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि केवल वेबसाइट पर सूचना उपलब्ध कराना सेवा प्रदाताओं को यह अधिकार नहीं देगा कि वे इस प्रकार का व्यवसाय करें, जब तक सुसंगत नीति/दिशानिर्देशों के अंतर्गत सरकार से अनुमति/ अनुमोदन/ लाइसेंस/ पंजीकरण प्राप्त न कर लिया गया हो।

<u>अनुपालन अधिकारी को नामजद करना</u>

144 विनियामक ढांचे का उद्देश्य पूरा करने की दृष्टि से यह बात महत्त्वपूर्ण है कि विनियमों के अंतर्गत विनिर्दिष्ट रिपोर्टिंग शर्तों का सही भावना से सेवा प्रदाता द्वारा अनुपालन किया गया है। इसलिए, अंतःसंयोजन विनियमावली, 2016 के मसौदे में यह प्रस्ताव दिया गया था कि प्रत्येक प्रसारणकर्ता और डीपीओ इस शर्त के साथ अनुपालन अधिकारी नियुक्त करेगा कि तुरंत पिछली कैलेंडर तिमाही में 2,00,000 से कम के औसत उपभोक्ता आधार वाले किसी डीपीओ के लिए यह अनिवार्य नहीं था। प्रत्युत्तर में एक प्रसारणकर्ता ने कहा कि उपभोक्ता आधार की सीमा 2,00,000 से घटाकर 50,000 कर दी जानी चाहिए और प्रत्येक लक्ष्य बाज़ार में अनुपालन अधिकारी नियुक्त किया जाना चाहिए। एमएसओ की एसोसिएशन ने कहा कि अनुपालन अधिकारी की नियुक्ति के लिए दी गई समयावधि 30 दिन से बढ़ाकर 60 दिन कर दी जानी चाहिए और किसी परिवर्तन की स्थिति में विनियम के मसौदे में यथाउपबंधित 10 दिन की समयावधि कम है क्योंकि व्यक्तियों की पुनः नियुक्ति में समय लगता है।

145 विनियामक ढांचे का उद्देश्य केवल तभी पूरा किया जा सकता है, यदि सभी सेवा प्रदाताओं का अनुपालन स्तर अच्छा हो। इसलिए, यह बात बहुत महत्त्वपूर्ण है कि इन विनियमों के उपबंध और विनियमों तथा प्रशुल्क आदेशों में विनिर्धारित अपेक्षित रिपोर्टें प्राधिकरण को उपलब्ध कराई जाएं। इसलिए, इन विनियमों में ये उपबंध किए गए हैं कि प्रत्येक प्रसारणकर्ता और डीपीओ एक अनुपालन अधिकारी नामजद करेगा। यदि प्रसारणकर्ता या डीपीओ कोई कंपनी है, तो अनुपालन अधिकारी कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा नामजद किया जाना चाहिए। यदि भुगतान प्रसारणकर्ता या डीपीओ कोई व्यक्ति या कोई साझेदारी फर्म या व्यक्तियों का कोई संघ है तो प्रसारणकर्ता या डीपीओ को सभी साझेदारों या संघ के प्रमुख, जैसा भी मामला हो, द्वारा हस्ताक्षर किया गया प्राधिकार पत्र प्रस्तुत करना चाहिए, जिसमें उस अनुपालन अधिकारी को प्राधिकृत किया गया हो। किसी अनुपालन अधिकारी को नामजद करने के लिए समय–सीमा में वृद्धि के संबंध में कुछ पणधारियों के सुझाव पर प्राधिकरण द्वारा यह विचार करते हुए सहमति व्यक्त की गई कि किसी कंपनी के मामले में अनुपालन अधिकारी का पदनाम निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए, सेवा प्रदाताओं को पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए ताकि वे अनुमोदन प्राप्त कर सकें और प्राधिकरण को सूचित कर सकें। तद्नुसार, इन विनियमों में यह उपबंध किया गया है कि अनुपालन अधिकारी को नामजद करने का काम विनियमों के प्रारंभण के 30 दिन के अंदर किया जाएगा और इस नामजदगी के पश्चात अनुपालन अधिकारी के ब्योरे 30 दिन के अंदर प्राधिकरण को संसूचित किए जाएंगे। इसके अलावा, अनुपालन अधिकारी के नाम में होने वाला कोई परिवर्तन, उस परिवर्तन के होने की तारीख से 30 दिन के अंदर प्राधिकरण को संसूचित किया जाएगा।

<u>निरसनः</u>

146 दूरसंचार (प्रसारण एवं केबल) सेवा अंतःसंयोजन (एड्रेसेबल प्रणालियां) विनियमावली, 2016, दूरसंचार (प्रसारण एवं केबल सेवाएं) (आठवीं) (एड्रेसेबल प्रणालियां) प्रशुल्क आदेश, 2016 और दूरसंचार (प्रसारण एवं केबल सेवाएं) सेवा के गुणवत्ता के मानक और उपभोक्ता संरक्षण (एड्रेसेबल प्रणालियां) विनियमावली, 2016 की सरकारी अधिसूचना के साथ प्राधिकरण ने सभी प्रकार की एड्रेसेबल प्रणालियों के लिए व्यापक और सामान्य विनियामक ढांचा लागू कर दिया है। इसलिए, इसके सभी संशोधनों और इसके अंतर्गत जारी किए गए निर्देशों के साथ डिजिटल एड्रेसेबल केबल टीवी प्रणालियों के लिए लागू दूरसंचार विनियमावली, 2012 का निरसन कर दिया गया है। अंतःसंयोजन विनियमावली, 2004, जो डीएएस को छोड़कर, आईपीटीवी, डीटीएच और एचआईटीएस जैसी एड्रेसेबल प्रणालियों और गैर–एड्रेसेबल प्रणालियों के लिए लागू थी, एड्रेसेबल प्रणालियों के लिए लागू उपबंधों की सीमा तक निरसित कर दी गई है। ऐनालॉग प्रणालियों से संबंधित उपबंध, अंतःसंयोजन विनियमावली, 2004 द्वारा विनियमित होती रहेंगी। एड्रेसेबल प्रणालियों के जरिए सेवा उपलब्ध कराने के लिए मौजूदा सभी अंतःसंयोजन करार या तो आवश्यक रूप से संशोधित करने होंगे या दूरसंचार (प्रसारण एवं केबल सेवाएं) अंतःसंयोजन (एड्रेसेबल प्रणालियां) विनियमावली, 2016 के उपबंधों के अनुपालन में एक नया करार करना होगा।

<u>विनियमावली और नए अंतःसंयोजन करारों का प्रारंभण:</u>

147 ये विनियम सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को तुरंत लागू हो जाएंगे। प्राधिकरण इस बात से अवगत है कि इन विनियमों के लागू होने की तारीख को यथास्थिति बड़ी संख्या में मौजूदा अंतःसंयोजन करार होंगे, जो पिछले अंतःसंयोजन विनियमों के ढांचे के आधार पर सेवा प्रदाताओं द्वारा पहले ही कर लिए गए हैं। इसलिए, उपभोक्ताओं और सेवा प्रदाताओं के हितों की रक्षा करने के लिए और पुराने विनियामक ढांचे से नए ढांचे में निर्बाध पारगमन को समर्थ बनाने के लिए प्राधिकरण ने विनियमों और प्रशुल्क आदेशों के उपबंधों के अनुपालन में सभी मौजूदा अंतःसंयोजन करारों का या तो नवीकरण करने या उन्हें संशोधित करने के लिए 150 दिन के समय का उपबंध किया है। सेवा प्रदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे 150 दिन से पहले ही अपने मौजूदा अंतःसंयोजन करारों को संशोधित कर लें ताकि सिग्नलों के अचानक विसंयोजन से बचा जा सके या विनियमों के उल्लंघन के जोखिम से बचा जा सके। ऐसी स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है कि कुछ मौजूदा करार निर्धारित समय सीमा से पहले समाप्त हो रहे हों, हालांकि वे इन विनियमों के प्रारंभण की तारीख को यथास्थिति वैध थे। इसलिए, सेवा प्रदाताओं को यह अनुमति दी गई है कि वे ऐसे मौजूदा करारों का नवीकरण निर्धारित समय तक कर लें ताकि ऐसे करारों की वैधता विस्तारित की जा सके। यह बात स्पष्ट की जाती है कि कोई भी नया अंतःसंयोजन करार ऐसे अपवादों के दायरे में नहीं आएगा। सभी नए अंतःसंयोजन करार इन विनियमों के आधार पर करने होंगे।

.....